वार्षिक रिपोर्ट
2010-11

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्यमी हैल्पलाइन नं.: 1800-180-6763 (टोल फ्री)

सत्यमेव जयते

Udyami Helpline
1800-180-6763 (Toll Free)
(M S M E)

Information about

- MARKETING ASSISTANCE
- CREDIT SUPPORT
- CLUSTER DEVELOPMENT
- TECHNOLOGY UPGRADATION
- SKILL DEVELOPMENT
- SETTING UP ENTERPRISE
- SCHEMES OF MINISTRY OF MSME

Udyami Helpline to provide assistance and guidance to prospective as well as existing entrepreneurs about opportunities and facilities available under various schemes of the Government.

Udyami Helpline 1800-180-6763 (Toll Free)

Timings: 6.00 to 10.00 p.m. in Hindi / English

We welcome all entrepreneurs to avail this facility.

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA

www.msme.gov.in www.dcmsme.gov.in

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2010–11

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मधयम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110107
वेबसाइट: www.msme.gov.in
उद्यमी हैल्पलाइन नं. 1800–180–6763 (टोल फ्री)

विषय-सूची

अध्याय संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (सूलमउ) की वृद्धि और कार्यनिष्पादन एवं (ख) सूलमउ की चौथी गणना	11
3.	नीतिगत शुरुआत	27
4.	विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय की भूमिका और कार्य	65
5.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	109
6.	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)	131
7.	कयर बोर्ड	137
8.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड	151
9.	प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास एवं मंत्रालय की अन्य स्कीमें	171
10.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एवं परंपरागत उद्योगों के पुनुरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)	199
11.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	209
12.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यकलाप	229
13.	महिलाओं के लिए कार्यकलाप और कार्यक्रम	247
14.	राजभाषा का प्रयोग	253
15.	सतर्कता कार्यकलाप	263
16.	नागरिक चार्टर और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, कार्यनिष्पादन मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन पद्धति (पीएमईएस) और अशक्त व्यक्तियों के लाभ हेतु किए गए कार्यकलाप	269

अनुबंध

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
I	वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, व्यय और उपलब्धियाँ दर्शाते हुए विवरण	277
II	10वीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान योजना आवंटन और व्यय दर्शाते हुए विवरण	310
III	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अधीन राज्यवार कार्य-निष्पादन	311
IV	गणना पर आंकड़े	313
V	लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की सूची	325
VI	बैंक ऋण आंकड़े	327
VII	अति हाल की और महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा टिप्पणियां (नियंत्रक और महालेख-परीक्षक)	328
VIII	मंत्रालय के सीपीआईओ और इसके संगठनों के नोड़ल सीपीआईओ की सूची	330
IX	सम्पर्क पते	335
X	भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा	347

प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची

संकेताक्षर	संकेताक्षरों की सूची
ए आर आई	कृषि-ग्रामोद्योग
सी सी ई ए	आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सी सी आर आई	केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान
सी एफ टी आई	केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान
सी आई सी टी	केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान
सी जी टी एम एस ई	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास
सी एल सी एस एस	ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम
सी पी आई ओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
डी सी (एमएसएमई)	विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
डी आई एस	विकास संस्थान
ई डी पी	उद्यमिता विकास कार्यक्रम
ई एस डी पी	उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम
एफ एफ डी सी	सुगंध एवं सुरस विकास केन्द्र
एफ टी एस	क्षेत्रीय परीक्षण स्टेशन
जी ओ आई	भारत सरकार
आई सी टी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई आई ई	भारतीय उद्यमिता संस्थान
आई पी एफ सी	बौद्धिक सम्पदा सुविधा केन्द्र
आई पी आर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार

के वी आई	खादी और ग्रामोद्योग
के वी आई सी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एम गिरी	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एम/ओ एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एम एस ई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एम एस ई-सी डी पी	सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम
एम एस एम ई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एम एस एम ई डी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एम एस एम ई डी आई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान
एम एस एम ई टी सी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम परीक्षण केंद्र
एम एस एम ई टी डी सी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी विकास केंद्र
एम एस एम ई टीएस	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम परीक्षण स्टेशन
एम एस एम ई टी आर	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम टूल कक्ष
एम एस एम ई टी आई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रशिक्षण संस्थान
एन बी एम एस एम ई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड
एन ई आर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एन आई ई एस बी यू डी	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान
एन आई एम एस एम ई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
एन एम सी पी	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम
एन एस आई सी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.

एन टी एस सी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तकनीकी सेवा केन्द्र
पी एम ई जी पी	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
क्यू एम एस	गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति
क्यू टी टी	गुणवत्ता प्रौद्योगिकी औजार
आर एंड डी	अनुसंधान और विकास
आर ई जी पी	ग्रामीण रोजगार सृजन कायक्रम
आर ई एम ओ टी	कयर उद्योग का पुनरूज्जीवन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन
आर जी यू एम वाई	राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना
आर टी आई	सूचना का अधिकार
एस डी पी	कौशल विकास कार्यक्रम
एस एफ यू आर टी आई	परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम
एस एम ई	सूक्ष्म और मध्यम उद्यम
एस एस आई	लघु उद्योग
टी डी सी	प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

MSME
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

1 भूमिका

श्री वीरभद्र सिंह, केन्द्रीय सूलमउ मंत्री एसोचैम के सम्मेलन को संबोधित करते हुए

अध्याय I

भूमिका

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 खादी और ग्रामीण उद्यमों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उच्च रोजगार वृद्धि दर सृजित करने और प्रमुख औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात भागीदारी में श्रेयकर रहे हैं। उन्होंने प्रभावी, दक्ष, लचीलेपन और नवीनतम उद्यम भावना से आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। भारत द्वारा सामाजिक-आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं क्योंकि औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के आशय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर जोर दिया गया है।

1.1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 इस क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा के साथ-साथ प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए अधिसूचित किया गया। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- राष्ट्रीय सूलमउ बोर्ड की स्थापना
- उद्यमों का वर्गीकरण
- सूलमउ की सहायता हेतु सलाहकार समितियां
- सूलमउ के संवर्धन, विकास एवं वृद्धि हेतु उपाय
- सूलमउ के विलम्बित भुगतान नियंत्रण हेतु स्कीम
- संबंधित राज्यों में सूलमउ विकास अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा नियमावली का अधिनियमन।

9 मई, 2007 को भारत सरकार (कार्यों का आवंटन) नियमावली, 1961 के संशोधन के फलस्वरूप लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को विलय करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया। यह मंत्रालय अब सूलमउ की सहायता और वृद्धि में सहायता करने के विचार से नीतियां बनाने और कार्यक्रमों के संवर्धन/सुविधा, परियोजनाओं और स्कीमों तथा उनके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है।

1.1.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास की मुख्य जिम्मेदारी

राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार, भिन्न-भिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके संगठनों की भूमिका, बदलते आर्थिक परिदृश्य में उद्यमिता, रोजगार और जीविका के अवसर प्रोत्साहित करने और सूलमउ में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करना है। सूलमउ मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा आंरभ की गई विशेष योजनाएं/ कार्यक्रम 1. वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से पर्याप्त ऋण का प्रवाह; 2. प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए सहायता; 3. एकीकृत अवसंरचनात्मक सुविधाएं; 4. आधुनिक परीक्षण सुविधाएं और गुणवत्ता प्रमाणन; 5. आधुनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं तक पहुंचना; 6. उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास एवं कौशल उन्नयन; 7. उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता एवं पैकेजिंग के लिए सहायता; 8. कारीगर और कामगारों का कल्याण; 9. घरेलू और निर्यात बाजारों तक बेहतर पहुंच के लिए सहायता; और 10. ऊपर दी गई सभी अथवा कुछ सहायताओं के अतिरिक्त इकाईयों और उनके समूहों के क्षमता निर्माण संवर्धन तथा सशक्तिकरण के लिए क्लस्टर-वार उपाय करने के लिए सुविधा/व्यवस्था प्रदान की जाती है।

1.1.4 ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग अपनी आजीविका कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। तथापि उद्योग और सेवा जैसे अन्य क्षेत्र वृद्धि और संतुलित विकास हेतु अनन्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की सतत वृद्धि के लिए भी आवश्यक हैं। भारत सरकार ग्रामीण जनता और गैर कृषि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक उपायों के माध्यम से प्रयत्नरत हैं जिनमें स्थानीय कच्ची सामग्री और कौशल के इष्टतम उपयोग के आधार पर उत्पादक रोजगार अवसर सृजित करने के साथ साथ उद्यमियों/कारीगरों और अनेक ग्रुपों/समूहों की आपूर्ति चैन में सुधार, कौशल वृद्धि, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार विस्तार और क्षमता निर्माण शामिल है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही

स्कीमों के बारे में ब्यौरे उत्तरवर्ती अध्यायों में दिए गए हैं।

1.2 संगठनात्मक स्थापना

1.2.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दो प्रभाग हैं– लघु और मध्यम उद्यम (एमएसई) प्रभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग। लघु और मध्यम उद्यम (एमएसई) प्रभाग को अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड और तीन स्वायत्तशासी राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास/प्रशिक्षण संगठनों के प्रशासन, सतर्कता और प्रशासनिक पर्यवेक्षण का काम आवंटित किया गया है। प्रभाग विपणन और निर्यात संवर्धन से संबंधित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। लघु और मध्यम उद्यम प्रभाग परिणाम-ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) तैयार करने और मानीटरिंग के लिए भी जिम्मेदार है क्योंकि इसे कार्यनिष्पादन और मूल्यांकन पद्धति के अधीन मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा वर्ष 2009 में शुरू किया गया है। कृषि और ग्रामीण उद्योग प्रभाग खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड नामक दो स्वायत्तशासी निकायों और महात्मागांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान नामक एक नए सृजित संगठन के प्रशासनिक कार्य को देखता है। यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का भी पर्यवेक्षण करता है।

1.2.2 मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय अर्थात् विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और तीन स्वायत्तशासी राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास/प्रशिक्षण संस्थान नामतः राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड़), नोएडा, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-सूलमउ), हैदराबाद, और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी द्वारा सहायता की जाती है।

1.2.3 सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीसूलमउ) की स्थापना की गई। बोर्ड सूक्ष्म, लघु और उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले घटकों की जांच करता है और इन उद्यमों से संबंधित

नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करता है तथा सूलमउ की वृद्धि के लिए नीतियां बनाने हेतु सरकार को सिफारिश करता है।

1.2.4 मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार दर्शाया जाता है:

मंत्रालय के अधीन संगठन

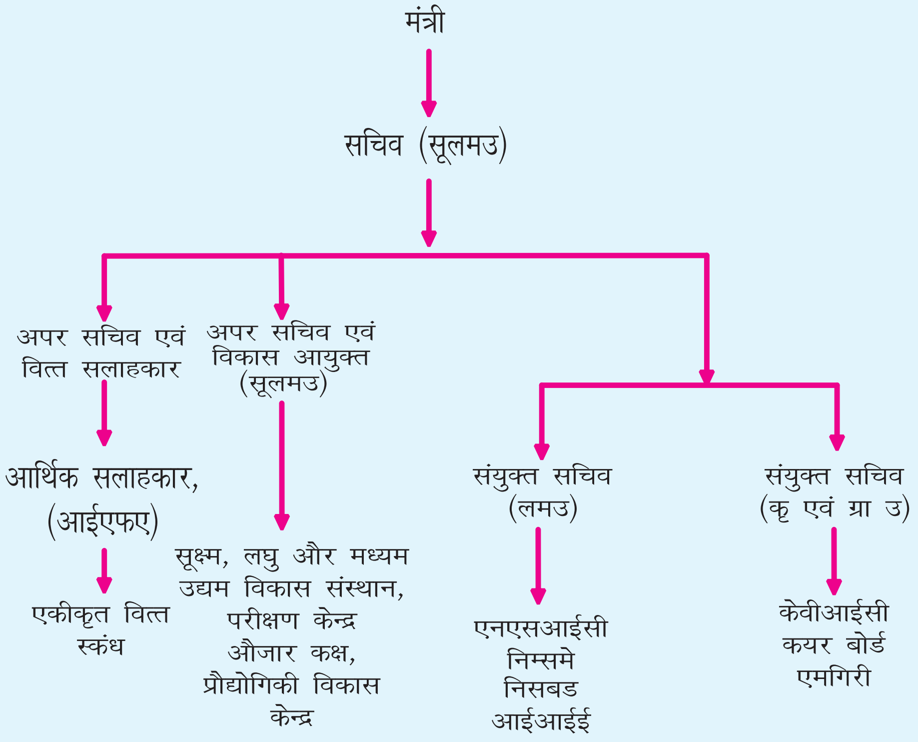

मंत्रालय के संबद्ध एवं अन्य संगठनों के बारे में ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

1.3 विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय

1.3.1 विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय (पूर्व में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के रूप में माना जाता था) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन के रूप में जाना जाता है। यह अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) की अध्यक्षता में देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए नीतियां बनाने, समन्वयन, कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग में मंत्रालय की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यह 30 सूक्ष्म, लघु और मध्यम

उद्यम विकास संस्थानों, 28 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान की शाखाओं, 4 सू.ल.म.उ. परीक्षण केन्द्र, 7 क्षेत्रीय परीक्षण स्टेशनों, 18 स्वायत्तशासी निकाय जिनमें 10 सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम टूल कक्ष, 6 सूलमउ- प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, 2 सूलमउ फुटवियर परीक्षण केंद्र सम्मिलित हैं के नेटवर्क के माध्यम से सामान्य सुविधा, प्रौद्योगिकी सहायता सेवा, विपणन सहायता आदि को व्यापक मात्रा में उपलब्ध कराता है। इसमें 2 विभागीय प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। यह कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित करता है जिनका ब्यौरा अध्याय 4 में उचित रूप से दिया गया है।

1.4 खादी और ग्रामोद्योग आयोग

1.4.1 खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956, के अधीन स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एक सांविधिक संगठन के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास में लगा हुआ है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। केवीआईसी को प्रति व्यक्ति कम निवेश पर सतत ग्रामीण गैर कृषि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में प्रमुख संगठनों में से एक के रूप में अभिज्ञात किया गया है। यह रोजगार के अवसर तलाशने में ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने में भी सहायता करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका एवं कार्यों का विस्तृत ब्यौरा अध्याय 5 में दिया गया है।

1.5 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान

1.5.1 खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्धा महाराष्ट्र में सोसाइटी (पंजीकरण) अधिनियम, 1860 के तहत 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान' (एमगिरी) (पहले जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान) नामक एक राष्ट्र स्तरीय संस्थान की स्थापना की गई है। संस्थान के मुख्य कार्य अनुसंधान और विकास का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण, सूचना से सम्बद्ध प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी प्रसार के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के अधीन अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का सुधार करना है। संस्थान का ब्यौरा अध्याय 6 में दिया गया है।

1.6 कयर बोर्ड

1.6.1 कयर बोर्ड, कयर अधिनियम 1953 के अधीन स्थापित, कयर उद्योग के संवर्धन, वृद्धि और विकास और परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक सांविधिक निकाय है। कयर उद्योगों के देश-विदेश में विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ साथ वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान तथा विकास कार्यकलाप नए उत्पाद और डिजाइन विकसित करना और विपणन शुरू करना शामिल है। यह हस्क कयर फाइबर, कयर यार्न के निर्माता और कयर उत्पादों के निर्माताओं में सहकारी संगठन भी प्रोत्साहित करता है तथा निर्माताओं और उत्पादकों आदि के लाभप्रद पारिश्रमिक की वापसी सुनिश्चित करता हैं। बोर्ड ने कयर उद्योग के भिन्न भिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करने के लिए कलावूर, अलप्पी में केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान और बैंगलूरू में केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान नामक 2 अनुसंधान संस्थान संवंर्धित किए हैं जिनमें से एक देश में प्रमुख कृषि आधारित ग्रामोद्योग है। कॅयर क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों का ब्यौरा अध्याय 7 में दिया गया है।

1.7 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड़ (एनएसआईसी)

1.7.1 सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में 1955 में स्थापना की गई। निगम के प्रमुख कार्य सामान्यतया वाणिज्यिक आधार पर देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम में उद्यमों की वृद्धि, संवर्धन व सहायता, विकास एवं पोषण करना है। रा.ल.उ.नि. लिमिटेड कच्ची सामग्री की प्राप्ति, उत्पाद विपणन, ऋण दर निर्धारण, प्रौद्योगिकी की प्राप्ति, आधुनिक प्रबंधन पद्धति आदि ग्रहण करने संबंधी क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विविध सहायता सेवाएं उपलब्ध कराता है। निगम के विस्तृत कार्यकलापों को अध्याय 8 में देखा जा सकता है।

1.8 राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान

1.8.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन के लिए विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा नए उद्यमों के सृजन हेतु उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण एक प्रमुख

तत्व है। नियमित आधार पर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों में उद्यमिता संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने स्वायत्तशासी निकायों के रूप में तीन राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थानों अर्थात, नोएडा (उ.प्र.) में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) (1983), हैदराबाद में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईसूलमउ), (1960) तथा गुवाहाटी में भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), (1993) की स्थापना की है। ये संस्थान प्रतिस्पर्धा बढ़ाने सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आरंभ करने, उद्यमिता विकास और संवर्धन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में लगे हैं। निसबड़, एनआईसूलमउ और आईआईई की भूमिका, कार्य और कार्यकलाप अध्याय 9 में उल्लिखित किए गए हैं।

1.9 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबी–सूलमउ)

1.9.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन में कुल 47 सदस्यों को मिलाकर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें 20 गैर सरकारी सदस्य संपूर्ण देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि अन्य 27 सदस्यों में संसद सदस्य, राज्य सरकार के 6 मंत्री भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के प्रतिनिधि आदि शामिल होते हैं। बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और सूलमउ के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है तथा सुधारात्मक उपाय संबंधित विभागों/एजेंसियों से परामर्श करके किए जाते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

2 (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सूलमउ) का विकास तथा निष्पादन और (ख) सूलमउ की चौथी गणना

श्री उदय कुमार वर्मा, केन्द्रीय सचिव (सूलमउ) उद्यमिता विकास कार्यक्रम के दौरान भागीदारों को संबोधित करते हुए

अध्याय II

(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सूलमउ) का विकास तथा निष्पादन और (ख) सूलमउ की चौथी गणना

2.1 सूलमउ क्षेत्र–एक नजर

2.1.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (सूलमउ) क्षेत्र देश के उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह अनुमान है कि यह क्षेत्र मूल्य के संबंध में 45 प्रतिशत विनिर्माण उत्पाद तथा देश के कुल निर्यात में 40 प्रतिशत की भागीदारी करता है। यह क्षेत्र अनुमानतः देशभर में लगभग 26 मिलियन इकाइयों में लगभग 59 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। इसके अलावा इस क्षेत्र ने शेष औद्योगिक क्षेत्र के मुकाबले लगातार उच्चतर विकास दर बनाए रखी है। भारत में सूलमउ द्वारा विनिर्मित किए जा रहे 6000 से अधिक उत्पाद हैं, जिनमें पारंपरिक वस्तुओं से लेकर उच्च तकनीक से तैयार होने वाली वस्तुएं हैं। यह सर्वविदित है कि कृषि क्षेत्र

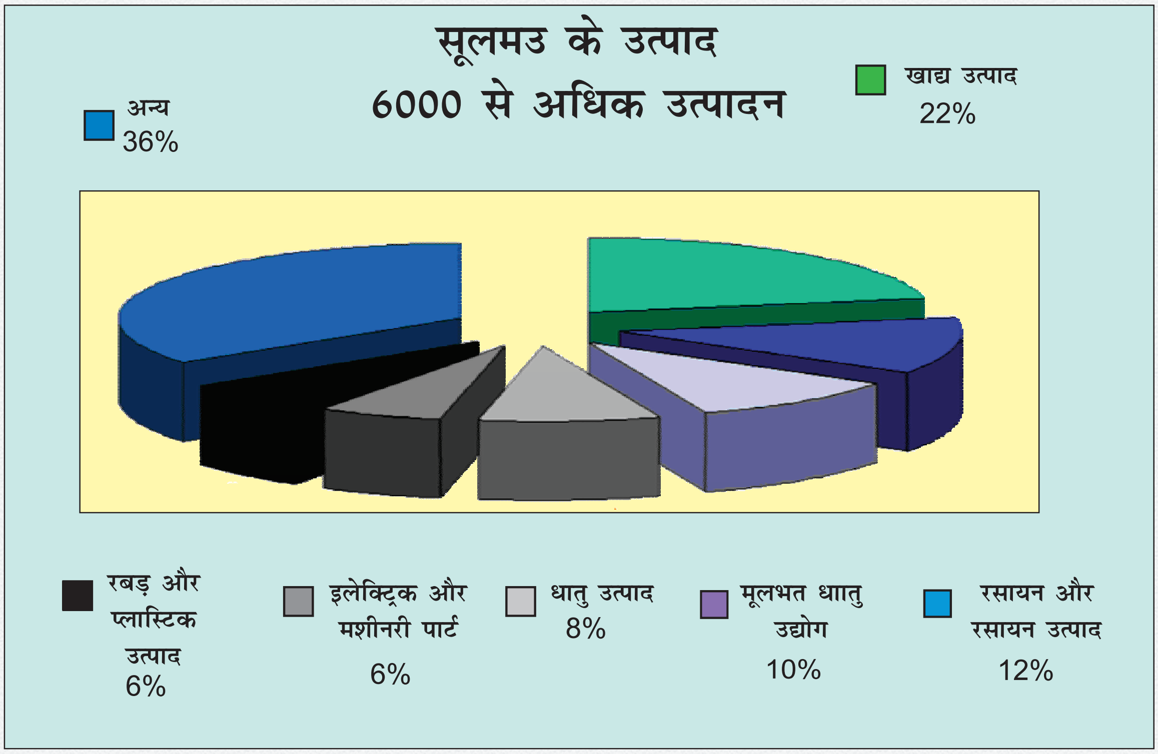

के बाद सूलमउ क्षेत्र स्वरोजगार तथा सेवा दोनों में अधिकतम अवसर प्रदान करता है।

2.1.2 इस क्षेत्र की संभावनाओं तथा योगदान को देखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (सूलमउडी) अधिनियम, 2006 के तहत एमएसई क्षेत्र की परिभाषा तथा परिक्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया था, जो मध्यम उद्यमों को परिभाषित करते हुए उद्यम की अवधारणा का बोध कराता है, ताकि विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा सके। 2007-08 के दौरान देश में संदर्भ वर्ष 2006-07 के लिए सूलमउ क्षेत्र (खादी, ग्रामोद्योग एवं कॅयर सहित) के लिए आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए सूलमउ की चौथी अखिल भारतीय संगणना आरंभ की गई थी। पंजीकृत भाग, अर्थात गणना इकाइयों से डाटा संग्रहण का कार्य पूरा हो गया है तथा आर्थिक गणना (ईसी-2005) से पंजीकृत सूलमउ और अपंजीकृत सूलमउ के कुछ डाटा को सम्मिलित करते हुए "चौथी अखिल भारतीय गणना के त्वरित परिणाम" संबंधी एक रिपोर्ट निकाली गई है। इससे सूलमउ विकास अधिनियम, 2006 के लागू होने के पश्चात सूलमउ क्षेत्र संबंधी पहला डाटाबेस प्राप्त होता है। नमूना सर्वेक्षण के जरिए अंपीकृत क्षेत्र से डाटा संग्रहण, जो चौथी अखिल भारतीय गणना का एक भाग है, प्रगति पर है।

2.2 एमएसई का निष्पादन

2.1.1 विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्यनिष्पादन मापदंडों के संबंध में आकलन मुहैया कराता है। इस क्षेत्र के संबंध में विभिन्न आर्थिक मापदंडों पर टाइम सीरीज डाटा तालिका 2.1 में दर्शाया गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सूलमउ की चौथी अखिल भारतीय गणना के तहत सूलमउ के संदर्भ में संग्रहित किया गया डाटा 2006-07 में पहली बार एकत्रित/संग्रहित किया गया है, अतः इसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। वर्ष 2005-06 तक तालिका 2.1 में दर्शाया गया डाटा केवल लघु उद्योग से ही संबंधित है।

तालिका 2.1: सूलमउ निष्पादन: इकाइयां, निवेश, उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात

क्र. सं.	वर्ष	कुल एमएसई (संख्या लाख)	नियत निवेश (करोड रू.)	उत्पादन (करोड रू.) वर्तमान मूल्य	रोजगार (लाख व्यक्ति)	निर्यात (करोड रू.)
1	1992-93	73.51	109623	84413	174.84	17784
		(4.07)	(9.24)	(4.71)	(5.33)	(28.10)
2	1993-94	76.49	115795	98796	182.64	25307
		(4.07)	(5.63)	(17.04)	(4.46)	(42.30)
3	1994-95	79.60	123790	122154	191.40	29068
		(4.07)	(6.9)	(23.64)	(4.79)	(14.86)
4	1995-96	82.84	125750	147712	197.93	36470
		(4.07)	(1.58)	(20.92)	(3.42)	(25.46)
5	1996-97	86.21	130560	167805	205.86	39248
		(4.07)	(3.82)	(13.60)	(4.00)	(7.62)
6	1997-98	89.71	133242	187217	213.16	44442
		(4.07)	(2.05)	(11.57)	(3.55)	(13.23)
7	1998-99	93.36	135482	210454	220.55	48979
		(4.07)	(1.68)	(12.41)	(3.46)	(10.21)
8	1999-00	97.15	139982	233760	229.10	54200
		(4.07)	(3.32)	(11.07)	(3.88)	(10.66)
9	2000-01	101.1	146845	261297	238.73	69797
		(4.07)	(4.90)	(11.78)	(4.21)	(28.78)

क्र. सं.	वर्ष	कुल एमएसई (संख्या लाख)	नियत निवेश (करोड रू.)	उत्पादन (करोड रू.) वर्तमान मूल्य	रोजगार (लाख व्यक्ति)	निर्यात (करोड रू.)
10	2001-02	105.21	154349	282270	249.33	71244
		(4.07)	(5.11)	(8.03)	(4.44)	(2.07)
11	2002-03	109.49	162317	314850	260.21	86013
		(4.07)	(5.16)	(11.54)	(4.36)	(20.73)
12	2003-04	113.95	170219	364547	271.42	97644
		(4.07)	(4.87)	(15.78)	(4.31)	(13.52)
13	2004-05	118.59	178699	429796	282.57	124417
		(4.07)	(4.98)	(17.90)	(4.11)	(27.42)
14	2005-06	123.42	188113	497842	294.91	150242
		(4.07)	(5.27)	(15.83)	(4.37)	(20.76)
15	2006-07	261.01	500758	709398	594.61	182538
		(111.48)	(166.20)	(42.49)	(101.62)	(21.50)
16**	2007-08	272.79	558190	790759	626.34	202017
		(4.51)	(11.47)	(11.47)	(5.34)	(10.67)
17**	2008-09	285.16	621753	880805	659.35	N. A.
		(4.53)	(11.39)	(11.39)	(5.35)	
18**	2009-10	298.08	693835	982919	695.38	N. A.
		(4.53)	(11.59)	(11.59)	(5.47)	

**कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष में हुई वृद्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं। 2005-06 तक की अवधि के लिए डाटा केवल सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ही है। 2005-06 के बाद से सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यमों के संदर्भ में डाटा संग्रहित किया जाता रहा है।

**प्रक्षेपित (स्रोत: एस एंड डी प्रभाग - विकास आयुक्त (सूलमउ) का कार्यालय)

2.3 पूर्वोत्तर प्रदेश में क्षेत्र का निष्पादन

वर्ष 2009-10 (प्रक्षेपित) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसई इकाइयों की अनुमानित संख्या तथा उनका नियत निवेश, उत्पादन तथा रोजगार, तालिका 2.2 में शामिल किया गया है:-

2.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2009-10

तालिका 2.2: पूर्वोत्तर और एमएसई (2009-10) (प्रक्षेपित)

राज्य का नाम	वर्ष	सिक्किम	अरुणाचल प्रदेश	नागालैंड	मणिपुर	मिजोरम	त्रिपुरा	मेघालय	असम	कुल
कार्यरत उद्यमों की संख्या	2006-07	123	451	1331	4507	3714	1253	3063	18671	33113
	2007-08	138	514	2109	4549	3940	1409	3469	20425	36553
	2008-09	209	621	4630	4689	4418	1621	3879	22056	42123
	2009-10	252	706	6280	4778	4770	1805	4287	23749	46626
नियत निवेश (करोड़ रु. में)	2006-07	27.34	584.04	719.12	92.34	279.88	382.50	132.08	5249.82	7467.12
	2007-08	30.68	665.63	1139.49	93.25	297.08	430.17	149.51	5743.51	8549.32
	2008-09	46.46	804.20	2501.59	96.12	333.12	494.89	167.18	6202.15	10645.71
	2009-10	55.91	914.27	3392.81	97.95	359.66	551.07	184.77	6678.08	12234.51
उत्पादन (करोड़ रु. में)	2006-07	49.56	256.49	1384.17	160.50	303.35	575.09	437.38	6805.62	9972.16
	2007-08	49.56	292.31	2193.15	161.94	321.90	646.73	495.37	7444.91	11605.88
	2008-09	55.60	353.16	4814.74	166.93	360.95	744.04	553.92	8039.41	15088.75
	2009-10	84.21	401.50	6530.05	170.10	389.71	828.50	612.18	8656.33	17672.57
रोजगार (व्यक्ति)	2006-07	1151	5893	16149	16738	26015	18807	12896	133561	231210
	2007-08	1292	6718	25582	16877	27580	21149	14604	146039	259841
	2008-09	1956	8116	56162	17396	30926	24331	16331	157700	312919
	2009-10	2354	9227	76170	17726	33390	27093	18048	169802	353811

के लिए (अनुमानित) पंजीकृत कार्यशील एमएससी इकाईयां, उनकी निर्धारित निवेश, उत्पादन और रोजगार की अनुमानित संख्या सारणी 2.2 में शामिल की गई है:-

2.4 समग्र औद्योगिक क्षेत्र के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र की तुलना

2.4.1 एमएसई क्षेत्र ने सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में वृद्धि की उच्चतर दर बनाए रखी है जो कि गत पांच वर्षों के दौरान दोनों क्षेत्रों में उत्पादन की तुलनात्मक वृद्धि दर से स्पष्ट होता है, जिसे तालिका 2.3 में शामिल किया गया है।

तालिका 2.3: एमएसई क्षेत्र के विकास दरों संबंधी तुलनात्मक आंकड़े

वर्ष	2001-02 आधार आईआईपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	क्षेत्र की कुल औद्योगिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
2002-2003	8.68	5.70
2003-2004	9.64	7.00
2004-2005	10.88	8.40
2005-2006	12.32	8.20
2006-2007	12.60	11.60
2007-2008	13.00*	8.50
2008-2009	उपलब्ध नहीं	2.80
2009-2010	उपलब्ध नहीं	10.40

*: प्रक्षेपित. आईआईपी- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

#: स्रोत सांख्यिकी एवं पीआई मंत्रलय बेबसाइट - http://www.mospi.gov.in

2.5 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसई का योगदान

तालिका 2.4: जीडीपी में सूलमउ का योगदान

वर्ष	1999-2000 के मूल्यों पर सूलमउ का योगदान (प्रतिशत)	
	सकल औद्योगिक उत्पादन	सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)
1999-2000	39.74	5.86

2000-2001	39.71	6.04
2001-2002	39.12	5.77
2002-2003	38.89	5.91
2003-2004	38.74	5.79
2004-2005	38.62	5.84
2005-2006	38.56	5.83
2006-2007	45.62	7.20
2007-2008	45.24	8.00
2008-2009	44.86	8.72

2005-06 अवधि तक के आंकड़े सिर्फ लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए हैं।

2.6 सूलमउ क्षेत्र में रोजगार

2.6.1 वर्ष 2006-07 के संदर्भ में नवीनतम चौथी गणना के अनुसार लगभग 261 लाख उद्यमों के जरिए लगभग 594.61 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2009-10 के लिए संकलित आकलनों के अनुसार, क्षेत्र में रोजगार 659.38 लाख व्यक्ति था।

2.7 क्षेत्र के अन्य सांख्यिकियों से संबंधित चार्ट

(क) सूलमउ की संख्या

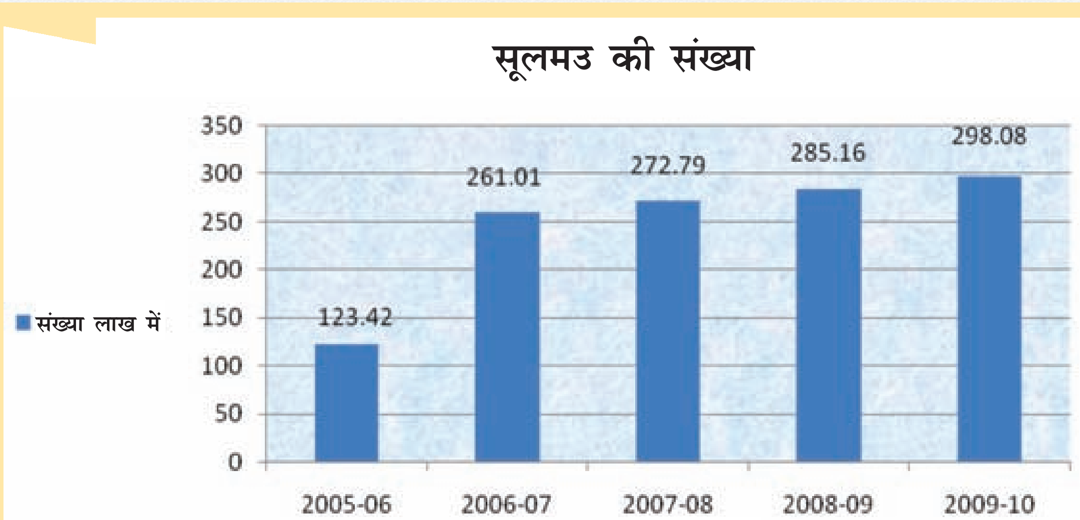

* वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए प्रक्षेपित डाटा

** 2005-06 का डाटा केवल लघु उद्योगों से संबंधित है।

(ख) सूलमउ क्षेत्र में रोजगार

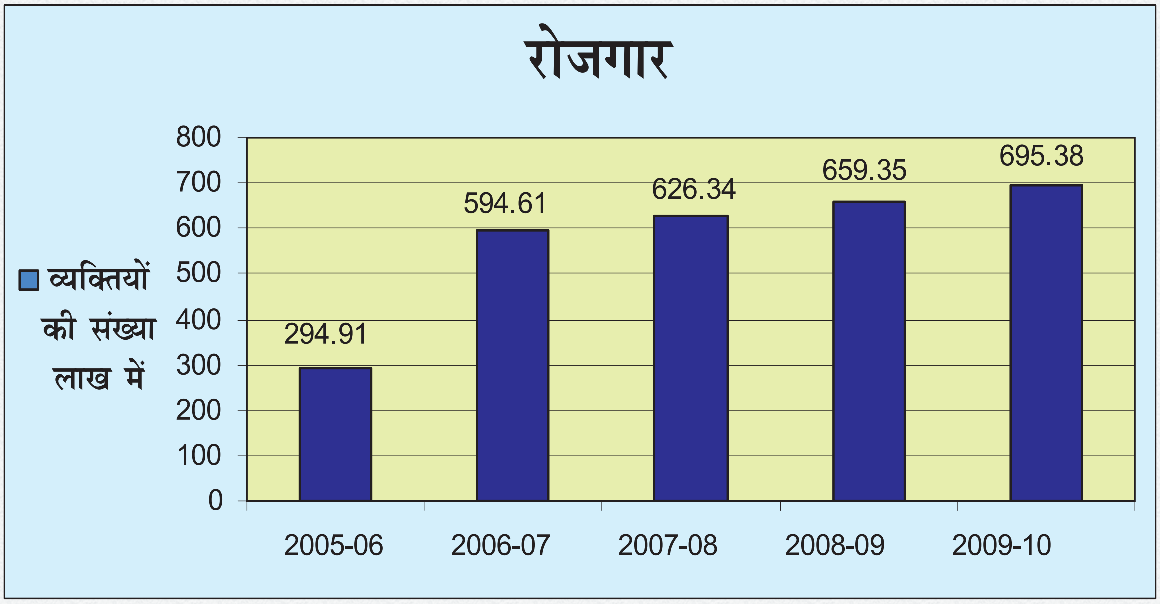

* वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए प्रक्षेपित डाटा

** 2004-05 और 2005-06 तक का डाटा केवल लघु उद्योगों से संबंधित है।

(ग) सूलमउ क्षेत्र में नियत निवेश

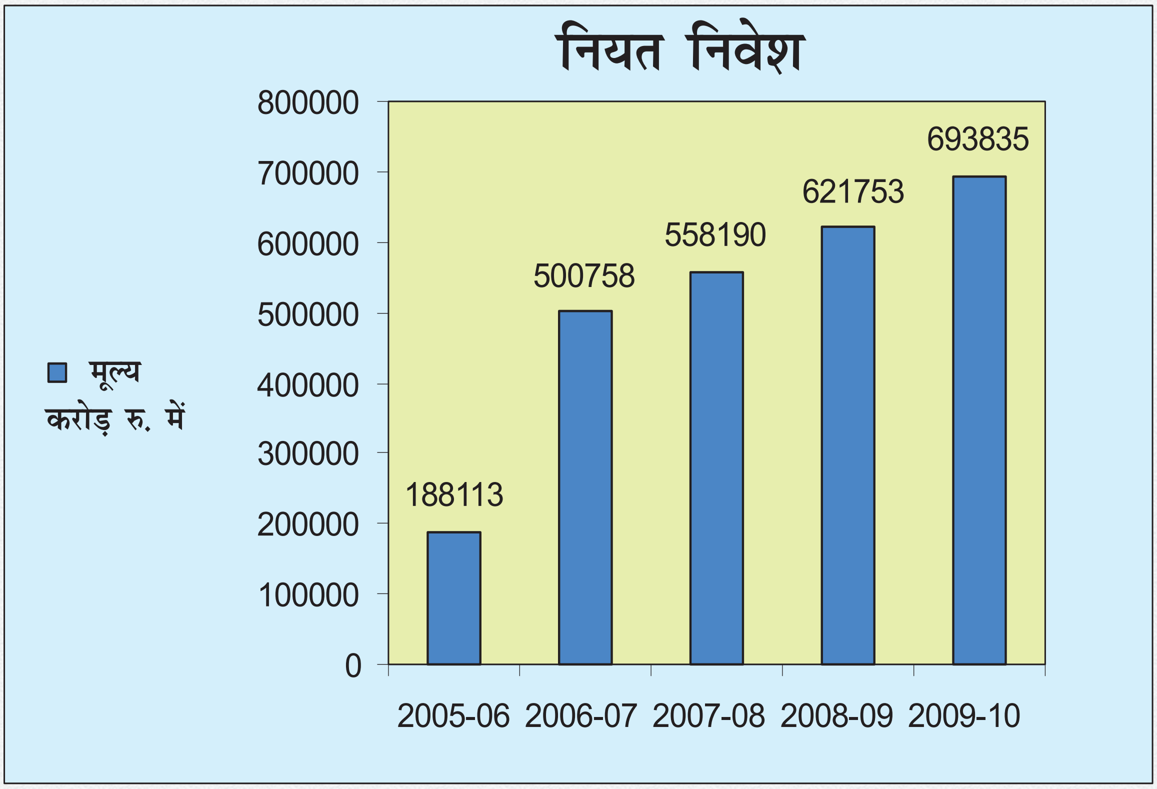

* वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए प्रक्षेपित डाटा

** 2005-06 तक का डाटा केवल लघु उद्योगों (एसएसआई) से संबंधित है।

(घ) सूलमउ क्षेत्र में सकल आउटपुट के संबंध में उत्पादन

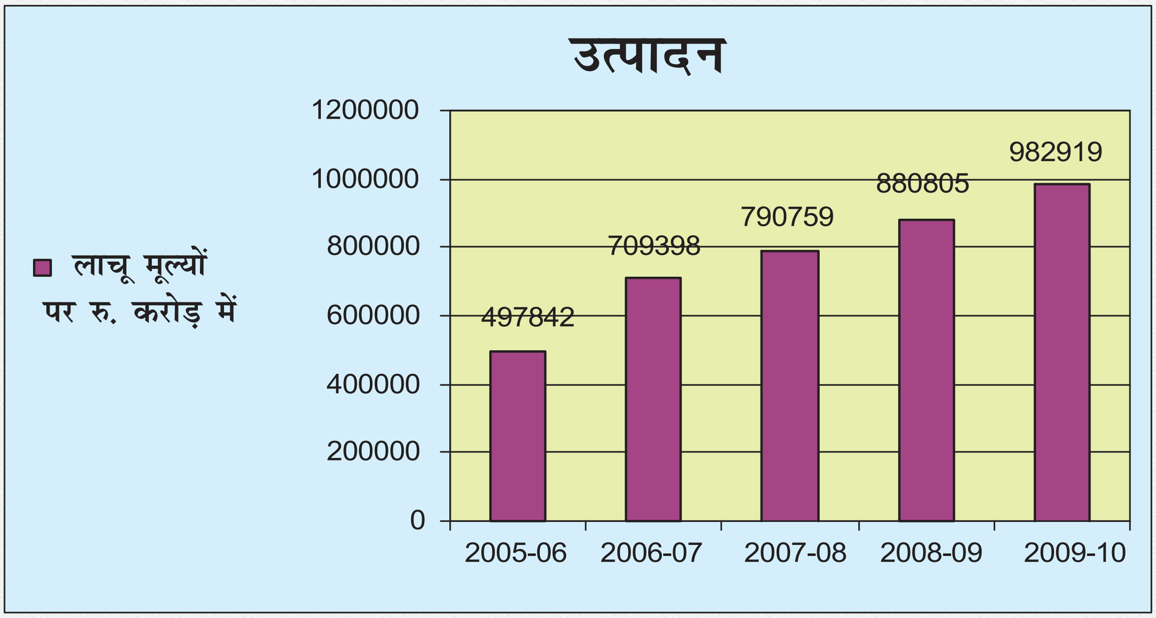

* वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए प्रक्षेपित डाटा

** 2005-06 तक का डाटा केवल लघु उद्योगों (सूलमउ) से संबंधित है।

2.8 सूलमउ संबंधी चौथी अखिल भारतीय गणना

2.8.1 विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय ने अभी तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों संबंधी तीन गणनाएं आयोजित की हैं। 2006-07 की संदर्भ अवधि के लिए आयोजित अद्यतन गणना 2010-11 के दौरान पूर्ण हुई।

2.8.2 चौथी गणना के उद्देश्य

(1) सूलमउ के लिए डाटाबेस मजबूत करना, यानि इकाइयों की संख्या, रोजगार, उत्पादन, बंदी/रुग्णता की सीमा, क्लस्टर निर्माण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंडों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण।

(2) महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों से संबंधित आंकड़े।

(3) खादी व ग्रामोद्योग इकाइयों और कॅयर क्षेत्र की इकाइयों तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) योजना के तहत पंजीकृत इकाइयों पर आंकड़ों का संग्रहण।

(4) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आर्थिक गणना (ईसी-2005) ढांचे का इस्तेमाल करते हुए नमूना सर्वेक्षण द्वारा खादी व ग्रामोद्योग आयोग तथा कॅयर उद्योगों सहित अपंजीकृत सूलमउ क्षेत्र के आकार का आकलन करना।

2.8.3 चौथी गणना की क्रियाविधि

(1) परिभाषा के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट व मशीनरी में 10 करोड़ रुपये तक के निवेश और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले सभी उद्यमों को चौथी गणना में शामिल किया गया है।

(2) उपलब्ध समय और संसाधनों के साथ, यह निर्णय किया गया था कि जबकि पंजीकृत क्षेत्र की संपूर्ण गणना की जाएगी, अपंजीकृत क्षेत्र के लिए आकलन प्राप्त करने हेतु नमूना सर्वेक्षण की विधि अपनाई जाएगी। पंजीकृत और अपंजीकृत क्षेत्र के कुल आकलन संपूर्ण सूलमउ क्षेत्र की संपूर्ण छवि प्रस्तुत करेंगे।

(3) आर्थिक क्रियाकलाप, संगठन का प्रकार, प्रबंधन का प्रकार, रोजगार, नियत निवेश, उत्पादों, सकल उत्पादन, निर्यात, रुग्णता और उसके कारणों, आदि पर सूचना पंजीकृत इकाइयों के साथ-साथ अपंजीकृत इकाइयों से एकत्रित की गई थी। एकत्रित आंकड़े वर्ष 2006-07 के लिए थे।

2.8.4 चौथी गणना की प्रगति

(1) पंजीकृत उद्यमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों तथा अपंजीकृत सूलमउ के लिए आर्थिक गणना 2005 के निष्कर्षित डाटा-फाइल के आधार पर त्वरित परिणाम निकाले गए हैं।

(2) देश में अपंजीकृत सूलमउ का आकलन करने के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर 12,784 गांवों और 568 शहरों का एक नमूना चुना गया। 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, 96 प्रतिशत आंकड़ा संग्रहण कार्य पूरा किया गया।

2.8.5 पंजीकृत सूलमउ से प्राप्त त्वरित आकलन

(1) पंजीकृत सूलमउ क्षेत्र का आकार

पंजीकृत सूलमउ क्षेत्र का आकार 15,63,974 आकलित किया गया है। कुल कार्यरत उद्यमों में से, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का अनुपात क्रमशः 94.94 प्रतिशत, 4.89 प्रतिशत और 0.17 प्रतिशत है। इसमें 67.10 प्रतिशत विनिर्माण उद्यम और 32.90 प्रतिशत सेवा उद्यम शामिल हैं। विनिर्माण उद्यमों का 8.21 प्रतिशत (76,654) अनुषंगी उद्यम थे। लगभग 45.23 प्रतिशत (7.07 लाख) इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थीं।

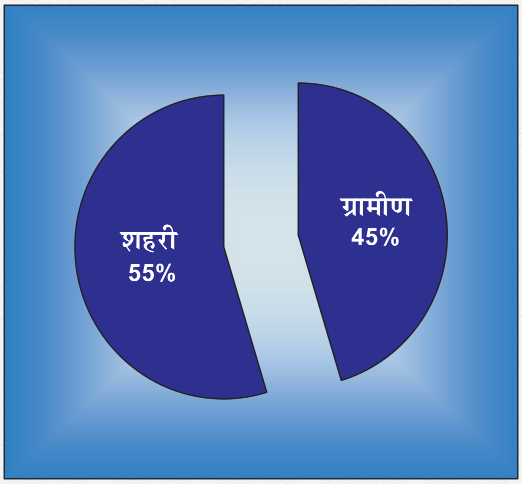

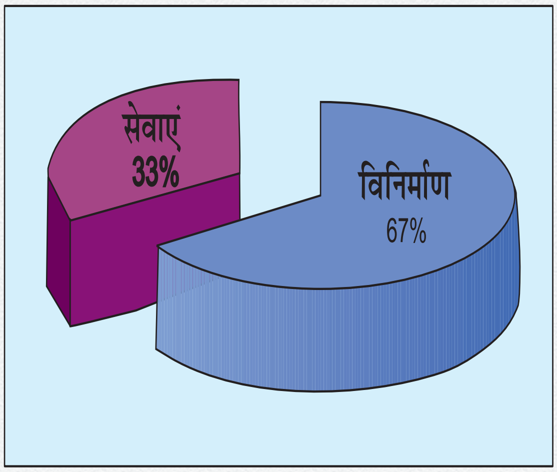

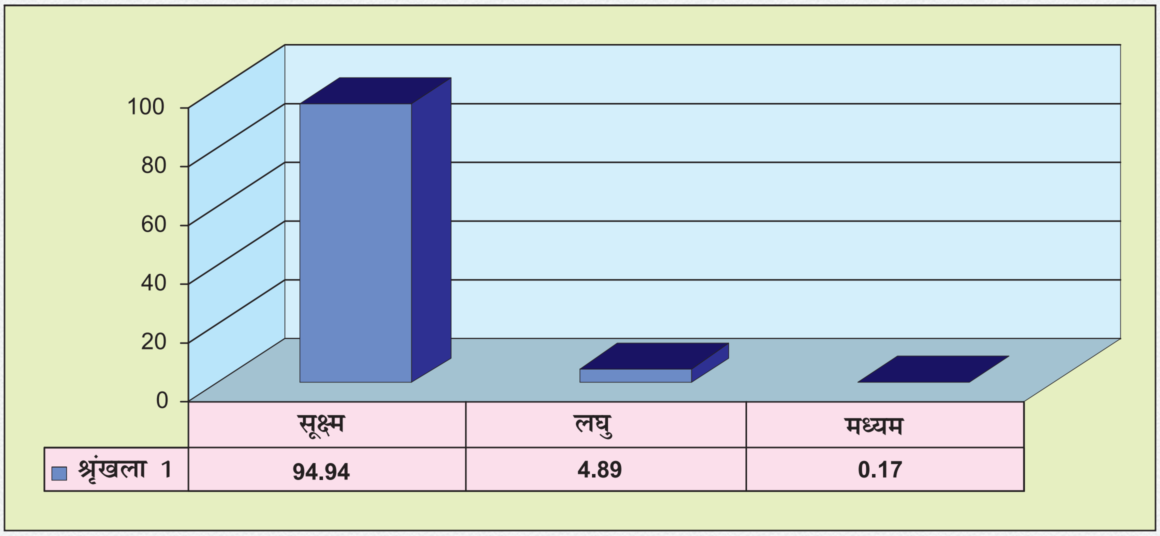

(2) कार्यकलाप की प्रकृति

पंजीकृत सूलमउ क्षेत्र में 67.10 प्रतिशत उद्यम विनिर्माण/संयोजन/प्रोसेसिंग में संलग्न थे, जबकि 16.78 प्रतिशत इकाइयां मरम्मत और रखरखाव में संलग्न थीं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है। शेष 16.13 प्रतिशत उद्यम मरम्मत और रख-रखाव कार्यकलापों में थे।

कार्यकलाप की प्रकृति के अनुसार वितरण	संख्या लाख में
विनिर्माण/एकत्रण/प्रक्रिया	10.49 (67.10%)
सेवाएं	2.62 (16.78%)
मरम्मत और रखरखाव	2.52 (16.13%)
कुल	**15.64 (100%)**

(3) संगठन का प्रकार

नीचे दी गई तालिका दर्शाती है कि पंजीकृत सूलमउ क्षेत्र में 90.08 प्रतिशत उद्यम स्वामित्व वाले उद्यम थे। लगभग 4.01 प्रतिशत उद्यम भागीदारी द्वारा संचालित थे और 2.78 प्रतिशत उद्यम निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे थे। शेष पंब्लिक लिमिटेड कंपनियों, सहकारियों/ट्रस्टों या अन्य के स्वामित्व में थे।

संगठन के प्रकार द्वारा वितरणः	संख्या लाख में
स्वामित्व	14.09 (90.08%)
भागीदारी	0.63 (4.01%)
निजी कंपनी	0.43 (2.78%)
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	0.08 (0.54%)
सहकारी	0.05 (0.30%)
अन्य	0.36 (2.30%)

(4) प्रबंधन/स्वामित्व का प्रकार

स्वामित्व के संबंध में एक या अधिक महिला उद्यमियों द्वारा प्रबंधित कोई उद्यम (विनिर्माण अथवा सेवा), जिसमें उनका व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से भागीदारों/शेयर होल्डरों/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक/सहकारी सोसाइटी के सदस्यों के रूप में 51 प्रतिशत से कम की शेयर पूंजी न हो, उसे 'महिला उद्यम' कहा जाता है। यह पाया गया कि पंजीकृत सूलमउ क्षेत्र में 13.72 प्रतिशत इकाइयां (2.15 लाख) महिला उद्यम थे, जबकि

वास्तव में महिलाओं द्वारा प्रबंधित उद्यमों का अंश 13.72 प्रतिशत था।

निम्नलिखित द्वारा प्रबंधित उद्यमों की संख्या :	संख्या लाख में
पुरुष	13.49 (86.28%)
महिला	2.15 (13.72%)
कुल	**15.64 (100%)**
महिला उद्यमों की संख्या	2.15 (13.72%)

समुदाय की स्थिति के दृष्टिकोण से, 7.60 प्रतिशत उद्यम अनुसूचित जाति के उद्यमियों, 2.87 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और 38.28 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के स्वामित्व वाले हैं। इस प्रकार, पंजीकृत सूलमउ क्षेत्र में 48.75 प्रतिशत कार्यरत इकाइयां सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्वामित्व में थीं। धर्म के

सामाजिक श्रेणी के प्रकार से स्वामित्व	संख्या लाख में
अनुसूचित जाति	1.19 (7.60%)
अनुसूचित जनजाति	0.45 (2.87%)
अन्य पिछड़ा वर्ग	5.99 (38.28%)
अन्य	8.02 (51.26%)

सन्दर्भ में, 81.22 प्रतिशत इकाइयां हिंदुओं के स्वामित्व वाली थीं, जबकि मुसलमान, सिख और ईसाइयों का प्रभुत्व क्रमशः 9.11 प्रतिशत, 3.31 प्रतिशत और 4.12 प्रतिशत

धर्म के प्रकार द्वारा स्वामित्वः	संख्या लाख में
हिन्दू	12.70 (81.22 %)
मुस्लिम	1.43 (9.11%)
सिख	0.52 (3.31%)
ईसाई	0.64 (4.12%)
जैन	0.08 (0.52%)
बौद्ध	0.01 (0.07%)
अन्य	0.26 (1.64%)

था। गणना के मुख्य निष्कर्ष अनुबंध IV क में दिए गए हैं। एनआईसी वर्गीकरण के 2 अंकीय स्तर पर उद्योग क्षेत्र के संबंध में ब्यौरे अनुबंध IV (ख) में दिए गए हैं।

श्री वीरभद्र सिंह, केन्द्रीय सूलमउ मंत्री नई दिल्ली में फिसमे के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए

3 नीतिगत पहलें

इंजेक्शन और ब्लो माउल्ड्स उत्पादित करने वाली सूलमउ इकाई

अध्याय III

नीतिगत पहलें

3.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (सूलमउवि) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

3.1.1 सूलमउ विकास अधिनियम, 2006, 2 अक्तूबर, 2006 से लागू हुआ है। तदन्तर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों, दोनों ने अधिनियिम को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। जबकि केन्द्र सरकार ने अधिनियम के संबंध में कई नियम बनाए तथा अधिसूचनाएं जारी की हैं, वहीं राज्य सरकारों ने भी अधिनियम के तहत अधिसूचनाएं जारी की हैं, जो निम्नवत् हैः-

(i) **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए मेमोरंडम की प्राप्ति के लिए प्राधिकारी हेतु अधिसूचनाः-** मेघालय एवं मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने एमएसई के लिए ई.एमं प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी नामित करने हेतु अधिसूचना जारी की है।

(ii) **एमएसईएफसी के नियमों की अधिसूचनाः** अरूणाचल प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को अपवाद मानते हुए सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुविधा परिषद् (एमएसईएफसी) के नियम संबंधी अधिसूचना जारी की है।

(iii) **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद् के विधान की अधिसूचना (एमएसईएफसी):** अरूणाचल प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड

और लक्षद्वीप को अपवाद मानते हुए सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुविधा परिषद् (एमएसईएफसी) के नियम संबंधी अधिसूचना जारी की है।

3.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में विनिर्माण के लिए उत्पादों का आरक्षण/अनारक्षण

3.2.1 लघु उद्योगों (अब एमएसई) में विशिष्ट विनिर्माण के लिए उत्पादों के आरक्षण संबंधी नीति का प्रारंभ 1967 में देशभर में लघु इकाइयों के विकास और संवर्धन में सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से किया गया था। यह आशा की गई थी कि इससे क्षेत्रीय औद्योगिक विषमताओं, स्वरोजगार उद्यमों के द्वारा रोजगार सृजित करने तथा उत्पादकता में बढ़ोतरी आदि, संबंधी चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। हालांकि अर्थव्यवस्था के क्रमिक रूप से उदारीकरण की ओर बढ़ने के चलते एमएसई के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, निर्यात संवर्धन तथा उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए अंततः अनारक्षण को अपनाया गया। तद्दनुसार, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने हेतु एमएसई को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3.2.2 मदों का आरक्षण/अनारक्षण उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29 (बी) के अनुपालन में किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सचिव (सूलमउ) की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। सलाहकार समिति उन्नत अर्थव्यवस्था, रोजगार के स्तर, उद्योग में उद्यमिता संबंधी प्रोत्साहन और विस्तार की संभावना, सामान्य हितों को हानि पहुंचाने वाली आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण की रोकथाम को और ऐसे किसी भी विषय जिसे समिति उचित समझती है, जैसे घटकों के आधार पर आरक्षण/अनारक्षण हेतु सिफारिशें करती हैं। वर्तमान में केवल 20 मदें हैं जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में

विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची अनुबंध V पर दी गई है।

3.3 राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)

3.3.1 सरकार द्वारा सूलमउ क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु आरंभ की गई नीतियों के बिन्दुओं में से एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र की इकाइयों में सशक्त प्रतिस्पर्धात्मकता पैदा की जाए।

3.3.2 भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को वैश्विक बाजार में उत्पन्न प्रतिस्पर्धात्मकता से निपटने हेतु तथा घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सूलमउ मंत्रालय राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

3.3.3 एनएमसीपी का उद्देश्य सूलमउ विनिर्माण क्षेत्र का स्वस्थ विकास सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के 10 घटकों को फर्म स्तर की चुनौतियों के मुकाबले के लिए सार्वजनिक-व्यक्तिगत सहभागिता (पीपीपीपद्धति) से कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएमसीपी के 10 घटक क्षेत्र में विनिर्माण संबंधी समस्त समस्याओं का मुकाबला करते हैं। कार्यक्रम के घटकों से संबंधित विवरण तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति तालिका 3.1 में दर्शायी गई है।

3.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर प्रधान मंत्री कार्य बल (सूलमउ पर पीएम कार्यबल)

3.4.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए प्रमुख सूलमउ संघों के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद अगस्त, 2009 में माननीय प्रधानमंत्री ने कार्यबल की स्थापना की

तालिका 3.1 एनएमसीपी के घटक तथा उनकी वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	घटकों का लघु नाम	वर्तमान स्थिति
1.	सूलमउ को विपणन सहयोग/सहायता (बार कोड)	प्रचालनरत
2.	सूलमउ के उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास के लिए सहयोग (इन्क्यूबेटर)	प्रचालनरत
3.	मिनी टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (एमटीआर)	प्रचालनरत
4.	बैद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता सृजित करना (आईपीआर)	प्रचालनरत
5.	राष्ट्रीय लीन विनिर्माण अनुप्रयोग (लीन)	प्रचालनरत
6.	गुणवत्ता प्रबंध मानक एवं गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल्स के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना (क्यूएमएस /क्यूटीटी)	प्रचालनरत
7.	सूलमउ के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं गुणवत्ता प्रमाणन सहयोग (टीईक्यूयूपी)	प्रचालनरत
8.	एसएमई के लिए विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यकलाप (विपणन)	अनुमोदित
9.	विनिर्माण क्षेत्र में डिजाइन विशेषज्ञता लाने के लिए डिजाइन क्लिनिक योजना (डिजाइन)	प्रचालनरत
10.	भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में आईसीटी का संवर्धन (आईसीटी)	प्रचालनरत

घोषणा की थी। प्रधान मंत्री ने संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ चर्चा के बाद एक कार्यसूची तैयार करने के लिए श्री टी.के.ए नायर, प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 सितंबर, 2009 को एक कार्य दल एक कार्य दल का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में सदस्य-योजना आयोग, संबंधित सरकारी विभागों के सचिव,

उपराज्यपाल-भारतीय रिजर्व बैंक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-सिडबी और सूलमउ संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर कार्यबल की रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री को 30 जनवरी, 2010 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सूलमउ) के विकास एवं संवर्धन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

3.4.2 इस रिपोर्ट ने संस्थानिक परिवर्तनों और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने सहित विभिन्न सिफारिशें कीं जिन्हें समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाना है। इसके अलावा इसमें देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास तथा उद्यमिता के लिए प्रेरक वातावरण बनाने के लिए उपयुक्त वैधानिक एवं विनियामक संरचना के गठन का सुझाव दिया गया है।

3.4.3 इन विस्तृत सिफारिशों में क्रेडिट, विपणन श्रम, पुनर्वास और एक्जिट नीति, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास तथा कर निर्धारण सहित 6 प्रमुख सैद्धांतिक क्षेत्रों को कवर किया गया है। पूर्वोत्तर और जम्मू व कश्मीर में सूलमउ के विकास के लिए एक अलग उप-समूह गठित किया गया। इन सिफारिशों के कार्यान्वयनों का अनुवीक्षण प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन दल द्वारा आवधिक रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आवधि रूप से सूलमउ क्षेत्र के विकास की समीक्षा के लिए माननीय प्रध ाानमंत्री की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सूलमउ) पर एक परिषद का गठन किया गया।

3.5 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना

3.5.1 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) का उद्देश्य उन भावी प्रथम पीढी उद्यमियों को हैंडहोल्डिंग समर्थन और सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने पहले ही सफलतापूर्वक उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीपी)/कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीपी) उद्यमिता-सह-कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएसडीपी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण

कार्यक्रम (वीटी) से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उन्हें चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों अर्थात उद्यमी मित्रों के माध्यम से नए उद्यम की स्थापना और प्रबंधन, विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी अवरोधों से निपटने और उद्यम की स्थापना तथा संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न औपचारिकताओं की समाप्ति में मदद दी जाती है। आरजीयूएमवाई की योजना के तहत एक नया सेवा घटक शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैः

3.5.2 प्रथम पीढ़ी उद्यमियों तथा अन्य मौजूदा उद्यमियों को सरकार की विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं, उद्यम की स्थापना व संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 21 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में उद्घाटन कॉल करके सूलमउ उद्यमी हेल्पलाइन का शुभारंभ किया

करने और बैंक ऋण आदि प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें सूचना, सहयोग, मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करने हेतु एक टॉल फ्री नंबर 1800.180.6763 के साथ एक 'उद्यमी हेल्पलाइन' स्थापित किया गया है।

3.6 खादी क्षेत्र में सुधार

3.6.1 एक विस्तृत खादी सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तीन वर्षों की अवधि में एडीबी से केवीआईसी को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर ऋण सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और केवीआईसी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य खादी को और टिकाऊ बनाने, कताईकारों और बुनकरों की आय बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने, बेहतर कारीगर कल्याण और खादी संस्थानों को धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी क्षेत्र का नवीनीकरण करना है।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार कृषि प्रौद्योगिकी (सूलमउ) पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में भागीदारों को सम्बोधित करते हुए

3.6.2 खादी व खादी उत्पादों के 'बिक्री पर छूट' के बदले आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के अनुमोदन से 01.04.2010 से 'बाजार विकास सहायता (एमडीए)' योजना नामक एक

नई योजना आरंभ की गई। परिणाम (क) कारीगरों को प्रत्यक्ष भुगतान (ख) सीजनल नहीं -वर्ष भर।

3.7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की नीतिगत कार्रवाई योजना

3.7.1 प्रसंग

देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सूलमउ) की भूमिका सुस्थापित है । सूलमउ क्षेत्र उद्यमिता की पौधशाला है जो अक्सर व्यक्तिगत रचनात्मककता और नवीनता से आगे बढ़ती है । यह क्षेत्र देश के जीडीपी में 8% का योगदान देता है । यह सेक्टर निर्मित उत्पादन में 45% और निर्यात में 40% का योगदान देता है । सूलमउ 26 मिलियन से अधिक उद्यमों के माध्यम से 6 हजार से अधिक प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं तथा लगभग 60 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं । सूलमउ में श्रम और पूंजी का अनुपात तथा सूलमउ क्षेत्र में समग्र वृद्धि बड़े उद्योगों से काफी अधिक है। सूलमउ का भौगोलिक वितरण भी काफी समान है । इस प्रकार सूलमउ वृद्धि के साथ इक्विटी और अंतर्वेश के राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं । यह कहना कि भारत में सूलमउ क्षेत्र उद्यमों के आकार, उत्पादों और उत्पादित सेवाओं तथा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अलग-अलग प्रकृति के हैं, यह एक अल्पकथन होगा । उत्पादन और सेवाओं के सभी क्षेत्रों में सूलमउ क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में एक रणनीतिक परिसम्पत्ति है ।

एक ओर हमारे यहां ग्रामीण और ग्रामोद्योगों सहित खादी उद्योग है । स्थान की दृष्टि से वे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं तथा स्थानीय आर्थिक पर्यावरण तंत्र के लिए महत्वपूर्ण घटक प्रदान करते हैं । काफी संख्या में वे कृषि/बागवानी/अन्य वन एवं गैर-वन्य उत्पादों से संबंधित और परस्पर-निर्भर हैं । ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाते हैं तथा साथ ही साथ काफी रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं और दीर्घावधि में ग्रामों से शहरों की ओर पलायन को रोकते हैं । यहां चुनौती बुनियादी और मितव्ययी प्रौद्योगिकी उपलब्ध करना है तथा कम से कम ग्रामीण/क्लस्टर के स्तर पर प्राथमिक प्रोसेसिंग सुनिश्चित करना है जिससे मूल्य संवर्द्धन हो सके तथा प्रचालन

तंत्र की लागत कम हो सके । ग्रामीण स्तर पर शिक्षित युवाओं की शक्ति में वृद्धि होने से, दूसरी चुनौती उन्हें अपने ग्रामीण स्तरीय उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित करना तथा उन्हें नीतिगत तथा राजकोषीय उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित करना है । कृषि सेक्टर से खंडित अनुत्पादक श्रमिकों को उत्पादक उद्यमों की ओर मोड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा तथा साथ ही कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी में काफी कमी आएगी ।

दूसरी ओर, स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर अत्यंत विषम और विपरीत स्थिति में वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं जो काफी बड़ी मात्रा में ऐसी विविध सामग्री का उत्पादन कर रहे हैं जिसका निर्यात किया जाता है और जिसे घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचना होता है, डब्ल्यू टी ओ के दौर में आयातित वस्तुओं के आने में होने वाले अवरोधों को कम करने तथा लघु स्तर के उद्यमों के लिए आरक्षण जैसे संरक्षणवादी उपाय समाप्त करने को रोकना होता है ।

ऐसी आंतरिक (बड़े घरेलू उद्योगों से) तथा बाहरी (आयात) प्रतियोगिताओं का सामना करने के करने के लिए अपेक्षित और अत्यावश्यक है कि वे सहज रूप से प्रतियोगिता कर सकें चाहे डिजाइन, विनिर्माण सक्षमता, विपणन अथवा बाजार तक पहुंच का क्षेत्र हो ।

सूलमउ क्षेत्र के लिए एक गैर-स्तरीय कार्य क्षेत्र जिसमें बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा सूलर्म को क्रेडिट देने में अनिच्छा, प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी, अपर्याप्त विपणन क्षमताओं जैसी विषमताओं ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है । बाजारों में परिवर्तन तथा बैंकिंग प्रणाली की अनिश्चितताओं ने उनकी सहनशक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया है जिससे परिस्थितियों में कोई भी प्रतिकूल प्रभाव उन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है जिससे वे रूग्ण अथवा बंद भी हो सकती हैं ।

वर्ष 2006 (जब सूलमउ विकास अधिनियम अस्तित्व में आया था) से, इस मंत्रालय में पारिभाषिक शब्द के रूप में 'उद्यम' जोडने से जैसा कि यह तथ्य सामने आया है कि सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में काफी तीव्र गति से बढ रहा है इससे इस मंत्रालय के समक्ष सेवा क्षेत्र में अति-सक्रिय वृद्धि की बिल्कुल भिन्न चुनौती उत्पन्न हो गई है।

इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के इन सभी विस्तृत पहलूओं को देखते हुए, ये चुनौतियां काफी अधिक और रोमांचक हैं।

3.7.2 विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्यकलाप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का विजन है कि भारत मे एक आकर्षक/सक्षम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (सूलमउ) क्षेत्र का निर्माण करना ।

यह परिकल्पना की गई है कि काफी संख्या में उद्यमों की स्थापना से तथा लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उनकी क्रमशः वृद्धि से इस सेक्टर में काफी वृद्धि होगी। इससे जीडीपी, विनिर्माण उत्पादन, रोजगार और निर्यात में उनके योगदान की वृद्धि होगी। पहले ही स्थापित हो चुके उद्यमों के संबंध में निवेश के अगले उच्चतर स्तरों पर पहुंचने तथा अधिक बाजार हिस्से तक पहुंचने का स्वागत किया जाएगा। संगठनात्मक स्तर पर, पहले से ही प्रमुख असंगठित क्षेत्र के संगठित सेक्टर में परिवर्तन का स्वागत किया जाएगा।

इस मंत्रालय का मिशन विद्यमान उद्यमों को समर्थन देकर तथा नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेक होल्डरों के सहयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, जिनमें खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योग शामिल हैं, की वृद्धि और विकास का संवर्धन करना है। हमारा घोषित मिशन इन बाधाओं को दूर करना है, जो सूलमउ क्षेत्र की स्थपना और वृद्धि को रोकता है चाहे वे बाधाएं आंतरिक (नीतिगत/राजकोषीय/निवेश/त्रुटिपूर्ण कराधान क्षेत्र) हो अथवा बाहरी (डब्ल्यू टी ओ की नीतियों का दुरूपयोग जिसमें डंपिंग, निर्यात बाजारों तक पहुंच का अभाव आदि शामिल है।)

इस समय, जनता की धारणा है कि सूलमउ क्षेत्र कम गुणवत्ता वाले मानदंडो को अपनाता है। यह परिकल्पना की गई है कि विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण मानदंडो को प्राप्त करने के लिए आधुनिक और नई प्रौद्योगिकीयों के माध्यम से सूलमउ क्षेत्र को उन्नत किया जाएगा। महत्वपूर्ण बाजारों का पता लगाया जाएगा और उन्हें सूलमउ उत्पादों जिनमें खादी और कॅयर उत्पाद भी शामिल है, के लिए विकसित किया जाएगा।

इस मंत्रालय का उद्देश्य विद्यमान सूलमउ को सहायता प्रदान करना और उनका विकास करना, नए उद्यमों का सृजन, खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों को सहायता देना शामिल है। इन उद्देश्यों के समस्त पहलू उद्यमिता के समर्थन और सूलमउ के

कौशल विकास और इसी प्रकार के अन्य सहायक उद्देश्यों के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए हैं जिससे सम्पूर्ण संवर्धनात्मक वातावरण बन सके।

इस मंत्रालय के कार्यकलापों में युवाओं में उद्यमिता संस्कृति के भाव उत्पन्न करना, सूलमउ को क्रेडिट के प्रवाह की सुविधा, सूलमउ की प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता को बेहतर बनाना, क्लस्टर आधारित अप्रोच के माध्यम से सूलमउ का संवर्धन, सूलमउ को विपणन सहयोग, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के माध्यम से नए सूक्ष्म उद्यमों का सृजन, खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र को सहयोग, कयर उद्योग, उद्यमिता और कौशल विकास को सहयोग शामिल है।

3.7.3 स्थिति का मूल्यांकन

3.7.3.1 बाहरी कारक

चूंकि सूलमउ संपूर्ण विनिर्माण और सेवा-मूल्य-श्रृंखला का अभिन्न अंग है अतः घरेलू और वैश्विक दोनो स्तरों पर, अनेक कारकों का इस सेक्टर की वृद्धि पर असर पड़ा है। किसी भी विपरीत नीति से सूलमउ अथवा विशिष्ट सब-सेक्टरों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह सूलमउ में कम सहनशीलता को दर्शाता है । इनमें निम्नलिखित शामिल हैंः-

1. उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान की उपलब्धता अथवा इसकी कमी।

2. वे राज्य सरकारें जो विभिन्न सरकारी नीतियां बनाती हैं तथा इसके लिए कदम उठाती है, भी प्रमुख बाह्य कारक हैं। केवल औद्योगिक इकाईयों से कृषि सेक्टर को शक्तियों के हस्तांतरण की राजनीतिक कार्रवाई से इकाईयां प्रभावी रूप से बंद हो जाएगी यह एक अत्यंत सहज ट्रेंड है। यह भी पाया गया है कि चाहे सूलमउ क्लस्टर काफी उच्च करों की दर का भुगतान करते हैं, उनकी अवसंरचनात्मक स्थिति अत्यंत खराब हालत में है, क्योंकि राज्य सरकार व्यापार में न लगाया जाना इसका एक कारण है । इस प्रकार सूलमउ के स्वस्थ क्लस्टरों के विकास के लिए आम लोगों पर राजनीतिक प्रभाव होना एक कठिनाई है।

आर्थिक बाह्य कारक, जिनसे यह सेक्टर प्रभावित होता है, निम्नलिखित हैंः-

1. समग्र घरेलू और वैश्विक वृद्धि का ट्रेंड

2. डोमेस्टिक टैक्स रिजिम, विशेषकर वस्तुओं और सेवा कर तथा डायरेक्ट टैक्स कोड
3. इस सेक्टर के ऋण प्रवाह को नियंत्रित करने वाली नीतियां
4. व्यापार नीतियां जिनमें अन्य देशों के साथ निशुल्क व्यापार समझोते शामिल हैं।
5. श्रमिक नीतियां, विशेषकर श्रमिक कानूनों की बहुतायत तथा विभिन्न श्रम विनियमों के अनुपालन की प्रक्रिया,
6. अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता जिसमें बिजली, पानी, सड़क आदि शामिल हैं।
7. प्रतियोगी दरों पर जटिल कच्ची सामग्री की उपलब्धता।
8. विनिर्माण, सेवा, विपणन आदि के लिए कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता।

पिछले कुछ समय में राजनीतिक परिदृश्य द्वारा जन सांख्यिकीय रूप से प्रभावित भी एक बाहरी कारण है जिसके द्वारा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है । इस प्रकार, उन राज्यों में जिनमें कम आर्थिक गतिविधियों के कारण पलायन का इतिहास है, नई इकाइयों को कुशल श्रमशक्ति ढूंढने में काफी कठिनाई होती है। दूसरी ओर यदि व्यक्तियों को कुशल बनाने में निवेश किया जाता है तो सशक्तिकरण के पश्चात अवसरों के अभाव के कारण पुनः उनका प्रवास हो जाता है । इसी कारण से पूर्वोतर राज्य, बिहार, झारखण्ड आदि प्रभावित हैं । कौशल उन्नयन नये कौशल और उद्यमिता के अभिविन्यास का सम्मिश्रण, इस मंत्रालय के समक्ष प्रमुख चुनौतियॉ हैं ।

बाह्य कारक के रूप में प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

सूचना प्रौद्योगिकी इस सम्पूर्ण सैक्टर की महत्वपूर्ण कड़ी है । सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच सेवाओं को किफाययती दरों पर उपलब्ध कराने में सक्षम बनाती है जिससे सलमउ क्षेत्र बडे खिलाडियों के मुकाबले में समान स्तर पर आ जाएगा । डिजायन से उपभोक्ता प्रबंधन और विक्रय प्रंबधन अभी भी अपनी ऊँची लागत के कारण सूलमउ की पहुंच से दूर है । इस मंत्रालय के समक्ष यह एक चुनौती है कि एम एस एम ई में ही एक परिपक्वता स्तर पर पहुंच

चुके ट्रेंड को क्लाउड कंप्यूटिंग में (गार्टनर के अनुसार) प्रभावशाली ढंग से सक्षम बनाना ।

नवीनता सूलमउ क्षेत्र की शक्ति है, नयी पहलों को बढावा देने तथा वैश्विक प्रतियोगिताओं के समक्ष टिकने के लिए उन्हे उन्नत करने के लिए उन्हे वित्तिय सहायता देना महत्वपूर्ण होगा । सूलमउ की औद्योगिक इंजिनियरिंग संकल्पनाओं के अनुप्रयोगो तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माध्यम से, प्रौद्योगिकीयों और मशीनों की खरीद के माध्यम से हो, विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एक अन्य चुनौती है । प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड का निर्माण सूलमउ को (जो सामान्यतः निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी से चल रहे है) विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करेगा जिससे सघन क्षमता के स्तर के बाह्य जोखिम को न्यूनतम किया जा सकेगा ।

टी आर आई पी एस और डब्ल्यू टी ओ के कारण, विधिक संदर्भ काफी महत्वपूर्ण को गया है । इस जटिलता का औसत सूलमउ द्वारा व्यापक विरोध हो सकता है, इसे वहन करना संभव नही होगा तथा ये दोनों एक साथ गंभीर जोखिम और विरोधी कार्यात्मक वातावरण में बदल सकते है ।

3.7.3.2 स्टेक होल्डर

इस सेक्टर में स्टेकहोल्डरों की व्यापक रेजं है जिसमे नियत्रंक, सुविधाप्रदाता और लाभग्राही शामिल हैं । इन स्टेक होल्डरों की सूची निम्नानुसार हैः-

1. सूलमउ (विद्यमान और भावी दोनों) तथा उनके संघ
2. बड़े उद्यम जिनमें बहु राष्ट्रीय उद्यम (वस्तुओं और सेवाओं के प्रदातों) शामिल है ।
3. राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें
4. केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग
5. बैंक/वित्तिय संस्थान
6. सार्वजनिक एवं निजी दोनों सेक्टरों में उद्यमिता और कौशल विकास संस्थान
7. अनुसंधान और विकास संस्थान
8. शैक्षणिक संस्थान
9. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठन

अधिकाशं प्रमुख स्टेक होल्डरों अर्थात सूलमउ की भूमिका क्लाइंट ग्रुप के रूप में स्पष्ट है किन्तु उन्हे अपनी गति प्राप्त करने के लिए तब तक सहायता देने होगी जब तक वे स्वंय में अत्यन्त शक्तिशाली नही हो जाते । अन्य स्टेक होल्डर जो सरकारी स्थान पर है, विभिन्न नीतियों के माध्यम से उनका जीवन दूभर हो सकता है तथा सूलमउ को इस नाजुक हालत में बाध ाा पहुंचा सकते है । आज डब्ल्यू टी ओ के माध्यम मे किसी विशिष्ट मद के आयात की अनुमति देने वाली एक छोटी सी अधि ासूचना से, सम्पूर्ण सब सेक्टर को समस्या हो सकती है । अतएव, अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

3.7.3.3 सामर्थ्यता एवं कमजोरियाँ

सूलमउ क्षेत्र अकसर व्यैक्तिक रचनात्मकता से आगे बढता है । इस सेक्टर की प्रमुख शक्ति उत्पादों और प्रकियाओं दोनों के संदर्भ में अधिक नवीनता की संभावना है । इस सेक्टर की स्वाभाविक क्षमता यह है कि ये उद्यम काफी कम राशि के निवेश से स्थापित किए जा सकते हैं तथा इनमें देश मे कही भी अवस्थित होने की स्थान संबंधी लोचशीलता होती है। उनमें बड़े उद्यमों की तुलना में अधिक रोजगार की अधिक संभावना है तथा इस समय इनमें 6 करोड से अधिक व्यक्तियों के रोजगाररत होने का अनुमान है । वे जिम्मेदार अनुसंघीय ईकाइयॉं है अतः इस प्रकार से उनका बड़े उद्यमों से स्वाभाविक लिंकेज है ।

इस सेक्टर के संवर्धक और विकास के लिए राज्य और केन्द्रीय स्तर पर सुदृढ संस्थागत अवसंरचना विद्यमान है । विपणन प्रौद्योगिकी, वित्त अवसंरचना तथा कौशल विकास के तहत सहायक सेवाओं की विस्तृत श्रेणी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक व्यापक नेटवर्क है । केन्द्र और राज्य सरकारों की विद्यमान स्कीमों कार्यक्रमों का विस्तार एम एस एम ई के संचालन के प्रमुख क्षेत्रों में है । ये एक प्रबुद्ध कार्यबल द्वारा संचालित की जाती है किन्तु अतिरिक्त निदेश से इन्हें उन्नत किया जा सकता है । राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष परामर्शदात्री निकाय नामत 'एम एस एम ई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड' गठित किया गया है जिसमें नीति निर्माण और कार्यक्रम के कार्यानवयन में गाइडेंस/इनपुट देने के लिए स्टेक होल्डरों के सभी वर्गो के प्रतिनिधि शामिल होगें ।

जैसाकि कहा जा चुका है, यह सेक्टर अनेक कठिनाईयों और कमजोरियों से जुझ रहा है । 2.6 करोड उद्यमों मे से अधिकांश अंसंगठित क्षेत्र में है जो प्रायः अनाधिकृत शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। यह सेक्टर विविधतापूर्ण है जिसमें उच्च प्रोद्योगिकी वाले उद्यमों के छोटे समूह है जबकि अधिकांश निम्न प्रोद्योगिकी वाले है जिसके परिणामस्वरूप कम उत्पादकता और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता सामने आते हैं । ये यूनिटें आकार में छोटी है तथा इक्विटी और क्रेडिट तक इनकी पहुँच काफी कम है।

अधिकांश समय इक्विटी बैंकिग सिस्टम से आने की बजाय मित्रों और रिश्तेदारों की बचत और ऋणो से आती है । प्रायः कार्यशील पूंजी के लिए सस्ते बैंकिग क्रेडिट के स्थापित तंत्र की बजाय क्रेडिट संचालन अथवा घरेलू बचतों से आती है । समस्या मुख्यतया ग्रामीण उद्योगों के साथ साथ सूक्ष्म उद्यमों के निचले स्तर की इकाइयों के लिए होती है ।

जबकि हमारे पास मानव संसाधनों की अपार क्षमता है, फिर भी कम भुगतान-क्षमता एवं कमजोर प्रबंधकीय क्षमताओं के कारण यह क्षेत्र जन-शक्ति की कमी का सामना कर रहा है । अन्य प्रमुख कमी यह है कि विपणन माध्यमों तथा ब्रांड निर्माण क्षमता का अभाव है ।

वर्तमान ढांचा क्षेत्र स्तर पर सेवाओं की अपर्याप्त कमजोर वितरण से भी दुष्प्रभावित है । बहुत संख्या में छोटी स्कीमों साथ पहुंच के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की सीमितता है, राज्य/संघ राज्य सरकारों सहित, सूलमउ संवर्धन के लिए विभिन्न संघों के बीच समन्वय की कमी है तथा प्राइवेट सैक्टर निजी क्षे़त्र में संस्थागत स्टेकहोल्डर के साथ अपर्याप्त लिकेंज/संयोजन है । सूलमउ क्षेत्र के उच्च स्तर के उद्यमियों के लिए उचित मौजूद तंत्र का अभाव होना मुख्य बाधा है ।

लाभार्थियों के बहुआयामी ढांचे की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विश्वशनीय एवं अद्यतन आंकड़ों की कमी होना भी चिंता का विषय है क्योंकि यह उपयुक्त स्कीम के निर्माण एवं विकासीय पहलों की निगरानी में अड़चन बाधा है ।

एक ही लक्ष्य समूह के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभगों द्वारा एक जैसे/ मिलते जुलते कार्यक्रमों को चलाते हुए पुनरावृत्ति होना एक मुख्य प्रणालीगत कमी को देखा गया है । इस प्रकार, चूंकि कॅयर बोर्ड सूलमउ मंत्रालय के अधीनस्थ है, जबकि अन्य विभाग भी कॅयर उद्योग के संवर्धन के लिए कार्यक्रमों में निवेश/खर्च करता है । इसी प्रकार के मामले ग्रामीण उद्योग क्षेत्र मे भी पाए गए हैं, जहां मुख्य निवेश/खर्चे जो कि पूर्ण रूप से समन्वयित नहीं है, हस्तशिल्प संस्थानों के साथ-साथ ग्रामीण विभाग स्थापना में हो रहे हैं । इसी तरह के मामलों का आधारगत क्षेत्रों जैस, चर्म तथा हस्तशिल्प आदि में सामना कर पड़ रहा है, एक समन्वयक प्रयास द्विरावृतिकरण के जोखिम को सार्थकता के साथ कम कर सकता है तथा ग्रहक समूह में इसमें भ्रम को भी घटा सकता है । इन उद्यमों की मुख्य कमी यह है कि ये पैतृक/ विरासतीय हैं । संरक्षणवादी, सब्सिडी आधारित, आरक्षण आधारित व्यवस्था के कारण इस क्षेत्र की मानसिकता इस पुरानी परम्परा को जारी रखने की मांग करता है। यह सुधारात्मक अच्छा दृष्टिकोण है कि नई पीढ़ी में विचारशील नेतृत्व को प्रवेश करना है । इसे हम एक बड़ी लेकिन क्षणिक कमजोरी कह सकते हैं, जिसे इस तरह की मानसिकता को बदलने के लिए तथा इस समस्या से उभरने के लिए व्यापक कार्यशला/सफलता आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी ।

क्रेडिट की उपलब्धता की समस्या अभी प्रमुख चिंता का विषय है, जबकि सरकार ने इस क्षेत्र के ऋण के बढ़ावे के लिए अनेक कदम उठाए हैं । सूलमउ द्वारा अभी भी इस संबंध में कठिन समस्या का सामना किया जा रहा है ।

सूलमउ क्षेत्र में निधियों की उपलब्धता की प्रकृति चक्रीकृत है निधि का मिलना, बड़े अंतराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों, राजकोषीय नीतियों तथा अन्य मानदंडों पर निर्भर है, जो कि इस क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं । नकदी की कमी के समय में, वित्तीय प्रणाली में चल निधि की कमी, यहां तक कि बाहरी कारण भी इस क्षेत्र में क्रेडिट प्रवाह को वाधित करता है, इस क्षेत्र में कार्यशील पूंजी पर इसकी अधिक निर्भरता एक प्रमुख बात है, जिससे कि इसके उत्पादन चक्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसा कि कहा गया है कि इस क्षेत्र की सहन सीमा स्तर बहुत ही कम है । इस

तरह चल पूँजी की कमी से इस पर शीघ्रता एवं नुकशान देह प्रभाव पड़ता है । विगत वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान, इसके दैनादिन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ने पर यह एक विकट समस्या के रूप में सामने आई है, लो सूलमउ को प्रभावित करती है । इसलिए सूलमउ को प्रतिकूल मौद्रिक स्थिति में क्रेडिट की कमी से अलग रखना चाहिए ।

3.7.3.4. सीखने की आवश्यकता

सशक्तता एवं कमजोरियों से भविष्य की रणनीति के लिए सीख मिलती है,

इस प्रकार, सीखने का कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर है यह सूलमउ को वैश्विक /वित्तीय बाजारों की अनिश्चितताएं तथा विश्व व्यापार संगठन/टी आर आई पी एस की व्यवस्था के दुरूपयोग से संरक्षित करने के लिए पृथक स्तर का निर्माण करेगा। प्रौद्योगिकी तथा विपणन में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से सीखने की आवश्यकता है । अन्य स्तर पर, सूचना एवं कुशल संगठनात्मक प्रणालियों की व्यावसायिकता हेतु, यहां तक कि निम्न स्तर पर तथा अति मूल जमीनी स्तर पर नवीकरण के संवर्धन के लिए, यह अच्छी तरह समझना कि उन में से किसी को सफलता हासिल हो गई है, भविष्य के लिए एक पहेली मात्र है ।

3.7.4.रणनीति की रूपरेखा :

3.7.4.1-संभावित रणनीतियां :

बड़े स्तर पर, विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के संतुलित विकास के लिए सम-भोगौलिक प्रसार की रणनीति की आवश्यकता है । दूसरी ओर महिला उद्यमी एवं समाज के अन्य कमजोर-श्रेणी के उद्यमियों को लेकर समग्र रणनीति पर जोर देने की आवश्यकता है । इस तरह के क्षैतिजीय एवं उर्ध्वाधर समग्रता को लेकर ही हम इस समानता के मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

संभावित रणनीतियां मुख्यतः पांच स्तंभों पर जाकर टिकती है, जो कि साथ-साथ चलने वाले थे । वे निम्नवत हैं : महत्विक दृष्टि से क्रम में नहीं हैं

1. कौशल विकास

2. विपणन
3. प्रौद्योगिकी
4. अवसंरचना
5. क्रेडिट की उपलब्धता

नई ज्ञान आधारित पहलों तथा प्रक्रियाओं सहित निम्नवत, जो व्यक्तिगत विश्लेघण एवं प्रस्तावित कार्रवाइयां हमारी शक्ति का लाभ ले सकते हैं तथा सूलमउ को बाहरी परेशानियों की अति संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है ।

मंत्रालय, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीपी) तथा प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु, वित्तीय सहायता देने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा । प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आदि के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'उत्कृष्टता हेतु केन्द्र' स्थापित किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उनके द्वारा उद्यमिता विकास संस्थानपों की स्थापना के प्रयास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी जो, नकश्ल प्रभावित, पर्वतीय क्षेत्र जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों तथा विकट क्षेत्रों जैसे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि पर अधिक ध्यान केन्द्र करेंगे । सूलमउ विकास संस्थानों को सूलमउ को हैडहोल्डिंग एवं सलाहकार सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्वायत्त संगठनों में परवर्तित किया जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम-सामग्री के अद्यतन करने तथा विपणन सुग्राही प्रशिक्षण के लिए सूलमउ मंत्रालय के सभी प्रशिक्षण संस्थान के एक छत के नीचे लाए जाएंगे अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के संस्थान अपने चुनिंदा क्षेत्रों में अलग-'उत्कृष्टता-केन्द्र' के विकास करने का प्रयास करेंगे ।

मंत्रालय की 'प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता योजना' तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के पैनल के निजी/सरकारी भागीदार संस्थाओं की क्षमता का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया जाएगा ।

प्रशिक्षण प्राप्त कर्ताओं के प्रशिक्षण तथा उद्योग के हित के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का डाटावेस सृजित किया जाएगा तथा जॉव एक्सचेंज से उसे जोड़ा जाएगा । उद्योग की प्रशिक्षित जन-शक्ति के डाटावेस तक पहुँच होगी ।

रोजगार सृजन एक अन्य क्षेत्र है जहां सूलमउ एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है । इस बात को ध्यान में रहते

हुए अगस्त, 2008 में राष्ट्रीय स्तर की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईपीपी) का प्रारंभ किया गया । सूलमउ मंत्रालय के आई.टी. सक्षम अनुप्रयोग ट्रेकिंग प्रणाली (आई एनेब्लड एप्लीकेशन सिस्टम) के कार्यान्वयन से माध्यम से पीएमईजीपी के तहत कार्यनिष्पादन के आगे के सुधार के लिए पहलें करेगा । क्रेता-विक्रेता की सुविधा के लिए जीएमईबीजी इकाईयों के उत्पादों की विभिन्नता (समूह) के लिए एक वन-स्टाप-शाप के रूप में एक वेबपोर्टल बनाकर विशेष प्रयास किया जाएगा ।

सूलमउ के कठिनाइयों वाले क्षेत्रों में विपणन एक ऐसा ही क्षेत्र है ।

सूलमउ द्वारा जिन क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक विपणन (मार्केटिंग) है । वैश्विक परिपेक्ष्य में इनके पास इस क्षेत्र रणनीति बनाने वाले तरीके और साधन नहीं है जैसे कि बड़े उद्यमों के पास हैं । प्रोद्योगिकी परिवर्तन तथा वैश्वीकरण के कारण विपणन चलन शक्ति में लगातार परिवर्तन का सूलमउ की प्रतिस्पर्धा पर गहरा प्रभाव है । किसी उत्पाद के लिए विपणन-रणनीति के समग्र विस्तार को सुधारने की आवश्यकता है चाहे वे, उत्पाद-विभेदन, उत्पादों के वृद्धिकरण प्रतिरूप, ब्रांड संबंधी मामले, पारंपरिक एवं अल्पावधिक सेवाएं, ग्राहक संयोजन अथवा बिक्री पश्चात सेवाएं आदि । सहयोग की मौजूदा स्कीम को अनुसूचित तथा युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है जिसका सकेंन्द्रित अथवा केन्द्रीभूत उपगम्यता हो । सूलमउ क्षेत्र के लिए विपणन अवसंरचना को सशक्त बनाने के लिए (शक्तिकरण) ध्यान रखते हुए मौजूदा विपणन सहयोग-संस्थानों में भी पुनर्गमन करना होगा और मुख्य उपभोक्ता क्षेत्रों एवं प्रारूपों की मुख्यधारा से इसे जोड़ना होगा ।

ई-कामर्स, विश्वभर में क्रेताओं के साथ-साथ संसारभर के उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरा है, नई प्रौद्योगिकी के आगमन पर क्षेत्र/सीमाओं का विलय हो गया है । मंत्रालय ने सूलमउ क्षेत्र को बाजार तक पहुँचने के लिए एनएमआईसी में विजनेस टु विजनेस (बी 2 बी) पार्टल

स्वतः ही संबंर्धित कर लिया है । अब, उपरोक्त के साथ एक पुष्ट एवं संयुक्त, उत्तम प्रकार का विजनेस टु कस्टमर (बी 2 सी) पोर्टल हो, इसका प्रयास होगा । लोजेस्टिक आपूर्ति श्रृंखला बनाना तथा ग्राहकों की सेवा के लिए उत्पादों का मानकीकरण एक चुनौती है ।

सूलमउ के उत्पादों के लिए बाजार तैयार करने में उनमें प्रयासों के लिए अधिक इक्विटी सहयोग प्रदान करने में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 से सशक्त बनाना होगा । केवीआईसी को ग्रामीण उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराने के लए सशक्त बनाना होगा । मंत्रालय की योजना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी अधिक व्यय के साथ सूलमउ को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/बाजार मेलों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता जारी रखेगा । एक नीति तैयार की गई है जो कि मंत्रिमण्डल अनुमोदित में परीक्षारत है, यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 20% अधिप्राप्ति सूलमउ द्वारा तैयार वस्तुओं को जरूरी रूप से करें। यहां सूलमउ के तकनीकी क्षमताओं का उच्चीकरण करना ताकि वे गुणवत्ता मानक एवं सौंपने के कार्यक्रम में खरा उतरे, एक चुनौती है ।

क्लस्टर विकास की सोच उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है, यह उन्हें बड़े उद्योग क्षेत्र के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय उद्योगों के विपणन कार्यनीति में घातक प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाएगी । सूलमउ मंत्रालय की क्लस्टर विकास योजना देश भर में सभी क्षेत्र के एमएसई क्लस्टरों का सुधार करेगी। स्कीम की जागरूकता राज्य सरकारों सहित अनेक स्टेकहोल्डरों में बढ़ेगी । नैदानिक अध्ययन, अवसंरचना-विकास तथा सामान्य सुविधा केन्द्र परियोजनाओं सहित सॉफ्ट एवं हार्ड इंटरवेशनों के और अधिक क्लस्टर लिए जाएंगे ।

सूलमउ में प्रौद्यागिकी एक विशिष्ट कारक है जो विकास को बढ़ाता है । वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी क्षेत्र ही विजेता को निश्चित कराएगा । इस वास्तविकता को

ध्यान में रखकर सूलमउ मंत्रालय इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम एवं योजनाओं के लिए पहल कर रही है । इसने कुछ समय पूर्व ही भारतीय सूलमउ के वैश्विक-प्रतिस्पर्धात्मकता को लक्ष्य में रखकर राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एमएनसीपी) के तहत सम्पूर्ण विपणन क्षेत्र के विस्तार को कवर करते हुए 10 नवीन स्कीमों का प्रारंभ किया गया है ।

(i) विपणन सहयोग/एसएमई सहायता (बार-कोड) ।

(ii) इंक्यूवेटरों के मार्फत उद्यमीय तथा प्रबंधकीय विकास हेतु सहयोग ।

(iii) गुणवत्ता प्रबंधन मानक एवं गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल (क्यूएमएस/क्यूटीटी) के मार्फत विनिर्माण अद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने योग्य बनाना ।

(iv) सूलमउ के लिए 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार' की जागरूकता का निर्माण करना ।

(v) मिनी टूल रूम (एमटीआर)।

(vi) सूलमउ के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक स्कीम ।

(vii) सूलमउ में डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लिनिक स्कीम ।

(viii) सूलमउ में विपणन सहायता तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम ।

(ix) सूलमउ को प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता उन्नयन सहयोग ।

(x) सूलमउ क्षेत्र में आई सी टी को संवर्द्धन (आई सी टी)

एनएमसीपी के अंतर्गत ये स्कीमें मंत्रालय की प्राथमिकता प्राप्त होगी और भविष्य में सूलमउ इकाईयों को प्रतिस्पर्धी रूप प्रदान करेंगी ।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अनुमोदित सब सैक्टर/उत्पादों में सुस्थापित तथा उन्नत प्रौद्योगिकी को लगाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा को लक्ष्य में रखकर उनके द्वारा प्राप्त संस्थागत वित्तपोषण पर 15% पूँजी सब्सिडी देकर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । ये स्कीमें केवल 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी ही नहीं रहेगी बल्कि सूलमउ को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस हेतु योजना व्यय को बढ़ाया जाएगा ।

(क) विद्यमान प्रशासनिक ढांचा चुनौतियों

को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं । तथापि, कभी-कभार आपूर्ति प्रणालियां पाइपलाइनों के अवरू) होने के कारण प्रभावित होती हैं । सूलमउ क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए एक अधिक समन्वित संस्थागत ढांचे के लिए, मंत्रालय एक व्यापक नौदानिक अध्ययन करवाएगा । विद्यमान संस्थागत ढांचे के विश्लेषण के अलावा, यह अध्ययन इस संबंध में वेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों का भी ध्यान रखेगा । एक सुग्राही तंत्र स्थापित किया जाएगा जो आपूर्ति पाइपलाइनों का अवरोध समाप्त करने के लिए एलर्ट भेजेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी, जहां भी व्यावहारिक हो, साथ ही राज्यों के जिला उद्याग केन्द्रो (डी आई सी) का सशक्तिकरण अन्य संभावित कार्यनीतियां हैं ।

(ख) योजनाओं की बेहतर टारगेटिंग और आंकड़ा संग्रहण के लिए सूलमउ संघों को उपयुक्त आपूर्ति माध्यम होने के लिए सशक्त और मजबूत बनाना एक अनुपूरक कार्यनीतिक माध्यम हो सकता है ।

(ग) योजनाओं/कार्यक्रमों की पहुँच बढ़ाने के लिए, मंत्रालय सभी विद्यमान योजनाओं/कार्यक्रमों की एक व्यापक समीक्षा करेगा । समान उद्देश्यों वाली योजनाओं/कार्यक्रमों का विलय किया जाएगा और जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा बहुत छोटी योजनाओं के कार्यान्वयन के स्थान पर, मंत्रालय लाभार्थी समूह पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने के लिए कुछ बड़ी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा ।

(घ) किसी क्लस्टर में सार्वजनिक-निजी भागीदारिता (पी पी पी) का लाभ उठाने को प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप के लिए बेहतरीन माध्यम माना गया है । औद्योगिक अवसंरचना विकास योजना सहित मौजूदा सूक्ष्म व लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सूलमउ-सीडीपी) को पीपीपी मोड के तहत नए दिशा-निर्देशों के साथ अनुसरण किया जाएगा ताकि सूलमउ के चहुँमुखी स्थायी विकास के लिए देश भर के यथा संभव क्लस्टरों को इसमें शामिल किया जा सके ।

(ङ) यह मंत्रालय सूलमउ विकास अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संशोधन करने सहित अन्य कदम उठाएगा

(च) हैण्ड होल्डिंग और क्रेडिट सपोर्ट के लिए उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाना

(छ) एम एस एम ई उत्पादों में गुणवत्ता मानदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए जॉंच सुविधा का नेटवर्क उपलब्ध करवाना

(ज) मंत्रालय पंचवर्षीय आधार पर सूलमउ उद्योगों की गणना करता है । इसे एक बहुआयामी और विश्वसनीय आंकडा आधार में बदलने के लिए मंत्रालय सूलमउ सैन्टर के लिए वार्षिक नमूना सवेक्षण करेगा जिसमें सूलमउ उद्योग की गणना को प्रांसगिक रखा जा सकें। इससे सपोटिंग तथा विश्लेषण में भी सहायता मिलेगी। इससे यदि अपेक्षित होगा तो किसी नीति में किसी बीच मे संशोधन के लिए काफी सहायता मिलेगी । यह नीति वैश्विक और घरेलू ट्रेंड के आधार पर आकार लेगी। अतः सूलमउ की कोई भी नीति तथा प्रकृति में पूर्ण स्थायी नही हो सकती है परन्तु यह परिवर्तित और विकसित हो सकती है ।

3.7.5. स्टेक होल्डर से

सूलमउ की बोर्ड की बैठक में स्ट्रटेजिक प्लान में मसौदे पर विचार विमर्श किया गया था इसे सूलमउ बोर्ड, सूलमउ संघो, (राज्यों और भारत सरकारों के मंत्रालयों के) प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग) तथा इस मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों के सभी सदस्यो को परिचालित कर दिया गया था । सूलमउ के राष्ट्रीय बोर्ड की विद्यमान प्रकिया तथा अलग अलग स्कीमों के अन्तर्गत निर्धारित ढाचें के माध्यम से नियमित बैठक सुनिश्चित करके स्टेक होल्डर को निरन्तर साथ रखा जाएगा । राज्यों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों, एम एस एम ई संघों और बैकों/वित्तिय संस्थानों के साथ वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी तथा समन्वय स्थापित किया जाएगा । चूकि उपयुर्क्त लिखित संस्थागत प्रकिया में अलावा स्टेक होल्डरों को साथ रखना

एक सतत और निरन्तर प्रकिया है अतः वेब आधारित परस्पर सम्पर्क की नई पहल की जाएगी जिससे पारस्परिक सम्पर्क और निरन्तरता बनी रहेगी तथा यह बहुआयामी होगी । यह भी परिकल्पना की गई है कि इन स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा बडे उद्यमों में अधिक भागीदारी की व्यवस्था की जाएगी ।

पब्लिक फीड बैक के लिए एक पारस्परिक सम्पर्क की वेबसाइट तथा सूचना प्रोद्योगिकी सक्षम शिकायत निवारण तन्त्र प्रारम्भ किया जाएगा।

3.7.6 जानकारी एवं क्षमता बढ़ाना

कार्यक्रम अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण तथा सूलमउ संघों की क्षमता निर्माण के द्वारा, सभी प्रमुख स्कीमों में प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रारंभ, उपर्युक्त दस्तावेजों के माध्यम से जानकारी और क्षमता बढ़ाई जाएगी ।

देश भर में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को विश्व भर से विपणन के तरीके तथा विनिर्माण की सर्वोत्तम निधियां सीखने की आवश्यकता है । इस प्रकार चाहे वह इटली में उद्योगों से संबंधित क्लस्टर संबंधित प्रतिस्पर्धात्मक हो, जापान में विद्यमान परामर्शदाता को तकनीकी सलाह की उपलब्धता हो अथवा अमेरिका में लघु व्यवसायी प्रशासन का संस्थागत संदर्भ हो, उनके पास भारत को जानकारी देने के लिए काफी महत्वपूर्ण ज्ञान है ।

''दूसरी महत्वपूर्ण सीख शीर्ष समूह से सीखना है । जैसा कि कहा गया है कि वानियामवडी (के इफूलेटननंट ट्रीटनेट) (तमिलनाडु) को टेगरा (पं. बंगाल) में फिर से दोहराने की आवश्यकता है। इस समय ऐसे अनुभवों को बांटने के लिए ऐसी कोई संस्थागत प्रक्रिया नहीं है । इसके लिए संस्थागत प्रक्रियाओं को बनाया जाएगा । यह मंत्रालय अपने फील्ड कार्यालयों जैसे विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय तथा मंत्रालय के अन्य उपकरणों के माध्यम से कार्यान्वित करेगा।

3.7.7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र

नई पहलों का परिमाण निर्धारित करना तथा उन्हें महत्व देना, इनका संदर्भित महत्व निम्नानुसार है :

i)	उपर्युक्त सूची के अनुसार	20
ii)	कौशल विकास	20
iii)	प्रौद्योगिकी उन्नयन	20
	(वाहय कारक हैं जैसे बजट की उपलब्धता प्रोद्योगिकी उन्नयन निधी का सृजन जोकि चलन में है)	
iv)	अवसंरचना	20
	(राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों को सूलमउ क्षेत्र को गुणवत्ता और पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध करवानी होगी)	
v)	ऋण की उपलब्धता	20
	(ऋण को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक बैंक और वित्तीय संस्थान, ऋण पर उंची ब्याज दरें, सूलमउ क्षेत्र के प्रति बैंकरों का प्रतिकूल दृष्टिकोण आदि)	
	कुल	100

ये सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्र एस एस एम ई सैक्टर के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए पहल करते समय इन्हें समान महत्व दिया गया है । उपर्युक्त सभी पांचों क्षेत्र समुचित रूप से स्वीकार्य है (चूंकि यह मांग आधारित है) और साथ ही साथ इन्हें कार्यान्वित करना आसान है ।

3.7.8. कार्यान्वयन योजना

कार्यान्वयन योजना निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर कर रहा है ।

(i) विशेषकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों मे प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण सुविधा को मजबूत बनाने की सुविधा देना,

(ii) सूलमउ को बेहतर विपणन सहायता प्रदान करना और नए विपणन अवसंरचना/संस्थान से सहायता और वर्तमान प्रणाली को मजबूती प्रदान करना,

(iii) सूलमउ को तकनीकी सहायता,

(iv) सूलमउ विकास अधिनियम, 2006 को उपलब्ध कराने के लिए एक सरलीकरण प्रबंधन और आदि परिषद के अंतिम निर्णय लेने के लिए लघु उद्योग के लिए मौजूदा प्रणाली में संशोधन किया जाएगा,

(v) देश भर में आधुनिक संचार सुविधाओं को सक्षम करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सेवाओं से वितरण में सुधार लाने के प्रावधान में जिला उद्योग केन्द्रों को सुदृढ़ीकरण करना,

(vi) क्लस्टर विकास कार्यक्रम को सशक्त बनाया जाएगा । सूलमउ संघों को विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा,

(vii) खादी सुधार और विकास काम्रक्रम के माध्यम से खादी संस्थान को सशक्त बनाया जाएगा,

(viii) लोक अधि प्राप्ति पोलिसी के प्रारंभ होने से सूलमउ के मार्केट शेयर को बढ़ाने में योगदान करना,

(ix) सूलमउ क्षेत्र संघ को प्रोत्साहन करना,

(x) राज्यों में परिस्थितियों के कारण नियंत्रण से बाहर होने के कारण अस्थायी रूप से घोषित की गई रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए पुनःस्थपित फंड के लिए एक उचित योजना शुरू की गई,

(xi) मौजूदा स्कीम और तैयार हो रही नई स्कीम सूलमउ की अधिप्राप्ति, अनुकूलता और आधुनिक स्वच्छ प्रौद्योगिकी को उन्नयन करने में सहायक है। उसी प्रकार उन्हें मूल्य श्रृंखला में उपर ले जाने के लिए प्रौद्योगिकी बैन/उत्पाद विशेष प्रौद्योगिकी का निर्माण करना,

(xii) प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थनों में बड़ी संख्या में विजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित हुए नव प्रवर्तनों को प्रोत्साहित करना,

(xiii) इस मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों/ कार्यक्रमों जिन्हें राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एम एन सी पी), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम जी इ पी) खादी के

लिए बाजार विकास सहायता (एम डी ए) की स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम एस ई-सी डी पी), क्रेडिट लिंक्ड कैपीटल सब्सिडी स्कीम (सी एल सी एस एस) क्रेडिट गारंटी स्कीम आदि तक पहुंच को संभव बनाना।

इसके लिए अपेक्षित संसाधन वार्षिक योजना 2011-12 के मसौदे में यथा प्रस्तावित अगली पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित है । स्कीमों के लिए विस्तृत प्रमुख बिन्दु तथा समीक्षा बिन्दु तय कर लिए गए हैं । जैसा कि उपर उल्लेख भी किया जा चुका है तथा ये प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध है ।

इन योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करने के पश्चात मंत्रालय की विभिन्न योजनागत स्कीमों में संशोधन द्वारा प्रस्तावित रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। विभिन्न स्कीमों की मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टों के अध्ययन के पश्चात विस्तृत संशोधन अपेक्षाओं को तय किया जाएगा ।

3.7.9 स्ट्रेटजिक प्लान और परिणाम रूपरेखा दस्तावेजों (आरएफडीद्ध के बीच लिंकेज

मंत्रालय के स्टेटजिक प्लान को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों के लिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) तैयार किया जाएगा ।

3.7.10 अंतरविभागीय और आंतरिक कार्यात्मक मुद्‌दे

अंतरविभागीय और पारस्परिक कार्यात्मक मुद्‌दे नीचे दिए गए हैं :

योजना आयोग द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी में बारह प्रकार की नीतिगत चुनौतियां नीचे दी गई हैं:

1. विकास के लिए क्षमता को बढाना
2. कौशल और तेजी से रोजगार सृजन को बढाना
3. पर्यावरण प्रबंधन
4. क्षमता और समावेशन के लिए बाजार
5. सशक्तिकरण और सूचना का विकेन्द्रीकरण
6. तकनीकी और नवीकरण

7. भारत के भविष्य के लिए उर्जा की सुरक्षा
8. परिवहन की मूल सुविधा का तीव्र गति से विकास
9. ग्रामीण विकास और कृषि का निरंतर विकास
10. शहरीकरण करना
11. शिक्षा के स्तर में सुधार
12. बेहतर रोगमुक्त स्वस्थ समाज तथा उपचार की व्यवस्था

उपर्युक्त बारह नीतिगत चुनौतियों के लिए मंत्रालय निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करेगा ।

1. विकास के लिए क्षमता को बढाना
2. जन रोजगार और कौशल दक्षता को तेजी से बढाना
3. प्रभावी दक्षता और बाजार की समावेशता
4. तकनीक और नवीकरण

उपर्युक्त पैरा ग्राफो में उलिखित विवरण के अनुसार योजना गत दस्तावेजो के उपर्युक्त चार क्षेत्रो में बारहवी योजना के साथ जोड़ा जाएगा। संसाधन आबंटन और क्षमता निमार्ण से संबंधित मुददों सहित अंतर विभागीय मुद्दो की पहचान करना और उनका प्रबन्धन करना

एक एमएमई की बोर्ड मीटिंग में रणनीतिक योजना के बारे में विचार विमर्श किया जिसे विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय राज्य सरकार और एक एक ई संघों आदि राज्यो के इसे भारत सरकार के मंत्रालय, राज्यों के मुख्य सचिव/सचिव उद्योग में परिचालित किया गया था । इस प्रकार व्यापक परामर्श प्रक्रिया के पश्चात रणनीतिक योजना को अंतिम रूप दिया गया है फिर भी यह एक अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है । तथा इसमें आगे अपेक्षित संशोधन होंगे और आगे परामर्श की प्रक्रिया एम एस एम ई बोर्ड तथा अन्य परामर्शदायी प्रक्रियों के रूप में पहले ही शुरू कर दी गई हैं ।

अधिकांश अंतरविभागीय मामले संसाधनों के आबंटन से संबंधित हैं यह रणनीतिक योजना बनाने के लिए दिशानिर्देशों में यह पूर्व धारणा है कि संसाधनों उपलब्धता के लिए गुण दोष आधारित समन्वय है । जहां कहीं संरचनात्मक तथा नीति संबंधी पहल करना संभव है जो संसाधनों से सम्बद्ध नहीं है वहां संसाधनों की उपलब्धता इस क्षेत्र द्वारा देखी जा रही

है। जटिल परिस्थितियों के बावजूद एक गंभीर मुददा बन जाता है । जैसाकि पहले देखा गया है बजट आबंटन में प्रतिशत आधरित विधि के माध्यम से इस क्षेत्र को पूरी क्षमता से विकसित होने देने के लिए सहायता करने का सर्वोत्तम उपाय नहीं है ।

सूलमउ के लिए कार्बन क्रेडिट

कार्बन क्रेडिट, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकीय संतुलन जैसे नए साधनों का लाभ प्राप्त करना वैश्वीय महत्व का है तथा एम एस एम ई क्षेत्र को भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता है जबकि क्लस्टर स्तर पर इससे संबंधित चिंता नीति निर्धारकों के मस्तिष्क में बैठ गई है रसायन और पैट्रो रसायन फाउण्ड्री, स्टील और आयरन रोलिंग/फोर्जिंग उद्योग के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम तथा पर्यावरणविद तथा सामाजिक कार्यकर्ता बेहतरी के लिए कार्य कर रहा है जबकि सूलमउ मंत्रालय ने अनेक ऐसे तकनीकी सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित करने प्रारम्भ कर दिए है किंतु अभी तक कार्बन क्रेडिट जैसी स्कीमों के लाभ को व्यक्तिगत सू ल म उ तक पहुचाना संभव नहीं हो पाया है । कार्बन क्रेडिट के लाभ को प्राप्त करने के लिए उन्हें सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों में सहायता अपेक्षित हो गई । यह सिस्टम मंत्रालय में स्थापित किया जा चुका है किन्तु इसे सुदृढ बनाने की आवश्यकता है ।

विभागों/कार्यालयों के भीतर अंतर कार्यात्मक संपर्क

मंत्रालय के भीतर कुछ कार्यकलाप हैं, जहां पर विभिन्न विभागों/संगठनों के बीच एक ही समय कार्य होता है । ये कार्य हैं, क्लस्टर विकास, प्रशिक्षण, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, आदि । कार्यकलाप-वार/विभाग-वार अलग वित्तीय आबंटन किए जाते हैं ।

संगठनात्मक समीक्षा और एजेसियों की भूकिका तथा व्यापक सार्वजनिक सेवा

मंत्रालय के सभी अधीस्थ संगठनों/उत्तरदायी केन्द्रों के लिए अलग कार्यनीतिक योजना, रिजल्ट फ्रेम डॉक्यूमेंट और सेवोत्तम कांप्लायंट सिटिजन/क्लाइंट चार्टर बनाया जाएगा और उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा । प्रभावी जन सेवा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय योजनाओं की समीक्षा, लाइन एजेंसियों की भूमिका और संगठनात्मक समीक्षा, लाइन एजेंसियों की भूमिका और

संगठनात्मक समीक्षा के लिए एक गवर्नमेंट प्रौसेस रीइंजीनियरिंग 'जीपीआर'/बिजनेस प्रौसेस रीइंजीनियरिंग 'वीपीआर' भी शुरू करेगा । यह संगठनात्मक समीक्षा,एजेंसियों की भूमिका और व्यापक सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता को हल करेगा ।

3.7.11 मानीटरिंग और समीक्षा व्यवस्थाएं

प्रत्येक योजना और उसके समवर्ती मूल्यांकन के लिए निर्धारित परिणाम मानदंडों के द्वारा सफलता की निगरानी और मापन किया जाएगा । एक मजबूत एम आई एस और शिकायत निपटान तंत्र के द्वारा कार्यान्वयन भी निगरानी की जाएगी । उपरोक्त उल्लिखित एम आई एस को ऑनलाइन बनाने हुए डिवीजनल हैड, सचिव और मंत्री भी योजनाओं की आवधिक समीक्षा जैसी निगरानी की वर्तमान व्यवस्था को अधिक तेज और निष्पक्ष बनाया जाएगा। दूसरी विद्‌यमान व्यवस्था, यानि आर एफ डी और मंत्रालय तथा उसके संगठनों के परिणामी बजट त्रुटियों और कमियां की गुंजाइश को कम कर देंगे। मंत्रालय के अंतर्गत 'सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान' नामक एक योजना है जिसके तहत सूलमउ से संबंधित ज्वलंत मुददों और सूलमउ क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का नियमित अध्ययन किया जाता है । सूलमउ पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा ।

1.1.12 अधीनस्थ संगठन / उत्तरदायी केन्द्र

इस योजना के तहत मंत्रालय के 25 अधीनस्थ संगठन /उत्तरदायी केन्द्र हैं, जो निम्नलिखित है :

क्र. सं.	उत्तरदायी केन्द्र/ अधीनस्थ संघ	लैण्डलाइन दूरभाष संख्या	ई मेल	पता
1	नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज क. लि.	011-26926275, 26910910	info@nsic.co.in	ओखला इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज-III नई दिल्ली

क्र. सं.	उत्तरदायी केन्द्र/ अधीनस्थ संघ	लैण्डलाइन दूरभाष संख्या	ई मेल	पता
2	खादी एंड विलेज इन्डस्ट्रीज कमीशन, (केवीआईसी)	022-26714320-25	dit@kvic.gov.in	''ग्रामोदय'' ''3, इरला रोड़, विले पारले (वैस्ट) मुम्बई-400056
3	नेशनल इंस्टीट्यूट फार इन्टरप्रिनोरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेबलपमेंट (एनआईईएसबीयूडी)	0120-2403051-54	info.niesbud@nic.in	ए-23-24, सैक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-II, नोएडा-201301
4	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज (एनआई-सूलमउ)	040-23608544-46	registrar@nimsme.org	युसुफगोडा, हैदाराबाद-500045.
5	इंडीयन इंस्टीट्यूट फॉर इन्टरप्रिन्योरशिप (आई आई ई)	0361-2302646, 2300994, 2300123	iieindia1@bsnl.in	37, एनएच बाईपास, लालमाटी, बशिष्ठ चारियाली, गोवाहाटी-781029, असम
6	कॅयर बोर्ड	0484-2351807, 2351788	coirboard@vsnl.com	''कॉयर हाउस'' एम.जी. रोड, ऍरनाकुलम, कोच्ची-682016. केरल
7	महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इन्डसट्रियलाइजेशन	07152-253512	director.mgiri@gmail.com	मगनवाडी, वर्धा-442001, महाराष्ट्र

क्र. सं.	उत्तरदायी केन्द्र/ अधीनस्थ संघ	लैण्डलाइन दूरभाष संख्या	ई मेल	पता
8	सूलमउ-टूल रूम, (इन्डो जर्मन टूल रूम)	0240 2486832, 2482593, 2470541	gm@igtr-aur.org	पी-31, एमआईडीसी, चिकालथाना इंडसट्रियल एरिया, ऑरंगाबाद 431006
9	सूलमउ-टूल रूम, (इन्डो जर्मन टूल रूम)	079 25840966, 25841963	gm@igtrahd.com	प्लॉट नं.-5003, फेस-iv,जीआईडीसी वातवा, मेहमदाबाद रोड, अहमदाबाद 382445(गुजरात)
10	सूलमउ-टूल रूम, (इन्डो जर्मन टूल रूम)	0731 4210700/03/04 4210701	indigtr@sancharnet.in	प्लॉट नं. 291/ बी-302/ए, सैक्टर-ई, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर 452003 (एमपी)
11	सूलमउ-टूल रूम, (सैंट्रल टूल रूम)	0161 2670057, 2670058, 2670059, 2676166	info@ctrludhiana.com	ए-5 फोकल पाइन्ट, लुधियाना 141010 (पंजाब)
12	सूलमउ-टूल रूम, (सैंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सैंटर)	033 25771492, 25771068	cttckolkata@vsnl.com	बेनहोगली इन्डसट्रियल एरिया, कोलकाता 700108 (प.बं.)
13	सूलमउ-टूल रूम, (सैंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सैंटर)	0674 2742100, 2743349, 3011700	cttc@satyam.net.in	बी-36, चन्डका इन्डसट्रियल एरिया, पो. ओ. पाटिया, भुवनेश्वर 751024 (उड़ीसा)

क्र. सं.	उत्तरदायी केन्द्र/ अधीनस्थ संघ	लैण्डलाइन दूरभाष संख्या	ई मेल	पता
14	सूलमउ-टूल रूम, (इंडो दानिस टूल रूम)	0657 2201261/62, 2200507	reach@ idtrjamshedpur. com	एम-4 (पार्ट) फेस-अप, टाटा कान्द्रा रोड, गमहरिया, जमशेदपुर 832108 (झारखंड)
15	सूलमउ-टूल रूम, (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सैंटर)	0361 2655542	trtc_ghy@ rediffmail.com	एमिंगोन इन्डसट्रियल एरिया, नॉर्थ गोवाहाटी रोड, एमिंगोन, गोवाहाटी 781031
16	सूलमउ-टूल रूम, (सैण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स)	0181 2290226, 2290225, 2290196	institute_jld@ dataone.com	जी.टी. रोड, बाईपास, जालंधर-144008 (पंजाब)
17	सूलमउ-टैकनोलॉजी डेवलपमैंट सैंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमैंट्स)	022 24050301/2/3/4	idemi@vsnl. net	एस.टी. टोप मार्ग, चूनाभट्टी, सीऑन, पी.ओ. मुम्बई-400022
18	सूलमउ-टेक्नोलॉजी डेवलपमैंट सैण्टर (इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सैंटर)	05947 251201, 251530, 255951	pd_estc@ sancharnet.in	कानिया, रामनगर, जिला नैनीताल-244715, उत्तराखंड

क्र. सं.	उत्तरदायी केन्द्र/ अधीनस्थ संघ	लैण्डलाइन दूरभाष संख्या	ई मेल	पता
19	सूलमउ-टेकनोलॉजी डेवलपमैंट सैण्टर (प्रोसेस कॅम प्रोडक्ट डेवलपमैंट सैंटर)	0121 2511779	info@ ppdcmeerut. com	स्पोर्टस् गुड्स कॉम्पलैक्स, दिल्ली रोड, मेरठ-250052 (उ.प्र.)
20	सूलमउ-टेकनोलॉजी डेवलपमैंट सैंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमैंट सैंटर)	0562 2344006, 2344673	ppdc@ sancharnet.in	फाउन्ड्री नगर, आगरा-282006 (उ.प्र.)
21	सूलमउ-टेकनोलॉजी डेवलपमैंट सैंटर (सैंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट)	044 22501529	cfti@vsnl.net	65/1, जीएसटी रोड, गुइंडी, चेन्नई-600032.
22	सूलमउ-टेकनोलॉजी डेवलपमैंट सैण्टर (सैंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट)	0562 2642005, 2642004	info@cftiagra. org.in	सी:41 एवं 42, साइट 'सी' सिकंदर इण्ड0 एरिया, आगरा:282007 (उ प्र)
23	सूलमउ-टेकनोलॉजी डेवलपमैंट सैण्टर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लैवर डेवलपमैंट सेंटर)	05694 234465, 234791	ffdcknj@ sancharnet.in	इण्ड0 एस्टेट, जी टी रोड, पो. ऑ. मकरन्द नगर, कन्नौज-209726 (उ प्र)

क्र. सं.	उत्तरदायी केन्द्र/ अधीनस्थ संघ	लैण्डलाइन दूरभाष संख्या	ई मेल	पता
24	सूलमउ-टेकनोलॉजी डेवलपमैंट सैण्टर (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इण्डस्ट्री)	05612 232293	cdgifzbd@ sancharnet.in	ए-1/1 इण्ड0 एरिया, जैत्सर रोड, पो ऑ मुइदीपुर, फिरोजाबाद-283203 (उ. प्र.)
25	सूलमउ-टेकनोलॉजी डेवलपमैंट सैंटर(सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन)	040 23774536, 23772748	hyd1_ citdhyd@ sancharnet.in	ए-1 से ए-8 एपीआईई बालानगर, हैदराबाद 500037 (आ. प्र.)

4 विकास आयुक्त (सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय की भूमिका एवं कार्य

ऑटो कम्पोनेंट का उत्पादन करने वाली सूलमउ इकाई

अध्याय IV

विकास आयुक्त (सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय की भूमिका एवं कार्य

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) कार्यालय की स्थापना फोर्ड फाउंडेशन की सिफारिशों के आधार पर 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-विकास सस्थान) (सूलमउ-वि.स.) भी कहा जाता था, के रूप में की गई थी। सूलमउ-वि.स. देश के विभिन्न हिस्सों में फैले अपने क्षेत्रीय संगठनों के संस्थानिक ढांचे के द्वारा परामर्श सहित व्यापक सेवाएं प्रदान करते हुए एक अत्यंत रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय एक सर्वोच्च/नोडल अंग के रूप में कार्य कर रहा है और मंत्रालय/विभाग तथा क्षेत्रीय संगठनों के बीच लिंक प्रदान करता है। यह सितंबर 2001 से लघु उद्योग मंत्रालय (अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता रहा है। इन वर्षों के दौरान, इसकी भूमिका लघु उद्योग क्षेत्र के लिए समर्थन, हैन्ड होल्डिंग तथा सुकर बनाने वाली एजेन्सी के रूप में रही है। इसके प्रबंधनाधीन 60 से अधिक कार्यालय तथा 18 स्वायत्त निकाय हैं। इन स्वायत्त निकायों में टूल रूम, प्रशिक्षण संस्थाएं तथा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र शामिल है। यह लघु उद्योग क्षेत्र को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को शामिल करने के लिए और अधिक व्यापक बना दिया गया है। ये संस्थान, अन्य के साथ-साथ, परीक्षण, औजार बनाना, उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण, परियोजना तथा उत्पाद संबंधी रूप रेखाएं तैयार करने, तकनीकी एवं प्रबंधकीय परामर्श, निर्यात हेतु सहायता, प्रदूषण तथा ऊर्जा लेखा परीक्षाएं आदि की सुविधाएं प्रदान करते हैं। संगठन आर्थिक सूचना संबंधी सेवाएं प्रदान करता है तथा सूलमउ क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास

के लिए नीति निर्धारण में सरकार को सलाह भी देता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय सूलमउ विकास के क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच प्रभावी संपर्क सूत्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

4.1.2 अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और उदारीकरण के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र की इकाइयों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, आदि ही से नहीं अपितु बड़े घरेलू प्लेयर्स से भी मिल रही नई और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय ने इस परिवर्तित वातावरण को पहचाना है और इस समय वह अपना ध्यान सूलमउ को क्रेडिट, विपणन, प्रौद्यागिकी तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने वाले क्षेत्रों में सहयोग देने पर केन्द्रित कर रहे हैं। उभरते वैश्विक रूख तथा राष्ट्रीय विकास ने संगठन की भूमिका को देश में लघु उद्यमों के विकास के उत्प्रेरक के रूप में रूपातंरित किया है। संगठन के प्रमुख प्रकार्य निम्नोक्त हैं:

(i) सरकार को सूलमउ क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए नीति निर्धारण में सलाह देना।

(ii) सूलमउ क्षेत्र को तकनीकी-आर्थिक तथा प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं एवं विस्तार सेवाएं प्रदान करना।

(iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(iv) प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधनों का विकास।

(v) आर्थिक सूचना सेवाएं उपलब्ध कराना।

(vi) केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं तथा सूलमउ क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना, और

(vii) बड़े उद्योगों के लिए अनुषंगी सहयोगी के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करना और समन्वित करना।

4.1.3 संगठन का 30 सूलमउ विकास संस्थानों (सूलमउ वि.सं.), 28 शाखा सूलमउ विकास संस्थानों (शाखा सूलमउ वि. सं.), 4 सूलमउ परीक्षण केन्द्रों (सूलमउ टी सी), 7 सूलमउ क्षेत्र परीक्षण स्थान (सूलमउ एफ.टी.एस), 18 स्वायत्त निकायों जिनमें 10 सूलमउ औजार कक्ष (सूलमउ टी.आर) शामिल हैं, 6 सूलमउ प्रौंद्योगिकी विकास केन्द्रों (सूलमउ टी.डी.सी) तथा 2 सूलमउ पादुका प्रशिक्षण संस्थानों (सूलमउ टी डी सी-सी एफ टी आई) शामिल हैं, का एक नेटवर्क है। दो विभागीय प्रशिक्षण संस्थान (सूलमउ टी आई) भी हैं।

4.1.4 सूलमउ विकास संस्थानः राज्यों की राजधानियों तथा देश भर के अन्य औद्योगिक शहरों में स्थापित 30 सूलमउ विकास संस्थान (सूलमउ वि.सं.) तथा 28 शाखा सूलमउ विकास संस्थान मुख्यतः निम्नोक्त कार्यकलाप निष्पादित करते हैंः-

(i) औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान/उद्यमिता, प्रबंधन तथा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना;

(ii) भावी तथा मौजूदा उद्यमियों को सहायता/परामर्श;

(iii) राज्य तथा जिला औद्योगिक रूपरेखाएं तैयार करना;

(iv) सूलमउ क्षेत्र में उपयुक्त एवं संभाव्य उत्पादों/उद्योगों की परियोजना रूप रेखाएं तैयार करना;

(v) ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन का संचालन;

(vi) वीडीपी आयोजित करते हुए अनुषंगिक विकास में सहायता

(vii) कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं में सामान्य सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराना।

(viii) विशिष्ट उद्योगों की निर्देशिका तैयार करना।

(ix) बाजार सर्वेक्षण

(x) जिला उद्योग केंद्रों के साथ समन्वय और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ संपर्क

(xi) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) और मंत्रालय/विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय द्वारा सौंपी गई अन्य कार्य योजना कार्यकलापों के तहत सूक्ष्म व लघु उद्यमों का संवर्धन और हैंडहोल्डिंग।

4.1.5 सूलमउ औजार कक्ष (सूलमउ टीआर): भारत-जर्मन तथा भारत-डेनिश सहयोग से शुरू किए गए 10 सूलमउ टीआर सूलमउ को तकनीकी उन्नयन में सहायता करते हैं और औजार, मोल्डों, जिग्स तथा फिक्सचर घटकों आदि की डिजाईन करके तथा निर्मित करके बेहतर कोटि के टूल प्रदान करते हैं। वे टूल तथा डाई निर्माण के लिए प्रशिक्षण तथा परामर्शी प्रदान करते हैं।

4.1.6 सूलमउ प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सूलमउ टीडीसी) ऐसे उत्पाद विशिष्ट केन्द्र हैं जो विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान देते हैं और तकनीकी सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी तथा जनशक्ति विकास बढ़ाना तथा उन्नत करना और फाउंड्री और फोर्जिंग, इलैक्ट्रॉनिक, सुगंध एवं सुरस, स्पोटस शूज, विद्युत मापक उपकरण तथा ग्लास जैसे विशिष्ट उत्पाद वर्गो में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

4.1.7 सूलमउ परीक्षण केन्द्र (सूलमउ टीसी): चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई में सूलमउ टीसी के पास गुणवत्ता उन्नयन, परीक्षण में प्रशिक्षण/परामर्श, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली आदि के लिए सुविधाएं हैं। 7 क्षेत्र परीक्षण स्थान बैंगलुरू, भेपाल, एटटुमानूर, जयपुर, हैदराबाद, कोल्हापुर और पुडुचेरी में संकेन्द्रीत परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जहां सूलमउ की संख्या अत्यधिक है।

4.1.8 सूलमाउ प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीयपादुकाप्रशिक्षणसंस्थान) (सूलमाउ टीडीसी-सीएफटीआई)

आगरा और चेन्नई में ये केन्द्र पादुका उद्योग में जनशक्ति के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने और निर्यातों में तेजी लाने के लिए डिजाईन विकसित करने में लगे हुए हैं।

4.1.9 सूलमउ प्रशिक्षण -सह-उत्पाद विकास केन्द्र (सूलमउ टीपीडीसी) लुधियाना, कानपुर, इंदौर और मंगलौर के विकास संस्थानों के कैम्पस के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए चार प्रशिक्षण-सह-उत्पाद विकास केन्द्र (सूलमउ टीपीडीसी) स्थापित किए जाने हैं।

4.2 सूलमउ औजार कक्ष (सूलमउ-टीआर)

4.2.1 भारत जर्मन तथा भारत डेनिश के सहयोग से शुरू किए गए 10 सूलमउ टीआर सूलमउ को यंत्रों, मोल्ड, जिग्स, फिक्सचर घटकों आदि की डिजाईन करके तथा निर्मित करके तकनीकी उन्नयन में सहायता करते हैं, तथा बेहतर कोटि की टूलिंग प्रदान करते हैं। वे टूल तथा डाई निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श भी प्रदान करते हैं।

ये औजार कक्ष निम्न स्थानों पर स्थित हैं:-

1. सूलमउ टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना
2. सूलमउ टूल रूम (इण्डो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद
3. सूलमउ टूल रूम(इण्डो जर्मन टूल रूम), इंदौर
4. सूलमउ टूल रूम (इण्डो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद,
5. सूलमउ टूल रूम (केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र) कोलकाता,
6. सूलमउ टूल रूम (केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र) भुवनेश्वर,
7. सूलमउ टूल रूम (इण्डो डैनिश टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र) जमशेदपुर,
8. सूलमउ टूल रूम (टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र), जालंधर
9. सूलमउ टूल रूम (केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान), हैदराबाद और
10. सूलमउ टूल रूम (टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र), गुवाहाटी।

4.2.2 ये औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र टूल इंजीनियरिंग अर्थात उत्पादन के उपकरण, मोल्ड, डाईज, जिग्स और फिक्सचरों, आदि के उत्पादन हेतु सुविधाएं जैसे क्षेत्रों में उत्पादन, प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है तथा उद्योगों के लिए कौशलयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराता है।

यह सेवाएं उद्योग को और अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करती हैं।

4.2.3 ये संस्थान विभिन्न अल्पावधि पाठ्यक्रमों के संचालन के अलावा पढ़ाई बीच में छोडकर जाने वाले छात्रों के लिए विभिन्न दीर्घावधि पाठ्यक्रम जैसे कि 'टूल डिजाईन तथा कैड कैम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। इन औजार कक्षों ने अपने दीर्घवधि पाठयक्रमों के प्रशिक्षार्थियों के लिए लगभग शत-प्रतिशत प्लेसमेंट का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

4.2.4 इन टूल रूमों की उपलब्धियां निम्नोक्त तालिका में दी गई है:-

तालिका 4.1: 2010-11 के दौरान (31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार) सूलमउ टीआर की उपलब्धियां।

(i)	राजस्व लक्ष्य 2010-11 (लाख रू.)	7883
(ii)	अर्जित राजस्व (लाख रू.)	5502
(iii)	सेवित इकाइयों की संख्या	10089
(iv)	प्रशिक्षुओं की संख्या (दीर्घावधि)	8489
(v)	प्रशिक्षुओं की संख्या (अल्पावधि)	21285
(vi)	अ.जाति/अनु.जन जाति के प्रशिक्षुओं की संख्या	9111
(vii)	अ.पि.व. प्रशिक्षुओं की संख्या	4123
(viii)	अल्पसंख्यक प्रशिक्षुओं की संख्या	964
(ix)	महिला प्रशिक्षुओं की संख्या	2362
(x)	शारीरिक रूप से विकलांग प्रशिक्षुओं की संख्या	22

4.3 सूलमउ प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सूलमउ टीडीसी)

4.3.1 सूलमउ प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सूलमउ-टीडीसी) उत्पाद विशिष्ट केंद्र हैं जो विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं और प्रौद्योगिकियों तथा जनशक्ति विकास को बढ़ाने तथा उन्नत करने और फाउंडरी एवं फोर्जिंग इलेक्टानिक्स सुगंध एवं सुरस, स्पोर्ट शूज, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग उपकरणों तथा ग्लास जैसे विशिष्ट उत्पाद वर्गो में प्रशिक्षण देने के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करते हैं। सूलमउ टीडीसी में इलेक्ट्रानिक सर्विस एवं प्रशिक्षण केंद्र (ईएसटीसी), रामनगर, इलेक्ट्रानिक्स मेजरिंग उपकरण डिजाइन संस्थान (ईडमी), मुंबई, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र (एफएफडीसी), कन्नौज, ग्लास उद्योग विकास केंद्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद , केंद्रीय टूल डिजाइन संस्थान, (सीआईटीडी) हैदराबाद, प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा तथा प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ शामिल हैं।

4.3.2 इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य संबंधित उत्पाद क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मानव संसाधनों का विकास करना है। ये संस्थान उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी संचालन कर रहे हैं। सीडीजीआई, फिरोजाबाद, ऊर्जा कुशल ग्लास मेल्टिंग फरनेसिस, आनुषंगिक फरनेसिस की स्थापना को बढ़ावा देकर नए आकार के ग्लास तथा उनके मानकीकरण को शुरू करके ग्लासवेयर की सुसज्जा हेतु विकसित तकनीकें शुरू करके सूक्ष्म एवं लघु ग्लास इकाइयों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

4.3.3 इन केन्द्रों की उपलब्धियां 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार निम्न तालिका में दर्शायी गई हैं:-

तालिका 4.2: 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार सलमउ टीडीसी की उपलब्धियां

(i)	राजस्व लक्ष्य 2010-11 (लाख रू.)	1700
(ii)	अर्जित राजस्व (लाख रू.)	1264.18
(iii)	सेवित इकाइयों की संख्या	6622

वार्षिक रिर्पोट
2010-11

(iv)	प्रशिक्षुओं की संख्या (दीर्घावधि)	720
(v)	प्रशिक्षुओं की संख्या (अल्पावधि)	5252
(vi)	अ.जाति/अनु.जन जाति के प्रशिक्षुओं की संख्या	2092
(vii)	अ.पि.व. प्रशिक्षुओं की संख्या	688
(viii)	अल्पसंख्यक प्रशिक्षुओं की संख्या	79
(ix)	महिला प्रशिक्षुओं की संख्या	696
(x)	शारीरिक रूप से विकलांग प्रशिक्षुओं की संख्या	11

4.4 सूलमउ परीक्षण केन्द्र (टीसी), परीक्षण स्थान (सूलमउ टीएस)

4.4.1 सूलमउ परीक्षण केन्द्र (सूलमउ टीसी)

4.4.1.1 विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थित चार परीक्षण केन्द्रों (पहले आरटीसी) का प्रचालन कर रहा है। सूलमउ परीक्षण केन्द्र कच्चे माल, उनके द्वारा विनिर्मित अर्धनिर्मित, तैयार उत्पादों के लिए सामान्य रूप से उद्योगों को और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को परीक्षण एवं अंशांकन सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये केन्द्र अर्धनिर्मित, तैयार उत्पादों, आदि के निष्पादन परीक्षण, टाइप टेस्ट और एक्सेपटेंस टेस्ट करने के लिए रसायन, मेकैनिकल, मेटालर्जिकल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में उन्नत घरेलू एवं आयातित उपकरणों से सुसज्जित हैं। ये केन्द्र राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपकरणों एवं उपस्करों के मापन हेतु अंशाकन कार्य भी करते हैं। ये केन्द्र आईएसओ (17025) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला (एनएबीएल) प्रमाणन प्रत्यायन बोर्ड से भी प्रत्यायित हैं।

4.4.2 सूलमउ टेस्टिंग स्टेशन (टीएस)

4.4.2.1 भारत सरकार ने उद्योगों के समूह तथा कुछ कार्यनीतिक क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर, भोपाल, कोल्हापुर, हैदराबाद, बंगलौर, पांडिचेरी और एट्टामानूर (पहले

चंगनाचेरी में) सूलमउ टेस्टिंग स्टेशन (पहले एफटीएस) स्थापित किए हैं। ये टेस्टिंग स्टेशन विभिन्न उत्पादों जैसे रसायन, डाईस्टफ, लैंप, रबड़ उत्पाद कास्टिंग और फोर्जिंग, पेंट और वार्निश, घरेलू विद्युत उपकरणों, सामान्य अभियांत्रिकी, आदि के परीक्षण संबंधी सुविधाओं का विस्तार करते हैं।

4.4.2.2 वास्तव में ये टेस्टिंग स्टेशन सूलमउ टेस्टिंग स्टेशन के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार दूर दराज क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वर्ष 2010-11 के लिए, 5.15 करोड रुपये की एक राशि सूलमउ परीक्षण केंद्रों/स्टेशनों के दैनिक संचालनों और आधुनिकीकरण के लिए आबंटित की गई है।

विगत पांच वर्षों के दौरान सूलमउ परीक्षण केन्द्रों/परीक्षण स्थानों का निष्पादन और इन केंद्रों की आत्मनिर्भरता का प्रतिशत निम्नोक्त है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख रू.)		आवर्ती व्यय (लाख रू.)		पूरे किए गए कार्यों की संख्या		लाभान्वित सूलमउ की संख्या	
	टी सी	टी सी	टी सी	टी सी	टी सी	टी सी	टी सी	टी सी
2004-05	259.74	82.69	267.89	87.79	10872	15150	1810	2229
2005-06	247.60	85.25	393.50	96.59	11616	16378	3026	3979
2006-07	320.33	96.26	405.69	104.54	12459	16248	2873	2734
2007-08	326.03	106.81	430.40	111.84	12214	14261	2428	4662
2008-09	348.11	122.91	568.32	175.21	14013	21916	2608	5844
2009-10	387.96	137.04	638.67	209.92	14497	22471	6805	8163
2010-11 (दिसंबर 2010 तक)	256.28	107.49	507.14	143.19	8602	17443	4144	5601

4.5 सूलमउ विकास संस्थान (सूलमउ डीआई)

4.5.1 सूलमउ डीआई को सूलमउ सेमिनारों, औद्योगिक प्रोत्साहनात्मक अभियानों, व्यवहार्यता रिपोर्टों, क्षेत्र सर्वेक्षण रिपोर्टों जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके तकनीकी-प्रबंधकीय परामर्श तथा आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। यह को सूलमउ सामान्य सुविधा सेवाएं, इन-प्लांट अध्ययन, ईडीपी भी उपलब्ध कराते हैं।

4.5.2 इस योजना के तहत, इन संस्थानों द्वारा ग्रहीत भवन के लिए किराया/करों सहित इन संस्थानों में तैनात स्टाफ के वेतन, यात्रा तथा अन्य व्यय को वहन करने हेतु निधियां आवंटित की जाती हैं। सूलमउ द्वारा अपेक्षित अवस्थापना मशीनरी तथा अन्य तकनीकी उपस्करों के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं। इन विकास संस्थानों में सामान्य सुविधा केन्द्र सूलमउ क्षेत्र को उच्च तकनीकी औजार, डाईयां, जिंग्स तथा फिक्चर्स आदि विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करते हैं।

4.5.3 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को हर संभव सामान्य सुविधा सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरानी मशीनों को नई मशीनों में बदलने, विशेष रूप से हाईटेक मशीनों के रूप में, की आवश्यकता है। चूंकि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आधुनिक कार्यशालाओं द्वारा प्रदत्त सेवाएं शानदार हैं। प्रौद्योगिकीय अपेक्षा के अनुरूप सूक्ष्म और लघु उद्यमों को हाईटेक औजारों, डाइओं, जिग्स एवं फिक्शचर्स आदि के विकास हेतु सीएडी/सीएएम सुविधाओं सहित विशेषज्ञता सेवाओं की आवश्यकता है।

4.5.4 इन मशीनों पर हम लघु उद्योग इकाइयों द्वारा प्रायोजित श्रमिकों तथा बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन प्रशिक्षणार्थियों को विशाल/ लघु उद्योग इकाइयों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अनेक प्रशिणार्थी अपने कौशलों को उन्नत बनाने तथा स्वयं की इकाई स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

4.6 सूलमउ डीआई में वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक किल्न (वीएसबीके प्रौद्योगिकी)

4.6.1 सूक्ष्म व लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज के तहत ब्रिक विनिर्माण इकाइयों

में वीएसबीके प्रौद्योगिकी के अंगीकरण नामक एक प्लान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।

4.6.2हाल के वर्षों में, उच्च मांग और सस्ते ऋण की उपलब्धता के कारण आवास क्षेत्र में तेज वृद्धि दर देखने को मिल रही है। इसने बदले में ईंटों की अधिक मांग को प्रेरित किया है। वर्तमान में ईंट एमएसई के लगभग तीस बड़े क्लस्टरों में उच्च उर्जा गहन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा निर्मित की जा रही है। विनिर्माण प्रक्रिया को अधिक उर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए उसमें प्रौद्योगिकीय उन्नयन की व्यापक क्षमता है। वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक किल्न प्रौद्योगिकी को अपनाने पर उर्जा संरक्षण द्वारा लागत में काफी कमी आ जाती है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। इसलिए, सरकार ने चालू किल्नों को अपग्रेड करते हुए और 2 लाख रुपये प्रति इकाई की उच्चतम सीमा के अंदर एमएसई को 30 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के साथ क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए पांच डेमोस्ट्रेशन वीएसबीके इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सूक्ष्म व लघु उद्यमों को प्रोत्साहित किया है।

4.6.3इस कर्यक्रम को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में ईंट विनिर्माण इकाइयों के चुनिंदा क्लस्टरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सूलमउ विकास संस्थान, कटक, इंदौर, रांची, जयपुर और रायपुर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समन्वयक एजेंसियां हैं।

4.6.4इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी प्रदानकर्ताओं के स्थानों और जहां पर वीएसबी किल्न की सफल इकाइयां चालू हैं, में उद्यमियों के दौरे आयोजित करते हुए प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन तथा समावेश के लिए सूलमउ डीआई द्वारा सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन भी शामिल है। इच्छुक उद्यमी अपने ज्ञान के उन्नयन हेतु अपने-अपने क्षेत्रों में वीएसबीके प्रौद्योगिकी पर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करने में सफल होंगे। इस योजना की प्रगति निम्नलिखित हैः-

1	अब तक स्थापित डेमो प्लांट की संख्या	छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 4
2	ईंट विनिर्माण स्वामियों की जागरूकता के लिए आयोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं की संख्या	26
3	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	18
4	आयोजित एक्सपोजर दौरे की संख्या	5
5	अब तक स्थापित परीक्षण प्रयोगशाला की संख्या	उड़ीसा और मध्य प्रदेश में 2

4.7 सूलमउ-प्रशिक्षण संस्थान

4.7.1 आगरा तथा चेन्नई स्थित सूलमउ-प्रशिक्षण संस्थान (केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण, सूलमउ-डीआई) पादुका उद्योग में निर्यात बढ़ाने तथा मानवशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए संरचनाएं तैयार करने में संलिप्त हैं।

4.7.2 इन संस्थानों का बुनियादी उद्देश्य पादुका प्रौद्योगिकी एवं संब) सेवाओं संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम

केन्दीय सूलमउ मंत्री श्री वीरभद्र सिंह चमड़ा निर्यात परिषद का प्रकाशन जारी करते हुए

से पादुका तथा संब) उद्योगों के लिए मानव संसाधन विकसित करना है। ये संस्थान फुटवियर प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों पर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और अंशकालिक प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा, ये संस्थान उपभोक्ता उद्योग को तकनीकी समर्थन सेवाएं प्रदान करते हैं और उन्हें अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं! संस्थान प्रदत्त नमूने अथवा संकल्पना के अनुसार, नवीन उत्पाद तथा पद्धतियां विकसित करने हेतु भी सेवाएं प्रदान करते हैं।

4.7.3 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार इन संस्थानों की उपलब्धियां निम्न तालिका में दी गई हैं।

तालिका 4.4: 31-12-2010 की स्थिति के अनुसार सूलमउ टीआई की उपलब्धियां

(i)	राजस्व लक्ष्य 2010-11 (लाख रूपये)	457
(ii)	अर्जित राजस्व (लाख रूपये)	342.18
(iii)	सेवित इकाइयों की संख्या	1714
(iv)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या (दीर्घकालिक)	530
(v)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या (अल्पकालिक)	10933
(vi)	अ.जा./अ.ज.जा. प्रशिक्षार्थियों की संख्या	4382
(vii)	अ.भि.व. प्रशिक्षार्थियों की संख्या	989
(viii)	अल्पसंख्यक प्रशिक्षार्थियों की संख्या	763
(ix)	महिला प्रशिक्षार्थियों की संख्या	4665
(x)	शारीरिक रूप से विकलांग प्रशिक्षार्थियों की संख्या	-

26वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले के अवसर पर श्री वीरभद्र सिंह, केंद्रीय सूलमउ मंत्री अपना भाषण देते हुए। मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति (बांए से दांए) श्री नीरज कुमार गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, आईटीपीओ,, श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव, सूलमउ, श्री सुबास पाणी, सी.एम.डी., आईटीपीओ, श्री सलमान खुर्शीद, केंद्रीय जल संसाधान ओर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, श्री एम रफीक अहमद, अध्यक्ष और आर. के. जालान, चमड़ा निर्यात परिषद के उपाध्यक्ष

4.8 ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)

4.8.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय लघु उद्योगों (अब एमएसई) के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम नामक एक योजना संचालित कर रहा है। संशोधित योजना का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन को अनुमोदित उप-क्षेत्रों/उत्पादों में सुस्थापित एवं संशोधित प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए उनके द्वारा प्राप्त संस्थागत वित्त पर 15: पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके सरल बनाना है। संशोधित योजना के तहत पूंजीगत सब्सिडी की गणना हेतु पात्र ऋण की अधिकतम सीमा को भी 29-9-2005 से 40 लाख रूपये से बढ़ाकर 100 लाख रूपये कर दिया गया है। योजना के तहत पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 15

लाख रुपए है। स्वीकार्य पूंजीगत सब्सिडी की गणना ऋण की अवधि के बजाय संयंत्र एवं मशीनरी के खरीद मूल्य के संदर्भ में की जाती है।

4.8.2 स्कीम की प्रगति

सीएलसीएसएस के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म व लघु उद्यमों का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत है-

वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी की राशि(रूपये लाख में)
2001-02	9	21.36
2002-03	47	93.97
2003-04	150	363.06
2004-05	526	1312.08
2005-06	699	1767.82
2006-07	1880	6579.74
2007-08	1407	6374.30
2008-09	1790	9734.60
2009-10	2551	13971.72
2010-11*	2055	12127.00
कुल	**11114**	**52345.70**

(दिसंबर, 2010 के अनुसार अनंतिम)

4.9 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना

4.9.1 भारत सरकार ने अगस्त, 2000 में लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जिसका उद्देश्य संपार्श्विक/तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना ऋण के लिए लघु क्षेत्र की इकाइयों, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत सरकार और सिडबी द्वारा

संयुक्त रूप से स्थापित लघु उद्योगों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा संचालित की जा रही है।

4.9.2 इस योजना में नए तथा मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 100 लाख रूपये प्रति ऋण प्राप्तकर्ता इकाई तक पात्र ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रदत्त संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (सावधि ऋण तथा/ अथवा कार्यक्षम पूंजी) शामिल है। प्रदत्त गारंटी कवर 50 लाख रूपये तक की क्रेडिट सुविधा का अधिकतम 75% है। इसमें 50 लाख रूपये से अधिक तथा 100 लाख रूपये तक की क्रेडिट सुविधा के 50 प्रतिशत की इन्क्रीमेंटल गारंटी शामिल है (सूक्ष्म उद्यमों को प्रदत्त 5 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए 85 महिलाओं के स्वामित्व वाले/संचालित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को सभी ऋणों के लिए 80%) संस्वीकृत क्रेडिट सुविधा के लिए 1.5% (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 0.75%) की एकबारगी गारंटी फीस एमएलआई से एकत्रित की जाती है।

4.9.3 31 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार 115 पात्र ऋणदाता संस्थान ट्रस्ट के एमएलआई के रूप में पंजीकृत थे जिनमें 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 17 निजी क्षेत्र के बैंक, 61 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 2 विदेशी बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफसी), दिल्ली वित्त निगम, केरल वित्त निगम, तमिलनाडु औद्योगिक निवेश कारपोरेशन लि., जम्मू व कश्मीर विकास वित्त निगम लि., भारतीय निर्यात आयात बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और शामिल हैं, ऋण गारंटी योजना के तहत भाग लेने के लिए सीजीटीएसआई की सदस्य ऋणदाता संस्थाएं बन गई हैं। कुल मिलाकर, 20,109.36 करोड़ रुपये की कुल संस्वीकृत ऋण राशि के लिए गारंटी कवर हेतु 4,76,452 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

4.10 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम

4.10.1 मंत्रालय 2003-04 से सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम की योजना चला रहा है जिसने सिडबी के विद्यमान सूक्ष्म क्रेडिट योजना के साथ गठजोड़ किया है। योजना के तहत भारत सरकार एक ''पोर्टफोलिओ जोखिम निधि'' के तहत फंड प्रदान करता है जिसका उपयोग एम एफ आई/ गैर-सरकारी संगठनों से ऋण राशि की

प्रतिभूमि जमा आवश्यकता के लिए किया जाता है। इस समय सिडबी 10% ऋण राशि के बराबर नियतावधि जमा लेता है। पी आर एफ के तहत, एम एफ आई/ गैर-सरकारी संगठनों का हिस्सा ऋण राशि का 2.5% है (अर्थात प्रतिभूति जमा का 25%) और बकाया 7.5%(अर्थात प्रतिभूति जमा का 75%) को इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों से समायोजित किया जाता है। पीआरएफ के तहत निधियों का उपयोग सिक्किम, बिहार, झारखंड, पं.बंगाल उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान तथा उत्तराखंड और अन्य राज्यों के कम सेवित पाकेटों/जिलों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है।

4.10.2 वर्ष 2010-11 के दौरान, सरकार ने पीआरएफ के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत एमएफआई/गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त संचयी ऋण राशि 1461.44 करोड़ रूपये थी, जिसमें लगभग 21.85 लाख व्यक्ति शामिल थे। इसमें से यह अनुमान लगाया गया है कि योजना के तहत महिला लाभार्थियों की हिस्सेदारी 80% से अधिक है।

4.11 सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

4.11.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (सूलमउ) मंत्रालय ने सबसे पहले 1998 में अपनी योजना 'एकीकृत प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन कार्यक्रम' (अपटेक) के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टरों में चुनिंदा हस्तक्षेप आरंभ किए। अगस्त 2003 में, इस योजना का लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम सबसे पहले 1998 में अपनी योजना 'एकीकृत प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन कार्यक्रम' (एसआईसीडीपी) के रूप में पुनः नामकरण किया गया और क्षमता निर्माण, विपणन विकास, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शन दौरों, आदि और सामान्य सुविधाओं की स्थापना जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से सूक्ष्म व लघु

उद्यमों के समग्र तथा एकीकृत विकास के लिए उन्हें विस्तृत किया गया।

4.11.2 मंत्रालय ने साथ-साथ औद्योगिक संपदाओं की स्थापना और विद्युत वितरण तंत्र, जल, दूर संचना, जल निकासी, सड़कें, भंडारण और विपणन केंद्रों, सामान्य सेवा सुविधाओं, जैसी आधारभूत संरचना सुविधाएं विकसित करने के लिए एक अलग एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना (1994 में आरंभ) का कार्यान्वयन जारी रखा। आईआईडी योजना में विद्यमान औद्योगिक संपदाओं में आधारभूत संरचना सुविधाओं के उन्नयन/सशक्तीकरण का प्रावधान है।

4.11.3 सूक्ष्म व लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज को अनुमोदित करते हुए सीसीईए के निर्णय के अनुरूप, इस योजना को सूक्ष्म व लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का पुनः नाम दिया गया और एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना को अक्टूबर 2007 में विद्यमान वित्तपोषण प्रारूप के साथ एमएसई-सीडीपी के तहत समाहित किया गया।

4.11.4 योजनाओं के मूल्यांकन से उभरने वाली सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ परामर्श के बाद, दिशानिर्देशों को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने, क्लस्टरों के विकास के प्रति एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने और वित्तीय सहायता के उन्नत स्तर की परिकल्पना की गई है, जो इस प्रकार हैं:

(1) सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये करना, जिसमें भारत सरकार का योगदान 70 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों और 50 प्रतिशत से अधिक महिला/सूक्ष्म/ग्रामीण/अनु.जा./अनु.जनजा. इकाइयों वाले क्लस्टरों के लिए 90 प्रतिशत)

(2) आधारभूत संरचना विकास के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करना, जिसमें भारत सरकार का योगदान 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों और 50 प्रतिशत से अधिक महिला/सूक्ष्म/ग्रामीण/अनु.जा./अनु.जनजा. इकाइयों

वाले क्लस्टरों के लिए 80 प्रतिशत) होगा

(3) सॉफ्ट इंटरवेंशनों के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना, जिसमें भारत सरकार का योगदान 75 प्रतिशत होगा (विशेष श्रेणी के राज्यों और 50 प्रतिशत से अधिक महिला/सूक्ष्म/ग्रामीण/अनु.जा./अनु.जनजा. इकाइयों वाले क्लस्टरों के लिए 90 प्रतिशत) और

(4) सीएफसी तथा/या आधारभूत संरचना विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए लागत की उच्चतम सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ाना।

4.11.5 प्रगति

(क) क्लस्टर विकास - देश के 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले कुल 471 क्लस्टरों को अब तक इस कार्यक्रम के तहत नैदानिक अध्ययन, सॉफ़्ट इंटरवेंशनों और हार्ड इंटरवेंशनों के लिए लिया गया है। इस योजना के तहत प्रयास सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिक से अधिक क्लस्टरों को शामिल करने पर केंद्रित हैं।

(ख) भौतिक प्रगति (1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक):-

1. नैदानिक अध्ययन रिपोर्टों (डीएसआर) के लिए अपनाए गए नए क्लस्टर - 29

2. चालू क्लस्टरों सहित सॉफ़्ट इंटरवेंशनों के लिए अपनाए गए क्लस्टर - 36

3. अनुमोदित नए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) - 10

4. पूर्व अनुमोदित सीएफसी में निधियों की निगरानी और स्वीकृति - 6

5. सीएफसी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन - 14

(ग) वित्तीय प्रगतिः एमएसई-सीडीपी के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 दिसंबर, 2010 तक 7.458 करोड़ रुपये की संस्वीकृतियां जारी की गई हैं।

(घ) आईआईडी घटक के तहत, 31 दिसंबर, 2010 तक, योजना के आरंभ के

बाद से 95 नए केंद्र संस्वीकृत किए गए हैं। उपरोक्त संस्वीकृत केंद्रों में से, 67 (वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक 12 सहित) नए आईआईडी केंद्र पूर्ण कर लिए गए हैं। कुल 10,972 प्लॉट लघु व अति लघु इकाइयों को आबंटित किए गए हैं और 3,561 इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस योजना ने अब तक 37,555 व्यक्तियों को रोजगार दिया है और 29 पुरानी औद्योगिक संपदाओं को आधारभूत संरचना उन्नयन के लिए संस्वीकृत किया गया है। उपरोक्त संस्वीकृत केंद्रों में से, 25 (दिसंबर 2010 तक 22 सहित) पुरानी औद्योगिक संपदाओं को उन्नयन के लिए पूर्ण किया गया है। 216.20 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रतिबद्धता में से 159.03 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी कर दिया गया है।

4.12 राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) भारतीय सूलमउ में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित करने के लिए भारत सरकार का नोडल कार्यक्रम है। भारतीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद् (एनएमसीसी) द्वारा संकल्पित यह कार्यक्रम, 2007-08 में आरंभ किया गया था। एनएमसीपी के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान 682 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। एनएमसीपी के तहत दस घटक हैं, जिनका लक्ष्य एमएसएमई क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना है, जो नीचे दिया गया है:-

4.12.1 एमएसई को विपणन सहायता/सहयोग (बार कोड)

बार कोड के अंगीकरण के लिए एमएसई को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से, 1 जून 2007 से एमएसई को पहले तीन वर्षों के लिए वार्षिक आवर्ती शुल्क की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के लिए एसएसआई-एमडीए योजना में एक घटक जोड़ा गया। वार्षिक आवर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तपोषण एनएमसीपी योजना - सूलमउ को विपणन सहयोग/सहायता (बार कोड) के तहत प्रदान किया जाता है। वर्ष 2010-11 के लिए, वार्षिक आवर्ती शुल्क के लिए एमएसई के 101 मामलों के लिए 5.09 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दिसंबर 2010 तक प्रदान की गई।

4.12.2 सूलमउ के उद्यमीय तथा प्रबंधकीय विकास हेतु सहयोग (इन्क्यूबेटर)

इस योजना का लक्ष्य नए व्यावसायिक विचारों (नई/स्वदेशी प्रौद्योगिकी, प्रकियाएं, उत्पाद, क्रियाविधियां, आदि) को विकसित करना है, जिसका एक वर्ष में व्यवसायीकरण किया जा सकता है। इस योजना के तहत, इंजीनियरिंग कॉलेजों, रिसर्च प्रयोगशालाओं, आदि जैसे विभिन्न संस्थानों को प्रत्येक नए विचार/उद्यमी की हैंडहोल्डिंग के लिए 6.25 लाख रुपये तक की निधियां प्रदान की जाएंगी। इनक्यूबेटर व्यवसाय के सफल आरंभ के लिए प्रौद्योगिकी मार्गदर्शन, कार्यशाला और लैब सहयोग तथा दूसरी एजेंसियों से संपर्क प्रदान करेगा तथा उद्यमी को उद्यम की स्थापना हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस योजना के तहत, 31.12.2010 तक 76 संस्थानों और 190 विचारों को अनुमोदित किया गया है।

4.12.3 व्यक्तिगत सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत मिनी टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

इस योजना के तहत, 11वीं योजना अवधि के दौरान 15 मिनी टूल रूम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार सहायता अधिकतम 9 करोड़ रुपये की होगी।

4.12.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सूलमउ) के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधी जागरूकता बनाने की योजना

क. योजना का लक्ष्य अपने विचारों तथा व्यावसायिक कार्यनीतियों को सुरक्षित करने के उपाय करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में सूलमउ की जागरूकता बढ़ाना है। सूलमउ द्वारा आईपीआर टूल्स का प्रभावी उपयोग उन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में भी मदद करेगा। ये पहले सूलमउ क्षेत्र को अधिक सूचना, ओरियेंटेशन और अपनी बौद्धिक क्षमताओं की सुरक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगी।

(ख) मुख्य विशेषताएं

इस योजना के तहत, अभिज्ञात पहलों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत मुख्य कार्यकलाप और अधिकतम भारत सरकार अनुदानों में हस्तक्षेपों के निम्नलिखित विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं:

क्र. सं.	कार्यकलाप	प्रति आवेदन/प्रस्ताव अधिकतम अनुदान (लाख रु. में)
क	आईपीआर पर जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम	1.00
ख	उद्योगों के चुनिंदा क्लस्टरों/समूहों के लिए पायलट अध्ययन	2.50
ग	इंटरेक्टिव सेमिनार/कार्यशालाएं	2.00
घ	विशेषीकृत प्रशिक्षण (i) अल्पकालिक (एसटी) (ii) दीर्घकालिक (एलटी)	(i) 6.00 (ii) 45.00
ङ	पेटेंट/जीआई पंजीकरण पर अनुदान हेतु सहायता (i) घरेलू पेटेंट (ii) विदेशी पेटेंट (iii) जीआई पंजीकरण	(i) 0.25 (ii) 2.00 (iii) 1.00
च	एमएसएमई के लिए आईपी सुविधा केंद्र की स्थापना	65.00
छ	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क घरेलू हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय विनियम कार्यक्रम	5.00 7.50

सूलमउ के संपूर्ण विकास के लिए आर्थिक व्यवहार्य मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारिता (पीपीपी) मोड के माध्यम से इन पहलों को कार्यान्वित किया जा रहा है। पात्र आवेदकों/लाभार्थियों को योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता का न्यूनतम 10 प्रतिशत योगदान करना होगा।

4.12.5 सूलमउ के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम

लीन विनिर्माण कार्यक्रम (एलएमपी), के तहत एमएसएमई को उचित कार्मिक प्रबंधन, स्थान के बेहतर उपयोग, वैज्ञानिक आविष्कारक प्रबंधन, प्रक्रियाओं में सुधार लाना, इंजीनियरिंग समय में कमी लाना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। एलएमपी से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा लागत में कमी आएगी जो राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनिवार्य हैं। इस योजना के तहत जिन कार्यकलापों की योजना बनाई गई है, उनमें मोटे तौर पर कुल उत्पादक अनुरक्षण (टीपीएम), 5 एस (सिगमा), दृश्य नियंत्रण, मानक संचालन प्रक्रियाएं, जस्ट इन टाइम, कानबान सिस्टम, सेलुलर लेआउट, पोका योक, आदि शामिल हैं। आरंभ में, 100 मिनी क्लस्टरों में लीन तकनीक हस्तक्षेपों के लिए एक पायलट परियोजना को कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है।

4.12.6 गुणवत्ता प्रबंधन मानकों (क्यूएमएस) तथा गुणवत्ता प्रौद्योगिकी साधनों (क्यूटीटी) द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना

इसका उद्देश्य सूलमउ क्षेत्र में उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारना है और यह इस क्षेत्र के उद्यमों में गुणवत्ता सजगता उत्पन्न करता है। मुख्य कार्यकलाप हैं:

- तकनीकी संस्थानों के लिए उपयुक्त मॉड्यूलों का प्रारंभ करना।
- एमएसई के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रतिस्पर्धा निगरानी (सी-वॉच) आयोजित करना।
- चुनिंदा सूलमउ में गुणवत्ता प्रबंधन मानकों तथा गुणवत्ता प्रौद्योगिकी साधनों का कार्यान्वयन करना।

- अंतराष्ट्रीय अध्ययन मिशनों की मॉनिटरिंग करना।
- क्यूएमएस/क्यूटीटी के प्रयोग का प्रभाव संबंधी अध्ययन

4.12.7 सूलमउ को प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहयोग

योजना का उद्देश्य भारत में विनिर्माण सूलमउ क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने हेतु उनकी प्रौद्योगिकियां उन्नत करने, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकियों के प्रयोग, वैश्विक मानकों के अनुसार निर्धारित अन्य प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण, उनकी गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन की लागत घटाने, आदि के लिए जागरुक बनाना है। योजना के तहत जिन प्रमुख कार्यकलापों को शामिल किया गया है, वे हैं ऊर्जा सक्षमता/स्वच्छता विकास हस्तक्षेपों के लिए सूलमउ क्लस्टरों का क्षमता निर्माण, सूलमउ क्षेत्र में ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन, कार्बन क्रेडिट एग्रीगेशन सेंटरों की स्थापना और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों से उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सूलमउ को प्रोत्साहित करना है।

4.12.8 सूलमउ विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

इस योजना का उद्देश्य सूलमउ के उन क्लस्टरों की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करना है जिनमें गुणवत्ता उत्पादन और निर्यात क्षमता है तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने में सहायता करना है। इस योजना का लक्ष्य सूलमउ क्षेत्र की तकनीकों और निर्यात के संवर्धन की प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाते हुए क्षेत्र की विपणन प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारना है। इस योजना के लिए भारत सरकार का योगदान 19 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। योजना के तहत प्रमुख कार्यकलापों में पैकेजिंग में प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिक विपणन तकनीकों का विकास, प्रतिस्पर्धा अध्ययन, आदि शामिल है।

4.12.9 सूलमउ के लिए डिजाइन क्लीनिक योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता को एक समान मंच पर लाना और वास्तविक डिजाइन संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह और समाधान प्रदान करना है जिसके

परिणामस्वरूप विद्यमान उत्पादों का अनवरत विकास और मूल्य वर्धन होता है। इसका लक्ष्य मूल्य वर्धित लागत सक्षम समाधान भी है। इस योजना के लिए भारत सरकार का योगदान 50 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। योजना के तहत मुख्य कार्यकलापों में एमएसएमई क्षेत्र की डिजाइन आवश्यकताओं पर हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रीय केंद्रों के साथ डिजाइन क्लीनिक सचिवालय का निर्माण शामिल है।

4.12.10 भारतीय सूलमउ क्षेत्र में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का संवर्धन

इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में परिकल्पना की गई है कि एसएमई के कुछ उन क्लस्टरों जिनमें गुणवत्ता उत्पादन और निर्यात क्षमता है, की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए आईसीटी एप्लीकेशन अंगीकृत करने में सहायता की जाएगी। इस योजना के लिए 47.70 करोड़ रुपये के भारत सरकार योगदान सहित 105 करोड़ रुपये का कुल बजट परिव्यय निर्धारित किया गया है। योजना के तहत मुख्य कार्यकलापों में आईसीटी हस्तक्षेप के लिए लक्षित क्लस्टरों की पहचान, ई-रेडीनेस आधारभूत संरचना की स्थापना, क्लस्टरों के लिए वेब पोर्टलों का विकास, आईसीटी अनुप्रयोगों में सूलमउ स्टाफ का कौशल विकास सूलमउ की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए स्थानीय सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की तैयारी, आदि शामिल हैं।

4.13 आईएसओ-9000/आईएसओ-14001/एचएसीसीपी प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना

4.13.1 इस योजना में आईएसओ 9000/14001/एचएसीसीपी (या उसके समकक्ष) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए लागत के 75 प्रतिशत तक अधिकतम 75000 रुपये की एकबारगी प्रतिपूर्ति की परिकल्पना की गई है। आरंभ से 31 मार्च 2010 तक 20,065 इकाइयों को 97.81 करोड़ रू की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। 2010-11 के दौरान, 31 दिसम्बर-2010 तक लगभग 767 इकाइयों को 3.78 करोड़ रू की प्रतिपूर्ति की गई है।

4.14 सूलमउ विकास संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएमसी, ईएसडीपी, बीएसडीपी और एमडीपी)

4.14.1 सूलमउ-विकास संस्थान प्रथम पीढ़ी के संभावी उद्यमियों, मौजूदा औद्योगिक

वार्षिक रिपोर्ट
2010-11

कामगारों और प्रबंधकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। इसका अंतिम उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में उद्यमिता संस्कृति शामिल करने और साथ ही उस राज्य/क्षेत्र के मौजूदा उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश के सूलमउ क्षेत्र का संवर्धन करना है। सूलमउ-विकास संस्थानों के प्रौद्योगिकी-प्रबंधकीय कार्यकलापों के ब्यौरे अनुच्छेद 4.5 में दिए गए हैं। उद्यमिता विकास और संवर्धन हेतु आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं:

1. **औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान (आईएमसी)** एमएसई की स्थापना की क्षमता रखने वाले परंपरागत/गैर परंपरागत उद्यमियों की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान (1 दिन की अवधि के) चलाए जाते हैं ताकि उन्हें स्व-रोजगार की ओर प्रेरित किया जा सके। ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में खासकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम संख्या में कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। दिसंबर 2010 तक 1,38,555 लोगों को प्रेरित करने के लिए 1720 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष कुल 2970 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनसे 2,97,000 व्यक्तियों को लाभ होगा।

2. **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)** उद्यमिता विकास कार्यक्रम युवाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के समय विचार करने योग्य विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करते हुए उनकी निहित क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक नियमित प्रशिक्षण कार्यकलाप के रूप में आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम सामान्यतः तकनीशियनों/कारीगरों के लिए उन्हें स्व-रोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ऐसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाते हैं ताकि उत्पाद/प्रक्रिया डिजाइन, शामिल होने वाले विनिर्माण व्यवहार, प्रशिक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण, उपयुक्त मशीनरी और उपस्करों के चयन और प्रयोग, परियोजना प्रोफाइल तैयार करने, विपणन स्थलों/तकनीकों, उत्पाद/सेवा मूल्य निर्धारण, निर्यात अवसरों, उपलब्ध आधारभूत संरचना, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों, नकद प्रवाह, आदि

के संबंध में उपयोगी सूचना प्रदान की जा सके। छात्रवृत्ति वाले कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और शारीरिक विकलांग प्रतिभागियों के लिए कोई शुल्क नहीं है, इसकी बजाय वे 125 रुपये प्रति सप्ताह की छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम संख्या में कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। दिसम्बर 2010 तक 264 कार्यक्रम 6284 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किए गए। इस वर्ष 12,525 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कुल 501 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

3. उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) एमएसई के कामगारों और तकनीशियनों में विद्यमान कौशल को उन्नत करने और नए कौशल उत्पन्न करने के लिए उनके लिए विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य एमएसई में लगे कुशल कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें उत्पादन के बेहतर और परिष्कृत प्रौद्योगिकीय कौशलों से सुसज्जित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम संख्या में कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्यों के सुदूरवर्ती भागों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों (अति पिछड़ा वर्ग, अनु.जा.,अनु.ज.जा.,अल्पसंख्यकों और महिलाओं) के कौशल विकास के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्ग हैं। इन कार्यक्रमों को 'आउटरीच कार्यक्रम' भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें ग्रामीण/कम विकसित क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। अब तक आयोजित कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, हर्बल कॉस्मेटिक्स, हाई फैशन गारमेंट्स, होजरी, खाद्य ओर फल प्रसंस्करण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर रखरखाव, साबुन व डिटर्जेंट, चर्म उत्पाद/नई वस्तुएं, घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरणों और इलेक्ट्रिकल सामानों की सर्विसिंग, जेम कटिंग व पॉलिशिंग, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, टूर

ऑपरेटर्स, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन, कैड/कैम आदि शामिल थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और शारीरिक विकलांग प्रतिभागियों के लिए कोई शुल्क नहीं है बल्कि वे 125 रुपये प्रति सप्ताह छात्रवृत्ति के पात्र हैं। दिसंबर, 2010 तक 48198 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1922 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इस वर्ष 70,225 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कुल 2809 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

4. प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमएपी): प्रबंधन विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने का मूल उद्देश्य निर्णय लेने में और उत्पादकता / लाभदायकता में सूलमउ को परिष्कृत करना है। भावी उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपने उद्यम स्थापित और संचालित कर सकें। नवंबर 2010 तक 310 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 7088 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस वर्ष 14,800 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कुल 592 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

5. व्यवसाय कौशल विकास कार्यक्रम (विशेष रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रम) व्यापार कौशल विकास कार्यक्रम नामक टेलर मेड पाठ्यक्रम चुनिंदा कारोबार स्कूलों/तकनीकी संस्थानों आदि के माध्यम से नए उदीयमान उद्यमियों के लिए आरंभ किए गए हैं। मुख्य रूप से कार्यक्रम स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए व्यापार स्कूलों/तकनीकी संस्थानों से विशेषतः शिक्षित बेरोजगारों को प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 3625 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 145 कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है।

6. जैवप्रौद्योगिकी संबंधी उद्यमिता – सह – कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) जैव प्रौद्योगिकी मानव एवं पशु स्वास्थ्य कल्याण, पादप एवं कृषि विज्ञान, खाद्य एवं पोषण, पर्यावरण, आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईएसडीपी के लिए टिश्यू कल्चर, जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों, मशरुम की खेती, ठोस कचरा प्रबंधन, आदि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 825 व्यक्तियो को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 33 कार्यक्रम संचालित किए जाने की संभावना है।

4.14.2 विश्वव्यापार संगठन संवेदी कार्यशालाः

विश्व व्यापार संघ तथा एमएसई के कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाले इसके विभिन्न करारों के संबंध में नवीनतम विकास के समन्वयन हेतु 1999 में एक पृथक डब्ल्यू टी ओ कक्ष सृजित किया गया था। इस कक्ष के व्यापक लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैंः-

(i) डब्ल्यू टी ओ में हाल ही के विकासों की जानकारी रखना;

(ii) डब्ल्यू टी ओ के विविध पहलुओं तथा लघु उद्यमों के लिए उनके संभावित निहित्तार्थ के बारे में उद्योग संघों तथा उनके स्टेकहोल्डरों को सूचना प्रसारित करना;

(iii) एमएसई के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के साथ समन्वयन;

(iv) डब्ल्यू टी ओ करारों के प्रावधानों के अनुरूप एमएसएमई के लिए नीतियां तैयार करना;

(v) जागरूकता उत्पन्न करने, क्षमता निर्माण तथा क्षेत्रीय अध्ययन आयोजित करने के लिए वर्कशाप/सेमिनार आयोजित करना।

4.14.3 अंतर-मंत्रालयी परामर्श प्रक्रिया के अंग के रूप में, कर रियायतों के विनिमय के लिए विभिन्न व्यापार समझौतों पर भी बातचीत के संदर्भ में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को सूचनाएं प्रदान की गई।

4.14.4 डब्ल्यूटीओ समझौतों और उसके निहितार्थों के बारे में एमएसएमई, एमएसएमई संघों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता सृजित करने की दृष्टि से एमएसएमई मंत्रालय वर्ष 2000 से देश भर में एक दिवसीय संवेदी कार्यशालाएं/संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। ऐसी 77 कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की गईं हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए इस प्रयास के एक अंग के रूप में डब्ल्यूटीओ संबंधी 9 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की

गईं जिनसे 665 उद्यमियों को लाभ हुआ और 5 लाख रुपये के बजट आबंटन में से 4.86 लाख रुपये का व्यय किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान आठ डब्ल्यूटीओ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 5 लाख रुपये का बजट प्रदान किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 25 लाख रुपये का कुल प्रावधान निर्धारित किया गया है।

4.14.5 उद्योग/उद्यम संघ के परामर्श से और उसकी वित्तीय भागीदारी के साथ उनका क्षमता निर्माण, डाटा बेस का सशक्तीकरण तथा परामर्श सेवाएंः यह महसूस किया गया है कि सूक्ष्म व लघु उद्यम संघों के पास निधियों की सीमित उपलब्धता और इस विषय में विशेषज्ञता के अभाव के कारण बाजार परिदृश्य में परिवर्तन से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने और उनकी व्याख्या करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। परिणामस्वरूप, उनके उत्पाद समूहों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर मतों की उनकी अभिव्यक्ति में काफी कसर रह जाती है। इस तथ्य के बावजूद कि एमएसई के संघों को एसएसआई बोर्ड और कुछ उत्पादों के विकास के लिए कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रमों की संचालन समितियों का सदस्य बनाया गया है, उनकी विद्यमान कमजोरियां उन्हें अपेक्षित भूमिका को प्रभावी रूप से निभाने से रोकती हैं। सरकारी सहायता प्राप्त योजनाओं जैसे सब-कांट्रेक्टिंग एक्सचेंजों की स्थापना, परीक्षण प्रयोगशालाओं, आदि की स्थापना में अपने सदस्यों के लिए मददगारों के रूप में अपनी भूमिका में भी, इन संघों की क्षमता में कमी पाई गई है।

4.14.6 चयनित संघों के लिए सचिवालयीन और परामर्शी/विस्तार सेवाओं तथा कार्यशालाएं/सेमिनार/सिम्पोजियम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो उनके आकार एवं पहुंच पर निर्भर करती है, जिससे उनकी भूमिका को सुदृढ़ बनाया जा सके और उनकी दक्षता में वृद्धि की जा सके। लाभार्थी संघ अपनी स्वयं की लागत पर नियमित श्रमशक्ति तथा कार्यालय स्थल उपलब्ध कराते हैं तथा साथ ही साथ उनकी सुविधाओं/उपस्करों की आधुनिकीकरण

लागत एवं उनके कार्मिकों की प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत भी स्वयं वहन करते हैं। इस संबंध में योजना की प्रगति सारणी 4.6 में दी गई है:-

तालिका 4.6 : योजना के तहत कवर किए गए उद्योग संघ

वर्ष	सचिवालीय/परामर्शी सहायता		सेमिनार/विचार गोष्ठियां/वर्कशाप	
	मामलों की संख्या	राशि (लाख रू.)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रू.)
2006-07	31	46.625	शून्य	शून्य
2007-08	31	75.75	16	8.50
2008-09	17	37.30	22	16.71
2009-10	12	31.84	12	11.24
2010-11*	7	11.26	9	10.97

* दिसम्बर, 2010 तक

4.14.7 विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय में अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमः

सूलमउ-विकास संस्थान भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र- के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश भर में फैले आधुनिक टूल रूम और विकास संस्थानों के माध्यम से टूल्स, मोल्ड, जिग, फिक्सचर, आदि तैयार करने के लिए प्रशिक्षण, विस्तार सेवा, सामान्य सुविधा कार्यशाला और हाई-टेक प्रौद्योगिकीय इनपुट तथा सुविधाएं प्रदान करते हुए नए और मौजूदा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को विकसित करने में संलिप्त है। इसमें सूलमउ क्षेत्र से संबंधित सभी व्यापारों के संबंध में उद्यमिता कौशल, प्रबंधन प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अधिकारी और स्टाफ हैं।

4.14.8 इसी पृष्ठभूमि में सूलमउ विकास संस्थानों के कर्मचारियों और अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनका निष्पादन सुधारने की अनवरत

आवश्यकता है। वर्ष 2010-11 के दौरान (31 दिसंबर 2010 तक), पूर्वोत्तर क्षेत्र और 3 महिला अधिकारियों समेत विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 123 अधिकारियों को भेजा गया। अब तक जारी संस्वीकृति की कुल राशि 72.36 लाख रुपये है।

4.14.9 1200 उद्यमी क्लब चलाने के लिए 5 चुनिंदा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को समर्थन की योजना

यह योजना उद्यमिता क्लब (उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर प्रदेश से प्रत्येक से एक) चलाने के लिए 5 चुनिंदा विश्वविद्यालयों को समर्थन प्रदान करने के लिए है। विश्वविद्यालयों तथा एमएसएमई-डीआई के उद्यमिता विशेषज्ञों को प्रौद्योगिकी, नवप्रर्वतन, विपणन, आदि के क्षेत्रों की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए एक सामान्य मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष 240 क्लब चलाने होंगे तथा प्रत्येक क्लब को 50 उद्यमियों को सदस्यता देनी होगी। वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग 630 क्लबों के निर्माण के लिए 150 लाख रुपये का बजट प्रावधान है, जिनसे 31,500 एमएसई को लाभ होगा।

4.14.10 निर्यात संवर्धनः निर्यात हेतु पैकेजिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम

लघु उद्योग उद्यमियों को पैकेजिंग की वैज्ञानिक तकनीकों, पैकिंग प्रौद्योगिकी के नवीनतम डिजाइन तथा उनके पैकेजिंग मानकों में सुधार लाने के बारे में शिक्षित करने के लिए और विपणन में पैकेजिंग के महत्व पर जोर डालने के लिए, यह कार्यालय भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), मुंबई के सहयोग से अपने फील्ड कार्यालयों यानी एमएसएमई-विकास संस्थानों के माध्यम से एमएसएमई के लिए निर्यात हेतु पैकेजिंग संबंधी विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। 2009-10 में, तीन दिनों की अवधि के लिए 25 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 798 उद्यमियों को लाभ हुआ। 2010-11 के दौरान पैकेजिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 15 लाख रुपये का बजट प्रदान किया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए महिलाओं, अनुसूचित

जाति व जनजाति तथा शारीरिक विकलांग भागीदारों को भागीदारी शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

4.15 अनुषंगीकरण के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)

एमएसई तथा बड़े सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों को परस्पर संपर्क के लिए एक सामान्य मंच उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्रेता संगठनों की उभरती मांगों को पहचानने तथा साथ ही एमएसई और उनके औद्योगिक उद्यमों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए सूलमउ विकास संस्थानों द्वारा देश के प्रत्येक कोने में विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, रक्षा, रेलवे तथा अन्य क्षेत्रों सहित कई क्रेता संगठनों की ऐसे उत्पादों के देशीकरण की जो पहले उंची लागतों पर आयात किए जा रहे थे, की मांग को पूरा करने में सक्षम उपयुक्त उद्यमियों को तलाशने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। सूलमउ विकास संस्थानों द्वारा दो प्रकार के वीडीपी आयोजित किए जाते हैं-राष्ट्रीय स्तर के वीडीपी-सह-प्रदर्शनियां एवं राज्य स्तरीय वीडीपी।

4.16 सूलमउ एमडीए योजनाः विदेशी अंतराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय सूलमउ इंडिया स्टॉल के तहत व्यापार मेलों में भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एमएसई के प्रदर्शन तथा उनके उत्पादों के प्रदर्शनि के जरिए उनके लिए संभावित निर्यात अवसर तलाश करने के लिए विपणन विकास सहायता योजना के तहत अवसर उपलब्ध कराता रहा है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान विकास आयुक्त कार्यालय ने 15 व्यापार मेलों में भागीदारी करने की योजना बनाई है, जिसमें सूलमउ इंडिया स्टॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी के लिए 131 एमएसई को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। दिसम्बर तक इस कार्यालय ने निम्नोक्त 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया है और 107 से अधिक एमएसई को निर्यात

एवं विपणन अवसर उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से 38 एमएसएमई क्रमशः महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति उद्यमियों के स्वामित्व में हैं।

सारणी 4.7: विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

क्र.सं.	दिनांक	समारोह
1.	15-19 अप्रैल 2010	चीन आयात व निर्यात मेला (कैंटोन फेयर), चीन
2.	19-23 अप्रैल 2010	हैनोवर मेसे 2010 में इंडिया पैविलियन
3.	8-12 सितंबर 2010	बुडापेस्ट इंटरनेशनल फेयर, बुडापेस्ट, हंगरी
4.	9-13 सितंबर 2010	इंटरगिफ्ट, मैड्रिड, स्पेन
5.	4-8 अक्टूबर 2010	इंडी 2010, बोगोटा, कोलंबिया
6.	25-28 नवंबर 2010	मैकटेक 2010, काहिरा, मिस्र में इंडिया पैविलियन
7.	1-4 दिसंबर 2010	यूरोमोल्ड 2010, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में इंडिया पैविलियन
8.	4-12 दिसंबर 2010	एएफएल-आर्टिजियानो, मिलान, इटली

श्री दिनशा पटेल तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2010, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में सूलमउ एक्सपो का उद्घाटन करते हुए। साथ में उपस्थित हैं श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव (सूलमउ) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण

4.17 बार कोडिंग

एमएसई-एमडीए योजना में सूक्ष्म व लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा बार कोड के इस्तेमाल के लिए जीएस1 इंडिया को भुगतान किए जाने वाले जनवरी 2002 से एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और जून 2007 से वार्षिक आवर्ती व्यय (पहले तीन वर्षों के लिए) के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। वर्ष 2010-11 के लिए दिसंबर 2010 तक एकमुश्त पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए 68 एमएसई को 13.89 लाख रू. की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

4.18 लघु उद्यम नेटवर्क (सीनेट)

4.18.1 इस परियोजना का उद्देश्य लघु उद्योगों सहित लघु उद्यम क्षेत्र और उद्योग संबंधी सेवा व व्यावसायिक कार्यकलापों की सूचना संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रानिक (कंप्यूटर) सूचना व संसाधन केंद्र नेटवर्क स्थापित करना था। लघु उद्यम नेटवर्क - सीनेट नामक लघु उद्यमों संबंधी एक सूचना नेटवर्क स्थापित करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। ग्यारहवीं योजना के दौरान सीनेट के तहत मोटे तौर निम्नलिखित मुख्य कार्यकलाप शामिल हैंः-

(i) कंप्यूटरों, सर्वर, प्रिंटर, यूपीएस, नेटवर्किंग उपकरणों, फेसिलिटी प्रबंधन, लीस लाइन/ब्रॉड बैंड कनेक्शन आदि का रखरखाव, मुख्यालय और उसके तीस क्षेत्रीय सूलमउ-विकास संस्थानों में उपलब्ध कंप्यूटरों का उन्नयन/प्रतिस्थापन,

(ii) विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय की वेबसाइट, 30 सूलमउ विकास संस्थानों (जिन्हें पहले एसआईएसआई कहा जाता था) की वेबसाइट का रखरखाव, निर्माण भवन, एजीसीआर बिल्डिंग और सूलमउ विकास संस्थानों, आदि में लीज लाइनों/ब्रॉडबैंड के द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान करना।

(iii) सीनेट योजनाएं संघों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच एक संचार संपर्क भी प्रदान करता है।

4.19 राष्ट्रीय पुरस्कार

सूलमउ के प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के तहत चुनिंदा उद्यमियों और उद्यमों को वार्षिक रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों जैसे 1. अनुसंधान व विकास प्रयासों 2. उद्यमिता व 3. गुणवत्ता उत्पादों के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमशः 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए चयन एमएसएमई के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए एक निध ाारित मानदंड के आधार पर किए जाते हैं। उद्यमियों को पुरस्कारों के अलावा, बैंकों को भी एमएसई को ऋण देने में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं।

इस योजना के तहत, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, भारत की राष्ट्रपति विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 31 अगस्त, 2010 को सूलमउ राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में पारम्परिक दीप जलाकर उद्घाटन करते हुए

4.19.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सूलमउ) में अनुसंधान एवं विकास प्रयास

सूलमउ क्षेत्र में गुणात्मक विकास के बृहद हित को ध्यान मे रखते हुए इन हाऊस आर एंड डी प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा इस भावना को बढ़ाने के लिए ''सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार'' नामक एक राष्ट्रीय पुरस्कार योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत दो पुरस्कार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा मध्यम उद्यमों, प्रत्येक को एक-एक, ऐसे सुपात्र पंजीकृत सूलमउ को प्रदान किया जाता है, जो गत 3 वर्षो से लगातार उत्पादन कर रहे हों। इस प्रथम और द्वितीय पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और ट्रॉफी के अलावा क्रमशः 1,00,000/-रूपये तथा 75,000/-रूपये की नकद धनराशि दी जाती है। एमएसई के लिए प्रथम और द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उद्यमियों को प्रदान किए गए। विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में भारत की राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार वितरित किए।

पात्र सूलमउ को 20,000 रुपये नकद, एक प्रमाणपत्र और एक ट्राफी के रूप में एक विशेष मान्यता पुरस्कार दिया जाता है।

4.19.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सूलमउ) में उत्कृष्ट उद्यमिता प्रयास

इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में लगे सूलमउ को तीन पुरस्कार तथा सेवाएं प्रदान करने वाले सूलमउ के लिए दो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एक ट्रॉफी तथा एक प्रमाण पत्र के अलावा प्रथम पुरस्कार में 1,00,000/-रू. की धनराशि तथा द्वितीय और तृतीय पुरस्कार में क्रमशः 75,000/-रू तथा 50,000/-रू की धनराशि प्रदान की जाती है। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार के बराबर उत्कृष्ट महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति/जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमी को विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2009 के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यमों हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय राष्ट्रीय पुरस्कार क्रमशः आंध्र प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश के उद्यमियों को दिए गए। महिला उद्यमी श्रेणी के तहत केरल की महिला उद्यमी को विशेष पुरस्कार दिया गया और अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी का

विशेष पुरस्कार गुजरात के उद्यमी को दिया गया। असम के उद्यमी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। मध्यम उद्यमों के लिए प्रथम और द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कार क्रमशः पंजाब और महाराष्ट्र के उद्यमी को दिया गया। सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम व द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कार क्रमशः राजस्थान और कर्नाटक के उद्यमियों को दिया गया।

इस श्रेणी में 61 उद्यमियों/उद्यमों को विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

4.19.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में गुणवत्ता उत्पाद

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में गुणवत्ता उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अधीन प्रतिवर्ष कुछ उत्पादों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना जाता है। चुनिंदा उत्पादों की प्रत्येक श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक ट्राफी, एक प्रमाण-पत्र तथा 1,00,000/- रू. (एक लाख रूपये) नकद राशि के रूप में दिए जाते हैं। पात्र सूलमउ को 20,000/- रू. प्रत्येक की नकद राशि, एक प्रमाण पत्र तथा एक ट्रॉफी के रूप में विशेष मान्यता पुरस्कार दिए जाते हैं।

गुणवत्ता उत्पाद 2009 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 10 उत्पादों के लिए पात्र उद्यमियों को दिए गएः-

1. निट वियर
2. इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर
3. लाइटिंग फिक्सचर
4. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी
5. हॉस्पिटल फर्नीचर
6. फल व सब्जी प्रसंस्कृत उत्पाद
7. सिरेमिक सेनिटरी वेयर
8. प्लास्टिक ऑटो कंपोनेंट्स
9. एड्हेसिव
10. महिलाओं व पुरुषों के लेदर फुटवियर

9 उद्यमियों/उद्यमों को विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किए गए।

1.1.4 एमएसई लेंडिंग में उत्कृष्टता तथा सूक्ष्म उद्यमों को लेंडिंग में उत्कृष्टता के लिए बैंकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

एमएसई क्षेत्र को क्रेडिट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए बैंकों

को प्रोत्साहित करने के उधेश्य से, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्त-पोषित करने में उनके उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देने के लिए बैंकों को एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।

4.19.5 ये पुरस्कार खादी व कॅयर क्षेत्र से संबंधित उद्यमियों को भी दिए जाते हैं।

4.19.6 अगस्त, 2010 माह में दिए गए वर्ष 2009 के लिए पुरस्कार विजेताओं की सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in और विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय की वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है।

4.20 विज्ञापन एवं प्रचार

4.20.1 वर्ष (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान, 1375 से अधिक विज्ञापन जारी किए गए थे।

4.21 लघु उद्योग समाचार और अन्य प्रकाशन

सूलमउ के लिए हिंदी और अंग्रेजी में एक त्रैमासिक पत्रिका लघु उद्योग समाचार, संभाव्य और विद्यमान उद्यमियों के वृहद लाभार्थ उपयोगी एवं अद्यतन सूचना का प्रचार प्रसार कर रही है। लघु उद्योग समाचार सूलमउ के लिए मुद्रण रूप में एक महत्वपूर्ण विंडो है जो सूलमउ के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले अनेकानेक विषयों अद्यतन सूचना पर पहुंच को सुलभ बनाता है। यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में तथा इसके साथ साथ विभिन्न आदेशों, परिपत्रों, गजट, अधिसूचनाओं इत्यादि के बारे में जागरूकता सृजित करने में मदद करता है। यह क्षेत्रीय गतिविधियों के बारे में भी उपयोगी सूचना उपलबध कराता है तथा सूलमउ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर लेखों के अलावा सांख्यिकीय और आर्थिक सूचनाएं भी संकलित रखता है।

4.22 सूचना एवं सुविधा पटल (आईएफसी)

निर्माण भवन में स्थित सूचना एवं सुविधा पटल (आईएफसी) सूलमउ मंत्रालय और इसके संगठनों के लिए नोडल कार्यालय है। यह सूलमउ मंत्रालय और इसके संगठनों की सेवाओं एवं गतिविधियों से संबंधित सूचना तक जनसामान्य को त्वरित एवं सुलभ पहुंच उपलब्ध कराता है। आई एफ सी द्वारा उद्यमियों को महत्वपूर्ण ब्रोशर्स, पैम्फ्लेटस, पुस्तकों की प्रतियां भी उपलब्ध

कराई जाती हैं। आईएफसी की अन्य गतिविविधियां निम्नोक्त हैं:-

(i) कोई उद्यम कैसे शुरू किया जाए, इस बारे में परामर्श, मार्गदर्शन एवं सूचना उपलब्ध कराना;

(ii) तकनीकी योजनाओं, परियोजना रिपोर्ट तथा सूलमउ मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरों पर सूचना प्रसार;

(iii) सूलमउ से संबंधित नीतियों तथा सूलमउ के संवर्द्धन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराना।

(iv) ज्ञापन फाइल करने संबंधी सूचना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्य अनेक प्रावधानों के संबंध में सूचना तथा सरकार की ऋण नीतियों के संबंध में सूचना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित आंकड़ें, एमएसएमई संबंधी तकनीकी और विपणन पहलुओं तथा सूलमउ में आरक्षण/अनारक्षण, इत्यादि संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना;

आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन स्वीकार करने तथा फिर उन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय के संबंधित प्रभाग/अनुभागों को अग्रेषित करने के लिए आईएफसी नोडल कार्यालय है।

4.23 सूलमउ पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण

विकास आयुक्त (सूलमउ) का कार्यालय, निर्माण भवन में अपने मुख्यालय तथा इसके क्षेत्र संस्थानों में पुस्तकालयों का रख-रखाव कर रहा है। ये पुस्तकालय इस क्षेत्र में सूचना का प्रमुख स्रोत हैं और सूलमउ के विकास हेतु अपेक्षित तकनीकी सूचना उपलब्ध कराने के उधेश्य से इनका रख-रखाव किया गया है। इन पुस्तकालयों में सूलमउ क्षेत्र की तकनीकी पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोर्टें, परियोजना रूपरेखाएं तथा सांख्यिकीय सर्वेक्षणों एवं अन्य संबंधित सरकारी प्रकाशनों की प्रतियां इत्यादि एकत्र की गई हैं। इन पुस्तकालयों को प्रयोक्ताओं के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए कम्प्यूटरों, फोटोस्टेट मशीनों, इन्टरनेट कनेक्टिविटी, आदि से भी लैस किया जा रहा है।

4.24 सूलमउ के आंकड़ों का संग्रहणः

4.24.1 विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय का सांख्यिकी और डाटाबेस बैंक प्रभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में सांख्यिकी का सग्रहण नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सूलमउ की संख्या, रोजगार, नियत निवेश और उत्पादन जैसे विभिन्न आर्थिक मानकों पर सांख्यिकीय सूचना एकत्र करता, संकलित करता एवं प्रसारित करता है। संगणना, तथा नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर उपरोक्त आर्थिक मानकों का समय श्रृंखलाबद्ध अनुमानों का प्रयोग नीति निरूपण एवं योजना बनाने हेतु किया जाता है।

4.24.2 योजना का आरंभ 1975 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किया गया था, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी सांख्यिकीय डाटा/सूचना के एकत्रण, संग्रहण, और प्रसार जैसे कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग निदेशालयों तथा जिला उद्योग केन्द्रों डीआईसी को जनशक्ति तथा कम्प्यूटर और पेरिफेरल्स के तौर पर आधारभूत सरंचना संबंधी व्यवस्था करना है। गणना का आयोजन, नमूना सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संग्रहण डाटा, थोक मूल्य सूचकांक डाटा।

MSME
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

5 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन माननीय सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खादी ग्रामोद्योग सहकारी संघ, नडियाड़, गुजरात में चरखे वितरित करते हुए

अध्याय V

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

5.1 भूमिका

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में एक सांविधिक संगठन है, जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम (1956 के 61वें) द्वारा हुई। इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के विकास एवं संवर्धन के लिए योजना बनाना, उनको विकसित करना और संगठित करना है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के निवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रित तौर पर गैर-कृषि रोजगार सृजन के अवसरों के निर्माण में इसे सबसे बड़े संगठन के रूप में जाना जाता है। इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/ स्व.रोजगार के अवसरों के सृजन की प्रक्रिया के साथ-साथ कौशल निर्माण, तकनीकी हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास, विपणन आदि कार्यो में सहायता करना है।

5.2 प्रमुख उद्देश्य

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य;
- बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य; और
- लोगो में आत्म-निर्भरता के सृजन का वृहद उद्देश्य एवं एक सशक्त ग्रामीण समुदाय की भावना का निर्माण करना।

5.3 कार्य

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 61) तथा उसमें निर्दिष्ट नियमों के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

(i) खादी और ग्रामोद्योगों में लगे व्यक्तियों अथवा इन उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु योजना तैयार करना और प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ii) संबंधित अभिकरणों को उचित दर पर कच्चे माल की आपूर्ति करना।

(iii) गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए सार्वजनिक सेवा सुविधाएं प्रदान करना।

(iv) खादी और ग्रामोद्योग एवं हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देना।

(v) खादी और ग्रामोद्योग में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी के अनुसंधान का संवर्धन और प्रोत्साहन करना।

(vi) खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र की समस्याओं का प्रत्यक्ष तौर पर अथवा किसी अन्य अभिकरणों के मार्फत अध्ययन कराना।

(vii) खादी और ग्रामोद्योग से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें डिजाइन, प्रोटोटाईप तथा अन्य तकनीकी जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

(viii) अनुसंधानों अथवा पायलट परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अथवा विशेष अभिकरणों के माध्यम से शुरु करना।

(ix) खादी के निर्माताओं एवं ग्रामोद्योग से जुड़े व्यक्तियों के मध्य सहकारिता के प्रयासों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देना।

(x) निर्धारित मापदंडों के आधार पर खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की विश्वसनीयता और वास्तविकता को सुनिश्चित करना।

5.4 संगठनात्मक ढाँचा

5.4.1 खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करता है। आयोग का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके 6 आंचलिक कार्यालय नई दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, बैंगलुरू, मुंबई एवं गुवाहाटी स्थानों पर स्थापित है। इसके अलावा देश भर में फैले कुल 36 राज्य मंडलीय कार्यालयों के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग निदेशालयों के अलावा प्रशिक्षण, विपणन, वित्त, अर्थ अनुसंधान, लेखा, प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि निदेशालय, कार्यों के समन्वय के उद्देश्य से गठित किये गये हैं।

5.4.2 आयोग 38 विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केद्रों तथा कई संबद्ध प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण क्रियाकलापों को संचालित कर रहा है। इसी तरह विपणन के मामले में अपने 12 विभागीय और देश के विभिन्न भागों में स्थित खादी ग्रामोद्योग भवनों/वस्त्रागारों के

माध्यम से बाजार-संवर्धन का कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत 7050 संस्थाएं/फुटकर बिक्री केंद्र देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। अपने 6 केंद्रीय पूनी संयत्रों के माध्यम से केवीआईसी खादी संस्थाओं को उच्च कोटि का कच्चा माल आपूर्ति कर रहा है।

5.5.1 कार्यान्वयी अभिकरण

खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 33 राज्य/संघ-शासित खा. ग्रा. मंडलों, 5000 पंजीकृत संस्थाओं, 30,129 सहकारी समितियों तथा बैंक/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। खादी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से, जो केवीआईसी अथवा राज्य या सं.शा. खा. ग्रा.बो. से संबद्ध है, किया जाता है। ग्रामोद्योग के मामले में, केवीआईसी वर्ष 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका) कार्यान्वित कर रहा है जिसमें तत्कालीन ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से अधिक सब्सिडी उद्यमियों को दी जाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग नोडल अभिकरण के रूप में पारंपरिक उद्योगों के पुर्नसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत ग्रामोद्योग और खादी के पारंपरिक उद्योगों में क्लस्टर विकास गतिविधियों का भी कार्यान्वयन करता है।

5.6 उद्योगों का समूहन

5.6.1 खादी कार्यक्रम के अंतर्गत हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए सूती, ऊनी, मस्लिन और सिल्क के विभिन्न उत्पाद शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को 7 विस्तृत समूहों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं.

i) खनिज आधारित उद्योग
ii) वन आधारित उद्योग
iii) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
iv) बहुलक और रसायन आधारित उद्योग
v) ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं जैव. प्रौद्योगिकी उद्योग
vi) हस्त निर्मित कागज एवं रेशा उद्योग
vii) सेवा उद्योग

5.6.2 नकारात्मक सूची –

उद्योग जो मांस (बुचड़) जैसे, मांस का प्रसंस्करण, डिब्बा-बंद तथा/अथवा इससे जुड़ी सेवाएं, मादक पदार्थों का उत्पादन/विनिर्माण अथवा बिक्री जैसे, बीड़ी/पान/सिगरेट/सिगार आदि, अन्य कोई होटल अथवा ढाबा या बिक्री केन्द्र, जहां मदिरा परोसी जाती हो, कच्चे माल के रूप में तंबाकू का उत्पादन/विनिर्माण, ताड़ी का एकत्रण, पॉलिथिन के बैगों या थैलों का

निर्माण, जो 20 माइक्रॉन से कम मोटाई के हों, या भोजन-सामग्री के भंडारणए लाने-ले-जाने हेतु अथवा रखने, संवितरण या पैकेजिंग हेतु पुनःचक्रित प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग किया जाता हो, ऐसे किसी भी प्रकार के उद्योगों को खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के तहत सहायता प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि ये सभी पर्यावरण अनुकूल नहीं हैं और महात्मा गांधी जी के विचारों एवं लोकाचार के विरूद्ध हैं।

5.7 खाग्राआ को बजटीय सहायता

5.7.1 केन्द्र सरकारए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से योजना तथा योजनेतर शीर्ष, दोनों के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि प्रदान करती है। यह निधियां अनुदान के रुप में प्रदान की जाती है एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसे कार्यान्वयी अभिकरणों जैसे कि राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं, राज्य सरकार के सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों और वैयक्तिक उद्यमियों को पुनःआबंटित करता है। आयोग के प्रशासनिक व्यय में पेंशन का भुगतान भी शामिल है, जो योजनेत्तर सरकारी बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

5.7.2 बजटीय स्रोत से विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई निधि (दोनों योजनागत और योजनेत्तर) का विवरण, तथा जिसे वर्ष 2010-11 के बजट आंकलन में चिह्नित किया गया है, उसका विवरण निम्नानुसार है-

तलिका 5.1: खाग्राआ को बजटीय सहायता

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन (आवर्ती व्यय)		जारी निधि	
	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत*	योजनेत्तर
2007-08	650.40	84.82	622.99	82.80
2008-09	1104.95	107.63	1104.94	107.62
2009-10	919.20	192.41	836.00	192.38
2010-11*	1524.41	155.60	1013.21@	132.58@

* स्फूर्ति को मिलाकर दिसंबर 2009 तक

@ 31 दिसंबर 2010 की स्थिति में।

5.8 वास्तविक कार्यनिष्पादन

5.8.1 अर्थ-व्यवस्था में भारी मंदी के बावजूद खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र ने वर्ष 2009-10 में इसके पिछले वर्ष के मुकाबले 5% की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादन (दिसंबर 2010 तक) आंकलन अनुसार रु.12828.04 करोड़ (खादी - रु.510.91 करोड़ और ग्रामोद्योग - रु.12317.13 करोड़) रहा, जो पिछले वर्ष 2009-10 में रु.12215.05 (खादी - रु.484.45 करोड़ और ग्रामोद्योग - रु.11730.60 करोड) था। इसी प्रकार, खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री भी दिसंबर 2010 तक में रु.16,652.33 (खादी - रु.784.63 करोड़ और ग्रामोद्योग - रु.15868.70 करोड़) रही जो विगत वर्ष दिसंबर 2009 की स्थिति में रु.15733.03 करोड़ (खादी - रु.762.55 करोड़ और ग्रामोद्योग - रु.14970.48 करोड़) थी।

5.8.2 खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में कुल संचित रोजगार आंकलन के अनुसार दिसंबर 2010 के अंत तक 111.19 लाख (खादी में 10.01 लाख और ग्रामोद्योग में 101.18 लाख) दर्ज किया गया है, जो दिसंबर 2009 के अंत तक 104.96 लाख (खादी में 9.77 लाख और ग्रामोद्योग में 95.19 लाख) था।

5.8.3 उत्पादन, बिक्री और रोजगार के मामले में विगत तीन वर्षों तथा वर्ष 2010-11 के कार्यनिष्पादन की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

वर्ष	उत्पादन (मूल्य रु.करोड़ में)		बिक्री (मूल्य रु.करोड़ में)		संचयी रोजगार (लाख व्यक्ति)	
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007-08	543.39	16134.32	724.39	20819.09	9.16	90.11
2008-09	585.25	16753.62	799.60	21948.59	9.50	94.41
2009-10	628.98	17508.00	867.01	23254.53	9.81	98.72
2010-11*	510.91	12317.13	784.63	15868.70	10.01	101.18

*दिसंबर 2010 तक।

5.9 खाग्राआ द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं

5.9.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका):

मंत्रालय द्वारा पूर्व में दो क्रेडिट आधारित योजनाएं, नामतः प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (ग्रारोसृका) क्रमशः अक्तूबर 1993 और अप्रैल 1995 से संचालित की जा रही थीं। मार्च 2008 के अंत तक मंत्रालय प्रमंरोयो के माध्यम से 49.44 लाख तथा ग्रारोसृका के अंतर्गत 46.62 लाख का अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में सफल हो पाया था।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पात्रता और मापदंडों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण लाभार्थियों के समरूप लक्ष्य समूह को देखते हुए, ग्रारोसृका की अपेक्षा प्रमंरोयों की कम वसूली दर को दृष्टिगत करते हुए तथा कई राज्यों द्वारा रोजगार सृजन की वर्तमान योजनाओं के संचालन की वजह से, जो अधिक आकर्षक लाभकारी/ सहायक/ हस्तक्षेपीय थीं, जैसे बांग्ला स्वनिर्भर कर्मा संस्थान प्रकल्प (पश्चिम बंगाल); श्री बाजपेयी बैंकेबल योजना

श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमईजीपी कार्यशाला में संबोधित करते हुए

(गुजरात); मुख्यमंत्री रोजगार योजना (उत्तर प्रदेश), आदि, यह निर्णय लिया गया था कि उक्त दोनों योजनाओं को वर्ष 2008-09 से समाप्त कर दिया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का एक साथ विलय कर मंत्रालय ने एक नयी क्रेडिट योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका) का शुभारंभ किया, जिसमें प्रमंरोयो और ग्रारोसृका की तरह उच्च सब्सिडी स्तर को समाहित किया गया है। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। प्रमंरोसृका का विस्तृत विवरण अध्याय-X में दिया गया है।

5.9.2 खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड योजनाः

कत्तिनों और बुनकरों के सतत् विकास एवं उनको सशक्त बनाने, उनकी आय में बढ़ोतरी करने तथा उन्हे कार्य करने का बेहतर वातावरण प्रदान करते हुए कताई और बुनाई का कार्य कुशलता पूर्वक निष्पादन करने हेतु 'खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड योजना' को वर्ष 2008-09 से खाग्राआ के माध्यम से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता गरीबी रेखा से नीचे से संबंधित खादी कारीगरों को वर्कशेड के निर्माण के लिए उन खादी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ये खादी कारीगर जुडे हुए हैं एवं सहायता की मात्रा निम्नप्रकार हैः

घटक	प्रति इकाई क्षेत्र	सहायता की धनराशि
व्यक्तिगत वर्कशेड	20 वर्गमीटर (अनुमानतः)	रु.25,000/- या वर्कशेड के लागत का 75%, जो भी कम हो
सामूहिक वर्कशेड (कम से कम 5 अथवा अधिक से अधिक 15 खादी कारीगरों के समूह के लिए)	15 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी (अनुमानतः)	समूह में रु. 15,000/- प्रति कारीगर अथवा सामूहिक वर्कशेड की कुल लागत का 75%, जो भी कम हो।

इस योजना के अंतर्गत 38,000 से भी अधिक वर्कशेड निर्माण करना अपेक्षित है, जिसकी कुल अनुमानित लागत रु.127.00 करोड़ होगी, जिसमें से खाग्राआ को रु.95.00 करोड़ के अनुदान की वित्तीय सहायता भारत सरकार के बजटीय स्रोत के

रूप में शामिल है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान 5,951 खादी कारीगरों को उनके वर्कशेड के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2010-11 के दौरान 10,000 वर्कशेड के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष दिसंबर 2010 तक कारीगरों के लिए 6,792 वर्कशेड का निर्माण किया जा चुका है।

5.9.3 खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादन-क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की योजनाः

खादी को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हुए इसे बाजारोन्मुखी, लाभदायक, ज्यादा उत्पादनशील तथा खादी कारीगरों हेतु सतत् रोजगार का साधन बनाने और इसके साथ ही साथ पुरानी पड़ चुकी और अप्रचलित मशीनों और उपकरणों को प्रतिस्थापित करने तथा वर्तमान में उपयोग में लाये जाने वाली मशीनों और उपकरणों का नवीकरण करने के लिए 'खादी उद्योग व कारीगरों की उत्पादनक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि की योजना' का प्रारंभ जुलाई 2008 में किया गया है। यह योजना व्यापक रूप से 'ए+' तथा 'ए' श्रेणी की 200 खादी संस्थाओं को, जो केबीआईसी/केवीआईबी से संबद्ध हैं, कुल रु.84.00 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें से 50 संस्थाएं ऐसी होंगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों द्वारा संचालित होंगी। इस वित्तीय सहायता में रु.71.14 करोड़ केबीआईसी को भारत सरकार से बजटीय स्रोत के तहत वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। वर्ष 2010-11 के लिए चिह्नित किए 59 खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिसंबर 2010 तक 09 संस्थाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

5.9.4 मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं का अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण एवं विपणन की आधारभूत संरचना हेतु सहायता की योजनाः

खादी क्षेत्र की आवश्यकता-आधारित जरूरतों की पूर्ति हेतु तथा बीमार संस्थाओं, विशेषकर 'डी' श्रेणी की संस्थाओं को, जिनका उत्पादन, बिक्री और रोजगार कम हो रहा है लेकिन उनमें सामान्य रूप से कार्य करने की क्षमता है और अन्य चिन्हित बिक्री भंडारों में विपणन अवस्थापन सृजन संबंधी सहायता के लिए "मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं का अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण एवं विपणन की आधारभूत संरचना हेतु सहायता की योजना" तैयार की गयी है। इस योजना

के अंतर्गत लगभग 100 कमजोर खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिससे कि उनके आधारभूत संरचना को मजबूत करने तथा 30 चिन्हित खादी बिक्री केन्द्रों (केवीआईसी के 4, केबीआईसी के 6 तथा खादी संस्थाओं के 20 बिक्री केन्द्र) को नवीकृत किया गया। इस योजना के अंतर्गत कमजोर खादी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु अधिकतम सहायता राशि रु.10 लाख है, जिसमें रु.3.00 लाख पूँजीगत खर्च तथा रु.7.00 लाख कार्यशील पूँजी के रूप में है। केवीआईसी के विभागीय बिक्री केन्द्रों के लिए नवीकरण हेतु सहायता की अधिकतम राशि की सीमा रु.25 लाख है, राज्य केबीआईबी के विभागीय बिक्री केन्द्रों के लिए रु.21.25 लाख, महानगरों में स्थित संस्थागत बिक्री केन्द्रों के लिए रु.18.75 लाख तथा अन्य नगरों में स्थित बिक्री केन्द्रों के लिए रु.15 लाख हैं। यह अनुमान है कि इस योजना के कार्यान्वयन के उपरान्त खादी क्षेत्र के उत्पादन, बिक्री और रोजगार स्तर में काफी वृद्धि होगी।

5.9.5 खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी):

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने एशियन डैवलपमेंट बैंक (एडीबी) के साथ तीन वर्षों की अवधि में 150 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि की वित्तीय सहायता हेतु समझौता करार किया है, जिसके तहत एडीबी के परामर्श में केवीआईसी द्वारा खादी सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा। इस सुधार पैकेज के अंतर्गत यह प्रस्तावित है कि खादी की निरंतरता को बनाए रखने, कारीगरों की आय एवं उनके लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करना, कारीगरों के लिए अपनाए जाने वाले कल्याणकारी उपायों में वृद्धि करना और केवीआईसी को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए सरकारी अनुदान से इसकी निर्भरता को धीरे से कम करना। प्रारंभिक तौर पर इस योजना का कार्यान्वयन 300 खादी संस्थाओं में किया जाएगा जो क्षेत्रीय संतुलन और भौगोलिक विस्तार तथा पिछड़े क्षेत्रों के समावेश के आधार पर होगा। इसके कार्यान्वयन हेतु सहायता राशि की पहली किश्त रू.96 करोड़ केवीआईसी को प्राप्त हो चुकी है।

5.9.6 ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण ापत्र (आईसेक) योजनाः

ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना को खादी कार्यक्रमों हेतु खादी संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सबसे बड़े स्रोत के रूप में माना जाता है। इसे वर्ष 1977 में प्रारंभ किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य बजटीय स्रोतों से निधियों की वास्तविक आवश्यकता तथा उपलब्धता के बीच अंतराल को भरने के लिए बैंकिंग संस्थानों से निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करना है।

संस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) योजना के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के साथ. साथ कार्यशील पूंजी 4% वार्षिक ब्याज की किफायती दर पर दी जाती है। खादी और ग्रामाद्योग आयोग बैंकों द्वारा प्रभारित वास्तविक ब्याज व 4% के बीच के अंतर को वहन करता है। इस उद्देश्य हेतु भारत सरकार द्वारा फंड खादी अनुदान शीर्ष के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अग्रणी बैंको के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

आईसेक योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्ति हेतु वे संस्थाएं पात्र हैं जो केवीआईसी/राज्य केवीआईसी से पंजीकृत है। प्रारंभ में पूरे खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था। ग्रामोद्योगों हेतु वर्ष 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के लागू होने तथा वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रारंभ के साथ, अब यह योजना केवल खादी और पॉलिवस्त्र क्षेत्र के लिए ही लागू है। दिनांक 31 मार्च 1995 के पूर्व स्थापित ग्रामोद्योगी इकाईयों को वास्तविक रूप में उपयोग की गई बैंक वित्त राशि के लिए यह सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है, बशर्ते कि वे पूरी तरह से चल रही हों, तथा ग्रामोद्योगी अनुदान शीर्ष के अधीन इस उद्देश्य के लिए निधि उपलब्ध करायी गयी हो।

योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2010-11 में संस्थाओं के ऋण प्रवाह को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3 आईसेक योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह

(रु.करोड़ में)

वर्ष	खादी व पॉलिवस्त्र संस्थाओं को ऋण प्रवाह	केवीआईसी द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी
2007-08	226.12	17.61
2008-09	244.85	27.54
2009-10	279.02	25.00
2010-11*	262.00	24.56

*दिसंबर 2010 तक।

5.9.7 विपणन विकास सहायता (एमडीए)

खादी और पॉलिवस्त्र की बिक्री के संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से मौसमी बिक्री पर रिबेट के तौर पर सब्सिडी प्रदान करता रहा है, जिसे ग्राहकों को दिया जाता है। लेकिन यह पाया गया कि कारीगरों को, जो खादी गतिविधियों की रीढ़ हैं, इससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ और गुणवत्ता डिजाइन की कमी तथा खादी बिक्री केन्द्रों के आकर्षक नहीं होने की वजह से एवं अपर्याप्त विपणन सहायता के कारण ग्राहकों को आकर्षित करने में असक्षम रहे हैं। इन कमियों को दर करने की दृष्टि से केवीआईसी द्वारा एक लचीली, वृद्धिकारक और कारीगर केंद्रित ''विपण ान विकास सहायता'' (एमडीए) योजना को रिबेट योजना के स्थान पर विगत दिनांक 01 अप्रैल 2010 से जारी किया गया है, जो ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसकी कुल अनुमानित लागत रु.345.05 करोड़ है, जो वर्ष 2010-11 के लिए रु.159.65 करोड़ और वर्ष 2011-12 के लिए रु.185.40 करोड़ निर्धारित किया गया है। इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि वित्तीय सहायता (अर्थात एमडीए) खादी और पॉलिवस्त्र (सूती खादी, सिल्क खादी, ऊनी खादी और पॉलिवस्त्र) के उत्पादन की लागत पर 20 प्रतिशत की दर से उत्पादक संस्थाओं और बिक्रीकर्ता संस्थाओं को 25:30:45 के अनुपात में प्रदान की जाएगी। संस्थाओं द्वारा एमडीए का दावा अपने त्रैमासिक उत्पादन के आधार पर आगामी तिमाही में किया जाएगा।

5.9.8 उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (प्रोडिप):

उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैंकेजिंग (प्रोडिप) योजना नवंबर 2002 में खादी की गुणवत्ता को बढ़ाने और नये उत्पादों में विभिन्नता के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इसमें राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) द्वारा अनुमोदित पेशेवर डिजाइनों की सहायता से बाजार में खादी की बिक्री को बढ़ावा देना भी शामिल है। योजना के अंतर्गत केवीआईसी अथवा केवीआईसी से संबद्ध संस्थाओं को प्रति परियोजना प्रतिवर्ष रु.2.00 लाख

अथवा परियोजना लागत का 75%, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। व्यक्तिगत उद्यमियों के मामले में अधिकतम रु.1.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 75%, जो भी कम हो, सहायता दी जाएगी। केवीआईसी द्वारा किए गए आंतरिक अध्ययनों से यह बात सामने आयी है कि प्रोडिप के अंतर्गत ली गई परियोजनाओं के कारण उत्पादन एवं बिक्री में क्रमशः 13% एवं 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रोडिप के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2010-11 में हुई प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तलिका 5.5: प्रोडिप के अंतर्गत प्रगति

वर्ष	सहायता प्रदान की गई खादी और ग्रामोद्योग परियोजनाओं की कुल संख्या
2007-08	218
2008-09	256
2009-10	169
2010-11*	128

*दिसंबर 2010 तक।

5.9.9 ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आईआरएससी):

केवीआईसी ने उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, कौशल उन्नयन और विपणन संवर्धन को ध्यान में रखते हुए चयनित इकाइयों को ढाँचागत सहायता और सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2004 से 'ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्र (आरआईएससी)' योजना नाम से एक अन्य लघु उद्योग हस्तक्षेप की भी शुरूआत की है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित करके परीक्षण सुविधाएँ मुहैया कराना, उत्पादन क्षमता बढ़ाने अथवा उत्पादन के मूल्य वर्धन के लिए नजदीकी इकाइयों/कारीगरों द्वारा सामान्य सुविधाओं के रुप में उन्नत मशीनों/उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, स्थानीय इकाइयों/कारीगरों के लिए उनके उत्पादों के अच्छे विपणन हेतु आकर्षक एवं उचित पैकेजिंग सुविधाएँ और मशीन मुहैया कराना, कारीगरों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनके कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण सुविधाएँ मुहैया कराना, और ग्रामीण निर्माण इकाइयों के मूल्य में वर्धन हेतु विशेषज्ञों/अभिकरणों की सलाह से नये डिजाइन और विविध उत्पाद तैयार कराना, आदि हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामोद्योग के तहत छोटी परियोजनाओं की स्थापना के लिए रु.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि बड़ी परियोजनाओं हेतु रु.25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक परियोजना से, जिसकी लागत रु.5 लाख है, कम से कम 25 व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने की आशा की जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2010-11 में सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

तलिका 5.6 : आरआईएससी के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या

वर्ष	सहायता प्रदान की गई खादी और ग्रामोद्योग परियोजनाओं की कुल संख्या
2007-08	76
2008-09	54
2009-10	18
2010-11*	12

*दिसंबर 2010 तक।

5.9.10 खादी कारीगर जनश्री बीमा योजनाः

खादी कारीगरों को बीमा प्रदान करने की दृष्टि से 15 अगस्त, 2003 को सरकार ने खादी कार्यक्रम से जुड़े कारीगरों के लिए जीवन बीमा योजना लागू की थी। इस योजना को केवीआईसी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सामन्जस्य से प्रारंभ किया गया, जिसमें रु.200/- के वार्षिक प्रिमियम किश्त से कारीगरों को जीवन बीमा का लाभ प्रदान किया जाता है। वर्ष 2005-06 से खा.ग्रा.आ. द्वारा इस प्रिमियम राशि को रु.100/- तक करने पर जोर दिया है, जिसमें केन्द्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा निधि से रु.50/-, और खादी संस्था द्वारा रु.25 तथा रु.12.50/- खादी कारीगर एवं केवीआईसी प्रत्येक द्वारा वहन किया जाता है।

योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है जो निम्नानुसार हैं:-

प्राकृतिक रुप से मौत के लिए	रू. 30,000/-
दुर्घटना से मृत्यु पर	रू. 75,000/-
दुर्घटना के कारण पूर्ण रुप से अपंग होने पर	रू. 75,000/-
दुर्घटना के कारण आंशिक रुप से अपंग होने पर	रू. 37,500/-

इसके अतिरिक्त 'एड-ऑन' लाभ के रुप में शैक्षिक लाभ (शिक्षा सहयोग योजना), खादी कारीगरों के जो बच्चे आठवीं से बारहवीं सहित आईआईटी कक्षा में पढ रहे हैं, वे प्रति माह रुपये 100/- छात्रवृत्ति के हकदार होंगे। यह लाभ केवल दो बच्चों के लिए ही मान्य होगा।

अब तक इस योजना के अंतर्गत 2.77 लाख खादी कारीगरों को शामिल किया जा चुका है।

5.9.11 प्रदर्शनीः

खादी ग्रामोद्योग भवनों तथा फुटकर बिक्री केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के अतिरिक्त केवीआईसी देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनियाँ भी आयोजित करते हैं। वर्ष 2009-10 में देश के विभिन्न हिस्सों में 38 प्रदर्शनियाँ/ आयोजन किए गए थे। वर्ष 2010-11 के दौरान 31 दिसंबर, 2010 तक 30 प्रदर्शनियों/आयोजनों को पहले ही आयोजित किया जा चुका है।

5.9.12 खा.ग्रा.आ. को मानित निर्यात संवर्धन परिषद का दर्जाः

केवीआईसी को वाणिज्य विभाग द्वारा मानित निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे कि ईपीसी पद्धतिनुसार भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ) की तरह इसको भी सहायता का लाभ मिल सके और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों तथा क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों के आयोजनों आदि में इसकी सहभागिता हो सके। विपणन विकास सहायता (एमडीए)/ बाजार सुलभ प्रयास (एमएआई) के लिए वाणिज्य विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप सहायता मान्य होगी। इसके तहत कुल 880 खादी संस्थाएं केवआईसी के साथ पंजीकृत हो चुकी हैं।

5.9.13 गुणवत्ता नियंत्रण एवं ब्रांड संवर्धनः

खादी में हाथ की बुनाई को बढ़ावा देने के लिए खाग्राआ ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद; 'दस्तकार' आंध्रप्रदेश; आईआईटी दिल्ली तथा टेक्सटाईल समिति, मुंबई के साथ समझौते किए हैं। वस्त्र मंत्रालय की विधिविहित संस्था, टेक्सटाईल समिति और केवीआईसी के मध्य हस्ताक्षर किया गया समझौता ज्ञापन वर्ष 2010-11 में भी जारी रहा। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत टेक्सटाईल समिति की 13 प्रयोगशालाएं जो देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, उन्हें खादी और पॉलिवस्त्र के परीक्षण के लिए उपयोग किया जा रहा है। खादी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर बदलाव आने की संभावना की जा रही है जिससे इसकी विपणनक्षमता में विकास होगा। कई खादी संस्थाओं ने इस व्यवस्था से लाभ उठाया है। खादी संस्थाओं के वस्त्र नमूनों को लागत के अंश-बंटवारे के आधार पर परीक्षण (परीक्षण का 75 प्रतिशत हिस्सा केवीआईसी और 25 प्रतिशत खादी संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है) कराए जाते हैं।

5.9.14 अनुसंधान और विकासः

खादी और ग्रामोद्योग आयोग घरेलू अनुसंधान एवं साथ ही अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों की परियोजना के प्रायोजन द्वारा अनुसंधान एव विकास गतिविधियों का संचालन करता है। सूचना और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यए उत्पादकता एवं श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, स्थानीय कौशल व स्थानीय कच्चे माल का बेहतर उपयोग एवं मानवीय श्रम में कमी करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोगय; महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा (एमगिरी),के अलावा; केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरटीआई), पुणेए डॉ अंबेडकर ग्रामीण तकनीकी एवं प्रबंध संस्थान (एआईआरटीएम), नासिक, कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथकागज संस्थान (केएनएचपीआई), सांगानेर, जयपुर, केंद्रीय ग्रामीण कुम्हारी संस्थान (सीवीपीआई), खानापुर, कर्नाटक एवं खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति (केजीपीएस), अहमदाबाद के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का संचालन करता है।

5.10 खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए किए गए अन्य प्रयासः

5.10.1 संस्थाओं का वर्गीकरणः

रिबेट के भुगतान को सुचारू रूप से संचालित करने, ब्याज सब्सिडी को जारी करने, कच्चे माल की आपूर्ति आदि के परिप्रेक्ष्य में संस्थाओं को उनके उत्पादन, बिक्री, विपणन आदि में कार्यनिष्पादन के आधार पर ए+, ए, बी, सी और डी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2010 की स्थिति में कुल 2065 खादी संस्थाओं को इस माध्यम से वर्गीकृत किया जा चुका है जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.8 : खादी संस्थाओं का वर्गीकरण

क.सं.	प्रकार	ए+	ए	बी	सी	डी	कुल
1.	खाग्राआ से सहबद्ध	98	282	320	352	239	1291
2.	राज्य खाग्राबो से सहबद्ध	28	168	212	307	59	774
	कुल जोड़	**126**	**450**	**532**	**659**	**298**	**2065**

5.10.2 सरकारी आपूर्तिः

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, डीजीएस-एंड-डी की 'दर-संविदा' के आधार पर विभिन्न सरकारी विभागों/अभिकरणों को अपने उत्पादों की आपूर्ति करता रहा है। डीजीएस-एंड-डी की 'दर-संविदा' के आधार पर सामग्रियां जैसे; सूती खादी, डुंगारी वस्त्र, डस्टर्स, लंबे कपड़े, बंटिंग वस्त्र और बिछौने आदि, सरकारी अभिकरणों को आपूर्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा बेड-रोल्स, परदे, तकिए के खोल, 'कुल्हड़' आदि भारतीय रेल को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खाग्राआ द्वारा पिछले तीन वर्षों में सरकारी विभागों को आपूर्ति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैः

तलिका 5.9 : खाग्राआ द्वारा सरकारी अभिकरणों को आपूर्ति

(रु.करोड़ में)

वर्ष	सरकारी आपूर्ति की राशि
2007-08	33.99
2008-09	31.82
2009-10	21.36
2010-11*	18.15

*दिसंबर 2010 तक।

5.10.3 नयी खादी संस्थाओं का पंजीकरणः

केवीआईसी द्वारा नयी खादी संस्थाओं की स्थापना और पंजीकरण पर आंतरिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस रोक को हटा दिया गया है और उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से केवीआईसी ने संस्थाओं के पंजीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वर्ष 2010-11 (दिसंबर 2010 तक) के दौरान ऐसी 72 नयी खादी संस्थाओं को खाग्राआ और केवीआईसी द्वारा पंजीकृत किया गया है।

5.10.4 खादी कारीगर कल्याण न्यास निधि (केएडब्ल्यूटीएफ):

केएडब्ल्यूटीएफ की परिकल्पना मुख्यतः भविष्य निधि की तर्ज पर की गई थी। केवीआईसी और राज्य केवीआईसी से सहबद्ध सभी खादी और पॉलिवस्त्र संस्थाओं के लिए केएडब्ल्यूटीएफ की सदस्यता अनिवार्य है। सभी संस्थाएं जो ए+, ए, बी, और सी श्रेणी में वर्गीकृत हैं, न्यास निधि में शामिल होने के

लिए पात्र हैं। यह न्यास निधि 20 राज्यों में कार्यरत है और केरल में इसे राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। 31 मार्च 2010 तक इस न्यास निधि की कुल 1,666 खादी संस्थाएं सदस्य बन चुकी हैं। संबंधित न्यासों से रु.163.98 करोड़ की प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से रु.8.56 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

5.10.5 राष्ट्रीय ध्वज उत्पादन केन्द्र

खादी हमारे देश का गर्व और आनंद का प्रतीक है तथा इसे इस तथ्य से आसानी पूर्वक समझा जा सकता है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने इसका उपयोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के निए निर्धारित किया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के अनुसार खादी ही केवल ऐसा कपड़ा है जिसका उपयोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में होता है। केवीआईसी के एक स्वयंसेवी संगठन कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, बेगेरी, हुबली (कर्नाटक) में 51.10 लाख रुपए की अनुमानित लागत से दक्षिण भारतीय वस्त्र अनुसंधान संगठन (एस.आई.टी.आर.ए.) के परामर्श के साथ एक राष्ट्रीय ध्वज निर्माण परियोजना की शुरुआत की गई है। इस राष्ट्रीय ध्वज निर्माण इकाई को 17 फरवरी, 2006 को भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणीकरण प्रदान किया जा चुका है। इस इकाई की क्षमता प्रतिदिन विभिन्न आकार के 5000 राष्ट्रीय ध्वज निर्माण करने की है।

1.9.2 खादी 'रैडि टू यूज़' मिशनः

केवीआईसी ने खादी उत्पादों के लिए वर्ष 2005.06 के दौरान एक उपयोग के लिए 'रैडी टू यूज़' मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के अन्तर्गत एक प्रमुख खादी संस्था एक शीर्ष संस्था के रुप में कार्य करती है जहां परिधानों के उत्पादन के लिए सुविधाएं जैसे कवरिंग, डिजाइनिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग आदि की व्यवस्था की जाती है। वे शीर्ष संस्था की गतिविधियों से संकेंद्रित आधार पर जुड़ी हुई होती हैं, फलतः वे सभी अपने निजी अनुभव और शीर्ष संस्था द्वारा संस्थापित की गई सामान्य सुविधाओं को आपस में बांटकर अपने उत्पादों को समयानुकूल बनाने में सक्षम होती है। राष्ट्रीय फैशन तकनीक संस्थान, कोलकाता और चेन्नै को इस मिशन के अन्तर्गत स्थापित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये संस्थान परियोजना के विकास की परिकल्पना, अवस्थिति का चयन, मशीनरी और उपकरणों का संस्थापन, प्रशिक्षण, परियोजनाओं की शुरूआत, और संस्थापन पश्चात के सहयोग के लिए सेवाप्रदाता संस्थान भी हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 2 परियोजनाएं, 1 मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), और 1 पाड़ीयुर (तमिलनाडु) में स्थापित की गई हैं। एनआईएफटी, कोलकाता और चैन्नै को खाग्राआ द्वारा डिजाइन समावेश और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सभी प्राथमिक सहायता प्रदान करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

5.10.7 केन्द्रीय पूनी संयंत्र (केपूस):

खादी संस्थाएं और राज्य केवीआईसी मिलकर आयोग के खादी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। उनको दिए जाने वाले कार्यशील पूंजी का 25 प्रतिशत कच्चे माल के लिए होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खादी संस्थाओं द्वारा नियमित तौर पर कताई का कार्य कारीगरों के लिए दिया जा रहा है और खादी क्षेत्र में कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, केवीआईसी ने अपने 6 केन्द्रीय पूनी संयंत्रों का संचालन करना जारी रखा। ये केन्द्रीय पूनी संयंत्र कुट्टूर, चित्रदुर्ग, सिहोर, रायबरेली, एटा और हाजीपुर में हैं। इन केन्द्रीय पूनी संयंत्रों द्वारा विगत तीन वर्षों तथा वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए उत्पादन और आपूर्ति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

तलिका 5.10 : केन्द्रीय पूनी संयंत्रों का कार्यनिष्पादन

(मात्र: लाख कि.ग्रा. में, मूल्य : रु.करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन		आपूर्ति	
	मात्र	मूल्य	मात्र	मूल्य
2007-08	29.86	26.91	32.73	27.18
2008-09	33.96	33.26	30.13	29.53
2009-10	35.27	35.70	35.46	35.82
2010-11*	22.83	26.32	24.00	27.63

* दिसंबर 2010 तक।

5.10.8 कच्चे माल के लिए गोदामों की स्थापना:

संसाधनों की कमी का सामना कर रही खादी संस्थाओं द्वारा पूनी/रोव्हिंग की आपूर्ति और उठान को निरंतर जारी रखने की सुविधा प्रदान करने के लिए केवीआईसी ने वर्ष 2010-11 के दौरान स्थानीय गोदामों के माध्यम से संचालन जारी रखा। वर्ष के दौरान निम्न 9 स्थानीय कच्चा माल गोदामों द्वारा उक्त सेवा केवीआईसी को प्रदान की गई:

(i) दौसा - राजस्थान

(ii) नांदेड़ - महाराष्ट्र

(iii) सुरेन्द्रनगर - गुजरात

(iv) बिजनौर - उत्तर प्रदेश

(v) हरिद्वार - उत्तराखंड
(vi) ववीलाला - आंध्रप्रदेश
(vii) मेटपल्ली - आंध्रप्रदेश
(viii) संगरालिंगपुरम - तमिलनाडु
(ix) मुर्शिदाबाद - पश्चिम बंगाल
(x) ओरूट्टूकला - केरल

5.10.9 लोक शिक्षण कार्यक्रम (पीईपी):

लोगो को जागरूक बनाने के उद्देश्य से और अपने प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में केवीआईसी ने एक ओर जहां लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क बनाना प्रारंभ किया वहीं दूसरी ओर आयोग ने अपने प्रयास से वर्ष 2008-09 के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर 41 लोक शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया, और वर्ष 2010-11 में दिसंबर तक ऐसे 14 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर केवीआईसी के कार्यक्रमों और परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के अलावा इसके अंतर्गत निबन्ध प्रतियोगिता, परिचर्चा और सेमीनार भी शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यार्थियों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योगी संबंधी विषयों पर आयोजित किए गए। बजटीय आबंटन के द्वारा केवीआईसी इन आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

5.10.10 सू.ल.म.उ. के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास निधि (सीजीटी एमएसएमई) के तहत सहायता:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सीजीटी-एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास निधि का अनुमोदन बैंको द्वारा केवीआईसी/प्रमंरोसृका योजनाओं के लिए ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए दिया गया है। खाग्राआ ने इस योजना का प्रचार न्यास और प्रतिभागी बैंको के साथ करने की पहल की है।

श्री शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव, सूलमउ मंत्रालय प्रेरणात्मक कार्यशाला में अधिकारियों को संबोधित करते हुए

6 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)

एमगिरी की नई मशीन : बुनाई प्रक्रिया को आसान बनाते हुए

अध्याय VI

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी)

6.1 परिचय

6.1.1 लंबे समय से एक ऐसी प्रणाली सृजित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन आगत तथा खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र को एक व्यापक ढंग से सहायता उपलब्ध कराएगी। ऐसी सुविधाएं ग्रामीण औद्योगिकीकरण को सुदृढ़ बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि तथा खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र हेतु व्यापक अवसरों से युक्त नए क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता कर सकेगी।

6.1.2 सन् 1955 में वर्धा, महाराष्ट्र में जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गयी, जिसका 1956 से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एक विभागीय इकाई के तौर पर प्रबंधन किया जा रहा था जो कि ऊपर उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था। उसी परिसर में सन् 1934 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ में ही जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का आधार था। जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की गतिविधियां तेल, कुम्हारी एवं हाथ कागज जैसे ग्रामोद्योगों हेतु अनुसंधान, विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक ही केंद्रित था।

6.1.3 खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को व्यापक रूप से उत्तम संभाव्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन आदान उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली सृजित करने के विचार से पूर्व जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा का अक्टूबर, 2008 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान के रूप में आईआईटी, दिल्ली की सहायता से पुनरूद्धार किया गया और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के रूप में पुनः नामकरण किया गया।

6.2 बजट संबंधी सहायता

6.2.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार एमगिरी को अपनी

विभिन्न गतिविधियों को चलाने हेतु निधि उपलब्ध कराती है। एमगिरी को पिछले 2 वर्षो तथा वर्ष 2010-11 के दौरान उपलब्ध करायी गयी निधि का विवरण निम्नानुसार है-

तालिकाः 6.1 एमगिरी को जारी निधि

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजटीय आवंटन (आ.व्यय)	जारी निधि
2008-09	3.00	3.00
2009-10	3.00	3.00
2010-11*	6.00	2.25

*दिसंबर 2010 तक।

6.3 कार्य

6.3.1 एमगिरी, वर्धा की गतिविधियाँ इसके पाँच विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। प्रत्येक विभाग की अध्यक्षता एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा की जाती है। ये विभाग निम्नानुसार हैं:

(i) रसायन आधारित उद्योग विभागः इस विभाग का मुख्य कार्य है, गुणवत्ता जागरुकता एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जैविक खाद्य एवं ग्रामीण रसायन उद्योग के अन्य उत्पादों का संवर्धन करना। इस क्षेत्र हेतु यह एक व्यापक गुणवत्ता परीक्षण सहायता उपलब्ध कराता है तथा इसके अंतर्गत कुटीर एवं लघु इकाइयों को सुसाध्य बनाने हेतु क्षेत्र के लिए उपयोगी किट, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास करने संबंधी कार्य कर रहा है।

(ii) खादी एवं वस्त्र विभागः नई प्रौद्योगिकी का परिचय कराकर तथा गुणवत्ता आश्वासन सहायता उपलब्ध कराकर खादी संस्थाओं में निर्मित उत्पादों की उत्पादकता मूल्य संवर्धन एवं गुणवत्ता में सुधार करना इस विभाग द्वारा प्रमुखतः कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियां है। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों एवं पद्धतियों को सुसाध्य बनाने संबंधी कार्य भी करता है।

(iii) जैव-प्रसंस्करण उद्योग विभागः एमगिरी का यह विभाग ग्रामीण उद्यमियों की उन्नति हेतु जैव ऊर्वरक एवं जैव कीटनाशक के उत्पादन एवं उपयोगीकरण को सुसाध्य बनाने हेतु प्रौद्योगिकी पैकेज एवं सामान्य गुणवत्ता आश्वासन पद्धतियों को तैयार करता है। यह अनुभाग 'पंचगाव्य' एवं उनके गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया एवं सुविधाओं का प्रयोग करके नए सूत्रीकरण का विकास करने हेतु भी प्रयास कर रहा है।

(iv) ग्रामीण ऊर्जा एवं अधोसंरचना विभागः यह विभाग ग्रामीण उद्योगों को सुसाध्य बनाने तथा पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों का लेखा परीक्षा कार्यान्वित करने के लिए भी ऊर्जा के सामान्यतः उपलब्ध नवीकृत योग्य स्त्रोतों का उपयोग करके उपयोगकर्ता-अनुकूल तथा लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए स्थापित किया गया है ताकि उनको ऊर्जा से क्षमतावान बनाया जा सके।

(v) ग्रामीण शिल्प एवं अभियांत्रिकी विभागः यह विभाग ग्रामीण कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता एवं उत्पादकता का उन्नयन करने तथा मूल्य-वृद्धि को बढ़ावा देने एवं अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता करता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

7 कॅयर बोर्ड

अलप्पुजा, केरल में निर्मित विश्व का सबसे लंबा कॅयर मैट

अध्याय VII

कॅयर बोर्ड

7.1 भारत, विश्व का सर्वाधिक कॅयर उत्पादन करने वाला देश है, जो विश्व में उत्पन्न होने वाले कुल कॅयर रेशे का 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है। भारत में विविध कॅयर क्षेत्र हैं जिसमें घरेलू निर्माता, सहकारी समितियां, गैर-सरकारी संगठन, उत्पादनकर्ता एवं निर्यातकर्ता इत्यादि शामिल हैं। यह सुन्दर हस्त-निर्मित वस्तुओं, हस्तशिल्प एवं नारियल के छिलके से बने उपयोगी उत्पादों को बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि अन्यथा एक अवशिष्ट है।

7.1.2 कॅयर उद्योग 6.50 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है जिनमें से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, और ये आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित है। रेशा निकालने संबंधी कार्य एवं कताई क्षेत्र के कॅयर कार्यकर्ताओं में करीब 80 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं।

7.1.3 ऐतिहासिक रूप से कॅयर उद्योग केरल में प्रारंभ हुआ एवं फला-फूला, जिसके पास एक लंबी समुद्र तटीय रेखा, झीलें, कच्छ, एवं स्थिर जल क्षेत्र इत्यादि हैं, जो रैटिंग हेतु आवश्यक अनुकूल स्थितयां प्रदान करती हैं। नारियल के छिलके को कई महीने तक स्थिर खारे जल में भीगने/तर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात छिलके से धागे की बुनाई करना संभव हो जाता है। तथापि, नारियल की पैदावार में वृद्धि के साथ-साथ कॅयर बोर्ड के प्रयासों से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह इत्यादि राज्यों में भी कॅयर उद्योग आरंभ हो गए हैं। कॅयर उद्योग में उत्पादन एवं प्रसंस्करण प्रणाली अभी भी प्रमुख रूप से परंपरागत है। उदाहरणार्थ कताई मुख्य रूप से परंपरागत रैटिंग पर निष्पादित की जाती है जिसे बार-बार आगे-पीछे घुमने की आवश्यता पड़ती है। वर्ष 2009-10 के दौरान देश में रेशे का कुल उत्पादन 515500 मैट्रीक-टन था। वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) रेशे का कुल उत्पादन 391255 मैट्रीक-टन था।

7.2 कॅयर बोर्ड

7.2.1 कॅयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ाने एवं इस परंपरागत उद्योग में शामिल कार्यकर्ताओं के रहन-सहन के स्तर को सुधारने के लिए कॅयर उद्योग अधिनियम 1953 के अधीन स्थापित कॅयर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है।

7.2.2 कॅयर बोर्ड में एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष एवं 39 सदस्य शामिल हैं जैसा कि उक्त अधिनियम के धारा 4 में दिया गया है, जिसमें कॅयर उद्योग के कल्याण में रूचि रखने वाले सभी वर्गो के प्रतिनिधि शामिल हैं।

7.2.3 कॅयर उद्योग के विकास के लिए कॅयर बोर्ड के कार्यों में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, एवं आर्थिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, निर्यात एवं कॅयर तथा कॅयर उत्पादों के आंतरिक उपभोग से संबंधित आंकड़े का संग्रह, नवीन उत्पादों एवं डिजाइनों का विकास, निर्यात एवं आंतरिक बिक्री के संवर्धन हेतु प्रचार, भारत व विदेश में कॅयर एवं कॅयर उत्पादों का विपणन, उत्पादकों एवं निर्यातकों के बीच अनुचित स्पर्धा को रोकना, उत्पादों के निर्माण हेतु इकाईयों की स्थापना में सहायता देना, छिलका, कॅयर रेशा, एवं कॅयर धागे के उत्पादकों तथा कॅयर उत्पादों के उत्पादनकर्ताओं के बीच सहकारी संगठनों का संवर्धन, उत्पादकों एवं निर्माताओं का लाभ सुनिश्चित करना, इत्यादि शामिल हैं।

7.3 कॅयर उद्योग के विकास हेतु आवश्यकता जनित क्षेत्र

7.3.1 देश में कॅयर क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यकता जनित क्षेत्र निम्न हैं।

1. श्रमिक को बिना हटाए/विस्थापित किए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन अधोसंरचना का आधुनिकीकरण।
2. विदेश में बाजार संवर्धन उपायों के माध्यम से कॅयर एवं नवीन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि।
3. प्रक्रिया में सुधार, उत्पाद विकास एवं विविधता एवं अतिश्रम की समाप्ति एवं प्रदूषण में कमी इत्यादि जैसी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में वृद्धि।
4. प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल जनशक्ति का विकास।

7.4 कॅयर बोर्ड को बजटीय सहायता

7.4.1 भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से कॅयर बोर्ड को योजना एवं गैर-योजना शीर्ष के अधीन इसकी विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए निधि प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों एवं 2010-11 के दौरान कॅयर बोर्ड को दी गई बजटीय सहायता का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:-

तालिका 7.1 कॅयर बोर्ड को दी गई सहायता का विवरण

(रू. करोड़ में)

वर्ष	आवंटन (आवर्ति व्यय)	जारी निधि/
	योजना	योजना
2007-08	36.70	35.70
2008-09	47.60	47.60
2009-10	42.00	38.73
2010-11	50.65**	37.16*

* दिसम्बर 2010 तक

** स्फूर्ति सहित

7.5 कॅयर बोर्ड की गतिविधियाँ

7.5.1 कॅयर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकासः केंद्रीय कॅयर शोध संस्थान, कलावूर, एलप्पी एवं केंद्रीय कॅयर प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलुरू ने रेशे को निकालने के तरीके और अंतिम उत्पादों के निर्माण से लेकर कॅयर उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर शोध गतिविधियों का जिम्मा उठाया है। केंदीय कॅयर शोध संस्थान, एलप्पी की स्थापना 1959 में की गई एवं केंदीय कॅयर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1980 में बैंगलूरू में की गई, जबकि केंदीय कॅयर शोध संस्थान, कलावूर सफेद व भूरे दोनों क्षेत्रों से संबंधित रेशे के शोध पर ध्यान केंद्रित करता है, केंद्रीय कॅयर प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलुरू केवल भूरे रंग के रेशे के क्षेत्र तक ही सीमित है। कॅयर के उपयोग एवं कॅयर अवशिष्ट हेतु नवीन उपयोगकर्ता क्षेत्रों की पहचान, हस्त-संचालन में अत्यधिक श्रम को कम

करने के लिए उत्पादन अधोसंरचना का आधुनिकीकरण अर्थात इस संबंध में उच्च उत्पादकता को प्राप्त करना एवं गुणवत्ता में सुधार लाना अनुसंधान संबंधी प्रयासों का अभिन्न अंग है। केंद्रीय कॅयर शोध संस्थान में अनुसंधान संबंधी जांच नें कॅयर उद्योग के लिए कई नवीन प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है। इसे 1999, 2002,एवं 2004 में अर्थात तीन बार नवोन्मेषण के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शोध एवं विकास निगम प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुउद्देशीय करघा जिसे 'अनुपम' नाम दिया गया एवं साथ ही साथ सहजता से निकालने एवं विभिन्न कॅयर उत्पादों का निर्माण करने के लिए एक गतिशील रेशा कर्षण मशीन, जिसे 'स्वर्ण' नाम दिया गया एवं प्रदूषण रहित रैटिंग के लिए प्रौद्योगिकी की उत्पादकता एवं विकास, इत्यादि बोर्ड की हाल ही की उपलब्धियां हैं।

बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां निम्न पांच क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है।

1. उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण।
2. मशीनरी एवं उपकरणों का विकास।
3. (क) उत्पाद विकास एवं विविधीकरण।

   (ख) भूरे कॅयर पर उत्पाद विकास।
4. पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास।
5. प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, उष्म-नियंत्रण, जांच एवं सेवा सुविधाएं।

7.6 घरेलू बाजार संवर्धनः

7.6.1 भारत तथा और कहीं भी कॅयर उत्पादों की बिक्री का संवर्धन करना कॅयर बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यो में से एक है। घरेलू बाजार संवर्द्धन में बोर्ड के शोरूम तथा बिक्री केंद्रों एवं श्रव्य दृश्य मीडिया, बिक्री अभियान, प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रचार-सामग्री एवं होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में प्रचार एवं प्रदर्शनी आयोजित करके कॅयर तथा कॅयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाना भी कॅयर उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के प्रयास में शामिल है। कॅयर बोर्ड ने घरेलू बाजार में कॅयर तथा कॅयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने हेतु 2010-11 (दिसंबर 2010 तक) के दौरान 80 प्रदर्शनियां आयोजित की तथा भाग लिया।

7.6.2 कॅयर बोर्ड के पास 30 शोरूम तथा बिक्री भंडार है, जो विपणन केंद्रों के तौर पर भी कार्य करते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा 2010-11 (नवंबर 2010 तक) में कॅयर बोर्ड के शोरूम तथा बिक्री भंडार के माध्यम से कॅयर तथा कॅयर उत्पादों की कुल बिक्री निम्नानुसार है:-

मूल्य (₹ लाख में)

2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 *
1031.15	1119.30	1406.75	767.98

* नवंबर 2010 तक

7.7 निर्यात बाजार संवर्धन :

7.7.1 निर्यात संवर्धन उद्योग के सतत् विकास हेतु कॅयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के अधीन ट्रेड एवं उद्योग की सहायता से बोर्ड, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी निभा रहा है।

7.7.2 कॅयर बोर्ड के प्रयासों से वर्ष 2009-10 के दौरान कॅयर एवं कॅयर उत्पादों का निर्यात 804.05 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं 2010-11 में किए गए कॅयर तथा कॅयर उत्पादों के निर्यात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :-

तालिका 7.2 : कॅयर एवं कॅयर उत्पादों का निर्यात

वर्ष	मात्र (मैट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ों में)
2007-08	187567	592.88
2008-09	199925	639.97
2009-10	294508	804.05
2010-11*	185006	466.76

* नवंबर 2010 तक (अनंतिम)

7.7.3 वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) कॅयर एवं कॅयर उत्पादों के निर्यात के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में कॅयर बोर्ड द्वारा की गयी सहभागिता का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :-

तालिका 7.3 : कॅयर बोर्ड द्वारा भागीदारी किए गए प्रदर्शनी/मेलों का विवरण

क्र.सं.	मेले का नाम	देश	अवधि
1.	राष्ट्रीय हार्डवेअर शो, लॉस वेगास	अमेरिका	4-6 मई, 2010
2.	मेड इन इंडिया शो, जोहांसबर्ग	द.अफ्रीका	30 अगस्त-11 सितंबर, 2010
3.	अंतर्राष्ट्रीय हार्टी मेला, एमर्स्टडम	नीदरलैंड	12-15 अक्टूबर, 2010
4.	मेगा शो, भाग-1, हांगकांग	हांगकांग	20-23 अक्टूबर, 2010
5.	आस्ट्रेलियन इंटरनेशनल सोर्सिंग फेयर, मेलबोर्न	आस्ट्रेलिया	17-19 नवंबर, 2010

7.7.4 इन प्रदशर्नियों में आगंतुकों एवं क्रेताओं ने प्रदर्शित किए गए उत्पादों की शृंखला में गहन रूचि दिखाई। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों द्वारा निर्यात हेतु विभिन्न आदेश प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॅयर तथा कॅयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा अपने उत्पादों का संवर्द्धन करने हेतु कॅयर बोर्ड ने केटलॉग शो आयोजित करने जैसा कदम उठाया है।

7.8 उत्पादन अधोसंरचना का विकास

इस योजना के अधीन, कॅयर क्षेत्र की सतत् वृद्धि हेतु नई कॅयर इकाईयां स्थापित करने तथा विद्यमान इकाईयों का आधुनिकीकरण करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अंतर्गत परियोना लागत का 25 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गयी है अर्थात् रेशा

निकालने वाली इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम 6.00 लाख रू., स्वचालित कताई इकाई के लिए 4.00 लाख रू. तथा अन्य के लिए 5.00 लाख रू., जिसमें कॅयर पिथ इकाई भी शामिल है। विद्यमान इकाईयों के आधुनिकीकरण हेतु 2.00 लाख रू. तक सीमित वित्तीय सहायता भी दी जाती है। शुरूआती निवेश उद्यमी द्वारा किया जाता है तथा सब्सिडी को इकाईयों के संचालन में आने के पश्चात् प्रतिपूर्ति के तौर पर जारी की गयी है। पिछले तीन वर्षो तथा 2010-11 के दौरान इस योजना के अधीन इकाईयों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे सारणी में दिया

तालिका 7.4 : उत्पादन अधोसंरचना के विकास से संबंधित सहायता का विवरण

वर्ष	मूल्य (₹ लाखों में)	इकाईयों की संख्या
2007-2008	144.37	152
2008-2009	66.49	82
2009-2010	20.74	26
2010-2011*	20.03	17

* दिसंबर 2010 तक

7.9 कौशल उन्नयनः गुणवत्ता विकास, महिला कॅयर योजना एवं कल्याणकारी उपाय

7.9.1 कौशल उन्नयनः कॅयर बोर्ड ने अपने राष्ट्रीय कॅयर प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एनसीटी एवं डीसी), कलावुर, एलप्पी और अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र, तेनकासी, तमिलनाडु जैसे प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कॅयर उद्योग में लगे हुए कारीगरों एवं कामगारों को कॅयर प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना जारी रखा है। इन संस्थानों में आयोजित होने वाले नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमानुसार हैं :-

(i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एक वर्ष)

(ii) कारीगर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एक वर्ष)

(iii) महिला कॅयर योजना के अधीन मशीन चालित यंत्र से कताई में प्रशिक्षण (02 माह)

(iv) कॅयर हस्तशिल्प एवं कॅयर आभूषणों में प्रशिक्षण

7.9.2 बोर्ड दूरस्थ स्थानों के कॅयर कामगारों, जो उपर्युक्त नियमित प्रशिक्षण केंद्र में भाग नहीं ले सकते, की सुविधानुसार विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में भी प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित कर रहा है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कॅयर गतिविधियों में लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों/सहकारी संस्थाओं की सहायता से चलाया जा रहा है। इन प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से कताई मशीनचालित यंत्र एवं मशीनचालित पारंपरिक यंत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्ति 750/-रूपये प्रति माह है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एवं 2010-11 में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गयी हैः-

तालिका 7.5: प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2007-08	8987
2008-09	9916
2009-10	9007
2010-11*	4947

*दिसंबर 2010 तक।

7.9.3 महिला कॅयर योजनाः महिला कॅयर योजना प्रथम महिला अभिमुखी कार्यक्रम है, जो ग्रामीण महिला कारीगरों को अपने क्षेत्रों में कॅयर रेशों के उत्पादन में स्वयं रोजगार उपलब्ध कराता है। यंत्रचालित रैट पर कॅयर रेशों के धागों में परिवर्तन करना ग्रामीण घरेलू व्यवसाय में बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, उत्पादकता और गुणवत्ता उन्नयन करता है; कारीगरों को अधिक आय और बेहतर कार्य परिस्थिति प्रदान करता है। योजना में महिला कारीगरों को कॅयर रेशों की कताई के लिए प्रशिक्षण देने के बाद यंत्रचालित रैट के वितरण भी शामिल है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर के लिए एक कारीगर सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। महिला कारीगरों को मंडल प्रशिक्षण केंद्र में मशिनचालित रैट पर कॅयरधागों की कताई का दो माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को रू.750/- छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षण के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा जो प्रशिक्षणार्थि उत्तीर्ण कर लेता है, वह भी मशीनचालित रैट खरीद के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। योजना

के अधीन लाभार्थी मशीनचालित यंत्र के लागत का 75 प्रतिशत छूट प्राप्त करता है अर्थात् मशीन चालित पारंपारिक यंत्र हेतु 7,500/-रू. एवं लागत का 75 प्रतिशत या 3,200/-रू. जो भी कम हो। रैट का वितरण और वर्ष 2009-10 तथा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत सहायता का विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 7.6 : महिला कॅयर योजना के अंतर्गत दी गई सहायता का विस्तृत विवरण

वर्ष	वितरित रैट्स की संख्या	स्वीकृत सहायता (रू. लाख)*
2007-08	2509	64.29
2008-09	3009	85.81
2009-10	264	9.62
2010-11*	216	10.3

*दिसंबर 2010 तक

7.9.4 गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी): कॅयर बोर्ड द्वारा उद्यमियों को कॅयर उत्पादन के लिए प्रेरित करने और कॅयर मजदूरों के मध्य उनके द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रसंस्करण गतिविधियों, जैसे- कताई, रंगाई और कॅयर उत्पादों तथा धागों की गुणवत्ता सुधार में गुणवत्ता जागरूकता निर्माण करने के लिए प्रति वर्ष गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) आयोजित किए जाते हैं।

7.9.5 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी): कॅयर बोर्ड के अनुमान अनुसार, नारियल रेशों के कुल उत्पादन के सिर्फ 40 प्रतिशत रेशें कॅयर उद्योग में उपयोग में लाएं जाते हैं। कॅयर सेक्टर में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, रेशों का उपयोग बड़ी मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके लिए अधिक नई इकाइयों की स्थापना करने की आवश्यकता संभावित उद्यमियों को पता लगाने और उन्हें नई कॅयर इकाइयों की स्थापना और प्रबंधन की ओर प्रेरित करने की दिशा में कॅयर बोर्ड सक्षम व्यावसायिकों और विख्यात संगठनों की सहायता से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करता है।

7.9.6 कॅयर कारीगरों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना: कॅयर बोर्ड द्वारा दिनांक 01.12.1998 से कॅयर कारीगरों के लिए बीमा योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना को

प्रति वर्ष नवीकृत किया जाता आ रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान क्षतिपूर्ति राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैः-

तालिका 7.7: ''कॅयर कारीगरों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना'' के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति।

क्र. सं.	घटना/प्रसंग	देय राशि
1.	दुर्घटना मृत्यु	50,000/-रू.
2.	स्थायी अपंगता	
	क) दो अंगों/दो आखों की क्षति	50,000/-रू.
	ख) एक अंग और एक आंख की क्षति	50,000/-रू.
3.	स्थायी आंशिक अपंगता	25,000/-रू.
	क) एक अंग/एक आंख की क्षति	25,000/-रू.
	ख) उंगलियां कटने के लिए प्रावधान	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शर्तों के अनुसार उंगलियों के आधार पर और 50,000/-रू. की बीमा की गई कुल (पूंजी) राशि की प्रतिशतता की सीमा के अनुसार लागू।

वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) पांच बीमा दावों का निपटान किया गया और 2,50,000/-रू. की धनराशि प्रभावित कारीगरों को क्षतिपूर्ति के रूप मे प्रदान की गई।

7.10 हिंदुस्तान कॅयरः

7.10.1 कॅयर मैटिंग सेक्टर के एक-तिहाई भाग को मशीनीकृत करने के भारत सरकार के निर्णयानुसार कॅयर बोर्ड के अंतर्गत एक

विद्युत करघा मैटिंग उत्पादन कारखाना, हिंदुस्तान कॅयर, की स्थापना एक प्रायोगिक (पायलट) परियोजना के रूप में 1968 में की गई। वर्तमान स्थिति में, इस कारखानें में पांच करघे लगाए गए हैं। हिंदुस्तान कॅयर मैटिंग का गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का कुल उत्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 7.8: हिंदुस्तान कॅयर मैटिंग के उत्पादन का विस्तृत विवरण

{मात्र- वर्ग मीटर: (मूल्य - रूपए लाख में)}

	2007-08	2008-09	2009-2010	2010-11*
मात्र	1,75,369	1,82,515	1,47,557	79,594
मूल्य	280.59	306.62	247.90	187.84

* दिसंबर, 2010 तक।

7.11 कायाकल्प, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन (रिमोट)

7.11.1 मार्च, 2008 के दौरान, सरकारी अनुदान 99 करोड़ रू.; लाभार्थी अंशदान 12 करोड़ रू. और 132 करोड़ रू. बैंक से मियादी ऋण के रूप में लेकर ऐसी कुल 243 करोड़ रू. की लागत से ''कॅयर उद्योग का कायाकल्प, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन'' पर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रारंभ की गई। लाभार्थियों की दो श्रेणियों अर्थात् कत्तिन और लघु घरेलू उत्पादक, जो कॅयर सेक्टर में अत्यधिक लोकप्रिय है, उन्हें नीचे की तालिका में दिए गए विस्तृत विवरण इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना है :-

तालिका 7.9: कायाकल्प, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना का विस्तृत विवरण

(रूपए करोड में)

क्र. सं.	श्रेणी	व्याप्ति (इकाइयाँ)	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	निवेश	मियादी ऋण	अनुमान	कुल
1.	कताई	4000	32000	4	44	32	80

क्र. सं.	श्रेणी	व्याप्ति (इकाइयाँ)	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	निवेश	मियादी ऋण	अनुमान	कुल
2.	लघु/घरेलू	3200	28800	8	88	64	160
3.	सर्वेक्षण, मूल्यांकन, अनुश्रवण, एमआईएस	--	--	--	--	3	3
4.	**कुल**	**7200**	**60800**	**12**	**132**	**99**	**243**

इस योजना के अंतर्गत, 2010-11 के आवर्ति व्यय में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया था और दिसंबर 2010 तक 10.52 करोड रूपए की धनराशि कॅयर बोर्ड के पक्ष में जारी की जा चुकी थी।

कॅयर बोर्ड, दिल्ली की मुख्यमंत्री से 'आईआईटीएफ 2010' में ''प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम'' पदक प्राप्त करते हुए

8 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड

श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैदराबाद में विपणन-सह-व्यापार पार्क का उद्घाटन करते हुए। साथ में उपस्थित हैं श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव (सूलमउ), श्री अमरेन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव और डॉ. एच.पी. कुमार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी

अध्याय VIII

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)

8.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (रा. ल.उ.नि.) जो एक आईएसओ 9001 प्रमाणित कंपनी है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1955 में की गई थी। जिन महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए निगम की स्थापना की गई थी उनमें शामिल थे- 'भारत के लघु उद्योगों को सहायता देना, परामर्श देना, वित्तीय सहायता दिलाना तथा उनके हितों की रक्षा करना तथा संवर्धन करना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के पारित हो जाने से मध्यम उद्यम भी इसकी परिधि में आ गए हैं।

8.2 संगठनात्मक ढांचा

निगम को नीतिगत दिशा निर्देश, निदेशक मंडल, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो पूर्णकालिक निदेशक, सरकार द्वारा नामित दो निदेशक एक सिडबी से नामित निदेशक तथा 6 गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक हैं, द्वारा प्रदान किए जाते हैं। निगम में विभिन्न स्तरों पर व्यवसायिकों की एक समर्पित टीम है और यह भारत में स्थित 123 कार्यालयों एवं जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में स्थित कार्यालय के माध्यम से अपना प्रचालन कार्य कर रहा है।

8.3 कार्य निष्पादन (परफारमेंस) की मुख्य विशेषताएं

8.3.1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने वर्ष 2010-11 के दौरान संवर्धन एवं उसको और मजबूत करने की अपनी यात्रा जारी रखी है और निगम ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान रहे 28.07 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में 31 दिसम्बर, 2010 तक 21.81 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

8.3.2 वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 2010 तक निगम की उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस्पात, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, पीटीए, पैराफिन वैक्स आदि जैसे कच्चे माल का वितरण वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए रहे 4301 करोड़ रूपये की तुलना में 31 दिसम्बर, 2010 को 4974 करोड़ रूपये रहा है।

(ii) बैंक गारण्टी के बदले कच्चा माल सहायता के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 578 करोड़ रूपये की कच्चा माल सहायता की तुलना में दिसम्बर, 2010 तक 812 करोड़ रूपये रहा है।

(iii) पिछले वित्तीय वर्ष में सरकारी खरीद स्कीम एवं बी 2 बी पोर्टल से राजस्व 5.55 करोड़ रुपये था और इस वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 2010 तक यह राजस्व 4.11 करोड़ रूपये रहा है।

8.4. लाभांश

अपने सुधरे हुए कार्य निष्पादन के कारण राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने लगातार चौथे वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए सरकार को 4.85 करोड़ रुपये का लाभांश (अर्थात शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत) अदा किया है।

श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. एच. पी. कुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी से लाभांश चेक प्राप्त करते हुए। साथ में उपस्थित हैं श्री दिनेश राय, तत्कालीन सचिव, श्री अमरेन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव, श्री आर. के. मनचंदा, आर्थिक सलाहकार और श्री रविन्द्र नाथ, निदेशक (एनएसआईसी)

8.5. निगम की स्कीमें

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एनएसआईसी विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त आदि के क्षेत्रों में एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से एनएसआईसी विपणन सहायता एवं परफारमेंस व क्रेडिट रेटिंग स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है।

8.5.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विपणन सहायता

'विपणन' को व्यापार विकास के लिए एक अति महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना गया है। आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास एवं उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है और इसने देश तथा विदेश दोनों में इन उद्यमों को उनके विपणन प्रयासों में सहायता देने के लिए कई स्कीमें बनाई हैं। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क) कच्चे माल का वितरण : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल),नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) एवं स्टर्लाइट ग्रुप, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं चैन्नई पेट्रोकैमिकल कारपोरेशन लिमिटेड जैसे थोक निर्माताओं से इस्पात, एल्युमिनियम, जिंक, पेट्रोल, कैमिकल उत्पाद एवं कोयला आदि खरीदने के लिए उनके साथ व्यवस्थाएं बनाई हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कच्चा माल उचित कीमतों पर एवं उसकी थोक मात्रा को टुकड़ों में उपलब्ध कराना है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2009-10 के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 4301 करोड़ रुपये का कच्चा माल उपलब्ध कराया गया और 31 दिसम्बर, 2010 तक 4974 करोड़ रूपये का कच्चा माल उपलब्ध कराया गया है।

ख) कन्सोर्शिया एवं टेण्डर मार्केटिंग

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग अपनी स्वयं की क्षमता के आधार पर बड़े आदेशों को प्राप्त करने और उन्हें पूरा करने में समस्याओं का सामना करते हैं, जिससे वे बड़े उद्यमों की तुलना में अपने कार्यों का निर्वहन करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। तदनुसार, एनएसआईसी ने समान उत्पादों के छोटे-छोटे निर्माताओं का उनकी क्षमताओं के आधार पर कन्सोर्शिया बनाया है जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को आपूर्तिकर्ताओं एवं क्रेताओं के रूप में सुविधाजनक स्थिति प्रदान करता है।

निगम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कंसोर्शिया की ओर से टेण्डरों के लिए आवेदन करता है और भारी मात्रा में आदेश प्राप्त करता है तथा थोक मात्रा में प्राप्त आदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार वितरित कर दिए जाते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को परीक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि ये उद्यम मानक विनिर्देशों के अनुरूप अपने उत्पादों में सुधार कर सकें तथा गुणवत्ता बनाए रख सकें। वर्ष 2009-10 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 28.13 करोड़ रुपये की विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2010 तक 12.77 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी।

ग) सरकारी खरीद के लिए एकल बिन्दु पंजीकरण : एनएसआईसी सरकारी खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम का प्रचालन करता है जिसके अंतर्गत पंजीकृत लघु उद्यमों को सरकारी खरीद कार्यक्रम में खरीद वरीयता, बयाना जमा राशि के भुगतान से छूट आदि प्राप्त होती है। इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत लघु उद्यमों को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती हैं:

i) निविदा सेट निःशुल्क जारी करना।

ii) डीजीएस एण्ड डी द्वारा जारी की गई निविदाओं की अग्रिम सूचना

iii) बयाना जमा राशि के भुगतान से छूट।

iv) जिस वित्तीय सीमा तक के लिए उद्यम पंजीकृत हैं, उस सीमा तक की जमानत राशि जमा करने से छूट।

v) उचित सत्यापन के पश्चात वित्तीय सीमा से अधिक मूल्य के आदेश के मामले में दक्षता प्रमाण पत्र जारी करना।

इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 47736 इकाइयों को पंजीकृत किया गया जब कि 31 दिसम्बर, 2010 तक इन इकाइयों की संख्या बढ़कर 49,703 हो गयी हैं।

घ) प्रदर्शनियां : भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की दक्षता को प्रदर्शित करने हेतु एनएसआईसी, स्टॉल्स के किराए तथा हवाई किराए की लागत को आंशिक रूप से पूरा करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की मार्केटिंग सहायता स्कीम के अंतर्गत रिआयती शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों आदि में उनकी प्रतिभागिता में सहायता करता है। इन आयोजनों में प्रतिभागिता से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय कार्य वातावरण की जानकारी मिलती है तथा उनकी व्यापार कुशलता बढ़ती है। इन आयोजनों में प्रतिभागिता

श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) टेकमार्क इंडिया 2010 का उद्‌घाटन करते हुए। साथ में उपस्थित हैं श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव, सूलमउ मंत्रालय, डॉ. एच.पी. कुमार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, श्री माधव लाल, तत्कालीन अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सूलमउ)

के माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को नए मार्केट तलाशने में भी सहायता की जाती है ताकि वे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकें।

ङ.) क्रेता-विक्रेता बैठकें : रेलवे, रक्षा, संचार विभागों जैसे बड़े एवं संस्थागत क्रेताओं एवं बड़ी कंपनियों को क्रेताओं द्वारा अपेक्षित निबंधनों एवं शर्तों, गुणवत्ता मानकों आदि से संबंधित जानकारी से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समृद्ध करने हेतु क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन बैठकों का उद्देश्य थोक निर्माताओं के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से वैन्डर विकास करना है।

8.5.2 प्रौद्योगिकी सहायता

क) आज के गतिशील सूचना युग में कंपनी का प्रतिस्पर्धी लाभ बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी प्रमुख है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वित्तीय, विपणन और प्रचालन कार्यनीति के लिए अतिरिक्त प्रौद्योगिकी रणनीति विकसित एवं कार्यान्वित करने तथा उसे अपनाने की आवश्यकता है जो पर्यावरण, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ उनके प्रचालनों को एकीकृत करने में सहायता करती है।

ख) एनएसआईसी अपने तकनीकी सेवा केन्द्रों तथा विस्तार केन्द्रों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निम्नलिखित सहायता सेवाएं प्रदान करता है:-

i) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से सामग्री परीक्षण सुविधाएं।

ii) कैड सहित उत्पाद डिजाइन।

iii) ईडीएम, सीएनसी, आदि जैसी मशीनों में कॉमन सुविधा सहायता।

iv) चयनित केन्द्रों में ऊर्जा और पर्यावरण सेवाएं।

v) कौशल उन्नयन के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण।

ग) वर्ष 2009-10 के दौरान, कॉमन सुविधाओं के अंतर्गत कुल 8,255 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को सेवा प्रदान की गई और 31 दिसम्बर, 2010 तक 6041 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को सेवा प्रदान की गई है।

8.5.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण सहायता

क) बैंकों के साथ टाइ-अप व्यवस्थाओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सामने एक प्रमुख चुनौती वित्तीय सूचना एवं अनौपचारिक व्यापार प्रक्रियाओं की कमी के

कारण वित्त पोषण हेतु पर्याप्त पहुंच होना है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए एनएसआईसी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आवधिक एवं कार्यशील पूंजी ऋण दिलाने में उनकी सहायता करने के लिए 12 बैंकों (अर्थात यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यस बैंक, एक्सिस बैंक, करूर वैश्य बैंक, एचएसबीसी, चाइनाट्रस्ट कामर्शियल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) के साथ टाइ-अप व्यवस्थाएं बनाई हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2010 तक 64.16 करोड़ रूपये की ऋण सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

ख) कच्चे माल के क्रय एवं विपणन कार्यकलापों के लिए वित्त पोषण (अल्पकालिक)

एनएसआईसी, कच्चे माल को क्रय करने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उसकी सप्लाई करने हेतु, थोक निर्माताओं के साथ व्यवस्थाएं बनाकर इन उद्यमों की कच्चे माल की मांगों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। यदि उन्हें ऋण सहायता की आवश्यकता होती है तो एनएसआईसी कच्चे माल को क्रय करने के लिए सप्लायरों को भुगतान के माध्यम से वित्तीय सहायता देता है। एनएसआईसी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आंतरिक विपणन, निर्यात एवं बिल डिस्काउन्टिंग जैसे विपणन कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण की सहायता प्रदान करता है।

उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत, एनएसआईसी ने वर्ष 2009-10 के दौरान 1022.41 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की जब कि 31 दिसम्बर, 2010 तक 935.22 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

ग) लघु उद्यमों के लिए परफारमेंस एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से, एनएसआईसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 'परफारमेंस एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम' कार्यान्वित कर रहा है और इस स्कीम को 07 मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों अर्थात केयर, क्रिसल, डी एण्ड बी, फिच, इकरा, ओनिकरा एवं समैरा के माध्यम से संचालित कर रहा है। रेटिंग हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा अदा की जाने वाली फीस के लिए तक 75 प्रतिशत की सीमा तक लेकिन अधिकतम 40,000/-रुपये रैटिंग के प्रथम वर्ष के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। यह स्कीम अब बहुत लोकप्रिय हो गई है और इसे अच्छा प्रत्युत्तर मिल रहा है। वर्ष 2009-10 के दौरान स्कीम के अंतर्गत कुल 7,531 इकाइयों को रेट किया

गया और 31 दिसम्बर, 2010 तक 7827 इकाइयों को रेट किया गया है। रेटिंग, इकाई की दक्षता और साख पर तीसरे पक्ष की विश्वस्त राय के रूप में कार्य करती है। एक अच्छी रेटिंग, रेट की गई इकाई की बाजार में स्वीकार्यता बढ़ाती है जिससे उन्हें शीघ्र और सस्ते ऋण की सुविधा मिलती है और इस तरह ऋण लागत की किफायत में सहायता मिलती है। यह स्कीम लोक प्रिय हो रही है और अधिक इकाइयां अपनी रेटिंग कराने के लिए आगे आ रही हैं।

8.5.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता सेवाएं

एनएसआईसी पिछले 5 दशकों के अधिक समय से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के विकास में महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है। यह देखा गया है कि उपयुक्त स्थान की उपलब्धता की कमी के कारण उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करने अथवा व्यापक प्रचार करने के लिए एक छत के नीचे अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने तथा आसान विपणन करने में समस्या का सामना कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एनएसआईसी ने निम्नलिखित प्रोजेक्टों को स्थापित करने का समुचित निर्णय लेकर आगे कदम बढ़ाया है।

क) एनएसआईसी कम्पलैक्स, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में, 'मार्केटिंग डेवलपमेंट-कम-बिजनेस पार्क' (एमडीबीपी) का निर्माण

एनएसआईसी, ओखला, नई दिल्ली में 'मार्केटिंग डेवलपमेंट-कम-बिजनेस पार्क' (एमडीबीपी) स्थापित कर रहा है। एमडीबीपी एक कलात्मक भवन होगा जिसका कुल कवर्ड क्षेत्र लगभग 37,000 वर्गमीटर होगा।

ख) हैदराबाद में 'एग्जिबिशन-कम-मार्केटिंग डेवलपमेंट- बिजनेस पार्क' (ईएमडीबीपी)

एनएसआईसी ने तकनीकी सेवा केन्द्र, हैदराबाद के परिसर, जो शहर का प्रमुख एवं सुविकसित स्थान है, में 'एग्जिबिशन-कम-मार्केटिंग डेवलपमेंट बिजनेस पार्क' स्थापित किया है। यह लगभग 15,000 वर्ग मीटर के कवर्ड क्षेत्रफल में पांच मंजिला भवन है। इस भवन के भूतल पर प्रदर्शनी हॉल है और उपरी मंजिलें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों/सेवादाताओं, आईटी एवं आईटीईएस/बीपीओ तथा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों आदि को लीज एवं लाइसेंस आधार पर दी गई हैं।

ग) बी 2 बी पोर्टल के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सूचनामध्यस्थ सेवाएं

किसी प्रकार की सफलता में सूचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तथापि, सूक्ष्म,

श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ राज्य मंत्री हैदराबाद में विपणन-सह-व्यापार पार्क के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्जवलित करते हुए

लघु एवं मध्यम उद्यमों की इन सूचनाओं तक पहुंचने की अपनी सीमाएं हैं। एनएसआईसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सूचनामध्यस्थ सेवाएं उपलब्ध कराता है। वेबसाइट (www.nsic.india.com) बनाने के अतिरिक्त, एनएसआईसी ने सूचना प्रसारण हेतु एक विशेष पोर्टल बनाया हैं। एनएसआईसी ने बी 2 बी वैब पोर्टल (www.nsic.india.com) बनाया है जो व्यापार से व्यापार (बी 2 बी) तक संबंधों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को व्यापक एवं समेकित सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

एनएसआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए एक सुदृढ़ बी 2 बी वैब पोर्टल बनाया है। यह वैब पोर्टल उन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयां काफी लाभप्रद होगी जो व्यापारिक सहयोग तथा सह उत्पादन अवसर, संयुक्त उद्यम निर्यातकों तथा आयतकों से सम्पर्क करना चाहते हैं और जो प्रौद्योगिकी अंतरण के इच्छुक हैं।

इस वैब पोर्टल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैंः –

उत्पाद विशेष के डाटाबेस की खोज, सेक्टर विशेष में अलर्ट की सुविधा सहित घरेलू टेण्डर सूचनाएं, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि से देश

विशेष की वैश्विक टेण्डर सूचनाएं, 200 से अधिक देशों की कारोबारी ट्रेड सूचनाएं, उत्पाद व सेवा एवं प्रौद्योगिकी के लिए स्वतः मैच बनाना, वास्तविक प्रदर्शनी, स्व-वैब विकास टूल, विशेषज्ञ बातचीत, क्रेता विक्रेता बातचीत एवं वीडियो कान्फ्रेसिंग, वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी सूचना, जीपीआरएस क्रियाशील मोबाइलों के लिए वैप सेवाएं, एनएसआईसी सदस्यों (गोल्ड ट्रस्ट सदस्यों) के लिए विश्वसनीय सील, प्रत्येक सदस्य के लिए केन्द्रीय मेल प्रणाली, काल सेंटर के माध्यम से ग्राहक सहायता, सदस्यता अंशदान के लिए, प्रतिविम्वित सुविधा एवं भुगतान का तरीका। इस पोटल को ओर बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है।

8.6 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्रियाकलाप

एनएसआईसी विविध क्षेत्रों में निम्नलिखित परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा हैंः-

i) नीतिगत और संस्थागत ढांचा।

ii) व्यापार विकास सेवाएं।

iii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में लगी हुई संस्थाओं का क्षमता विकास

8.7 एनएसआईसी की नई पहलें

8.7.1 सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की शेयरिंग के लिए वैश्विक साझेदारी

श्री वीरभद्र सिंह, केन्द्रीय सूलमउ मंत्री, फिसमे के श्री मोहन सुरेश और डॉ. एच.पी. कुमार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एनरासआईसी बेंगलूरू में फिसमे के सम्मेलन के दौरान

एनएसआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास पर अपने वैब पोर्टल को भी सुदृढ़ बनाया है जो www.nsicpartners.com पर उपलब्ध है। यह वैबसाइट एक अनूठा प्लेटफार्म प्रदान करती है जहां 28 देशों में एनएसआईसी के मान्यता प्राप्त साझेदार विभिन्न देशों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच स्थिर सहयोग बनाने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं।

8.7.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि के अंतर्गत लघु उद्यम स्थापनाओं के लिए एनएसआईसी प्रशिक्षण सह-इंक्यूबेशन केन्द्र (एनएसआईसी-टीआईसी)

एनएसआईसी ने बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें उद्यमिता कौशल विकसित करने के प्रयोजन से सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि के अंतर्गत नए प्रशिक्षण-सह-इंक्यूबेशन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए अपनी पहलें जारी रखी है, जिनके माध्यम से वे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपना निजी उद्योग लगा सकते हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान 24 प्रशिक्षण-सह-इंक्यूबेशन केन्द्र स्थापित किए गए थे और इस प्रकार इस वर्ष में इन प्रशिक्षण-सह-इंक्यूबेशन केन्द्रों की संख्या 45 हो गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2010 तक 5 नए केन्द्र स्थापित करके अब इन केन्द्रों की संख्या 50 हो गई है।

8.7.3 ओखला, नई दिल्ली में ई-लर्निंग केन्द्र की स्थापना

सभी प्रशिक्षण-सह-इंक्यूबेशन केन्द्रों में लैक्चर एवं प्रशिक्षण को एक जैसा बनाए रखने के उद्देश्य से, एनएसआईसी ने ओखला, नई दिल्ली में ई-लर्निंग केन्द्र स्थापित किया है जिससे उम्दा गुणवत्ता एवं मानकीकृत प्रशिक्षण इलेक्ट्रानिकी के माध्यम से प्राप्त करने के लिए सभी प्रशिक्षण-सह-इंक्यूबेशन केन्द्रों के साथ जोड़ा गया है। एनएसआईसी के इस स्टूडियो से विभिन्न प्रशिक्षण मोड्यूल्स पर लैक्चर्स सभी प्रशिक्षण-सह-इंक्यूबेशन केन्द्रों को इन्टरनेट के माध्यम से प्रस्परित किए जाते हैं। इस स्टूडियो का उपयोग निगम के कार्यालयों से वीडियो कान्फ्रेन्सिग के लिए भी किया जाता है।

8.7.4 विपणन आसूचना सैल

एनएसआईसीसी ने उन विभागों/ एजेंसियों, जिनकी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर प्रधानमंत्री के टास्कफोर्स द्वारा जनवरी, 2010 में संस्तुति की गई, के समन्वयन से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों की विपणन आसूचना

प्राप्त करने एवं उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए विपणन आसूचना सैल स्थापित किया है। यह सैल एक ही छत को नीचे समुचित सूचनाएं प्राप्त करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता करता है जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अपना विकास करने के लिए अपनी योग्यता बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं तथा स्वयं को वैश्विक मांगो के अनुरूप ढाल सकते हैं।

श्री टी.के.ए. नायर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नई दिल्ली में ''सूलमउ-विपणन इंटेलिजेंश प्रकोष्ठ'' का उद्घाटन करते हुए

8.8 2010–11 के आयोजन (कार्यक्रम)

क्र. सं.	तारीख	कार्यक्रम
1.	13 से 17 अप्रैल, 2010	ब्राज़ील में चौथे त्रि- राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभागिताः एनएसआईसी ने ब्रैसिलिया, ब्राज़ील में आयोजित चौथे आईबीएसए शिखर सम्मेलन के साथ-साथ आयोजित चौथे त्रि- राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। त्रि- राष्ट्रीय सम्मेलन के तीन संगठनों अर्थात भारत से एनएसआईसी, ब्राज़ील से सैबाई तथा दक्षिण अफ्रीका से सैडा ने त्रि- राष्ट्रीय सहयोगियों के रूप में तीनों देशों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित मुद्दों एवं उनके विकास के लिए अपने अनुभवों को बांटने तथा इन तीनों देशों के उद्यमों के बीच उद्यम से उद्यम तक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
		चौथे त्रि- राष्ट्रीय सम्मेलन की अंतिम रिपोर्ट आईबीएसए फोरम में तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों अर्थात ब्राज़ील गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति मि. एल.आई लुला डा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति मि जे.जी. जूमा और भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में नई प्रौद्योगिकियों एवं नए परिवर्तनों तक पहुंच बनाने, तीनों देशों के बीच कमर्शियल सान्निकटता तथा उद्यमों को प्रोन्नत करने हेतु जानकारी एवं प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान पर प्रकाश डाला गया है।

क्र. सं.	तारीख	कार्यक्रम
2.	19 अप्रैल, 2010	श्री दिनशा पटेल, माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की उपस्थिति में 19 अप्रैल, 2010 को त्रिनिदाद एवं टोबेगो में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए एनएसआईसी एवं हाउस ऑफ असैम्बली, डिवीजन आफ फाइनेन्स एंड इन्टरप्राइज (त्रिनिदाद एवं टोबेगो सरकार) के बीच परस्पर सहयोग के करार पर हस्ताक्षर किए गए। इन्डो-त्रिनिदाद चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (आईटीसीसीआई) के निदेशक के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय व्यापारिक शिष्टमंडल ने दिनांक 27 अप्रैल, 2010 को एनएसआईसी का दौरा किया तथा एनएसआईसी के इन्क्यूबेशन केन्द्र में गहरी रूचि दिखाई।
3.	20 से 24 अप्रैल, 2010	जोहान्सबर्ग यूनीवर्सिटी के सोवेटो कैम्पस स्थित लघु व्यापार विकास (सीएसबीडी) केन्द्र के निदेशक मि. थामी मज़वाई ने भारत के व्यापार विकास माडल के बारे में जानने तथा सरकारी एवं निजी पहलों के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास में भारत की सफलता का पता लगाने के लिए एनएसआईसी का दौरा किया।
4.	28 अप्रैल, 2010	कीनिया के उप राष्ट्रपति के कार्यालय में स्थाई सचिव डा. लिन्डेकी च्वैया के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 28 अप्रैल, 2010 को एनएसआईसी के ओखला इन्क्यूबेशन केन्द्र का दौरा किया।
5.	9 से 17 मई, 2010	लोकल इन्टरप्राइज अथारिटी (एलईए), बोत्सवाना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने एनएसआईसी का दौरा किया। भ्रमणकारी शिष्टमंडल ने इन्क्यूबेशन के एनएसआईसी मॉडल में गहरी रूचि दिखाई।

क्र. सं.	तारीख	कार्यक्रम
6.	11 मई, 2010	लोकल इन्टरप्राइज अथारिटी (एलईए) के निदेशक मंडल के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 11 मई, 2010 को एनएसआईसी का दौरा किया। एनएसआईसी ओखला इंक्यूबेशन पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया।
7.	18 मई, 2010	आईआईडीएफसी, बंगलादेश के चेयरमैन मौ. मतीउल इस्लाम ने एनएसआईसी का दौरा किया। दोनों देशों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास हेतु अपने अनुभवों को बांटने के लिए एनएसआईसी एवं आईआईडीएफसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
8.	8 जून, 2010	फैडरल माइक्रो एवं स्मॉल इन्टर प्राइजेज डेवलपमेंट एजेंसी, अदीस अबाबा के एक 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ने एनएसआईसी के इन्क्यूबेशन केन्द्र का दौरा किया।
9.	16 जून, 2010	बोत्सवाना के उप राष्ट्रपति लेफ्टिनेन्ट जनरल मोमपाति सैबोगोडी मैराफहे ने एनएसआईसी का दौरा किया। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में एनएसआईसी एवं बोत्सवाना की लोकल इन्टरप्राइज अथारिटी के बीच परस्पर सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बोत्सवाना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी-सह-व्यापार इंक्यूबेशन केन्द्रों को स्थापित करने व नीतियों एवं संस्थागत फ्रेमवर्क को विकसित करने संबंधी विषयों को समझौता ज्ञापन में शामिल किया गया है।
10.	9 जुलाई, 2010	ईरान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के लिए भारत के माननीय विदेश मंत्री की उपस्थिति में एनएसआईसी एवं ईरान स्माल इंडस्ट्रीज एवं इंडस्ट्रियल पार्कस आर्गनाइजेशन (आईएसआईपीओ) के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

क्र. सं.	तारीख	कार्यक्रम
11.	10 से 13 नवम्बर, 2010	एनएसआईसी ने इंग्लैण्ड में भारतीय उच्चायोग के निमंत्रण पर, वर्मिंघम (इंग्लैण्ड) में 26 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय शिष्टमंडल के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सम्मेलन-सह-क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रतिनिधियों को उभरती हुई पर्यावरण मैत्री प्रौद्योगिकियों को दिखाने के लिए आस्टोन यूनीवर्सिटी व यूनीवर्सिटी ऑफ लॉघबोरो के दौरे आयोजित किए गए।

एनएसआईसी और बोत्स्वाना के स्थानीय उद्यम प्राधिकरण के मध्य परस्पर सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। डॉ. एच.पी. कुमार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी ने बोत्स्वाना के माननीय उप-राष्ट्रपति ले. जनरल मोमपति सेबोबोडी मराफे की उपथिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

8.9 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएसआईसी

8.9.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनएसआईसी ने गुवाहाटी में जोनल कार्यालय तथा समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 उप-कार्यालय खोले हुए हैं।

8.10 भविष्य के लिए मुख्य व्यापार

आज के आर्थिक परिवेश में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान निगम के लिए आगामी भविष्य विकास नीति पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भविष्य के लिए निगम के जोर देने वाले क्षेत्र निम्नलिखित रहेंगेः-

i) सक्रियात्मकता तथा साझेदारी बढ़ाना-भारत में सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के लिए स्वयं केन्द्र की स्थापना।

ii) एनएसआईसी की पहुंच को दूरदराज के क्षेत्रों तक बढ़ाना।

iii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के उत्पादों के विपणन के अवसरों का पता लगाना।

iv) इसकी विपणन स्थिति को व्यापक रूप से संस्थापित करना और इसकी सेवाओं को फैलाना।

v) आधार संरचना का ईस्टत्म उपयोग।

8.11 पुरस्कार एवं सम्मान

एनएसआईसी को उसके व्यापार तथा कार्यों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए लगातार कई पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा एनएसआईसी-राउरकेला को ''सेवा में उत्कृष्टता'' पुरस्कार प्रदान किया गया है। एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र, चैन्नई ने सचिव, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 16 मई, 2010 को आयोजित नैगम सामाजिक दायित्व के अधीन ''भारत-2020 में एक महाशक्ति'' शीर्षक के अंतर्गत अपने यहां प्रशिक्षण व प्रोजेक्ट्स के आयोजन द्वारा छात्रों को कौशल प्रदान करने हेतु यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी करने के लिए वेल टैक टेक्नीकल यूनिवर्सिटी से पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

9 प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास एवं अन्य स्कीमें

कौशल विकास कार्यक्रम प्रगति पर

अध्याय IX

प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास एवं अन्य स्कीमें

9.1 पृष्ठभूमि

9.1.1 उद्यमिता को आर्थिक विकास के लिए एक स्तंभ माना जाता है। यह सुस्थापित है कि किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का स्तर, बहुत अधिक रूप से उस क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों के स्तर पर निर्भर करता है। यह मिथक, कि उद्यमी जन्मजात होते हैं, अब सही नहीं माना जाता, बल्कि अब यह जाना जाने लगा है कि उद्यमी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के रूप में समुचित हस्तक्षेपों के माध्यम से सृजित एवं विकसित किए जा सकते हैं।

9.1.2 सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ-साथ उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के इस दौर में सक्षम उद्यमी विकसित परिदृश्य से प्राप्त अवसरों का लाभ ले रहे हैं। तथापि, जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग, विशेषकर, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र, इन अवसरों का लाभ उठाने में पीछे रह जाते हैं। इसलिए, आर्थिक विकास की इस प्रक्रिया में उन्हें मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों को कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

9.1.3 इस प्रकार, उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के विकास, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए मुख्य कुंजी है। इस कार्य को नियमित रूप से संचालित करने के लिए मंत्रालय ने तीन राष्ट्रीय स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) की स्थापना की है। इनके नाम हैं- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद, भारतीय

उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी एवं राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), नोएडा (उ.प्र.)। इसके अतिरिक्त मंत्रालय, प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता नामक एक महत्वपूर्ण स्कीम (विकास आयुक्त (सूलमउ) के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के अतिरिक्त) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे हाल ही में संशोधित किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य, प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उद्यम स्थापित करने में उनकी सहायता करते हुए नए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से स्थानीय उद्यमिता का विकास करने के साथ-साथ, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता-आधार को विकसित करना एवं स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहित करना है।

श्री दिनशा पटेल तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निम्समे परिसर में नए निर्मित अतिरिक्ति तल का उद्घाटन करते हुए। साथ में उपस्थित हैं श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव (सूलमउ) श्री सौरभ चन्द्रा, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्री माधव लाल, तत्कालीन अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सूलमउ) और श्री अमरेन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव

9.1.4 इसके अतिरिक्त, नए उद्यमों की स्थापना में 'ईडीपी' प्रशिक्षणार्थियों की सफलता की दर को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने 'राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना' (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन एवं पथ प्रदर्शन के लिए योजना) नामक एक नई योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, अग्रणी एजेंसियों अर्थात 'उद्यमी मित्रों' को नियुक्त करने के माध्यम से प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को पथ प्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत, 'उद्यमी मित्र', अपने साथ पंजीकृत संभावित उद्यमियों को, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, वित्त की व्यवस्था करने, प्रौद्योगिकी के चयन, क्रेताओं के साथ विपणन-गठबंधन, संयत्र और मशीनरी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न अनुमोदन, क्लीयरेंस एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि लेने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराते हैं। नए उद्यमियों को यह पथप्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराने के लिए, 'उद्यमी मित्रों' को इस योजना के अंतर्गत पथप्रदर्शन प्रभार का भुगतान किया जाता है।

9.2 मौजूदा एवं नये उद्यमिता विकास संस्थानों (ईडीआई) की प्रशिक्षण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता स्कीम

9.2.1 इस स्कीम के अंतर्गत मौजूदा एवं नई प्रशिक्षण संस्थाओं को उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) की स्थापना एवं मैचिंग आधार पर उनकी प्रशिक्षण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय, मैचिंग आधार पर, भूमि की लागत और कार्यशील पूँजी के अतिरिक्त परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं अथवा 150 लाख रू., जो भी कम हो (पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह के लिए परियोजना लागत का 90 प्रतिशत अथवा 270 लाख रू. जो भी कम हो) सहायता प्रदान करता है। मैचिंग अंशदान के शेष 50 प्रतिशत (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों अथवा संघशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों

में राज्य स्तरीय ईडीआई के लिए 10 प्रतिशत) की पूर्ति संबंधित संस्थान, राज्य/ संघशासित सरकार, सार्वजनिक संस्थान(नों), गैर-सरकारी संगठनों/ न्यासों/ बैंकों/ कंपनियों/ सोसाइटियों/ स्वैच्छिक संगठनों आदि द्वारा की जानी चाहिए।

9.2.2 सहायता अवसंरचना के सृजन के लिए है। जमीन, राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था अथवा आवेदक द्वारा ही उपलब्ध कराई जानी होती है। वित्तीय सहायता भवन निर्माण, प्रशिक्षण सामग्री/उपकरणों, कार्यालय उपकरणों, कम्प्यूटरों की खरीद एवं अन्य सहायता सेवाओं जैसे- पुस्तकालय/डाटाबेस आदि उपलब्ध कराने के लिए है। जमीन की लागत, स्टॉफ क्वाटर्स का निर्माण आदि, केन्द्र सरकार के मैचिंग अनुदान की गणना के लिए योग्य नहीं होती है। इस स्कीम के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि सभी प्रस्तावों पर संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा सिफारिश की जानी अपेक्षित होती है एवं उनके माध्यम से ही आएं।

9.2.3 इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थाओं को, उद्यमिता एवं/अथवा कौशल विकास के क्षेत्र में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) एवं उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपीएस) एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के संचालन के लिए सहायता प्रदान कराई जाती है।

(क) राष्ट्रस्तरीय ईडीआई (शाखाओं सहित),

(ख) राष्ट्रस्तरीय ईडीआई की सहयोगी संस्थाओं द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थाएँ,

(ग) 'एनएसआईसी' के प्रशिक्षण/ इंक्यूबेशन केन्द्र,

(घ) 'एनएसआईसी' द्वारा स्थापित प्रशिक्षण-सह-इंक्यूबेशन केंद्र

(ड़) इस स्कीम के अधीन अनुमोदित व्यावसायिक सक्षमता, क्षमता एवं अनुभव वाली अन्य प्रशिक्षण संस्थाएँ।

9.2.4 उद्यमिता और कौशल विकास (एसडीपी) प्रशिक्षण, सामान्यतः 100 से 300

घंटों (1 से 3 माह) का होगा। उद्यमिता विकास (ईडीपी) प्रशिक्षण 72 घंटों (2 सप्ताह) एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 300 घंटों का होगा। अधिकतम प्रशिक्षण सहायता (प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटा) निम्नलिखित दरों तक सीमित होगी।

विवरण	अधिकतम सहायता प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटा (रुपए)
अजा/अजजा/शारीरिक विकलांग/पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), संघशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह (एनईआर+)	
जिला मुख्यालय (एचक्यू)	60/-
जिला मुख्यालय के अलावा शहरी क्षेत्र	50/-
ग्रामीण क्षेत्र	40/-
अन्य	
जिला मुख्यालय (एचक्यू)	50/-
जिला मुख्यालय के अलावा शहरी क्षेत्र	40/-
ग्रामीण क्षेत्र	30/-

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता 60 रुपए प्रति प्रशिक्षु प्रति घंटा की दर पर प्रदान की जाएगी।

9.2.5 इसको अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघशासित सरकारों की योजनाओं की सहायता से वृत्तिका, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार की योजनाओं में उपलब्ध लाभों के साथ समन्वित करना संभव होगा। (बिना किसी पुनरावृत्ति के)

9.3 राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), नोएडा, उ.प्र.

9.3.1 राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) की स्थापना विभिन्न संस्थानों, विकासशील उद्यमिता

में लगी एजेंसियों मुख्यतः लघु उद्योग, लघु व्यवसाय और मानव संसाधनों की गतिविधियों के समन्वयन और अवलोकन के लिए 1983 में की गई है । संस्थान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है जिससे सम्पूर्ण भारत और 115 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय देशों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ हुआ है।

9.3.2 संस्थान की प्रमुख गतिविधयों में उद्यमिता सहायता और संवर्धन में लगे विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों सहित भिन्न-भिन्न लक्षित समूहों के लिए उद्यमिता विकास के उद्देश्य की आवश्यकता की पहचान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना संबंधित स्थानों एवं लक्षित समूहों तथा क्लस्टरों की उपयुक्तता हेतु विकासशील उद्यमियों की मानक क्षेत्रीय परीक्षित रणनीति और पद्धति तैयार करना, नीतियां बनाने और स्व-रोजगार, उद्यमिता तथा औद्योगिक विकास से संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वित करना, प्रबंधन दक्षता, उत्पादकता तथा मौजूदा उद्यमियों द्वारा अपनाई गई पद्धति में सुधार के लिए आवश्यक परामर्श सेवाओं का प्रस्ताव, उद्यमिता/उद्यम विकास से संबंधित सूचना प्रलेखन और प्रसार आरंभ करना, उद्यमिता/उद्यम विकास से संबंधित साहित्य एवं सूचना सामग्री तैयार करना और प्रकाशित करना, भिन्न-भिन्न समूहों के लिए मुख्यतः सेमीनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के माध्यम से विचारों/अनुभवों का आपस में आदान-प्रदान करने के लिए फोरम उपलब्ध कराना, नई आर्थिक उद्यमों की स्थापना में समस्याओं का अध्ययन और संचयी उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने संबंधी ज्ञान सृजित करने हेतु अनुसंधान/समीक्षा अध्ययन आयोजित करना, समाज के भिन्न-भिन्न स्तरों में उद्यमिता की संस्कृति संवर्धित करने के लिए विभिन्न मीडिया के प्रयोग की प्रस्तुति, डिजाइनिंग और सहायता शामिल है।

9.3.3 वर्ष 2010-11 के दौरान संस्थान ने 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार

10,939 भागीदारों के साथ भिन्न-भिन्न लक्षित समूहों के लिए 340 प्रशिक्षण गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का श्रेणीवार ब्यौरा तालिका 9.1 में दिया गया है:-

तालिका 9.1: 2009-10 और 2010-11 के दौरान निसबड का कार्य निष्पादन

क्र. सं.	कार्यक्रमों का संवर्ग	2009-10 (31 दिसंबर, 09 तक)		2010-11 (31 दिसंबर, 10 तक)	
		कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	प्रशिक्षकों/प्रोत्साहकों का प्रशिक्षणय लघु व्यवसाय अवसर और विकास तथा उद्यमिता सतत शिक्षा कार्यक्रम	21	380	17	298
2.	उद्यमिता-सह - कौशल विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम/कौशल विकास कार्यक्रम	131	3426	219	5,543
3.	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	03	48	05	104
	कुल	**155**	**3,854**	**241**	**5,945**
4.	सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन/ जागरुकता सह-प्रेरणा अभियान	110	5,378	89	4,994
	कुल	**265**	**9,232**	**330**	**10,939**

उक्त आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2009-10 की संगत अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित 8232 भागीदारों के साथ 265 कार्यक्रमों की तुलना में हैं। यह 2009-10 से आगे वर्ष 2010-11 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संदर्भ में 25 प्रतिशत तथा भागीदारों के संदर्भ में 19 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करता है।

9.3.4 संस्थान द्वारा भिन्न-भिन्न अफ्रो-एशियन देशों के तैयार 54 भागीदारों के साथ 3 नियमित घोषित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे जो लघु व्यवसाय योजना और संवर्धन, व्यवसाय सलाह, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास तथा उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण थे।

9.3.5 उक्त अवधि की प्रशिक्षण गतिविधियों की विस्तृत मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैंः-

(i) मंत्रालय की प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता स्कीम के अधीन उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम और उद्यमिता सह-कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ आयोजित अधिकांश प्रशिक्षण गतिविधियॉं।

(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की राजीव गॉंधी उद्यमी मित्र योजना के अधीन 155 लाभार्थियों और हाल ही में मंत्रालय द्वारा बनाकर प्रचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कॉल सेन्टरों के कार्यकारियों के लिए 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(iii) आईटीआई के 68 प्रधानाचार्यों और वरिष्ठ संकाय के साथ 5 अभिमुखी कार्यक्रम रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किए गए।

(iv) ''आरटीआई, आईटी और व्यवहारिक सक्षमता और अन्य रोजगार उन्नमुख समारोह'' पर एक पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया।

(v) उक्त अवधि में संबंधित प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद भिन्न-भिन्न उद्योगों में लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में सहायता हेतु संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों के 109 भागीदारों को भी दर्शाया गया।

(vi) इसके अतिरिक्त 284 लाभार्थियों को उक्त अवधि के दौरान अपने स्वयं के उद्यमों की स्थापना के लिए समर्थ बनाने हेतु सहायता/मार्गदर्शन दिया गया।

9.3.6 संस्थान द्वारा उक्त अवधि के दौरान कुल 89 सेमिनार/कार्यशाला, आदि आयोजित की गई जिनमें 4994 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस श्रेणी के अंतर्गत अधिकांश गतिविधियों में भिन्न-भिन्न विषयों पर औद्योगिक क्लस्टरों में जागरूकता सह-प्रेरणा अभियान शामिल थे।

श्री अरुण कुमार झा, महानिदेशक, निसबड प्रमाण-पत्र देते हुए

9.3.7 सरकार के प्रयासों के अनुरूप इसका उद्देश्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कुशल जन-शक्ति की आपूर्ति बढ़ाना था। संस्थान ने 5543 भागीदारों के लिए कुल 219 उद्यमिता सह-कौशल विकास

कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए थे जिनमें महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का अधिकतर प्रतिनिधित्व था। इन कार्यक्रमों में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का व्यापार, मोबाईल मरम्मत, खुदरा प्रबंधन, डेस्कटॉप प्रकाशन, सत्कार, जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटरीकृत डिजाइन, सुरक्षा सेवाएं, मशीन कशीदाकारी और ट्रेसिंग, गारमेंट ड्रफ्टिंग, कृत्रिम नग और जेवर, सौन्दर्य और स्वास्थ्य केयर, निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखन, विद्युत पुरजों की मरम्मत और अनुरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, मशीन कशीदाकारी और ट्रेसिंग, कृषि उत्पादों का गोदान और प्रस्तुति, इनवर्टर असेम्बिलिंग आदि थे।

9.3.8 संस्थान कुल 26 क्लस्टरों में भिन्न-भिन्न कार्य देख रहा है। इन क्लस्टरों में वर्तमान वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा निष्पादित कार्यों की विस्तृत रूपरेखा नीचे दी गई हैः-

(i) बॉनवेयर, लोनी के क्लस्टरों और ब्रास क्लस्टर मुरादाबाद में कंप्यूटरीकृत डिजाइन विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और ब्रास क्लस्टर मुरादाबाद में निर्यात प्रलेखन और प्रक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(ii) टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर, पिलखुआं की 25 इकाईयों में 5 एस(सिगमा) कार्यान्वयन पूरा किया

(iii) ऑटो क्लस्टर, गुड़गांव और बॉनवेयर क्लस्टर, लोनी में साफ्ट इंटरवेशन के कार्यान्वयन के बारे में तथा हार्ड इंटरवेंशन के मुख्य ब्यौरे पर चर्चा के लिए भिन्न-भिन्न पणधारियों के साथ बैठकों का आयोजन।

(iv) कुरुक्षेत्र, अमृतसर, होसियारपुर (वुडन इनले क्लस्टर) और ऊना (प्लांट फाइवर क्लस्टर) के खादी क्लस्टरों में समग्र प्रगति की समीक्षा।

(v) कशीदाकारी क्लस्टर मेरठ के लिए नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट आदि तैयार करना।

(vi) सुगंधी स्टिक (अगरबत्ती) क्लस्टर कन्नौज के कार्य की प्रगति की समीक्षा।

(vii) कैंची क्लस्टर मेरठ में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करना।

(viii) आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2010 में भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भिन्न-भिन्न क्लस्टरों के उत्पादों के लिए विपणन लिंकेज का संवर्धन।

(ix) कृत्रिम जेवर क्लेस्टर मेरठ, कशीदाकारी क्लस्टर मेरठ तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग क्लस्टर, साहिबाबाद में नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना।

9.3.9 प्रशिक्षण गतिविधियों की पहुंच बढ़ाने के लिए भागीदार संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास केन्द्र की स्कीम के अधीन संस्थान ने उक्त अवधि के दौरान अपने भागीदार संस्थानों के रूप में कुल 22 पात्र व सक्षम संगठन/एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। 1750 भागीदारों के लिए कुल 70 प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय की प्रशिक्षण संस्थान सहायता स्कीम के अधीन इन एजेंसियों के माध्यम से वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित किए जाने हैं।

9.4 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद

9.4.1 राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, जिसे पहले राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (निसिएट) के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1960 में हुई थी। विशिष्ठ विद्यालय के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं व प्रत्येक विद्यालय में विषयक केन्द्र और प्रकोष्ट पर ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक परिषद केन्द्रक समन्वय निकाय होती है जो संदर्भित अंतरों के समाधान के मूल्यांकन और अभिमूल्यांकन के लिए रूपरेखा तैयार करके परिमाणात्मक और गुणात्मक निदेश चिन्ह के साथ शैक्षिक गतिविधियां और कार्यक्रम तैयार करती है।

9.4.2 अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान, संस्थान ने राष्ट्रीय

उद्घोषित प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत 126 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 4054 व्यक्तियों ने भाग लिया। वर्ष की शेष अवधि के दौरान 520 भागीदारों के लिए 17 कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है। दिसंबर 2010 के अंत तक विभिन्न विकासशील देशों के 244 वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए 15

श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव (सूलमउ), श्री सौरभ चन्द्रा, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्री माधव लाल, तत्कालीन अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, श्री शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव निम्समे की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान

अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषित कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा वर्ष की शेष अवधि के दौरान अधिक से अधिक 70 कार्यकारियों को कवर करने के लिए 6 और कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना है। इसी अवधि के दौरान 56 सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें प्रतिनिधिमंडल के 4469 सदस्यों ने भाग लिया। 3 और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना है जिसमें 120

श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैदराबाद में निम्समे में राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के भागीदारों को सम्बोधित एवं राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों को संदेश देते हुए

प्रतिनिधिमंडल सदस्यों के भाग लेने की संभावना है। अप्रैल 2010- दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान 91 अनुसंधान और परामर्श परियोजनाएं शुरू की गई और वे प्रगति पर हैं। 2009-10 (वास्तविक) और 2010-11 (31 दिसंबर 2010 तक) के दौरान तथा 2010-11 की शेष अवधि के दौरान संस्थान का निष्पादन और प्रक्षेपण अनुमान तालिका 9.2 में दिया गया है:-

तालिका 9.2 : वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान एनआई-एमएसएमई का कार्यनिष्पादन:

कार्यक्रमों के प्रकार	2009.10		2010.11					
			1.4.2010 से 31.12.2010 तक (वास्तविक)		1.1.2011 से 31.3.2011 तक (लक्षित)		कुल	
	कार्यक्रम	प्रतिभागी	कार्यक्रम	प्रतिभागी	कार्यक्रम	प्रतिभागी	कार्यक्रम	प्रतिभागी
उद्यमिता विकास कार्यक्रम								

सूलमउ मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता के अंतर्गत कार्यक्रम :								
निम्समी शीर्ष संस्थान के रूप में	07	175	25	715	87	2610	112	3325
भागीदार संस्थानों द्वारा कार्यक्रम	00	00	160	4600	150	3566	310	8166
काउंसिलिंग, पुनः प्रशिक्षण एवं सीपीएसयू के न्यायसंगत कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति	29	1254	11	567	04	200	15	767
सामाजिक रूप से चुनौती प्राप्त युवकों के लिए आई टी के क्षेत्र में कौशल विकास	00	00	01	32	00	00	01	32
कौशल विकास ईडीपी								
अन्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम	17	520	36	1440	12	360	48	1800
अन्य कार्यक्रम								
राष्ट्रीय :								
घोषित	21	915	12	241	03	30	15	271
प्रायोजित	46	1669	38	2252	02	65	40	2317
अंतर्राष्ट्रीय :								
घोषित	12	222	14	233	04	50	18	283
प्रायोजित	02	31	01	11	02	20	03	31
सेमिनार और कार्यशाला	95	6779	57	4336	03	120	60	4456
परामर्शी एवं अनुसंधान	76		91				91	
कुल	**305**	**11565**	**446**	**14427**	**267**	**7021**	**713**	**21448**

श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव (सूलमउ), निम्समे, हैदराबाद में भागीदारों को सम्बोधित करते हुए

9.4.3 निम्समी ने पहले ही 22 भागीदार संस्थानों को नामांकित किया है। सूलमउ मंत्रालय ने निम्समी के लिए 105 कार्यक्रमों के लिए 3150 उम्मीदवार तथा 235 कार्यक्रमों के लिए 6290 उम्मीदवार वर्ष 2010-11 के लिए निम्समी के भागीदार संस्थानों के माध्यम से निर्दिष्ट किए हैं। 31 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार निम्समी के द्वारा 25 कार्यक्रम और भागीदार संस्थानों के द्वारा 5315 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 5315 उम्मीदवार शामिल हुए। शेष कार्यक्रम 31 मार्च 2011 से पूर्व पूरे होने संभावित हैं।

श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रशिक्षण कार्यक्रम के सत्र का उदघाटन करते हुए। साथ में उपस्थित हैं श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव (सूलमउ) और डॉ. चुक्का कौन्दैया, प्रधान निदेशक, निम्समे

9.5 भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी

9.5.1 भारतीय उद्यमिता संस्थान 31 मार्च 2011 को अपने प्रचालन के 17 वर्ष पूरे कर रहा है। उक्त अवधि के दौरान संस्थान ने सूलमउ कार्यकलापों के सभी पहलूओं को शामिल करते हुए अपने कार्यकलापों का विस्तार किया है। संस्थान ने अपनी स्थापना से मार्च 2010 तक 1933 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन आदि का आयोजन किया है, जिनमें 71275 व्यक्तियों ने भाग लिया।

9.5.2 वर्ष 2009-10 (वास्तविक) एवं 2010-11 (31 दिसंबर, 2010 तक) के दौरान संस्थान के कार्यनिष्पादन का विवरण निम्न तालिका 9.3 में दर्शाया गया हैः-

तालिका 9.3 : वर्ष 2009-10 और वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय उद्यमिता संस्थान का कार्यनिष्पादन

क्रम सं.		2009-10		2010-11 दिसंबर, 2010 तक	
	कार्यक्रमों के प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1	ईडीपी	114	3045	64	1810
2	ईएसडीपी/एसडीपी	11	284	193	5131
3	एमडीपी	45	1292	15	450
4	अन्य	127	7403	41	1882
	कुल	**297**	**12024**	**313**	**9273**

9.5.3 उद्यमिता विकास के लिए वातावरण सृजन के महत्व को समझते हुए, संस्थान ने उद्यमिता के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वर्ष के दौरान, संस्थान ने 33 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 1337 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ब्यौरा नीचे तालिका 9.4 में दिया गया है:-

तालिका 9.4

क्र. सं.	श्रेणी	कार्यक्रम	उम्मीदवार
1	स्वरोजगार के लिए युवकों को प्रोत्साहित करना	1	40
2	उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए उन्नमुखन	4	103
3	उद्यमियों के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम	7	213
4	ईएपी/ईएसी/एफएपी के लिए लघु अवधि कार्यक्रम	21	981
	कुल	**33**	**1337**

9.5.4 विद्यार्थियों में उद्यमिता पर जागरूकता सृजन संस्थान के कोर क्षेत्रों में से एक है। संस्थान विश्वविद्यालय और कॉलेज अध्यापकों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कैम्प आयोजित करता है।

संस्थान ने कॉलेज के अध्यापकों के लिए एक संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें 31 कॉलेज अध्यापकों ने भाग लिया।

9.5.5 संस्थान सेमिनार, कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन आयोजित करता आ रहा है जिसमें विभिन्न एजेंसियों और उद्यमियों के बीच अन्तर क्रिया और विचारों का आदान-प्रदान होता है। वर्ष 2010-11 के दौरान, संस्थान ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों की वृद्धि और विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर इस प्रकार की 02 कार्यशालाएं/बैठकें आयोजित कीं। 136 प्रतिभागियों ने इन कर्यशालाओं/सेमिनारों/ बैठकों में भाग लिया।

9.5.6 सूलमउ मंत्रालय की प्रायोजकता के अंतर्गत संस्थान ने जेम स्टोन प्रोसेसिंग और होजरी और ऊनी वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक उद्यमिता विकास (सीईडीपी) का एक अनोखा कार्यक्रम आरंभ किया है। संस्थान, गुवाहाटी, आईजाल, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश में स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्रों में, जेम स्टोन प्रोसेसिंग और होजरी प्रोसेसिंग के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के माध्यम से संभावित उद्यमियों और कारीगरों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह इन क्षेत्रों में संभावित उद्यमियों को इन्क्यूबेशन सुविधा और तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन और बाजार सम्पक्र उपलब्ध कराता है।

9.5.7 ग्रामीण रोजगार की समस्या को दूर करने के वैकल्पिक समाधान के रूप में सिडबी ने नवंबर 1993 में ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम (आरआईपी) नामक एक पायलट परियोजना आरंभ किया। भारतीय उद्यमिता संस्थान ने अपना पहला आरआईपी कार्यक्रम असम के नौगांव जिला में वर्ष 1996 में शुरू किया। अब संस्थान ने अपनी आरआईपी गतिविधियों को मेघालय,

मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में भी फैला लिया है। अब तक, संस्थान ने असम में 295 इकाई, मेघालय में 176 इकाई, मणिपुर में 71 इकाई, नागालैंड में 64 इकाई और मिजोरम में 35 इकाई आरआईपी के अंतर्गत स्थापित की हैं।

9.5.8 क्षेत्रीय एप्रोच के माध्यम से उद्यमिता विकास की हालिया वैश्विक प्रक्रिया की प्रवृति को देखते हुए, 'आईआईई', ने वित्तीय लिंकेज के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षरणशील लघु और पारम्परिक औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्लस्टर विकास प्रयास आरंभ किए

हैं। संस्थान ने उत्तराखंड और अरूणाचल प्रदेश में हथकरघा क्लस्टर में भी हस्तक्षेप आरंभ किए हैं।

9.5.9 आईआईई ने खादी, ग्रामोद्योग और कयर क्षेत्र को 14 क्लस्टरों के लिए तकनीकी एजेंसी की भूमिका प्रदान की है। आईआईई ने प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला की एक श्रृंखला आयोजित की है जिसमें कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आईआईई ने

विभिन्न क्लस्टरों के लिए योजनाबद्ध क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए विभिन्न पेशेवर और सहायता संस्थाओं के साथ सम्पर्क को भी सुविधा प्रदान की है। आईआईई ने कार्यान्वयन एजेंसियों को डिजाइनरों, प्रौद्योगिकी वेत्ता और बुनकर सेवा केंद्र आदि संस्थानों के साथ सम्पर्क उपलब्ध कराने के माध्यम से डिजाइन विकास और प्रौद्योगिकी की इनफ्यूजन दोनों रूपों में उत्पाद विकास में सहायता प्रदान की है। आईआईई ने ई-पोर्टल के विकास, क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने, विपणन विशेषज्ञों और रिटेल गृहों आदि के साथ सम्पर्क के माध्यम से विभिन्न क्लस्टरों को विपणन संवर्धन में सहायता प्रदान की है। संस्थान ने 9 सॉफ्ट इंटरवेशन, 7 नैदान-पूर्व अध्ययन, क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र के अंतर्गत 2 नैदानिक अध्ययन आयोजित किए। वर्तमान में 7 नैदान-पूर्व अध्ययन और 4 सॉफ्ट इंटरवेंशन चल रहे हैं।

9.6 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आर.जी.यू.एम.वाई)

9.6.1 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना का उद्देश्य चयनित शीर्ष एजेंसियों अर्थात 'उद्यमी मित्रों' के माध्यम से संभावित प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को नए उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन, उद्यम की स्थापना और उसे चलाने तथा विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विभिन्न प्रक्रियागत और कानूनी अड़चनों के देखरेख हेतु पथप्रदर्शन समर्थन और सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, चयनित शीर्ष संस्थाएं अर्थात् उद्यमी मित्र अपने पास पंजीकृत संभावित उद्यमियों को परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, वित्त की व्यवस्था करने, तकनीक का चयन करने, क्रेताओं के साथ विपणन टाई-अप करने, संयंत्र और मशीनरी लगाने तथा विभिन्न अनुमोदन, समाशोधन और अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि तैयार करने में परामर्श और सहायता उपलब्ध कराते हैं।

9.6.2 सभी उद्यमियों को सूचना सहायता, मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने के माध्यम से स्कीम का कार्यक्षेत्र और प्रभावशालिता और बढ़ाने के लिए एक उद्यमी हेल्प लाईन-कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है। सूलमउ को लाभ पहुँचाने के लिए लक्षित सरकार की विभिन्न स्कीमों

के संबंध में सूचना एक टॉल फ्री नंबर 1800-180-6763 पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। यह उद्यमी हेल्प लाईन रविवार और अवकाश के दिनों सहित वर्ष के सभी 365 दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य करता है।

9.6.3 मंत्रालय के अंतर्गत शीर्ष संगठन नामतः विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, केवीआईसी, एनएसआईसी और तीन राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान अर्थात् निसबड, नोएडा, निम्समे, हैदराबाद और आईआईई, गुवहाटी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मान्य उद्यमी मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। संबंधित राज्य आयुक्त/निदेशक (उद्योग) द्वारा संस्तुति प्राप्त राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पात्र संगठन भी उद्यमी मित्र के रूप में सूचीबद्ध हैं। योजना के अंतर्गत उद्यमी मित्रों को पथ प्रदर्शन शुल्क प्रदान किया जाता है, जिसमें उद्यमी की ओर से नाममात्र योगदान होता है। तथापि, अ.जा/ अ.ज.जा/ शारीरिक विकलांग/ महिला ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों को पथप्रदर्शन सहायता प्राप्त करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। अबतक 3375 उद्यमी मित्रों का पैनल दिसंबर 2010 तक बन चुका है जोकि प्रथम पीढ़ी के लगभग 9500 उद्यमियों को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान कर रहे हैं।

9.7 विपणन सहायता स्कीम

9.7.1 यह सूलमउ की सहायता उपलब्ध कराने के लिए जारी स्कीम है। सूलमउ मंत्रालय की ओर से नएसआईसी कार्यान्वयन एजेंसी है। बाजार सहायता स्कीम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विपणन प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, निजी/संस्थागत क्रेताओं के साथ अन्तरक्रिया के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराना, वर्तमान बाजार परिदृश्य से उन्हें अद्यतन करना तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए फोरम उपलब्ध कराना है। विपणन, व्यापार विकास के लिए एक रणनीतिक औजार के रूप में है जो आज के अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में सूलमउ की वृद्धि और जीविता

के लिए कठिन है। सूलमउ क्षेत्र की एक प्रमुख चुनौती उनके उत्पादों/सेवाओं का विपणन करना है। सूलमउ को इस स्कीम के तहत विभिन्न घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, सघन अभियानों और अन्य विपणन कार्यक्रमों में भाग लेने के माध्यम से नए बाजार अवसरों तक पहुंच बनाने में मदद पहुंचायी जाती है।

9.7.2 रेलवे, रक्षा, संचार विभाग और बड़ी कम्पनियों को थोक और विभागीय खरीदार के रूप में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि उनकी बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें लघु उद्यमों के समीप लाया जा सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य थोक निर्माताओं के लिए लघु उद्यमियों की ओर से विक्रेता विकास करना है। सम्पूर्ण देश में सूलमउ के लाभ के लिए विभिन्न स्कीमों के बारे में प्रचार-प्रसार के लिए गहन अभियान और अन्य विपणन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और नवीनतम घटनाक्रमों, गुणवत्ता मानकों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

9.8 कार्यनिष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम

9.8.1 यह स्कीम वर्ष 2005 में आरंभ की गई। मंत्रालय द्वारा एनएसआईसी को स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है।

9.8.2 इस स्कीम के अंतर्गत, रेटिंग के संचालन के लिए सात ख्यातिप्राप्त, मान्य रेटिंग एजेंसियों नामतः 'सीएआरई', 'सीआरआईएसआईएल', डन एवं ब्राडस्ट्रीट (डी एंड बी), 'एफआईटीसीएच', 'आईसीआरए', 'ओएनआईसीआरए' एवं 'एसएमईआरए' को सूचीबद्ध किया गया है। सूलमउ, अपनी सुविधानुसार इनमें से किसी का भी चयन करने के लिए स्वतंत्र है।

9.8.3 स्कीम का लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों (मध्यम उद्यमों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया) के मध्य उनके वर्तमान कार्यों से संबंधित मजबूत और कमजोर पक्षों के बारे में जागरूकता सृजित करना तथा उन्हें अपनी संगठनात्मक क्षमता और ऋण योग्यता बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना है। स्कीम के अंतर्गत

रेटिंग सूक्ष्म और लघु उद्यमों की क्षमताओं और ऋण योग्यता के बारे में विश्वसनीय तीसरा पक्ष राय के रूप में काम करता है। प्रत्यायित रेटिंग एजेंसी द्वारा की गई एक स्वतंत्र रेटिंग को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, ग्राहकों/क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा ठीक प्रकार से स्वीकार किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा देय रेटिंग शुल्क पर पहले वर्ष सब्सिडी दी जाती है जो कि शुल्क का अधिकतम 75% अथवा 40,000/रू., इनमें से जो भी कम हो, है।

9.8.4 स्कीम को सूक्ष्म और लघु उद्यमों की ओर से अच्छा प्रत्युत्तर मिल रहा है। उद्देश्यों और लाभों के संदर्भ में स्कीम के प्रभाव का आकलन अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी ने अध्ययन आयोजित किया है। एजेंसी ने पाया है कि रेटिंग स्कीम प्रयास उत्तम है तथा रेटिंग स्कीम के पीछे के विचार को लघु उद्यमों द्वारा स्वीकार किया गया है। एजेंसी के अनुसार स्कीम को बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, ग्राहकों/क्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं की ओर से अच्छी पहचान और स्वीकृति मिली है। रेटिंग ने इन इकाईयों को अपने कमजोर और मजबूत पक्षों को पहचानने में मदद पहुंचायी है। इकाईयां जिन्हें 'अच्छा' रेट नहीं किया गया है अथवा जिसे 'खराब से नीचे रेट किया गया है, उन्हें भी सुधार के लिए उपाय करने में भी सहायता प्रदान की गई है।

9.9 सर्वेक्षण, अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान

यह एक जारी स्कीम है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य (i) सूलमउ के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं के संबंध में नियमित/आवधिक रूप से संगत और विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करना है, (ii) आनुभविक आंकड़ा या अन्य आधार पर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के आलोक में सूलमउ द्वारा सामना की जाने वाली सीमाओं और चुनौतियों तथा उन्हें प्राप्त अवसरों का अध्ययन और विशलेषण करना, और

(iii) इन सर्वेक्षणों और विश्लेषण अध्ययनों के परिणामों का उपयोग नीति अनुसंधान और उपयुक्त रणनीतियों की डिजाइन करने और सरकार द्वारा हस्तक्षेप के उपाय सुझाने में करना। सूलमउ क्षेत्र पर अनेक अध्ययन इस स्कीम के अंतर्गत पूरे किए जा चुके हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

10 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका) एवं परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)

स्फूर्ति के अंतर्गत औषधि क्लस्टर हर्बल

अध्याय X

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (प्रमंरोसृका) एवं परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)

10.1 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के नाम से एक नयी योजना की शुरूआत अगस्त 2008 से की गई है, जिसे तत्कालीन दो योजनाओं, नामतः प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्रमंरोयो) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (ग्रारोसृका) का विलय करते हुए 4735 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय के साथ मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। इस राशि में 250 करोड़ रु. के बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज भी शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से 11वी योजना की शेष बची अवधि में 37.37 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए जाने का अनुमान है। इस योजना के दिशानिर्देश को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वेबसाइट (www.msme.gov.in/ www.pmegp.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

10.2 मुख्य उद्देश्य

प्रमंरोसृका के प्रमुख उद्देश्य हैं:-

- नए स्वरोजगार उद्यमों परियोजनाओं सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- व्यापक रूप से दूर-दूर अवस्थित परंपरागत कारीगरों ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और जहाँ तक संभव होए स्थानीय स्तर पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना।
- देश के परंपरागत और संभावित कारीगरों ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन रोका जा सके।
- कारीगरों की पारिश्रमिक-अर्जन क्षमता बढ़ाना।

10.3 प्रमुख विशेषताएं

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र है।
- सहायता के लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रु. और व्यवसाय सेवा क्षेत्र में 5 लाख रु. से अधिक लागत वाली परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- केवल प्रमंरोसृका के अंतर्गत स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए ही इस योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है।
- स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा से नीचे के समूहों सहितए बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया हो भी प्रमंरोसृका के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी को स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत की दर से देना होगा। अजा/अजजा वर्ग तथा अन्य कमजोर तबके के लाभार्थियों के लिए यह अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत होगा।
- बैंक द्वारा परियोजना लागत की शेष 90 अथवा 95 प्रतिशत की राशि के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति के पश्चात और बैंक द्वारा ऋण जारी होने के बाद लाभार्थी को उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है, मार्जिन मनी की मान्य राशि को तीन वर्षों के लिए आरहणर्ता के खाते में अग्रणी बैंक की शाखा के सावधिक जमा के रूप में रखा जाता है, जिसे आहरणकर्ता अथवा ऋणकर्ता के खाते में ऋण संवितरित होने की तिथि के दो वर्षों के उपरान्त जमा कर दिया जाता है।
- स्वीकृति योग्य मार्जिन मनी सहायता को प्रमंरोयो तथा ग्रारोसृका की तुलना में अधिक ऊँचे स्तर पर रखा जाता है, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

तालिका 10.1 प्रमंरोसृका के अंतर्गत सहायता

प्रमंरोसृका के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत में)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत में)	
क्षेत्र परियोजना / इकाई की अवस्थिति		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष ;अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि।	05%	25%	35%

टिप्पणी : (1) विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना/ इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.25 लाख है।
(2) व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना / इकाई की अधिकतम स्वीकार्य लागत रु.10 लाख है।
(3) कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा मियादी ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

''ग्रामीण क्षेत्र'' और ''ग्रामोद्योग'' की परिभाषा

(क) ''ग्रामीण क्षेत्र'' का अभिप्राय है वह क्षेत्र जहाँ कोई गाँव हो और जो किसी कस्बे के क्षेत्र में शामिल हो, और जिसकी जनसंख्या बीस हजार के ऊपर नहीं हो अथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष तौर पर उल्लेखित किसी आँकड़े से अधिक नहीं हो।''

(ख) इसी प्रकार, ''ग्रामोद्योग'' को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1965 में पुनर्परिभाषित किए गए अनुसार ''ग्रामोद्योग का अर्थ है ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत उपयोग या बिना उपयोग के माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूंजी निवेश प्रति कारीगर या कर्मी मैदानी क्षेत्रों के लिए 1.00 लाख रुपये एवं पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1.50 लाख रुपये से अधिक न होए अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट राजपत्र में अधिसूचित ऐसी ही कोई अन्य राशि।''

10.4 कार्यान्वयी अभिकरण

निम्नलिखित अभिकरणों को प्रमंरोसृका के कार्यान्वयण में शामिल किया गया है :

- राष्ट्रीय स्तर पर खाग्राआ को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नोडल अभिकरण बनाया गया है।

- राज्य स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन खाग्राआ के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (खाग्राबो) और राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा, वित्त की व्यवस्था निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है:

- 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
- सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- प्रमुख सचिव (उद्योग)/आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक।
- प्रमुख सचिव (उद्योग)/आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र की अनुसूचित व्यापारिक बैंक।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)।

10.5 बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज

मार्जिन मनी सहायता के अलावा, सरकार खाग्राआ के माध्यम से बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण को पुनर्जीवित करना, जागरूकता शिविर, प्रचार, कार्यशाला, बैंकरों की समीक्षा बैठकें, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन, स्थापित की गई इकाइयों का भौतिक सत्यापन, समय-समय पर मूल्यांकन, तथा आवेदनों का इलैक्ट्रानिक रूप में ट्रैकिंग आदि शामिल है। खाग्राआ की रिपोर्ट के अनुसार, 15 कार्यशालाएं, 564 जागरूकता शिविर तथा 143 प्रदर्शनियों का आयोजन वर्ष 2010-11 (दिसंबर 2010 तक) के दौरान किया जा चुका है जिसके माध्यम से उक्त वर्ष में दिसंबर 2010 तक 18233 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रमंरोसृका दिशानिर्देशों के अनुरूप, एक बार जब परियोजना की स्वीकृति बैंक द्वारा कर दी जाती है, ऋण की दूसरी किश्त जारी होने के पूर्व लाभार्थी को दो सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण अनिवार्य तौर पर लेना होता है जिसकी व्यवस्था खाग्राआ द्वारा इसकी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। अनुलग्नक-III में वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यवार सहायता प्रदान की गई इकाइयों, मार्जिन मनी की उपयोगिता तथा आंकलन अनुसार सृजित

किए गए रोजगार के अवसरों का विवरण दर्शाया गया है।

10.6 योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए इसकी प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा नियमित अंतरालों में की जाती है। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को इस संबंध में अनुदेश देने के लिए भी निवेदन किया गया है, विशेषकर जिला उद्योग केन्द्रों तथा खाग्राबो के साथ-साथ बैंको को उनकी अधिक से अधिक संलग्न प्रयासों के लिए, जिससे की प्रमंरोसृका का कार्यनिष्पादन बेहतर और विकसित हो सके। राष्ट्रीय स्तर की मॉनिटरिंग समिति, खाग्राआ तथा अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। 300 से अधिक प्रादर्श परियोजनाओं को वेबसाइट www.kvic.org.in तथा www.pmegp.in में सुलभ संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि संभावित उद्यमियों को इससे वांछित लाभ मिल सके। और ऋण संवितरण करने से पूर्व लगभग 535 प्रशिक्षण केन्द्रों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु खाग्राआ द्वारा सहबद्ध किया गया है, जैसा योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

10.7 इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2010 की स्थिति में कुल 2,70,673 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जिसमें से 1,16,034 आवेदनों को बैंको को अनुशंसित किया गया है। बैंकों ने उक्त में से 42,833 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है तथा केवल 26,871 मामलों हेतु राशि का संवितरण किया है, जिसमें 515.48 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सहायता भी शामिल है। यह अपेक्षित है कि इस चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक इसकी उपलब्धियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और इसमें वांछित गति भी आएगी।

10.8 परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति):

10.8.1 मंत्रालय द्वारा 'परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)' नामक क्लस्टर आधारित योजना का शुभारंभ पांच वर्षों की अवधि (वर्ष 2005-06 से प्रारंभ करते हुए) के दौरान 97.25 करोड़ रु. की कुल लागत से खादी और ग्रामोद्योग के 100 क्लस्टरों के विकास के लिए किया गया है, जिससे कि खादी और ग्रामोद्योग तथा कॅयर क्षेत्रों को और अधिक उत्पादनशील व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके। इस योजना का लक्ष्य 50,000 लाभार्थी परिवारों को लाभ पहुँचाना है।

10.8.2 स्फूर्ति का उद्देश्य परंपरागत उद्योगों का क्लस्टर आधारित विकास करना है जिसमें खादी और ग्रामोद्योग तथा कॅयर क्षेत्रों को पुनःसृजित, सतत् एवं समग्र रूप में विकास का संस्थापन करना शामिल है। इसका प्रमुख उद्देश्य है:

(i) पांरपरिक उद्योगों को और अधिक प्रतिस्पर्धी तथा बाजारोन्मुखी उत्पादक लाभकारी तथा भागीदारों के लिए रोजगार-परक बनाना।

(ii) उद्योग क्लस्टर की स्थानीय शासन प्रणाली को सुदृढ़ करना जिससे हितधारकों की सक्रिय सहभागीता हो सके और वे विकास हेतु अपने आप पहल कर सकें।

(iii) नवोन्मेषी तथा पारंपरिक कौशल का निर्माण करना ताकि क्लस्टर आधारित पुनर्सृजित पारंपरिक उद्योगों के उसी प्रकार के मॉडल तैयार किए जा सकें।

10.8.3 चयनित क्लस्टरों में सहायता के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों को शुरू किया गया है:

(iii) खादी क्षेत्र में चरखों एवं हथकरघा को बदलना।

(iv) सार्वजनिक सुविधा केद्रों (सीएपफसी) की स्थापना।

(v) नवीन उत्पादों का विकास खादी और ग्रामोद्योग के विभिन्न उत्पादों हेतु नये डिजाईन का विकास, नयी/आधुनिक पैकेजिंग आदि।

(vi) बाजार प्रोत्साहन गतिविधियां।

(vii) क्षमता निर्माण गतिविधि जैसे विभिन्न क्लस्टरों एवं संस्थाओं का दौरा एवं अध्ययन आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण क्लस्टर स्तर के नेटवर्क निर्माण हेतु संस्थापन में सहयोग तथा अन्य आवश्यकता आधारित सहयोग प्रदान करना।

(viii) कार्यान्वयी अभिकरणों द्वारा चिन्हित अन्य कार्य जो क्लस्टर के विकास के लिए आवश्यक हों और इसका नैदानिक अध्ययन कर क्लस्टर के वार्षिक योजना में शामिल करना।

10.8.4 इस योजना के कार्यान्वयन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा कॅयर बोर्ड को नोडल अभिकरण बनाया गया है, तथा इन्हें ही चयनित कार्यान्वयी अभिकरणों को निधि के संवितरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। योजना का अनुश्रवण योजना संचालन समिति द्वारा किया जाता है। सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय) इस समिति के अध्यक्ष होते हैं तथा इस योजना संचालन समिति में

योजना आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय बैंक एसोशिएशन, नाबार्ड के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

10.8.5 कार्यान्वयी अभिकरण (आईए): स्फूर्ति के अंतर्गत कार्यान्वयी अभिकरण, गैर-सरकारी-संगठन, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संस्थान, अर्ध-सरकारी संस्थान आते हैं जिनके पास क्लस्टर विकास की क्षमता हो। प्रत्येक कार्यान्वयी अभिकरण को केवल एक ही क्लस्टर आबंटित किया जाता है। कार्यान्वयी अभिकरणों का चयन, क्षेत्र में उक्त संस्था का आधार स्तर पर कार्य करने का अनुभव, को ध्यान में रखते हुए नोडल अभिकरण द्वारा योजना संचालन समिति के अनुमोदन द्वारा किया जा चुका है।

10.8.6 तकनीकी अभिकरण (टीए): इस योजना के अंतर्गत क्लस्टर विकास के क्षेत्र में अनुभवी तथा विशेषज्ञता रखने वाली 17 विख्यात राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को नामित किया गया है तथा उन्हें कार्यान्वयी अभिकरणों को तकनीकी सहायता सुलभ करानें के उद्देश्य से तकनीकी अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। तकनीकी अभिकरणों की जिम्मेदारी में नोडल अभिकरण को क्लस्टरों के चयन में सहायता प्रदान करना, क्लस्टर विकास कार्यकारियों और कार्यान्वयी अभिकरण तथा नोडल अभिकरण के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, क्लस्टरों की कार्ययोजना की वैद्यता, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन आदि शामिल है।

10.8.7 क्लस्टर विकास कार्यकारी (सीडीई): क्लस्टर विकास कार्यकारी की नियुक्ति प्रत्येक क्लस्टर में विशेष तौर पर की गई है जो पूर्णकालिक आधार पर है तथा संबंधित क्लस्टर में योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार हैं। क्लस्टर विकास कार्यकारी को क्लस्टर के विकास की कार्यप्रणाली पर नोडल अभिकरण द्वारा तकनीकी अभिकरणों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। क्लस्टर विकास कार्यकारी की जिम्मेदारियों में नैदानिक अध्ययनों का संचालन करना, क्लस्टर की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण एवं कार्यान्वयन, संस्थाओं के साथ अनुबंध को प्रोत्साहित करना, स्थानीय शासन के ढाँचे का निर्माण करना आदि, शामिल है।

10.8.8 स्फूर्ति की प्रगतिः स्फूर्ति के अंतर्गत क्लस्टर विकास के लिए दिसंबर 2010 तक कुल 105 क्लस्टरों की स्थापना देश के विभिन्न हिस्सों में की जा चुकी हैं, जिसमें खादी के 29, ग्रामोद्योग के 50 तथा कॅयर के 26 क्लस्टर शामिल हैं। क्लस्टर विकास की अन्य गतिविधियों जैसे राज्य सरकार

की सहमति, नोडल अभिकरण, कार्यान्वयी अभिकरण, क्लस्टर विकास कार्यकारी का प्रशिक्षण आदि, नैदानिक अध्ययन के प्रतिवेदन तथा वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी, ज्यादातर मामलों में पूर्ण की जा चुकी हैं।

10.8.9 इस योजना के अंतर्गत निधि को क्लस्टर आधार पर जारी किया जाता है। निधि को सीधे तौर पर नोडल अभिकरण को जारी किया जाता है, जो निधि को रखने अथवा संवितरित करने, इसकी प्राप्ति पर उपयोगिता-प्रमाणपत्र और भौतिक सत्यापन की वास्तविक प्रगति आदि के लिए जिम्मेदार होता है। क्लस्टर विकास निधि को पृथक खाते में रखा जाता है जिसका लेखा-परीक्षा की जाती है। इस योजना की शुरूआत से इसके अधीन नोडल अभिकरण को जारी निधि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 10.2 : स्फूर्ति के तहत नोडल अभिकरण को जारी निधि का विवरण

(रु. करोड़ में)

वर्ष	खाग्राआ	केयर बोर्ड	कुल
2005-06	1.12	0.38	1.50
2006-07	19.03	6.50	25.53
2007-08	9.04	6.27	15.31
2008-09	13.45	3.50	16.95
2009-10	12.00	-	12.00
2010-11*	-	2.50	2.50

* दिसंबर 2010 तक।

10.8.10 इस योजना के कार्यान्वयन हेतु दिसंबर 2010 तक 73.79 करोड़ रु.राशि (54.64 करोड़ रु. खाग्राआ को और 19.15 करोड़ रु. कॅयर बोर्ड को) जारी की गई है। स्फूर्ति के कार्यान्वयन के पश्चात खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र के कारीगरों की औसत आय अर्जन में 40 से 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

11 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

श्री वीरभद्र सिंह, केन्द्रीय सूलमउ मंत्री भारत सूलमउ सम्मेलन 2011, बैंगलुरू को संबोधित करते हुए

अध्याय XI

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समानतावादी विकास के कारक के रूप में विश्व-भर में मान्यता प्रदान की जाती रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार (सूलमउ क्षेत्र की चौथी गणना), इस क्षेत्र में देश भर में फैले हुए 26.1 मिलियन उद्यमों के माध्यम से लगभग 59.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त है। यह आकलन किया जाता है कि मूल्य के सन्दर्भ में, सूलमउ क्षेत्र में उत्पादन आउटपुट का 45 प्रतिशत तथा निर्यात का 40 प्रतिशत योगदान करता है। सूलमउ देश में निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में अपनी विशेष पहचान बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है कि सूलमउ क्षेत्र प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बना रहे। उनके लिए यह आवश्यक है कि तकनीक में परिवर्तन, मांगों में परिवर्तन, नए बाजारों का उद्‌भव आदि के कारण उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वे स्वयं को अपडेट बनाए रखें।

11.2 हाल के वर्षों में, सूलमउ क्षेत्र ने कुल औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में लगातार ही उच्च वृद्धि-दर दर्ज की है। अपनी अन्तर्निहित क्षमता और गतिशीलता की बदौलत इस क्षेत्र ने हालिया आर्थिक मंदी के दौर में भी प्रशंसनीय रूप से नवाचार और समायोजन की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तथापि, सूलमउ वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौर में चुनौतियों का सामना कर रहा है। नियमित वृद्धि दर्ज करने तथा बहुतायत में प्राप्त उच्च कौशल प्राप्त श्रम-शक्ति के आधार पर,

भारत घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। इस संभावना का दोहन करने के लिए, सूलमउ मंत्रालय और उसके संगठन अपनी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय सूलमउ क्षेत्र को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं जिसके लिए मंत्रालय और उसके संगठन इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विदेशी तकनीक, अनुभवों की शेयरिंग और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बेहतरीन प्रबंधन परम्पराओं से एक्सपोज कराते हैं। इस प्रयास को जारी रखते हुए, सूलमउ मंत्रालय ने 11 देशों के साथ लम्बी अवधि की संधियों, समझौता ज्ञापन, संयुक्त कार्य-योजना की व्यवस्था की है। ये देश हैं ट्यूनिसिया, रोमानिया, रवांडा, मेक्सिको, उजबेकिस्तान, लेसोथो, श्री लंका, अल्जीरिया, सूडान, कोटे डी आई व्यायर और इजिप्ट। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठन विदेशों में अपने समकक्ष संस्थानों से निकट अन्तरक्रिया बना कर रखे हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., जो कि मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र निकाय है, ने 24 विभिन्न देशों के पार्टनर संस्थाओं/संगठनों के साथ लम्बी अवधि के समझौते किए हैं। सूलमउ मंत्रालय के संगठनों ने/परामर्शी अफ्रिकी-एशियाई देशों में सेवाएं उपलब्ध करायी है तथा विभिन्न परियोजनाओं के गठन में सहायता प्रदान की है।

11.3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम

11.3.1 सूलमउ मंत्रालय द्वारा कार्यान्वियत की जा रही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम नौवीं योजना (1996 से कार्यान्वित की जा रही) के अंतर्गत एक चालू योजना है, जो कि ग्यारहवीं योजना (2007-2012) में एक जारी योजना है जिसके लिए 1000.00 लाख रू. का परिव्यय है। इन स्कीमों के महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का तकनीकी इन्फयूजन और/या उन्नयन, उनके निर्यातों का आधुनिकीरण और संवर्धन है। आवेदन पत्र समेत अंतराष्ट्रीय सहयोग स्कीम का ब्यौरा इस मंत्रालय के वेबसाइट http://msme.gov.in पर उपलब्ध है।

मोजांबिक के माननीय राष्ट्रपति, श्री अरमांडो इमिलो गुएबुजा और भारत के माननीय प्रधानमत्री डॉ. मनमोहन सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ राज्य मत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा श्री ऑल्डेमिरो बालोई, मोजांबिक के विदेश और सहयोग मंत्री सूलमउ के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

11.3.2 स्कीम में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं:

(क) तकनीकी इन्फ्यूजन/उन्नयन के नए क्षेत्रों को तलाशने, संयुक्त उद्यमों को सुविधा प्रदान करने, सूलमउ उत्पादों के बाजार को सुधारने, विदेशी संधियों, आदि के लिए अन्य देशों में सूलमउ व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की प्रतिनियुक्ति।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी वाले दूसरे देशों तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में भारतीय सूलमउ की भागीदारी।

(ग) सूलमउ की रूचि के मुद्दों और विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना।

11.3.3 वर्ष 2010-11 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत अनेकों सूलमउ को सूलमउ के लाभ के विषयों और थीमों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और सेमिनारों, विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों को सुविधा प्रदान की गयी।

11.4 विदेशी गण-मान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें:

11.4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और उसके संगठन जैसे विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय और एनएसआईसी ने विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ दोनों देशों के

भारत सूलमउ सम्मेलन 2011 का उद्‌घाटन संयुक्त रूप से महामहिम श्री लियोनेल एंटोनियो फर्नांडिस, डॉमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति और श्री वीरभद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री (सूलमउ) द्वारा किया गया

सूलमउ के पारस्परिक लाभों के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए चर्चाएं आयोजित की। सूलमउ मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय और एनएसआईसी के संदर्भ में ऐसी बैठकों/चर्चाओं के व्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	19 अप्रैल, 2010	डॉ. आंसेम लंदन, वित्त सचिव के नेतृत्व में टूबैगो विधान सभा, त्रिनिदाद और टूबैगो सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूलमउ के साथ बैठक की तथा दोनों देशों के मध्य सूलमउ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
2	4 मई, 2010	सचिव, सूलमउ ने श्री जिनेन सिनौम्बे, बोत्सवाना के कार्यकारी उच्चायुक्त के साथ बैठक की तथा दोनों देशों के मध्य सूलमउ क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की।
3	5 मई, 2010	संयुक्त सचिव, सूलमउ मंत्रालय ने दक्षिण और केन्द्रीय एशिया के लिए उप सहायक यू.एस. व्यापार प्रतिनिधि श्री क्लाउडिओ लिलिनफीड के साथ बैठक की तथा सूलमउ क्षेत्र में भारत यू.एस. द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
4	6-7 मई, 2010	संयुक्त सचिव, सूलमउ मंत्रालय ने सियोल, दक्षिण कोरिया में हरित विकास और एसएमई विषय पर आसेम फोरम 2010 में इस मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।
5	20 मई, 2010	सचिव, सूलमउ ने श्री एम. मातीउल इस्लाम, अध्यक्ष, औद्योगिक और आधारसंरचना विकास वित्त कंपनी, बांगलादेश के साथ बैठक की तथा दोनों देशों के मध्य सूलमउ क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की।

क.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
6	8 जून, 2010	संयुक्त सचिव, सूलमउ ने श्री यारेगल मेसकिर, महानिदेशक, संघीय सूक्ष्म व लघु उद्यम विकास एजेंसी, इथियोपिया के साथ बैठक की तथा दोनों देशों के मध्य सूलमउ क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की।
7	17 जून, 2010	बोत्सवाना के उप राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 17.6.2010 को सूलमउ क्षेत्र में सहयोग के लिए बोत्सवाना गणराज्य की सरकार और सूलमउ मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
8	18 जून, 2010	कोरिया गणराज्य के माननीय विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान 18.6.2010 को सूलमउ क्षेत्र में सहयोग के संबंध में कोरिया गणराज्य की सरकार के लघु और मध्यम व्यापार प्रशासन तथा भारत के सूलमउ मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
9	21-22 जून, 2010	सचिव, सूलमउ मंत्रालय ने लीमा, पेरू की यात्रा कर लैटिन अमेरिका में एशोसिएसन ऑफ अमेंरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 'उत्पादक श्रृखला और एसएमई की निर्यात' विषय पर सत्र को सम्बोधित किया।
10	24 जून, 2010	सचिव, सूलमउ मंत्रालय ने यू.एस. मार्केट एक्सेस सेंटर/इनक्यूबेटर की यात्रा की और सैन जोस, यू.एस.ए. में वरिष्ठ व्यापार विकास विशेषज्ञों और उद्यमियों के साथ चर्चा की।
11	16 जुलाई, 2010	सचिव, सूलमउ ने श्री डेविट सू, निदेशक और श्री पाउल चिंग ह्या साई, वाणिज्यिक सचिव, ताईपी आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के साथ बैठक की तथा दोनों देशों के मध्य सूलमउ क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की।

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
12	8 सितम्बर, 2010	संयुक्त सचिव, सूलमउ ने महामहिम श्री जोस मारिया मोरायएस, उच्चायुक्त के नेतृत्व में मोजाम्बिक के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की तथा दोनों देशों के मध्य सूलमउ क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की।
13	8 सितंबर, 2010	संयुक्त सचिव, सूलमउ ने श्री सावेनाका कॉनीसेला, फिजी के उच्चायुक्त के साथ बैठक की तथा दोनों देशों के मध्य सूलमउ क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की।
14	16-19 सितंबर, 2010	सचिव सूलमउ ने पांचवीं चीन भारत व्यापार और निवेश सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा की और नानतौंग में सूलमउ का दौरा किया।
15	30 सितंबर, 2010	नई दिल्ली में दिनांक 30.09.2010 को सूलमउ मंत्रालय, भारत और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, मोजाम्बिक गणराज्य के मध्य सूलमउ के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
16	22 अक्टूबर, 2010	मालाबी गणराज्य के प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक मालाबी प्रतिनिधिमंडल ने सचिव, सूलमउ मंत्रालय के साथ बैठक की तथा भारत और मालाबी के मध्य द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दों पर चर्चा की।
17	16 नवम्बर, 2010	इंडोनेशिया गणराज्य के उप मंत्री श्री चोएरूल जामहारी, पीएचडी के नेतृत्व में सहकारिता और लघु और मध्यम उद्यम के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव, सूलमउ मंत्रालय से मुलाकात की तथा भारत और इंडोनेशिया के बीच लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों की तलाश करने के लिए चर्चा की तथा विचारों का आदान-प्रदान किया।

श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव (सूलमउ) की मालावी गणराज्य के प्रधान सचिवों से बने प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक। श्री अमरेन्द्र सिंन्हा, संयुक्त सचिव (एसएमई) भी उपस्थित रहे

श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव (सूलमउ) की डॉ. चोइरूल जामहारी, उपमंत्री, सहकारिता, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इंडोनेशिया गणराज्य के नेतृत्व में इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक। श्री अमरेन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव (एसएमई) तथा निदेशक (वित्त), एनएसआईसी भी उपस्थित रहे

11.4.2 विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय

क्र.सं.	कार्यक्रम
1	एसएबी आरएई, ब्राजील द्वारा आयोजित चौथे त्रि-राष्ट्र सम्मेलन में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम -भारत और लघु उद्यम विकास एजेंसी -दक्षिण अफ्रीका संगठनों के मध्य बैठक जिसमें इन तीन देशों के सूलमउ के मध्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
2	विभिन्न संयोजित परियोजनाओं के संबंध में यूनिडो के प्रतिनिधि के साथ बैठक।
3	जीटीजेड, जर्मनी के प्रतिनिधि के साथ 'एसएमई संवर्धन के लिए संस्थागत प्रक्रिया -भारत की अंतर्राष्ट्रीय तरीकों के साथ तुलना' विषय पर बैठक।
4	एसएमई के विकास के लिए दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधियों के साथ बैठक।
5	राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पीतल और बेल धातु उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए यूनिडो के प्रतिनिधि के साथ बैठक।
6	सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के लिए मशीन उपकरण उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन और उत्पादकता वृद्धि के लिए यूनिडो के प्रतिनिधि के साथ बैठक।
7	9-12 सितंबर 2010 तक चॉगक्विंग, चीन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जेनेवा द्वारा आयोजित ''वैश्विक मूल्य श्रृंखला में खुदरा विक्रेताओं के रूप में महिला विषय पर 11वीं विश्व निर्यात विकास फोरम में वरिष्ठ कार्यकारी के साथ बैठक।
8	विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ एसएमई के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए जापान के क्यूएमएस/क्यूटीटी स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन मिशन के लिए सी. आई.आई. के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व।

11.4.3 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

क.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1.	13-17 अप्रैल, 2010	ब्राजील में चौथे त्रिदिवसीय सम्मेलन में भागीदारी : एनएसआईसी ने ब्रासिलिया, ब्राजील में आयोजित चौथे त्रि-राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया जिसका आयोजन चौथे आईबीएसए सम्मेलन के साथ एक ही समय में हुआ। त्रि-राष्ट्र सम्मेलन तीन संगठनों नामतः भारत से एनएसआईसी, ब्राजील से एसईबीआरएई और दक्षिण अफ्रीका से एसईडीए का त्रि-राष्ट्रीय सहयोग पहल है जो कि तीन देशों के सूलमउ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है तथा सूलमउ के विकास के लिए उनके अनुभवों को साझा करता है तथा इन तीन देशों के उद्यमों के मध्य वन-टू-वन आधार पर सहयोग को बढ़ावा देता है। चौथे त्रि-राष्ट्र सम्मेलन की अंतिम रिपोर्ट आईबीएसए फोरम में इन तीन देशों के शासनाध्यक्षों को अर्थात श्री एल.आई. लूला डा सिल्वा, ब्राजील गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति, श्री जे.जी.जूमा, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति और डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी और नवाचार तक पहुँच, तीन देशों के मध्य व्यावसायिक निकटता और हमारे उद्यमों को बढ़ावा देने में ज्ञान और पद्धतियों के विनिमय के संबंध में तीनों संगठनों द्वारा उठाए गए कदमों को प्रदर्शित किया गया।
2.	19 अप्रैल, 2010	श्री दिनशा पटेल, केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (सूलमउ) की उपस्थिति में 19 अप्रैल 2010 को त्री-निदाद और टूबैगो में सूलमउ के विकास के लिए एनएसआईसी और टूबैगो विधान सभा, वित्त और उद्यम विकास प्रभार (त्री-निदाद और टूबैगो सरकार) के मध्य परस्पर सहयोग की एक सन्धि पर हस्ताक्षर किया गया। भारत -त्री-निदाद वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के निदेशक के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 27 अप्रैल 2010 को एनएसआईसी का दौरा किया तथा एनएसआईसी के इनक्यूबेटर केन्द्र में गहरी रूचि का प्रदर्शन किया।

क.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
3.	20-24 अप्रैल, 2010	श्री थामी माजवाई, निदेशक, लघु व्यापार विकास केन्द्र, जोहांसबर्ग विश्वविद्यालय का सोवेटो परिसर, ने भारत के व्यापार विकास प्रारूप को समझने तथा सरकारी और निजी पहलों के माध्यम से लघु उद्योगों का विकास करने के संबंध में भारत की सफलता का संधान करने के लिए एनएसआईसी का दौरा किया।
4.	28 अप्रैल, 2010	डॉ. लिंडेकी च्वेया, स्थाई सचिव, केन्या के उप राष्ट्रपति के कार्यालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को एनएसआईसी के ओखला इनक्यूबेटर केंद्र का दौरा किया।
5.	9-17 मई, 2010	बोत्सवाना के स्थानीय उद्यम प्राधिकरण के उप प्रधान कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एनएसआईसी का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने एनएसआईसी के इनक्यूवेशन के प्रारूप में रूचि का प्रदर्शन किया।
6.	11 मई, 2010	बोत्सवाना के स्थानीय उद्यम प्राधिकरण के निदेशक मंडल से बने एक पॉंच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 11 मई, 2010 को एनएसआईसी का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का एनएसआईसी के ओखला इनक्यूबेटर केन्द्र में स्वागत किया गया।
7.	18 मई, 2010	बांगलादेश के आईआईडीएफसी के अध्यक्ष मो.मातिउल इस्लाम ने एनएसआईसी का दौरा किया। दोनों देशों में लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए अनुभवों को साझा करने के लिए एनएसआईसी और आईआईडीएफसी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
8.	8 जून, 2010	आदिस अबाबा की संघीय सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास एजेंसी से एक छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एनएसआईसी के इनक्यूबेटर केन्द्र का दौरा किया।
9.	16 जून, 2010	बोत्सवाना के उप राष्ट्रपति ले.ज.मोमपाटी सेबोगोडी मेराफे ने एनएसआईसी का दौरा किया। बोत्सवाना के उप राष्ट्रपति ले.ज.मोमपाटी सेबोगोडी मेराफे के सम्मान्य उपस्थिति में एनएसआईसी और बोत्सवाना के सूलमउ के स्थानीय उद्यम प्राधिकरण के मध्य परस्पर सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन में बोत्सवाना में तकनीक-सह-व्यापार इनक्यूबेटर केन्द्रों के गठन, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए नीतियां विकसित करने और संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करने की व्यवस्था है।

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
10.	9 जुलाई, 2010	इरान में सूलमउ क्षेत्र के विकास के लिए भारत के माननीय विदेश मंत्री की उपस्थिति में नई दिल्ली में एनएसआईसी और ईरान लघु उद्योग और औद्योगिक पार्क संगठन के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
11.	11-13 नवम्बर, 2010	यू.के. में भारत के उच्चायुक्त के आमंत्रण पर एनएसआईसी ने बर्मिंघम, यू.के. में 26 सूलमउ से बने व्यापार प्रतिनिधिमंडल को ले जाने का आयोजन किया। भारत के उच्चायुक्त ने लंदन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के लिए लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन-सह-क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। भारतीय सूलमउ को उदीयमान पर्यावरण-मित्र प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए उनके लिए एसटन विश्वविद्यालय, लॉगबोरो विश्वविद्यालय के दौरों का आयोजन किया गया।

श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव (सूलमउ) की महामहिम श्री जियाकोमो सैनफेलाइस डी मौंटेफोर्टे, इटली के राजदूत, नई दिल्ली तथा श्री डैनिएल क्राउस, नई दिल्ली में इटली के 'कौंफिनडसरिया' के अध्यक्ष के प्रतनिधिमंडल के साथ बैठक। श्री अमरेन्द्र सिन्हा, संयुक्त सचिव (एसएमई) तथा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी भी उपस्थित रहे

11.5 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

11.5.1 सूलमउ के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम (व्यौरा उपर पैरा 11.3 में उपलब्ध कराया गया है) के अंतर्गत भागीदारी के व्यौरे निम्नानुसार हैं:

क.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	11-12 अप्रैल, 2010	एम.पी. औद्योगिक विकास निगम, जबलपुर ने ओलिम्पिया प्रदर्शनी केन्द्र, लंदन, यू.के. ने 'प्राकृतिक और जैविक उत्पाद यूरोप 2010' में भागीदारी की।
2	12-16 अप्रैल, 2010	भारत अमेरिकी वाणिज्य परिसंघ, नई दिल्ली ने भारत अमेरिकी वाणिज्य परिसंघ स्वचालित लघु और मध्यम उद्यम व्यापार मिशन के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल को यू.एस.ए. में डेट्रॉइट और ओहिओ भेजने का आयोजन किया।
3	14-16 अप्रैल, 2010	अंकलेश्वर उद्योग संघ, अंकलेश्वर ने संघाई, चीन में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी चीन इंटरडाई 2010 का दौरा करने के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
4	15-19 अप्रैल, 2010	सलेम उत्पादकता परिषद, सलेम ने गोऑनझाउ, चीन में कैंटोन मेला 2010-107वॉं चीन निर्यात वस्तु मेंला का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
5	15-19 अप्रैल, 2010	चंडीगढ़ उद्योग संघ, चंडीगढ़ ने गोऑनझाउ, चीन में कैंटोन मेला 2010-107वॉं चीन निर्यात वस्तु मेंला का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
6	15-19 अप्रैल, 2010	चंडीगढ़ उद्योग मंडल (चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इन्डस्ट्रीज) ने गोऑनझाउ, चीन में कैंटोन मेला 2010-107वॉं चीन निर्यात वस्तु मेंला का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
7	1-5 मई, 2010	भारतीय उद्योग संघ ने गोऑनझाउ, चीन में 107वॉं चीन निर्यात वस्तु मेंला का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
8	10-11 मई, 2010	भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम परिसंघ, नई दिल्ली ने अटलांटा, यू.एस.ए. में यू.एस.ए. भारत व्यापार सम्मेलन 2010 का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
9	12-15 मई, 2010	अखिल भारतीय ब्रेड विर्निमाता संघ, नई दिल्ली ने चीन में बेकरी और कॉन्फेक्शनरी उद्योग के लिए आयोजित बेकरी चीन -अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
10	18-25 मई, 2010	ऑफसेट प्रिंटर संघ, लुधियाना ने बर्मिंघम, यू.के. में आईपेक्स 2010 मेला का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
11	18-25 मई, 2010	दिल्ली प्रिंटर संघ, नई दिल्ली ने बर्मिंघम, यू.के. में आईपेक्स 2010 मेला का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
12	18-25 मई, 2010	मद्रास प्रिंटर और लीथोग्राफर्स संघ, चैन्नई ने बर्मिंघम, यू.के. में आईपेक्स 2010 मेला का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
13	4-7 जून, 2010	भारतीय नग और आभूषण व्यापार परिषद, अहमदाबाद का यू.एस.ए. में जेसीके लास बेगास में आयोजित प्रदर्शनी के दौरे के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा।
14	14-18 जून, 2010	लुधियाना मशीन उपकरण विर्निमाता संघ, लुधियाना ने बीजिंग, चीन में व्यापार मेला सीआईएमईएस 2010 चीन अंतर्राष्ट्रीय मशीन उपकरण और उपकरण प्रदर्शनी का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
15	16-18 जून, 2010	भारतीय कसनी विनिर्माता संघ, लुधियाना, 2010 ने संघाई चीन में कसनी एक्सपो का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
16	22-24 जून, 2010	इंजीनियरिंग विनिर्माता उद्यमी संसाधन समूह, बंगलोर ने बाल्टीमोर, मेरीलैंड, यू.एस.ए. में डब्ल्यूबीईएनसी 2010 का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
17	22-26 जून, 2010	बहादुर-के-टेक्सटाईल और निटवियर एसोसिएशन, लुधियाना ने संघाई, चीन में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आईटीएमए एएसआईएसीआईटीएमई 2010 का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
18	2-5 जुलाई, 2010	उत्तरी कोलकाता विसारी महिला समिति, कोलकाता ने जैक्सन, न्यूर्याक, यू.एस.ए. में अंतर्राष्ट्रीय बांगला उत्सव और पुस्तक मेला 2010 में भाग लिया।
19	24-29 अगस्त, 2010	भारतीय महिला उद्यमी कंसोर्टियम, नई दिल्ली ने ढ़ाका, बांगलादेश में सातवें दोस्ती -महिला उद्यमी व्यापार मेला एक्सपो 2010 में भाग लिया।
20	16-19 सितम्बर, 2010	भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम परिसंघ, नई दिल्ली ने नॉनतोंग और संघाई, चीन में पांचवे चीन भारत व्यापार और निवेश सम्मेलन का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल की प्रतिनियुक्ति का आयोजन किया।
21	23-29 सितंबर,2010	पूर्वोत्तर लघु उद्योग संघ, गुवाहाटी ने वियना और बुडापेस्ट में वाणिज्य परिसंघ के साथ बिजनेस टू बिजनेस बैठकों में भाग लेने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
22	26 सितंबर से 4 अक्टूबर,2010	एमआईडीसी उद्योग संघ, नागपुर ने संघाई चीन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो -2010 का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
23	27-29 सितंबर, 2010	धातु परिष्करण संघ, नासिक ने गुऑनझाउ चीन में सतह संसाधन और विलेप उद्योग -एसएफ चाइना और चाइनाकोट का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
24	28 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2010	कोयमबटूर जिला लघु उद्योग संघ, कोयम्बटूर ने स्टूगार्ट, जर्मनी में एएमबी 2010 मेला में भाग लेने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
25	29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2010	रत्न विकास केन्द्र जयपुर ने वेरोना, इटली में मार्मोमैक 2010 शो-रत्न डिजाइनिंग और तकनीक की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
26	15 -19 अक्टूबर, 2010	मराठवाड़ा लघु उद्योग और कृषि संघ, औरंगाबाद ने गुऑनझाउ, चीन में 108 वें कैंटन 2010 मेला में भाग लेने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
27	26 अक्टूबर, 2010	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली ने नई दिल्ली में ही लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन 2010 का आयोजन किया।
28	26 अक्टूबर से 4 नवम्बर, 2010	पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग और वाणिज्य परिसंघ, गुवाहाटी ने कोपनहेगेन और एम्सटर्डम में बिजनेस टू बिजनेस बैठक तथा डसेलडॉर्फ, जर्मनी में के -प्लास्टिक और रबड़ प्रदर्शनी का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
29	9-12 नवंबर, 2010	कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग सहायता संघ, बंगलोर ने म्यूनिक, जर्मनी में भाग लेने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
30	10-14 नवंबर, 2010	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., नई दिल्ली ने बर्मिंघम, यू.के. में सम्मेलन और बीएसएम में भाग लेने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।
31	14-25 नवंबर, 2010	कर्नाटक वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, बंगलोर ने पूर्वोत्तर अफ्रीका का दौरा करने के लिए सूलमउ के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।

11.5.2 विकास आयुक्त (सूलमउ) ने सूलमउ भारतीय स्टॉल के अंतर्गत निम्नलिखित व्यापार मेलों में भागीदारी के माध्यम से अपने उत्पादों की प्रदर्शनी द्वारा उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभिप्रदर्शन तथा उनकी संभावित निर्यात अवसर को तलाशने के लिए विपणन विकास सहायता के अंतर्गत अवसर उपलब्ध कराए हैं। विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 15 व्यापार मेलों में भाग लेंने की योजना बनाई है जिसके लिए 131 एमएसई को एमएसएमई भारत स्टॉल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेने का लक्ष्य है। दिसंबर तक, इस कार्यालय ने निम्नलिखित 8 अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया तथा 110 से अधिक एमएसई को निर्यात और विपणन अवसर उपलब्ध कराए, जिनमें 51 और 6 एमएसई क्रमशः महिलाओं और एससी/एसटी के एमएसई हैं।

क्र. सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	15-19 अप्रैल, 2010	चीन आयात और निर्यात मेला (कैंटन मेला), चीन
2	19-23 अप्रैल, 2010	हैंनोवर मेसे 2010 में भारतीय दीर्घा
3	8-12 सितंबर, 2010	बुडापेस्ट अतर्राष्ट्रीय मेला, बुडापेस्ट, हंगरी
4	9-13सितंबर, 2010	इंटरगिफ्ट, मैड्रिड, स्पेन
5	4-8 अक्टूबर, 2010	बोगोटा, कोलंबिया में इंडी 2010
6	25-28 नवंबर, 2010	मैक्टेक 2010, कायरो, मिस्र में भारतीय दीर्घा
7	1-4 दिसम्बर, 2010	यूरोमोल्ड 2010, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में भारतीय दीर्घा
8	4-12 दिसंबर,2010	एएफएल-आर्टीजिआनो, मिलान, इटली

11.5.3. एनएसआईसी

क. सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1.	11-14 अक्टूबर,2010	**ट्रेट्रोनिक्स, 2010 :** एनएसआईसी ने सूलमउ इकाईयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए ताईपाई, ताईवान में ट्रेट्रोनिक्स, 2010 में भाग लिया।
2.	9-11 नवंबर, 2010	**इंटेरेड मलेशिया, 2010, कुआलालमपुर, मलेशिया :** एनएसआईसी ने ऑटोमोटिव उत्पाद और घटक, भवन की सामग्री, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स, खाद्य और कृषि, स्वास्थ्य रक्षा, तेल, गैस और ऊर्जा तथा परिधान आदि का प्रदर्शन करने के लिए इंटेरेड मलेशिया में भाग लिया।
3.	17-19 नवंबर, 2010	**वैश्विक एक्सपो, 2010, बोत्सवाना :** एनएसआईसी ने बोत्सवाना में ग्लोबर एक्सपो 2010 में भाग लिया जहॉं 11 एककों ने चमड़ा, इंजीनियरिंग, रसायन और श्रृंगार सामग्री, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं और उपकरण, विद्युत और अक्षय ऊर्जा आदि उत्पादों का प्रदर्शन किया।

11.5.4 कयर बोर्ड

इसी प्रकार, कयर बोर्ड सूलमउ क्षेत्र में कयर निर्यातकों को विदेशी बाजार में अपना आधार बनाने के लिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है और ऐंसी भागीदारी के व्यौरे निम्नानुसार हैः

क. सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1.	4-6 मई, 2010	राष्ट्रीय हार्डवेयर प्रदर्शनी, लास वेगास, यूएसए में भाग लिया
2.	30 अगस्त से 1 सितंबर, 2010	मेड इन इंडिया प्रदर्शनी, जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में भाग लिया
3.	12-15 अक्टूबर, 2010	अंतर्राष्ट्रीय उद्यान मेला, एमस्टर्डम, नीदरलैंड में भाग लिया
4.	20-23 अक्टूबर, 2010	मेगा शो, भाग 1, हॉंग कॉंग में भाग लिया
5.	17-19 नवम्बर, 2010	ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय सोर्सिंग मेंला, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

12

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त स्कीम के अंतर्गत प्रायोजित एक इकाई में बांस उत्पादों का उत्पादन

अध्याय XII

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यकलाप

12.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंत्रालय के कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा और सिक्किम के राज्य शामिल हैं, के पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों का क्षेत्र में चहुमुखी आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सू.ल.म.उ. मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के सू.ल.म. उद्यमों के विकास को मंत्रालय और उसके संगठनों की स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है।

12.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म लघु उद्यमों का कार्यनिष्पादन

वर्ष 2009-10 (अनुमानित) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यवार सूक्ष्म, लघु उद्यम इकाईयों की अनुमानित संख्या, निर्धारित निवेश, उत्पादन और रोजगार के विवरण नीचे तालिका 12.1 में दिए गए हैं:-

तलिका : 12.1 पूर्वोत्तर और सूलमउ (2009-10) अनुमानित

राज्य का नाम	वर्ष	सिक्कम	अरूणाचल प्रदेश	नगालैण्ड	मणिपुर	मिजोरम	त्रिपुरा	मेघालय	असम	कुल
कार्यशील उद्यमों की संख्या	2006-07	123	451	1331	4507	3714	1253	3063	18671	33113
	2007-08	138	514	2109	4549	3940	1409	3469	20425	36553
	2008-09	209	621	4630	4689	4418	1621	3879	22056	42123
	2009-10	252	706	6280	4778	4770	1805	4287	23749	46626
निर्धारित निवेश (करोड़ रु.)	2006-07	27.34	584.04	719.12	92.34	279.88	382.50	132.08	5249.82	7467.12
	2007-08	30.68	665.63	1139.49	93.25	297.08	430.17	149.51	5743.51	8549.32
	2008-09	46.46	804.20	2501.59	96.12	333.12	494.89	167.18	6202.15	10645.71
	2009-10	55.91	914.27	3392.81	97.95	359.66	551.07	184.77	6678.08	12234.51
उत्पादन (करोड़ रु.)	2006-07	49.56	256.49	1384.17	160.50	303.35	575.09	437.38	6805.62	9972.16
	2007-08	49.56	292.31	2193.15	161.94	321.90	646.73	495.37	7444.91	11605.88
	2008-09	55.60	353.16	4814.74	166.93	360.95	744.04	553.92	8039.41	15088.75
	2009-10	84.21	401.50	6530.05	170.10	389.71	828.50	612.18	8656.33	17672.57
रोजगार (व्यक्ति)	2006-07	1151	5893	16149	16738	26015	18807	12896	133561	231210
	2007-08	1292	6718	25582	16877	27580	21149	14604	146039	259841
	2008-09	1956	8116	56162	17396	30926	24331	16331	157700	312919
	2009-10	2354	9227	76170	17726	33390	27093	18048	169802	353811

12.3 बजट सहायता

कुल बजट का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित करने की सरकार की नीति के अनुसरण में सू.ल.म.उ. मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के अधीन बजट अनुमान 2010-11 में 240.00 करोड़ रूपए का परिव्यय इस क्षेत्र के लिए नियत किया गया है।

12.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय के कार्यकलाप

12.4.1 विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-डीआई, गंगटोक (सिक्किम), गुवाहाटी (असम), इम्फाल (मणिपुर), अगरतला (त्रिपुरा) और शाखा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम डीआई, ऐजवाल (मिजोरम), दीमापुर (मेघालय), ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश), दीफू (असम), सिलचर (असम), तेजपुर (असम), शिलांग (मेघालय), और तूरा (मेघालय), में हैं। टूलिंग और प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए गुवाहाटी में एक औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। दीमापुर नागालैण्ड में एक औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु नागालैंड की राज्य सरकार को सहायता प्रदान किया गया है। यह औजार कक्ष

उद्योग को सामान्य सुविधा सेवाएं देने, औजार और डाई बनाने के लिए 4 वर्षीय डिप्लोमा, कम्प्यूटर साधित डिजाइन बनाने, बेसिक वर्कशाप प्रौद्योगिकी, टर्निंग और मिलिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग आदि जैसे दीर्घकालीन और लघु कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उच्च तकनीकी मशीनरी से सज्जित है।

12.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के कार्यकलाप

12.5.1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यालयों का एक नेटवर्क है। इसमें गुवाहाटी (असम) स्थित एक जोनल कार्यालय, जो पूर्वोत्तर के सभी कार्यकलाप देखता है और इम्फाल (मणिपुर), दीमापुर (नागालैण्ड), ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश), शिलांग (मेघालय) और अगरतला (त्रिपुरा) स्थित 5 उपकार्यालय शामिल हैं। एनएसआईसी के पास गुवाहाटी में एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र भी है, जो तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध करती है और कौशल विकास कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करती है।

12.5.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएसआईसी ने 20 उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम; 24 उद्यमिता विकास कार्यक्रम; 7 लघु उद्यम स्थापना कार्यक्रम और 5 कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3000 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया।

12.5.3 वर्ष 2010-11 के दौरान, एनएसआईसी ने अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सूलमउ को सहायता देना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्यों में 19 सघन अभियान आयोजित किए, 4 घरेलू प्रदर्शनियों और मिलान (इटली) में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया/में भाग लिया।

12.5.4 निगम ने अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाईयों को सहायता दी और आंतरिक विपणन स्कीम के अधीन कच्ची सामग्री सहायता और समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमों ने सूचनादायी (इंफोमिडयरी) स्कीम और सरकारी खरीद कार्यक्रमों का लाभ उठाया।

12.6 प्रशिक्षण गतिविधियांः

12.6.1 आई.आई.ई. गुवाहाटी : गुवाहाटी में भारतीय उद्यमिता संस्थान का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता का विकास करने के उद्देश्य से किया गया था। संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण गतिविधियों का मुख्य फोकस नए उद्यमियों का विकास करना रहा है। उद्यमिता प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, संस्थान विभिन्न एजेंसियों और उद्यमियों के विचारों का आदान-प्रदान और अंतरक्रिया के लिए सेमीनार, कार्यशालाएं, बैठकें और सम्मेलन आयोजित कर रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान (30 नवंबर, 2010 तक) संस्थान ने सूक्ष्म, और लघु उद्यमों की वृद्धि और विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में इस प्रकार के 247 कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर 7551 उम्मीदवारों ने इन कार्यशालाओं/सेमिनारों/बैठकों में भाग लिया। नए उद्यमियों का संवर्धन करने के लिए, संस्थान ग्रामीण, सामान्य और महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, स्व-रोजगार से संबंधित क्रैश-कोर्स और क्षेत्र विशिष्ट उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करती है। संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारम्परिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम कवर होने वाले 14 क्लस्टरों को तकनीकी सलाह उपलबध कराती है। संस्थान मंत्रालय एमएसई-क्लस्टर विकास स्कीम के लिए क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में भी काम कर रही है।

12.6.2 एनआई-एमएसएमई, हैदराबाद - वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा केद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों के लिए अनन्य रूप से चार कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में 100 उद्यमियों ने भाग लिया।

12.6.3 निसबड, नोएडाः पूर्वोत्तर क्षेत्र के बेरोजगार युवकों के लिए अप्रैल, 2010 के दौरान प्रत्येक 6 माह अवधि के 02 आवासीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से एक रिटेल प्रबंधन पर तथा एक परिधान उत्पादन और व्यापार पर था । ये कार्यक्रम, जिनमें से प्रत्येक में सहभागियों की संख्या 30 थी, डोनर मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आवासीय आधार पर आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान, भागीदारों को विभिन्न उद्यमियों के साथ अंतरक्रिया के अवसर उपलब्ध कराए गए, तथा शॉपिंग मॉल, निर्यात हाउसेस आदि के प्रत्यक्ष अनुभव दिलाए गए। 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समाप्त होने

के साथ ही, अनेक भागीदारों को पहले ही संबंधित क्षेत्रों में काम मिल गया है तथा उनमें से कुछ संगत क्षेत्रों में अपने इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार, संस्थान ने उन सभी चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर लिया है जो इसे डोनर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया था जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल 120 युवाओं ने भाग लिया।

12.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि और ग्रामोद्योग कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), परंपरागत उद्योगों के सृजन हेतु निधि योजना (स्फूर्ति), खादी और ग्रामोद्योग कार्यकलापों से संबंधित स्कीमें, कयर और कयर उत्पादों के संवर्धन से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

12.8 बजटीय सहायता

12.8.1 भारत सरकार की नीति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु कुल योजना बजट का 10 प्रतिशत खादी ग्रामोद्योग और कयर क्षेत्र की विभिन्न योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया गया है। विगत तीन वर्षों और 2010-11 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु केवीआईसी, कयर बोर्ड और पीएमआर वाई के लिए सरकार द्वारा जारी निधियों का व्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका 12.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निधियां जारी

(करोड़ रू.)

वर्ष	जारी निधियां				
	केवीआईसी	कयर बोर्ड	पीएमआरवाई**	स्फूर्ति	कुल
2007-08	58.39	1.30	30.78	1.63	92.10
2008-09	111.14	3.83	--	3.85	118.82
2009-10	34.84	1.70	--	2.00	38.54
2010-11*	34.38	0.85	--	0.25	35.48

* दिसंबर,10 तक **2008-09 में बन्द की गई और पीएमईजीपी में विलय किया गया है

12.9 पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवीआई कार्यक्रम

12.9.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवीआई कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास सभी पूर्वोत्तर राज्यों में गुवाहाटी में एक आंचलिक कार्यालय और एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। केवीआई कार्यक्रम राज्य केवीआई बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और उद्यमों के माध्यम से इन क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

12.9.2 सामान्यतः इन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले ग्रामीण उद्योग हैं-मिट्टी के बर्तन, मधुमक्खी पालन, खाद्य और दाल प्रसंस्करण, फाइबर, फल और वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग, साबुन, बढ़ई और लौहार जैसे कार्यकलाप तथा खादी और पोलीवस्त्र।

12.9.3 ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए केवआईईसी के कार्यक्रमों से कारीगरों, बुनकरों, कतिनों एवं वैयक्तिक उद्यमियों के साथ साथ इस क्षेत्र के केवीआई उत्पादों की ऊंची गुणवत्ता वाले उत्पादन से आय बढ़ने की आशा है। इससे श्रमसाध्य कार्यालयों में नीरसता में कमी होगी स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल का इष्टतम उपयोग होगा और कारीगरों के कौशल का उन्नयन होगा।

12.9.4 वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादन और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं, यद्यपि खादी क्षेत्र में सतत रूप से वृद्धि नहीं हुई हैं। पिछले तीन वर्षों और 2010-11 के दौरान केवीआईसी क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार के संदर्भ में हुई उपलब्धियों नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं:

तालिका 12.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवीआई उत्पादन

(मूल्य लाख रूपए में)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
अरूणाचल प्रदेश	2936.92	3050.76	3902.68	4339.42
असम	40626.88	42393.97	48505.20	50010.37
मणिपुर	7708.53	8003.22	8401.77	8389.18
मेघालय	9108.17	9457.77	9928.76	10775.16
मिजोरम	17390.48	18057.98	18957.27	20108.79

नागालैण्ड	9556.44	9933.46	10428.15	12290.23
सिक्किम	3130.99	3251.17	3413.07	4226.45
त्रिपुरा	7972.48	8278.47	8961.42	9385.67
कुल	**98430.89**	**102426.80**	**112498.32**	**119525.26**

* दिसम्बर, 2010 तक

तालिका 12.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवीआई बिक्री

(मूल्य लाख रूपए में)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
अरूणाचल प्रदेश	5052.74	5328.53	5927.51	6472.78
असम	66333.81	70192.33	70422.53	72435.69
मणिपुर	8106.48	8550.33	12785.55	12778.29
मेघालय	12367.76	13038.80	14013.29	15071.01
मिजोरम	27609.38	29107.31	29965.62	31404.88
नागालैण्ड	13173.66	13889.13	14446.41	16781.75
सिक्किम	6614.76	6973.70	4856.62	5872.32
त्रिपुरा	11296.48	11908.62	12578.12	13102.88
कुल	**150555.07**	**158988.75**	**164995.65**	**173919.60**

* दिसम्बर, 2010 तक

तालिका 12.5 पूर्वोत्तर में केवीआई रोजगार

(लाख व्यक्तियों में)

राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
अरूणाचल प्रदेश	0.09	0.10	0.11	0.12
असम	2.98	3.67	3.76	3.80
मणिपुर	0.65	0.65	0.70	0.70
मेघालय	0.39	0.39	0.44	0.45

मिजोरम	0.81	0.83	0.87	0.88
नागालैण्ड	0.52	0.53	0.56	0.58
सिक्किम	0.22	0.22	0.24	0.25
त्रिपुरा	0.59	0.59	0.65	0.65
कुल	**6.25**	**6.98**	**7.33**	**7.43**

12.9.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र मे कौशल विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुमारी काटा (असम) और दोई मुख (अरूणाचल प्रदेश) में मल्टी-डिसप्लेन प्रशिक्षण केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य केवीआईवी बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र रोहा, मेरीगॉव (असम), जामा बैंक, आईजो (मिजोरम) और कोहिमा (नागालैंड), में चलाए जा रहे हैं। इनके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में 7 ईडीपी प्रशिक्षण केन्द्र प्रचालित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने के लिए द्वितीय श्रेणी रेल किराया और प्रशिक्षण अवधि के दौरान का दैनिक भत्ता भी उपलब्ध कराया जाता है। इस क्षेत्र में सिक्किम समेत 2009-10 तक 10,622 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया जबकि 2010-11 में दिसंबर 2010 तक 2,633 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

12.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित स्कीमें

12.10.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

यह कार्यक्रम बनाते समय पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यकम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र के (सामान्य श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत) रूप में तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी (सामान्य श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत) के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के संवर्धन के लिए आकर्षक सब्सिडी स्तरों पर यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा परियोजना स्थापित करने के लिए अपना स्वयं का अंशदान (सामान्य श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत) परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत पूर्वोतर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केवीआईसी द्वारा विशेष प्रयास किए गए है। 2009 -10 में, कुल 3720 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई जिसके लिए 36.53 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सबसिडी का उपयोग किया गया। वर्तमान वर्ष में (दिसम्बर 2010 तक) पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय कार्यबल ने 9902 आवेदनों की सिफारिश की है जिसमें से 3051 परियोजनाएं बैंकों द्वारा अनुमोदित की गई जिसमें 35.31 करोड़ मार्जिन मनी सबसिडी शामिल है।

केवीआईसी वृहत् स्तर पर प्रचार करने तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के माध्यम से इस स्कीम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय स्तर पर सघन निगरानी की जाती है।

12.10.2 उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप एवं पैकेजिंग योजना (प्रोदीप): इस योजना के अंतर्गत उत्पाद

की गुणवत्ता सुधारने, नए डिजाइन लागू करने, उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग की परियोजना के लिए केवीआईसी द्वारा संस्थान के लिए 2 लाख रूपए तक/वैयक्तिक रूप में 1 लाख रूपए तक अथवा परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) प्रोदीप के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में 04 केवीआई परियोजनाओं को आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई।

12.10.3 जनश्री बीमा योजना: खादी कारीगरों/बुनकरों को बीमा देने के लिए केवीआईसी की जनश्री बीमा योजना के अधीन अब तक 3390 कारीगरों को कवर किया जाता है।

12.10.4 राज्य स्तरीय कारीगर कल्याण निधि न्यास: एक कारीगर कल्याण निधि न्यास का पंजीकरण पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में किया गया था। केवीआईसी द्वारा सहायता प्राप्त 32 संस्थानों और केवीआईबी द्वारा सहायता प्राप्त 01 संस्थान को दिसंबर 2010 तक सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया गया। 31.03.10 के अंत तक इस निधि में 16.46 लाख रूपए जमा किए गए ।

12.10.5 ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी): वैयक्तिक युनिटों को उनके उत्पादन, गुणवत्ता, कौशल, विपणन आदि में आधारभूत सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों को 5 लाख रूपए तक की लागत वाली परियोजना के लिए 90 प्रतिशत तक और 25 लाख रूपए तक की लागत वाली परियोजना के लिए 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती हे। 2010-11 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरआईएससी के अंतर्गत सहायता हेतु 2 ग्रामोद्योग परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

12.10.6 प्रदर्शनियां: खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से केवीआईसी ने वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर 2010 तक) 3 प्रदर्शनियां आयोजित की। इन प्रदर्शनियों के भागीदार संस्थानों की केवीआईसी द्वारा परिवहन सब्सिडी दी जाती है। केवीआईसी ने नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में 10 प्रतिशत स्थान पूर्वोत्तर

में स्थित इकाईयों में उत्पादित उत्पादों के लिए आरक्षित रखना जारी रखा है।

12.10.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवीआईसी की नई पहलें

- उत्पादों की गुणवत्ता सहित केवीआई क्षेत्र में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के सुधार के लिए केवीआईसी ने आईआईटी, गुवाहाटी के साथ व्यवस्था की है क्योंकि यह विख्यात राष्ट्र स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरापृष्ठों के लिए इसके राष्ट्र व्यापी कार्यक्रमों का भाग है।

- भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी को क्षेत्र में स्थापित की जा रही आरईजीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और मानीटरिंग तथा लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नोड्ल एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर आयोजित प्रदर्शनियों, मेलाओं, आदि में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से आरईजीपी उद्यमियों की संस्थाओं से आने जाने हेतु परिवहन प्रभार उपलब्ध कराया जाता है।

- केवीआई उत्पादों के विपणन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्थाओं के उत्पादों के लिए सभी विभागीय खादी ग्रामोद्योग भवनों में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाता है।

12.11 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कयर बोर्ड के कार्यकलाप

12.11.1 कयर बोर्ड कयर और कयर उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कयर उद्योगों के विकास के लिए बहुआयामी पहल अपना रहा है। फलस्वरूप कयर और कयर उत्पादों की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। सभी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए कयर उद्योग इकाईयों की स्थापना के लिए नए उद्यमियों से प्रस्ताव किया है। परंपरागत के साथ साथ नवीनतम उत्पाद जैसे कयर भूवस्त्र और कयर प्लाई हैं जो पूर्वोत्तर की स्थलाकृति के लिए विशेषरूप से महत्वपूर्ण हैं, को भी शुरू/लोकप्रिय किया जा रहा है।

12.11.2 वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसम्बर 2010 तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कयर उद्योगों के संवर्धन के लिए कयर बोर्ड द्वारा विभिन्न गतिविधियां सम्पादित की गयी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से कयर कार्यक्रमों का प्रचार, कताई प्रशिक्षण तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों का उत्पादन तथा पूर्वोत्तर राज्य में मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न कयर गतिविधियों के सम्पादन के लिए बोर्ड द्वारा 1.10 करोड़ रू. (स्फूर्ति सहित) जारी किए गए हैं जबकि आवंटन 2.97 करोड़ रू. था।

12.12पूर्वोत्तर क्षेत्र में परंपरागत उद्योगों के सृजन हेतु निधि योजना (स्फूर्ति)

12.12.1 स्फूर्ति के दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि क्लस्टरों का चयन कारीगरों की उपयुक्त संख्या के भौगोलिक संकेन्द्रण पर आधारित होना चाहिए जिसमें से कम से कम 10 प्रतिशत क्लस्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हों।

12.12.2 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए स्कीम संचालन समिति ने इस स्कीम के अंतर्गत विकास के लिए (105 क्लस्टरों में से) 15 क्लस्टर पूर्वोत्तर राज्यों से अनुमोदित किए है। इन राज्यों में क्लस्टरों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 12.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्फूर्ति के अधीन क्लस्टर

क्रम संख्या	राज्य	स्थान	क्लस्टर का नाम
		खादी क्लस्टर	
1	असम	नलवाड़ी	मुकालमुओ सिल्क खादी क्लस्टर
2	नागालैण्ड	दीमापुर	दीमापुर खादी क्लस्टर

कयर क्लस्टर			
3	असम	गुवाहाटी	मानस कयर क्लस्टर
4	त्रिपुरा	अगरतला	अगरतला कयर क्लस्टर
ग्रामोद्योग क्लस्टर			
5	असम	बारपेटा	बारपेटा केन एण्ड बंबू क्राफ्ट क्लस्टर
6		धुबरी	लखमनी केन एण्ड बंबू क्राफ्ट क्लस्टर
7	त्रिपुरा	त्रिपुरा वेस्ट	गांधीग्राम क्राफ्ट प्रोसेंसिंग क्लस्टर
8		अगरतला	अगरतला मधुमक्खी पालन क्लस्टर
9	अरूणाचल प्रदेश	लोयर सावनसीरी	जोरो ट्रेडिशनल ड्रेस मेकिंग क्लस्टर
10	मिजोरम	एजवाल	ऐजवाल केन एण्ड बंबू क्लस्टर
11	मेघालय	जैंतिया हिल्स	डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बंबू एण्ड हैण्डीक्राफ्ट
12	मणिपुर	थावल	कारपेंटरी क्लस्टर
13		चंदेल	पैलल केन एण्ड बंबू क्लस्टर
14	नागालैण्ड	मानटाउन	मेन बिड्स मेकिंग क्लस्टर
15	सिक्किम	साउथ सिक्किम	बी कीपिंग क्लस्टर

12.12.3 क्लस्टर विकास गतिविधियां जैसे शीर्ष एजेंसियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, और तकनीकी एजेंसियों के मध्य समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन, राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना; क्लस्टर विकास कार्यकारियों की नियुक्ति; विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, एक्सपोजर विजिट्स, निदानात्मक अध्ययन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करना, पूरी की जा चुकी हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

13 महिलाओं के लिए कार्यकलाप और कार्यक्रम

महिला उद्यमी जिसे सूक्ष्म वित्त स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म इकाई की स्थापना में सहायता प्रदान की गई

अध्याय XIII

महिलाओं के लिए कार्यकलाप और कार्यक्रम

13.1 मंत्रालय की भूमिका

13.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रमुख भूमिका राज्यों एवं संघशासित प्रशासनों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि और विकास का संवर्धन करने में सहायता करना है। अतः मंत्रालय के संगठनों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का मुख्य बल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक विस्तृत सेवाओं और सुविधाओं को त्वरित गति प्रदान करना है। कुछ स्कीम ऐसे हैं जो कि व्यक्ति, लाभार्थी उन्मुख हैं। अनेक स्कीम ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को अतिरिक्त लाभ/छूट/सहायता प्रदान की जाती है। सू.ल.म.उ. मंत्रालय ट्रेड तथा महिला कॅयर स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए दो विशिष्ट स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय के वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध संबंधित स्कीमों के दिशा निर्देशों में महिलाओं को मिलने वाले छूट के बारे में दिया गया है। ट्रेड तथा महिला कॅयर स्कीम के ब्योरे निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

13.2 महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण

13.2.1 सरकार द्वारा समय समय पर घोषित नीतियां में महिला उद्यमिता विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी की महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमिता के संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। इस संबंध में महिलाओं के लिए विशिष्ट उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित कर विशेष ध्यान दिया जाता है।

13.2.2 एनआई-एमएसएमई, हैदराबादः वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक) संस्थान ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 1177 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

13.2.3 निसबड, नोएडाः महिलाओं के मध्य उद्यमिता संस्कृति विकसित करने के संबंध में भारत सरकार की नीति निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, संस्थान ने अपनी विभिन्न गतिविधियों में इस लक्ष्य समूह पर ध्यान रखा तथा कार्यशालाओं, उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम आदि में महिला उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया। इस तरह से, संस्थान ने इस अवधि के दौरान अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकलापों के माध्यम से 4909 महिला भागीदारों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

13.2.4 आईआईई, गुवाहाटीः वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक) संस्थान ने 3947 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं शामिल की गई तथा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी प्रकार के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को शामिल किया गया

13.2.5 एनएसआईसी वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक) एनएसआईसी ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 5996 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

13.3 महिलाओं के लिए व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता और विकास योजना (ट्रीड)

इस योजना में गैर कृषि कार्यकलापों में उद्यमिता कौशल विकास द्वारा महिलाओं को आर्थिक अधिकारिता प्रदान करने पर विचार किया गया है। इस स्कीम के तीन प्रमुख घटक हैं। महिलाओं की उद्यमिता विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तक राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। परियोजना लागत की शेष 70 प्रतिशत राशि परियोजना में दी गई गतिविधियों को करने के लिए ऋण प्रदाता एजेंसी द्वारा ऋण के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 1 लाख रूपए की राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सर्वेक्षण, अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण मॉड्यलो का डिजाइन तैयार करने आदि के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थानों और अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों की आवश्यकता आधारित

अनुदान के रूप में 5 लाख रूपए तक की राशि दी जाती है। वर्ष 2010-11 के लिए स्कीम के अंतर्गत बजट अनुमान 270.00 लाख रूपए है तथा 5165 महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिसंबर 2010 तक 92.00 लाख रू. पहले ही जारी किया जा चुका है।

13.4 कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में महिलाओं के लिए कार्यकलाप और कार्यक्रम

13.4.1 मंत्रालय की स्कीमों का कार्यान्वयन करने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी हो। इसके अतिरिक्त कयर बोर्ड महिला कयर योजना कार्यान्वित कर रहा है जो महिला उन्मुखी स्व-रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अधीन महिलाओं को कताई कार्यकलापों को पूरा करने के लिए और आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और उपलब्ध कराए गए हैं। इन कार्यक्रमों के अधीन महिला उद्यमियों को उपलब्ध लाभ और इस संबंध में महिलाओं की भागीदारी की संख्या और उपलब्ध कराई गई सब्सिडी का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

13.5 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और महिलाएं

13.5.1 2008-09 में आरम्भ की गयी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अधीन महिला लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई रियायतें नीचे दी गई हैं:-

i. शहरी महिला लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी के रूप में पूंजीगत सब्सिडी की 25 प्रतिशत (सामान्य के लिए यह 15 प्रतिशत) की दर पर उपलब्ध कराई जाती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत (सामान्य के लिए 25 प्रतिशत) है।

ii. महिला उद्यमियों के मामले में ऋणी का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है जबकि सामान्य श्रेणी के मामले में यह परियोजना लागत का 10 प्रतिशत है।

iii. महिलाओं और अन्य कमजोर वर्ग के ऋणियों के मामले में ऋण के रूप में बैंक वित्त पोषण परियोजना लागत का 95 प्रतिशत है और सामान्य श्रेणी के मामले में परियोजना लागत का 90 प्रतिशत है।

13.6 महिला कयर योजना

13.6.1 यह स्कीम नवम्बर 1994 को शुरू की गई महिला कयर योजना कयर उद्योग में पहली महिला अभिमुखी स्व रोजगार स्कीम है, जो कयर फाइबर उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए स्व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। यह स्कीम प्रशिक्षण देने के बाद महिला कारीगरों को कयर यार्न की कताई के लिए मोटरयुक्त रट के वितरण पर ध्यान देती है। कताई करने वाली महिला को बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र पर मोटरयुक्त रट पर कयर यार्न की कताई में दो महीने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षार्थी को 500 रूपए की छात्रवृत्ति भी दी जाती है जिसे वर्ष 2009-10 से बढ़ाकर 750 रूपए किया जा रहा है। कयर बोर्ड मोटर युक्त रट/मोटर युक्त पारंपरिक रटों के लिए 75 प्रतिशत लागत सब्सिडी उपलब्ध कराता है जो मोटरयुक्त रटों के लिए अधिकतम 7500 रूपए और मोटरयुक्त परंपरागत रटों के लिए 3200 रूपए की सीमा में हो। शेष 25 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा व्यवस्था की जानी होती है।

14 राजभाषा का प्रयोग

हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति, सचिव (सूलमउ) श्री उदय कुमार वर्मा को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए। साथ में उपस्थित हैं, श्री पी. चिदम्बरम, केंद्रीय गृह मंत्री

अध्याय XIV

राजभाषा का प्रयोग

14.1 हिंदी भारत संघ की राजभाषा है तथा सरकारी नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग करना है। वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए।

14.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, लाइसेंस तथा संसद के सभा पटलों पर रखें जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी अर्थात हिंदी तथा अंग्रेजी में जारी किए गए। विभागीय प्रयोग के लिए सामान्य आदेशों को केवल हिंदी में जारी किया गया।

14.3 हिंदी पत्रों का उत्तर

हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए।

14.4 हिंदी में पत्राचार

14.4.1 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों को यथा संभव पत्र हिंदी में ही जारी किए गए। इसी प्रकार वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यकलापों को भी हिंदी में पत्र भेजे गए। सितंबर, 2010 को समाप्त अवधि की तिमाही में 'क' क्षेत्र में 87 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र में 82 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र में 77 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया।

14.4.2 मंत्रालय को वर्ष 2008-09 में हिंदी में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजभाषा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। उक्त पुरस्कार हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 14.09.2010 को महामहिम उप राष्ट्रपति द्वारा सचिव (सूलमउ) को प्रदान किया गया।

14.5 हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभाग

हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभाग संतोषजनक रूप से अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में कर रहे हैं।

14.6 निगरानी तथा निरीक्षण

राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तिमाही प्रगति रिपोर्टों की सतत रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है। वर्ष के दौरान हिंदी का प्रयोग और राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अनुभागों के साथ साथ नियंत्रणाधीन कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

14.7 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

मंत्रालय के सभी कर्मियों को हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण पहले ही दे दिया गया है।

14.8 यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय में यांत्रिक उपकरणों पर द्विभाषी यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। हिंदी में कार्य करने की सुविधा के साथ कम्प्यूटर तथा टर्मिनल संस्थापित किए गए हैं।

14.9 समितियां

14.9.1 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य की पुनरीक्षा करने तथा हिन्दी के काम को बढ़ाबा देने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। हिन्दी सलाहकार समिति की प्रथम बैठक दिनांक 15.09.2010 को आयोजित की गई और बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई उपयुक्त स्तरों पर सुनिश्चित की जा रही है।

14.9.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव, प्रभारी हिंदी की

अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है।

14.9.3 इस समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गई तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं।

श्री दिनशा पटेल, तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हिंदी सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए

14.10 हिंदी माह

मंत्रालय में 14 सितंबर 2010 से 13 अक्टूबर 2010 तक हिंदी माह मनाया गया। सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान हिंदी टंकण, हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, सामान्य हिन्दी, हिन्दी भाषण,

अंताक्षरी और अनुभागों में हिंदी कार्य आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवधि के दौरान हिन्दी कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं। विजेता प्रतियोगिओं को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हिंदी दिवस, 2010 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, मंत्रिमण्डल सचिव और माननीय सूलमउ मंत्री के संदेश अनुपालन एवं सूचनार्थ, मंत्रालय सहित सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किए गए।

14.11 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग

14.11.1 विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय, नई दिल्ली

सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन और इस संबंध में भारत सरकार के दिशा निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय में एक पूर्णकालीन हिंदी अनुभाग है। वर्ष के दौरान हिंदी का अधिकतम प्रयोग और सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय के 26 अनुभागों का निरीक्षण किया गया। विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय में 14 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2010 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया एवं पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष के दौरान इसके अधीनस्थ कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए।

14.11.2 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड, नई दिल्ली

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए

सतत रूप से प्रयासरत है। दिल्ली में निगम के कार्पोरेट कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ के साथ एक पूर्णकालीन हिंदी अनुभाग कार्यरत है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें और हिंदी कार्याशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष के दौरान 14 सितंबर से 13 अक्टूबर 2010 तक हिंदी माह मनाया गया जिसमें विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की विभिन्न योजनाओं के साहित्य और आवेदन पत्र द्विभाषी रूप में तैयार किए गए। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ''एनएसआईसी क्रॉनिकल'' नामक एक मासिक पत्रिका का हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशन करना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में हिंदी के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है।

14.11.3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), मुम्बई

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में दिनांक 14.09.2010 से दिनांक 29.09.2010 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिन्दी कार्याशालाओं में कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। खादी और खादी उत्पादकों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 'जागृति' नामक गृह पत्रिका नियमित रूप से द्विभाषी रूप में निकाली जाती है।

14.11.4 कयर बोर्ड, कोच्ची

कयर बोर्ड ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयास किए। वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यालय आदेश, परिपत्र आदि द्विभाषी जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। बोर्ड में एक हिंदी कार्याशाला आयोजित की गई जिसमें कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। बोर्ड ने अपने कार्यालयों में राजभाषाई निरीक्षण किया। बोर्ड कार्यालय में प्रत्येक महीने की 14 तारीख को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाता है। बोर्ड में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बोर्ड के विज्ञापन हिंदी

में दिए गए और बोर्ड की वेबसाइट द्वि भाषी रूप में बनाई गई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

14.11.5 राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), नोएडा

संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और संचालन परिषद की बैठक की कार्यसूची और अन्य विवरण द्विभाषी में तैयार किए गए। हिंदी के सभी प्रतिवेदन नियमित रूप से भेजे गए। संस्थान में दिनांक 14.09.2010 से 20.09.2010 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया तथा इस दौरान हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया और सामान्य ज्ञान तथा हिंदी अनुवाद के बारे में जानकारी दी गई। संस्थान में प्रत्येक माह की 14 तारीख को अधिक से अधिक काम हिन्दी में किया जाता है। संस्थान में उद्यमिता सह-कौशल विकास कार्यक्रम हिन्दी में आयोजित किए गए।

14.11.6 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद

संस्थान द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए यथा संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए पाठ्य-सामग्री हिन्दी में उपलब्ध कराई गई। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिया गया। संस्थान के कर्मचारियों को अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

14.11.7 भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी

कार्यालय में उपयोग में आने वाले सभी फार्मों को द्विभाषी किया गया। संस्थान के कार्याकलापों संबंधी समाचारों का हिंदी अनुवाद कराकर क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। सभी फाइलों के शीर्ष द्विभाषी किए गए तथा फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई। कार्यालय की वेबसाइट

द्विभाषी की जा रही है। कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषाई निरीक्षण किया गया। अधिकांश कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण दिलाया गया। 14 सितंबर से 21 सितंबर 2010 के दौरान हिन्दी सप्ताह मनाया गया एवं सप्ताह के दौरान हिन्दी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। कर्मचारियों को एनआईसी द्वारा हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई। विज्ञापन आदि भी हिन्दी में प्रकाशित कराए गए।

14.11.8 भारतीय ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरि) वर्धा

संस्थान में राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए यथासम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

15 सतर्कता कार्यकलाप

अध्याय XV

सतर्कता कार्यकलाप

15.1 मंत्रालय के सर्तकता प्रभाग का प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है, जो कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग और जांच एजेंसियों के परामर्श से सभी सतर्कता मामलों के लिए एक नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

15.2 मंत्रालय के सेवारत अधिकारियों में व्यापक सतर्कता/ जागरूकता सृजित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी मार्गनिदेश / अनुदेशों का कार्यान्वयन कर रहा है। जनहित वाले कार्यालयों के कार्यकलाप में सतर्कता और पारदर्शिता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से 25 अक्तूबर, 2010 को प्रतिज्ञा के साथ आरंभ 25 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2010 तक सतर्कता जागरूकता अवधि मनाई गई।

15.3 सतर्कता प्रभाग मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों के कर्मचारीयों द्वारा अधिमानतः अपीलों के साथ-साथ संगठनों के कर्मियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत, आदि पर लगाई गई शास्तियों का कार्य भी देखता है प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए जाते है:-

1. अधिकारियों एवं स्टाफ की गोपनीय रिपोर्टों का विवरण।
2. केन्द्रिय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के अन्तर्गत आने वाले सभी मामले
3. बंधक पत्र/ विलेख की सुरक्षित संरक्षा।
4. प्रशासनिक उद्देश्य के लिए सतर्कता निकासी।

15.4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों के सतर्कता स्थापना

15.4.1 विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय

15.4.1 (क) इस कार्यालय की सतर्कता इकाई का प्रमुख निदेशक स्तर का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से की जाती है। सतर्कता अनुभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के कार्यक्षेत्र में आने वाली शिकायतों एवं सतर्कता मामलों को देखता है।

15.4.1 (ख) शिकायतें एवं सतर्कता मामले

भ्रष्टाचार आदि से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत एवं सतर्कता मामलों से अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार की कई गुमनाम शिकायतों को भी वर्ष के दौरान देखा गया। निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की गईः-

क. मुख्य सतर्कता आयोग को मासिक रिपोर्ट और शिकायतें, मुख्य सतर्कता आयोग की सलाह पर कार्रवाई, विभागीय जांच, जांच, निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की संवीक्षा आदि भेजी गई।

ख. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को मुख्य सतर्कता आयोग के संगठन अर्थात मुख्य तकनीकी जांच द्वारा कार्य की जांच के बारे में तिमाही रिटर्न भी भेजी गई।

ग. प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त भ्रष्टाचार/अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों के बारे में पाक्षिक रिपोर्ट और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और दण्ड संहिता की धारा 19 के अधीन अभियोग हेतु मंजूरी अनुसार मामलों को समयबद्ध रूप से शीघ्र निपटाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को भी भेजी गई।

घ. भ्रष्टाचार निरोधक उपायों पर कार्रवाई योजना और केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी एवं ऊपर) और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा अधिकारी (प्रधान निजी सचिव और वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव) के विरूद्ध शिकायतों/अनुशासनिक मामलों के बारे में तिमाही रिपोर्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को भेजी गई।

15.4.1 (ग) सतर्कता संगठन द्वारा किए गए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक कार्यः

जब कभी संगठन में कोई प्रक्रियात्मक कमी अथवा कार्यकरण में कमी प्रकाश में आती है तो चोरी, धोखाधड़ी आदि से संबंधित मामलों की पुनरावृत्ति को दूर करने संबंधी उपायों हेतु अनुदेश जारी किए जाते हैं।

15.4.1 (घ) विलंब और भ्रष्टाचार की प्रक्रिया की जांच हेतु पद्धति और उपायों में सुधारः

वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और इसकी पद्धति अथवा प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों के समूह ग एवं घ स्टाफ के संबंध में सतर्कता मामलों को संस्थान/केन्द्र के निदेशक द्वारा देखा जाता है जिसकी सहायता सहायक निदेशक (प्रशासन) द्वारा किया जाती है। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों की सेवाओं को शिकायतों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है।

15.4.2 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। एनएसआईसी में सतर्कता कार्य की देखभाल सीवीसी की सलाह से नियुक्ति एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है।

15.4.3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केवीआईसी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक संगठन है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से नियुक्त पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में सतर्कता संबंधी कामकाज देखते हैं।

15.4.4 कयर बोर्ड

कयर बोर्ड कोच्ची सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है। कयर बोर्ड, में सतर्कता से संबंधित कार्यों की केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा देखभाल की जाती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

16 नागरिक चार्टर/सूचना का अधिकार अधिनियम तथा कार्यनिष्पादन निरीक्षण और मूल्यांकन सिस्टम (पी.एम.ई.एस.) तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभ हेतु संपादित गतिविधियां

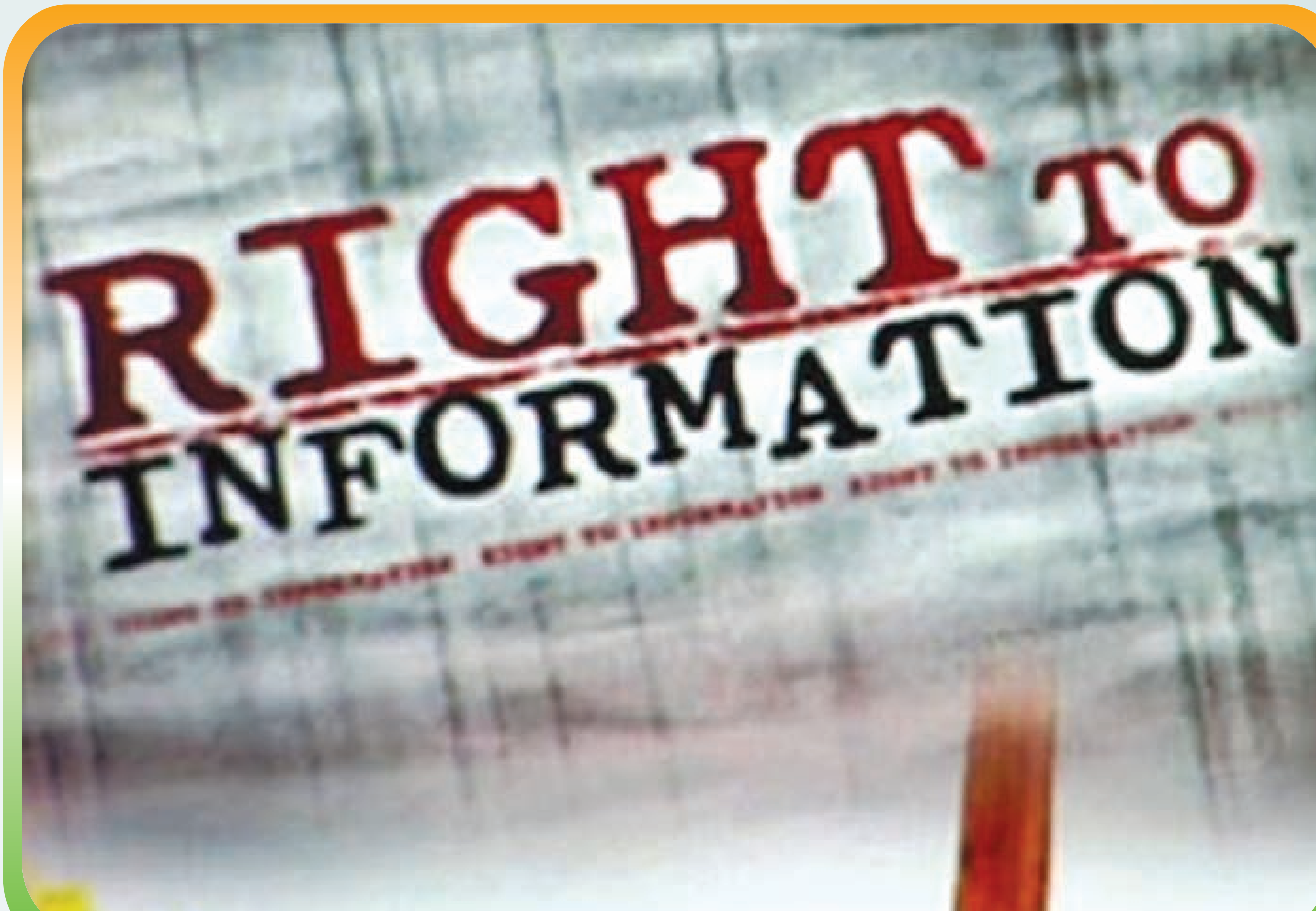

अध्याय XVI

नागरिक चार्टर/सूचना का अधिकार अधिनियम तथा कार्यनिष्पादन निरीक्षण और मूल्यांकन सिस्टम (पी.एम.ई.एस.) तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभ हेतु संपादित गतिविधियां

16.1 मंत्रालय का नागरिक चार्टर (मुख्य विशेषताएं)

16.1.1 यह चार्टर सू.ल.म.उ. मंत्रालय की एक घोषणा है जिसमें आमतौर से भारत के लोगों के लिए विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्देश्य और वचनबद्धता शामिल है।

16.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

16.1.1 (क) सू.ल.एवं म.उ. मंत्रालय की भूमिका प्रमुख रूप से राज्यों को सू.ल.म.उद्यमों की वृद्धि और विकास के संवर्धन के प्रयासों में सहायता देना तथा उद्यमों के सामान्य हितों का ध्यान रखना है।

(ख) मंत्रालय की नीतियों तथा कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं का प्रतिपादन और कार्यान्वयन इसके संबद्ध कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों और स्वायत्तशासी संगठनों की सहायता से किया जाता है।

(ग) इस मंत्रालय का उद्देश्य अपने संबद्ध कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों और स्वायत्तशासी संगठनों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वृद्धि को गति प्रदान करना और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

(घ) मंत्रालय ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास आदि के क्षेत्र में

उपयुक्त नीतियां बनाकर और डिजाइन/कार्यान्वयन संबंधी सहायता उपायों द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करने का प्रत्यन करता है और इन प्रयोजनों के लिए कारगर समर्थन करता है।

(ङ) मंत्रालय के संगठनों के अपने अपने नागरिक चार्टर हैं।

16.1.2 हमारा लक्ष्य

मंत्रालय का लक्ष्य मौजूदा उद्यमों को सहायता देना एवं नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु संबंधित मंत्रालय/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों के सहयोग से खादी, ग्रामीण एवं कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का संवर्धन एवं विकास करना है।

16.1.3 दृष्टि

एक गतिशील सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र स्थापित करना है।

16.1.4 वचनबद्धता

मंत्रालय और इसके संगठन नागरिकों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पारदर्शिता एवं सद्भाव के साथ कुशल एवं त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

16.1.5 सामान्य प्रक्रिया के लिए मानक

मंत्रालय द्वारा सामान्यतः पत्रों की पावती 15 दिन के अंदर भेजी जाती है और यथा संभव उत्तर दिया जाता है।

16.1.6 हमारे नागरिकों के उत्तरदायित्व

मंत्रालय नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता तथा जिन क्षेत्रों में वे सुधार की अपेक्षा रखते हैं उनके बारे में नागरिकों से निरंतर उनके विचारों की अपेक्षा रखता है।

16.1.7 निष्पादन का मूल्यांकन

मंत्रालय समय-समय पर मीडिया और अपनी वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों के साथ अपने कार्यनिष्पादन में भागीदारी करता है। मंत्रालय अपने निष्पादन के विषय में नागरिकों की धारणा तथा मूल्यांकन जानने के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण कराता है।

16.1.8 मार्गदर्शन तथा सहायता

भूतल द्वार संख्या-4 और 5, निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित मंत्रालय की सूचना तथा सुविधा काउंटर आपको मंत्रालय तथा इसके संबंधित संगठनों की सेवाओं तथा कार्यकलापों पर सूचना प्रदान करता है। यहां आरटीआई संबंधी आवेदन पत्र और यदि कोई हो तो शुल्क प्राप्त किया जाता है।

मंत्रालय ने एक टॉल फ्री टेलीफोन न. 1800-180-6763. की व्यवस्था के माध्यम से सम्पूर्ण देश में सम्भावित उद्यमियों को निःशुल्क सूचना और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए 'उद्यमी हैल्पलाईन' नामक एक कॉल सेंटर की स्थापना की है। इसके अंतर्गत, कोई भी सम्भावित उद्यमी जो कि सूलमउ मंत्रालय की स्कीमों के संबंध में या लघु व्यापार से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह इस टॉल फ्री न. पर फोन कर सकता है। सम्भावित उद्यमियों को मार्गदर्शन एवं सूचना देने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति रखी गई है।

16.1.9 वार्षिक रिपोर्टों और स्व-रोजगार पर हैंडबुक प्रकाशित की गई है जो संभावित उद्यमियों, नीति निर्माताओं और अन्यों की सूचना के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in/ www.msme.nic.in में संबंधित सूचना और इसके संगठनों के लिंक उपलब्ध हैं।

16.1.10 शिकायतें

किसी शिकायत के मामले में कोई भी व्यक्ति टेलीफोन कर सकता है अथवा पत्र या फैक्स भेज सकता है अथवा हमारे उद्योग भवन, नई दिल्ली स्थित मंत्रालय में आ सकता है। तथापि ऐसी शिकायत दर्ज करने से पूर्व सर्वप्रथम इस मंत्रालय के सूचना तथा सुविधा केन्द्र का उपयोग कर सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो उस संबंध में मामले को इस मंत्रालय के शिकायत अधिकारी के साथ उठा सकता है। सूचना तथा सुविधा काउंटर तथा शिकायत कक्ष का पता साथ ही फैक्स तथा टेलीफोन नंबर नीचे दिए गए हैं:

ब्यौरा	वेबसाइट पते	संगठन
शिकायत कक्ष, 1. आर्थिक सलाहकार विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय, कमरा संख्या-716, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108, दूरभाष- संख्या-23061277, फैक्स नम्बर-011-23061804 2. सूचना एवं सुविधा काउंटर, गेट संख्या-4, भूतल, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108, दूरभाष-23062219	www.msme.gov.in	एमएसएमई मंत्रालय
	www.dcmsme.gov.in	विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय
	www.nsic.co.in	एनएसआईसी
	www.niesbud.nic.in	निसबड, नोएडा
	www.nimsme.org	एनआई-एमएसएमई, हैदराबाद
	www.iie.nic.in	आईआईई-गुवाहाटी
	www.kvic.org.in	क्वीआईसी (मुम्बई)
	www.coir-india.com	कयर बोर्ड (कोच्चि)
	www.mgiri.org	एमगिरी, वर्धा

16.2 सूचना का अधिकार अधिनियमः

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना लेने के लिए नागरिक सभी कार्य दिवसों पर गेट नंबर 4 और 5 निर्माण भवन (विकास आयुक्त सू.ल.म.उ. का कार्यालय) नई दिल्ली के बीच स्थित सार्वजनिक सूचना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान, मंत्रालय को 141 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 59 आवेदन हस्तांतरित किए गए और 81 आग्रहों को स्वीकार किया गया/उत्तर दिया गया। एक को अस्वीकार कर दिया गया। मंत्रालय और मंत्रालय के संगठनों के अन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों के संबंध में पूरी सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर उचित रूप से अपलोड कर दी गई है। सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के ब्यौरे मंत्रालय/सम्बंधित कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए हैं। मंत्रालय और इसके संगठनों के शीर्ष सीपीआईओ की सूची अनुबंध-VIII पर दी गई है।

16.3 कार्यनिष्पादन निरीक्षण तथा मूल्यांकन सिस्टम (पीएमईएस)

सरकार ने हाल ही में मंत्रालय/विभागों के लिए कार्यनिष्पादन निरीक्षण और मूल्यांकन सिस्टम का अनुमोदन किया है। इसके अनुसार, मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक परिणाम फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (आर.एफ.डी.) तैयार करें, जिसमें वर्ष के लिए मुख्य उद्देश्य और संगत कार्य को संक्षेप में दिया गया है। 2010-11 के लिए आरएफडी मंत्रालय की वेबसाइट (www.msme.gov.in) पर उपलब्ध है।

16.4 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ सम्पादित गतिविधियां

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संवर्ग नियत्रण प्राधिकार के अलग होने पर, यह मंत्रालय इस विषय पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार 'आरक्षण रोस्टर' बनाए हुए है। मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालय विकास आयुक्त (सूलमउ) में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रति 100 बिन्दु रोस्टर से जो रिक्तियां उत्पन्न होती हैं उन्हें भरने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियमित आधार पर सूचित किया जाता है। इनके अतिरिक्त, मंत्रालय में कार्यरत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अन्य सुविधाएं (यात्रा भत्ता आदि) उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. , जो कि इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र निकाय है तथा 3 उद्यमिता विकास संस्थान नामतः राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद और भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी उद्यमिता विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आरक्षण/प्राथमिकता उपलब्ध करा रहे हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक) एनएसआईसी ने 378 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण उपलब्ध काराया है।

अनुबंध-I

वर्ष 2009-10 के दौरान प्रगति के साथ-साथ बजट-अनुमान, संशोधित अनुमान, व्यय एवं वर्ष 2010-11 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं मात्रात्मक/सुपुर्दगीयोग्य/वास्तविक आउटपुट दर्शाते हुए विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009 -10	व्यय 2009 -10	वास्तविक प्रगति/उपलब्धि 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010 - 11	परिमाणीय/वितरणीय/ वास्तविक परिणाम 2010-11
1	सर्वे, अध्ययन एवं नीतिगत अनुसंधान	1.00	0.09	0.06	01 अध्ययन पूरा करने हेतु सहायता उपलब्ध कराई गई	1.00	0.50	13 सर्वेक्षण/ अध्ययन 2010-11 के दौरान आयोजित करने हैं
2	प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	10.00	6.30	6.58	35586 व्यक्ति प्रशिक्षित आधार संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए आईईडी, उड़ीसा को 49.81 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।	54.25	51.80	40000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। अरूणाचल प्रदेश में एक नये ईडी. आई की स्थापना तथा एक चालू ईडीआई की आधार संरचना के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

क्र. सं.	योजना का नाम	2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009 -10	व्यय 2009 -10	वास्तविक प्रगति/उपलब्धि 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010 - 11	परिमाणीय/वितरणीय/ वास्तविक परिणाम 2010-11
3	राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	5.00	0.50	0.24	228 उद्यमी मित्रों सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें प्रथम पीढ़ी उद्यमियों की पथ प्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नए उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु एमएसएमई इंफो कॉल सेंटर/ हैल्पलाईन बनाया गया है।	7.75	2.66	4000 नए उद्यमियों को सहायता प्रदान किए जाने की आशा है
4	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम	2.00	2.00	2.00	44 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु सूलमउ इकाईयों को सहायता दी गई है।	2.00	4.00	30 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु सूलमउ इकाईयों को सहायता

क्र. सं.	योजना का नाम	2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009 -10	व्यय 2009 -10	वास्तविक प्रगति/उपलब्धि 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010 - 11	परिमाणीय/वितरणीय/ वास्तविक परिणाम 2010-11
5	कार्यनिष्पादन एवं क्रेडिट-रेटिंग स्कीम	20.90	40.00	36.80	7531 इकाईयों को रेट किया गया है।	35.00	35.00	9400 इकाई रेट की जाएगी
6	विपणन सहायता स्कीम	10.00	10.00	10.00	1. 105 प्रदर्शनियों का आयोजन/ भागीदारी 2. 24 क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित 3. 831 सघन अभियान आयोजित	10.00	10.00	43 प्रदर्शनियों में भाग लेना/ आयोजित करना 40 प्रदर्शनियों का सह-प्रायोजन करना 15 क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना 450 सघन अभियान आयोजित करना

क्र. सं.	योजना का नाम	2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009 -10	व्यय 2009 -10	वास्तविक प्रगति/उपलब्धि 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010 - 11	परिमाणीय/वितरणीय/ वास्तविक परिणाम 2010-11
7	असंगठित क्षेत्र में उद्यमी हेतु राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस)	1.10	1.11	1.11	एनसीईयूएस को बंद किया गया	-	-	-
	एसएसआई प्रभाग के लिए उप-योग	50	60.00	57.37		110.00	103.96	

कृषि और ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

(रू. करोड में)

क.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	**2**	**3.**	**4.**	**5**	**6**	**7.**	**8.**	**9.**
1.	खादी अनुदान (एमडीए सहित)	125.00	125.00	117.48	(i) खादी उत्पाद : रू. 628.98 करोड बिक्रीः रू..867.01 करोड रोजगार (संचयी कुल): 9.81 लाख व्यक्ति	290.00	448.60	**(i) खादी** उत्पादनः रू. 700.00 करोड बिक्री : रू 1010.00 करोड रोजगार (संचयी कुल): 10.50 लाख व्यक्ति
					(ii) रिबेट योजना - रू.88.33 करोड खादी बिक्री के रूप में उपलब्ध कराएं गए।			**(ii) एमडीए** रू.144.00 करोड रूपए एमडीए के रूप में उपलब्ध कराएं जाएंगें।
					(iii) आईएसईसी : रू. 25.00 करोड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराएं गए।			**(iii) आईएसईसी** :रू. 30.00 करोड सब्सिउी के रूप में उपलब्ध कराएं जाएंगे।
					(iv) प्रोडिप : 118 खादी परियोजनाएं स्वीकृत हुई।			**(iv) प्रोडिप:** 130 खादी परियोजनाओं को सहायत प्रदान की जाएगी।

क.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	2	3.	4.	5	6	7.	8.	9.
2	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (खादी)	2.00	2.00	-	विभागीय परिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 106 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।	2.00	2.00	विभागीय परिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 32 इकाइयों को सहयता प्रदान की जाएगी।
3	खादी ऋण	2.00	2.00	0.15	कत्तिनों और बुनकारों को लाभप्रद रोजगार के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित संस्थाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया है।	2.00	2.00	कत्तिनों और बुनकारों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित संस्थाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
4	ब्याज सब्सिडी (खादी)	5.00	5.00	5.00	पिछले समय के दौरान प्रदत्त ऋण पर ब्याज की सब्सिडी पर यह मात्र बही समायोजन है।	5.00	5.00	पिछले समय के दौरान प्रदत्त ऋण पर ब्याज की सब्सिडी पर यह मात्र बही समायोजन है।

क्र.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	**2**	**3.**	**4.**	**5**	**6**	**7.**	**8.**	**9.**
5	ग्रामोद्योग अनुदान	40.00	40.00	34.20	(i) ग्रामोद्योग उत्पादः रू.17508.00 करोड बिक्रीः रू 23254.53 रोजगार (संचित कुल): 98.72 लाख व्यक्ति।	55.00	78.42	(i) ग्रामोद्योग उत्पादः रू.20670.00 करोड बिक्रीः रू 24580.00 रोजगार (संचित कुल): 109. 87 लाख व्यक्ति।
					(ii) ग्रामोद्योग सेवा केंद्र- 18 परियोजनाएं स्वीकृत			(ii) ग्रामोद्योग सेवा केंद्र - 14 परियोजनाओं की स्वीकृत किया जाएगा।
					(iii) प्रोडीपः 51 ग्रामोद्योग परियोजनाएं स्वीकृत।			(iii) प्रोडीपः 88 ग्रामोद्योग परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी।
					(iv) प्रशिक्षणः 63071 व्यक्ति			(iv) प्रशिक्षणः 66120 व्यक्ति।
					(v) प्रदर्शनियां - 38 प्रदर्शनियों / कार्यक्रमों का आयोजन।			(v) प्रदर्शनियां - 39 प्रदर्शनियों /कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।_
6	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (ग्रामोद्योग)	2.00	2.00	0.40	65 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई।	2.00	2.00	65 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी।

क्र.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	2	3.	4.	5	6	7.	8.	9.
7	ग्रामोद्योग ऋण	1.00	1.00	-		1.00	1.00	कत्तिनों और बुनकारों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित संस्थाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
8	ब्याज सब्सिडी (ग्रामोद्योग)	5.00	5.00	5.00	पिछले समय के दौरान प्रदत्त ऋण पर ब्याज की सब्सिडी पर यह मात्र बही समायोजन है।	5.00	5.00	पिछले समय के दौरान प्रदत्त ऋण पर ब्याज की सब्सिडी पर यह मात्र बही समायोजन है।
9	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।	823.00	601.20	545.71	सहायता प्रदान की गई योजनाओं की संख्या : 39502 उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी राशि : रू. 742.76 करोड। सृजन किए गए अनुमानित रोजगार अवसर : 4.20 लाख।	906.00	920.64	परियोजनाओं की संख्याः 59714 मार्जिन मनी सब्सिडीः रू. 920.64 करोड रोजगार अवसरों का निर्माणः 5.97 लाख व्यक्ति।
10	खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना।	15.00	15.00	13.95	वर्ष के दौरान 5951 कारीगरों को सहायता प्रदान की गई है।	20.00	20.00	8000 कारीगरों को सहायता प्रदान की जाएगी।

क्र.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	2	3.	4.	5	6	7.	8.	9.
11	खादी उद्योगों एवं कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु योजना।	8.00	8.00	3.44	इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 20 खादी संस्थाओं का चयन किया गया हैं।	21.00	21.00	59 संस्थाओं को वित्तीय सहायता।
12	मौजूदा खादी संस्थाओं का अधोसंरचनात्मक सुदृढीकरण एवं विपणन की आधारभूत संरचना हेतु सहायता की योजना।	5.00	5.00	2.73	टोकन प्रावधान प्रदान किया गया है। जुलाई 2009 में कार्यान्वयन दिशा-निर्देश जारी किए है।	5.00	5.00	25 खादी संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाएगी और 10 बिक्री केंद्रों का नवीकरण किया जाएगा।
13.	खादी सुधार कार्यक्रम।	96.00	96.00	96.00		192.00	1.00	प्रारंभिक गतिविधियों जैसे खादी संस्थाओं का चयन, कार्य योजना, आदि पर कार्रवाई की जाएगी।

क्र.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	2	3.	4.	5	6	7.	8.	9.
	उप - योग	1129.00	907.20	824.06		1506.00	1511.66	
II	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान।	3.00	3.00	3.00	निदेशक, वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी रिक्त पदों को भरकर परियोजनाओं को परिचालित किया गया है और ये अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रही हैं।	6.00	6.00	38 मॉडल उद्यमों को तकनीकी सहायता और 15 मामलों में सुधारित मशीने तथा ग्रामीण उद्योगों में प्रसंस्करण/सेवाएं विकसित की जा चुकी है।

कॅयर बोर्ड

(रू. करोड में)

क्र.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	2	3.	4.	5	6	7.	8.	9.
1	योजना - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।	7.00	7.00	7.00	मशीनों और उपस्करों का विकास : संख्या - 07, 2264 उद्यमियों को नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकासों पर परामर्श दिया। उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण : 04 उद्योग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनिकों का प्रदर्शन : 182 उद्योग।	7.00	7.00	मशीनों और उपस्करों का विकास : संख्या 04, 1200 उद्यमियों को नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकासों पर परामर्श उपलब्ध कराएं जाएंगे। उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण : 25 उद्योग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकों का प्रदर्शन : 120 उद्योग।
2	योजना (सामान्य), प्रशिक्षण विस्तार, गुणवत्ता सुधार, महिला कॅयर योजना और कल्याण उपाय।	27.00	22.00	22.00	कॅयर उत्पादनः 5,15,500 एमटी। निर्यातः रू. 804.05 करोड रोजगारः 6.84 लाख।	28.00	24.40	कॅयर उत्पादन : 5,70,500 एमटी। निर्यात : रू. 800.00 करोड रोजगार : 7.15 लाख।

क्र.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	2	3.	4.	5	6	7.	8.	9.
					कौशल उन्नयन और गुणवत्ता सुधारः - मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए 4062 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, 07 ईडीपी और 12 क्यूआईपी का आयोजन किया गया।			कौशल उन्नयन और गुणवत्ता सुधार : - मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए 8000 व्यक्तियों का प्रशिक्षण। ईडीपी : 30 क्यूआईपी : 25
					महिला कॅयर योजनाः 4945 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया और 264 रैट वितरित किए।			महिला कॅयर योजना : 4500 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया और 3000 रैट वितरित किए।
					उत्पाद अधोसंरचना का विकासः 26 कयॅर इकाइयों को सहायता प्रदान की।			उत्पाद अधोसंरचना का विकासः 90 कयॅर इकाइयों को सहायता प्रदान की।
					घरेलू विपणन उन्नयनः 60 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया।			घरेलू विपणन उन्नयनः 125 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया।

क्र.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	2	3.	4.	5	6	7.	8.	9.
					निर्यात विपणन उन्नयन (ईएमपी): 09 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 76 निर्यातकों/ उद्यमियों को सहायता प्रदान की।			निर्यात विपणन उन्नयन (ईएमपी): 10 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। अंतर राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 60 निर्यातकों/उद्यमियों को सहायता प्रदान की।
3	कॅयर क्षेत्र के कायाकल्प, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन।	21.00	13.00	9.73	706 इकाइयों को सहायता प्रदान की (296 कताई इकाइयां और 410 लघु घरेलू इकाइयां)	21.00	15.00	1200 इकाइयों को सहायता प्रदान की जाएगी। (कताई इकाइयां - 500 और लघु घरेलू इकाइयां - 700)
	उप - योग	55.00	42.00	38.73		56.00	46.40	

क्र.सं.	शीर्ष	बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति/ उपलब्धि	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	परिमाणीय/ वितरणीय/ वास्तविक परिणाम
1	2	3.	4.	5	6	7.	8.	9.
III	स्फूर्ति।	21.00	16.95	16.95	72 खादी और ग्रामोद्योगी क्लस्टरों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। कारीगरों/मजदूरों की आय में वृद्धि दर्ज की गई।	17.00	17.00	वर्ष के दौरान 24 क्लस्टरों का परिचालन किया गया।
	एआरआई प्रभाग हेतु उप-योग	1204.00	964.20	877.79		1585.00	1581.06	

2009-10 और 2010-11 दिसम्बर 2010 तक के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण- विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, सूलमउ मंत्रालय मांग सं. 64

(राशि करोड रूपये में)

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
	विकास आयुक्त (सूलमउ)							
क.	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं							
I	प्रौद्योगिकी समर्थन संस्थाओं एवं कार्यक्रमों की गुणवत्ता							
1	टूल रूम और तकनीकी संस्थाएँ							

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
क.	टूल रूम	48.95	56.15	57.85	क.57335 व्यक्तियों को प्रशिक्षण ख.17214 इकाइयों को लाभान्वित करना पूर्वोत्तर- क.1062 व्यक्तियों को प्रशिक्षण ख.48 इकाइयों को लाभान्वित करना	57.00	58.37	क. 47185 व्यक्तियों को प्रशिक्षण ख. 17866 इकाइयों को लाभान्वित करना पूर्वोत्तर: क. 817 व्यक्तियों को प्रशिक्षण ख. 273 इकाइयों को लाभान्वित करना अनु.जा.: 13669, अनु.ज.जा.: 2080 प्रशिक्षणार्थी
ख.	अनुसंधान संस्थान							
ग.	प्रशिक्षण संस्थान	2.40	3.22					
2	एनएमसीपी							

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
क	लीन मैन्यूफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मक स्कीम	28.65	9.80	6.29	क. 95 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए ख. मिनी क्लस्टर में 20 विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाए/दर्ज किए गए ग. 13 लीन मैन्यूफैक्चरिंग कंसलटेंट को मिनी क्लस्टर से संबद्ध करने के लिए सूचीबद्ध किया गया।	20.00	11.10	05 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, 70 एसपीवी बनाए गए।

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
ख	सूलमउ क्षेत्र में आईसीटी टूल का संवर्धन	2.00	1.82	0.06		12.00	5.10	1. सचिव व्यय द्वारा 29.4.2010 को ईएफसी अनुमोदित 2. यह योजना 06.8.2010 को अनुमोदित की जा चुकी है।

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
ग	पीपीपी मोड के तहत मिनी टूल रूम की स्थापना	32.00	0.25	0.23	(i) चेन्नई परियोजना के लिए क्वालिफिकेशन के लिए अनुरोध का मसौदा, प्रस्ताव के लिए अनुरोध तथा कार्यसूची संबंधी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं तथा उन्हें अंतिम रूप देने से पूर्व सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित कर दिया गया है।	10.00	2.50	1. एसएफसी द्वारा मॉडल आरएफक्यू दस्तावेज 2. चैन्नई परियोजना के लिए प्रीःक्वालिफिकेशन एप्लिकेशन प्राप्त हुई और उसका मूल्यांकन किया गया। 3. शीघ्र ही चैन्नई प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाईड बिडर्स से बिड (आरएफपी) आमंत्रित की जाएगी।

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
घ	सूलमउ के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता समर्थन	5.00	0.50	0.00	इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए क्लस्टरों का चयन करने के लिए पहली बैठक 12.2.2010 को आयोजित की जाएगी।	9.50	3.55	
ड	इन्क्यूबेटर के माध्यम से एमएसई के उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास के लिए समर्थन	8.00	2.50	1.91	22 बिजनेस इन्क्यूबेटर्स 80 इन्क्यूबेटर्स इकाइयां लाभान्वित हो रही हैं।	10.00	10.00	29 इन्क्यूबेटर स्थापित हो चुके हैं तथा 80 आइडियों को फलीभूत करने के लिए पेशेवर स्टाक कंपनियों को सहायता अनुदान जारी किया जा चुका है।

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
च	सूलमउ क्षेत्र के लिए डिजाईन क्लिनिक्स योजना	2.00	2.00	1.76	2 सेमिनार आयोजित किए गए	8.00	4.00	1. 44 सेमिनार और 2 कार्यशलाएं आयोजित की गई। 2. 14 छात्र परियाजनाएं चयनित 3. सूलमउ की 19 व्यक्तिगत परियोजनाएं।
छ	गुणवत्ता प्रबंधन मानक एवं गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल्स के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना	7.40	5.50	1.37	1. 70 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। 2. 499 आईटीआई अध्यापक प्रशिक्षित।	5.00	4.50	210 सूलमउ अध्यापक प्रशिक्षित, 14 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। जापान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन पूरा किया गया।

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
ज	सूलमउ के लिए विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	1.00	1.00	0.00	-	2.00	2.00	139 एमएसएमई यूनिटों ने स्थानीय प्रदशर्नियों/मेलों में सहभागिता की।
3	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम	120.00	163.25	163.25	2551 इकाइयां लाभान्वित	195.00	250.68	2055 इकाइयां लाभान्वित
4	आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति	10.25	6.66	5.77	1285 इकाइयां लाभान्वित पूर्वोत्तर: 2 इकाइयां	7.15	7.65	764 इकाइयां लाभान्वित पूर्वोत्तर: 3 इकाइयां
5	वीएसबीके	0.35	0.35	0.16	1. संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना-4 संख्या 2. प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना-4 संख्या 3. प्रशिक्षण-9 संख्या	0.35	0.35	1. संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना-4 संख्या 2. प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना-4 संख्या, 1 प्रगति पर है 3. प्रशिक्षण-9 संख्या

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
	उप जोड	268.00	253.00	238.65		336.00	359.80	
II	संवर्घनात्मक सेवा संस्थान व कार्यक्रम							
1	विकास आयुक्त (सूलमउ) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.00	0.60	0.60	202 अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पूर्वोत्तरः 12 अधिकारी	1.00	1.00	123 अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पूर्वोत्तर के 03 अधिकारियों सहित
2	कार्यशाला/प्रशिक्षण का प्रावधान	1.20	1.10	0.89	18 कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण	1.50	0.87	9 कार्यशालाएं
3	सूलमउ टीसी/सूलमउ टीएस	4.60	4.60	4.06	क. 40536 परीक्षण कार्य ख. 72 नई मशीनें/ संतुलन परीक्षण उपस्कर स्थापित किए	5.15	5.15	क. 29177 परीक्षण कार्य ख. 5 नई मशीनें/परीक्षण उपस्कर स्थापित किए जाएंगे

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
4	एमडीपी/ईडीपी/कौशल विकास	21.33	21.33	19.79	कुल 569 ईडीपी और 300 एमडीपी से 3.75 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं पूर्वोत्तरः 400 ईडीपी और 50 एमडीपी से 21250 लोग लाभान्वित हो रहे हैं इसमें एससीएसपी, 45000 व्यक्ति, टीएसपी 15000 व्यक्ति और 100000 महिलाएं शामिल हैं।	23.75	23.75	138555 व्यक्ति प्रोत्साहित और 61550 प्रशिक्षित किए जाएंगें।
5	डब्ल्यूटीओ	0.05	0.05	0.05	9 डब्ल्यूटीओ जागरूकता कार्यशालाएं	0.05	0.05	4 कार्यक्रम आयोजित 249 प्रतिभागी लाभान्वित

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
6	जैव प्रौद्योगिकी	0.20	0.20	0.17	29 कार्यक्रम आयोजित	0.20	0.20	
7	राष्ट्रीय पुरस्कार उद्यमी एवं गुणवत्ता	2.75	2.75	2.15	154 पुरस्कार पूर्वोत्तरः 1 पुरस्कार	2.75	2.75	22 पुरस्कार सूलमउ के लिए और 6 बैंकों को
8	अनुशंगीकरण के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम	1.25	1.25	0.95	24 वीडीपी आयोजित पूर्वोत्तरः 1 वीडीपी	1.40	1.40	9 वीडीपी
9	सीनेट परियोजना	1.40	1.40	1.20	वेबसाइटों का मेंटनेंस और संघों, क्षेत्र कार्यालयों के साथ सूचना बांटना और कार्यालय का ऑटोमेशन	1.60	1.60	

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
10	वि.आ. (सूलमउ) पुस्तकालय	0.30	0.30	0.26	विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय के पुस्तकालय का आधुनिकीकरण	0.30	0.30	
11	प्रचार एवं प्रदर्शनी	0.50	0.35	0.29	12 व्यापार मेलों में भागीदारी	0.50	0.30	12 व्यापार मेलों में भागीदारी
12	चुनिंदा व्यावसायिक स्कूलों, तकनीकी संस्थानों, आदि के माध्यम से नए उद्यमियों हेतु विशेष रूप से बनाए गए पाठ्यक्रमों के आयोजन की योजना	1.30	1.20	1.03	107 कार्यक्रम आयोजित 3029 व्यक्ति प्रशिक्षित	1.45	1.45	250 व्यक्ति प्रशिक्षित
13	1200 उद्यमी क्लबों को चलाने के लिए 5 चुनिंदा विश्वविद्यालयों/कालेजों को सहायता देने की योजना	1.12	1.12	0.27	142 उद्यमी क्लबों निर्मित 10912 व्यक्ति लाभान्वित।	1.50	1.05	

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
14	प्रशिक्षण-सह-उत्पाद विकास केन्द्र टीपीडीसी	1.00	1.00	0.36	एक बिल्डिंग पूरी हो गई और एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है।	2.00	2.00	सूलमउ डीआई इंदौर और गुवाहाटी में बिल्डिंग के निर्माण का काम चल रहा है। सूलमउ-डीआई लुधियाना में बिल्डिंग निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा।
15	क्षमता निर्माण, डाटा बेस को मजबूत करने और उद्योग/उद्यम संघों द्वारा समर्थन की योजना	1.50	1.00	0.43	39 संघ लाभान्वित	1.00	0.70	16 प्रस्ताव स्वीकृत

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
16	उद्योग संघों द्वारा परीक्षण केन्द्र	2.00	3.05		5 परीक्षण केन्द्रों/क्यूएमसी को 2009-10 के दौरान सहायता अनुदान जारी किया	0.00	0.00	
17	अनु-ंगीकरण के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम एससीएक्स की स्थापना के लिए	0.30	0.50	0.00	एक एससीएक्स का पुनर्भुगतान	0.00	0.00	
18	विज्ञापन एवं प्रचार	2.50	2.50	2.50		2.75	2.75	विज्ञापन क्वालिफाई नहीं किया जा सकता।
19	सूलमउ-विकास संस्थान			7.72				
		5.20	6.20		सूलमउ डीआई के लिए वेतन, चिकित्सा, आरआरटी, ओई एवं टीई	5.95	6.15	मात्रात्मक नहीं
		0.30	0.30			0.30	0.30	
		0.45	0.45			0.40	0.40	
		0.50	0.50			0.50	0.50	
		0.25	0.25			0.25	0.25	
	उप जोड	51.00	52.00	42.72		54.30	52.92	

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
III	सूलमउ क्लस्टर विकास कार्यक्रम और सूलमउ ग्रोथ पोल्स							
1	सूलमउ क्लस्टर विकास कार्यक्रम (शामिल आईआईउी सहित)							
क	एमएसई सीडीपी	26.00	15.93	13.77	क. निदानात्मक अध्ययन रिपोर्ट के लिए नए क्लस्टर अपनाए-43 ख. साफ्ट इंटरवेंशन के लिए अपनाये क्लस्टरों सहित चल रहे क्लस्टर-87 ग. नए सामान्य सुविधा केन्द्र- (सीएफसी) अनुमोदित-9	35.00	20.46	- 29 निदानात्मक अध्ययन रिपोर्टें - 11+25 संख्या। साफ्ट इंटरवेशन के लिए चल रहे क्लस्टरों में धनराशि जारी करना - 10 नए सीएफसी अनुमोदित किए जा चुके हैं और चल रहे 6 क्लस्टरों में निधियां जारी कर दी गई हैं - सिद्धांत रूप में अनुमोदित-14 - 03 प्राप्त।

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
ख	आईआईईउी	12.00	12.00	12.13	चल रहे 22 आईआईईउी केन्द्रों, जिनमें 8 केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के भी शामिल है, को अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि जारी।	20.00	13.00	- चल रहे 12 आईआईडी केन्द्रों को धनराशि जारी। - 15 आईआईईउी केन्द्र अनुमोदित। - 17 केन्द्र सिद्धांत रूप में अनुमोदित।
2	एनसीईयूएस के सूलमउ ग्रोथ पोल्स	1.00	0.50	0.29	6 ग्रोथ पोल्स की डीपीआर तैयार कर ली गई है।	1.00	0.00	
	उप जोड	39.00	28.43	26.19		56.00	33.46	
IV	क्रेडिट समर्थन कार्यक्रम							
1	क्रेडिट गारंटी योजना	122.00	122.00	122.00	क. 151387 एमएसई के लिए गारंटी कवर। ख. ऋण राशि- 6875.11 करोड़ रूपये	200.00	200.00	क. 178082 एमएसई के लिए गारंटी कवर। ख. ऋण राशि- 8756.95 करोड़ रूपये

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
2	एमएफपी के अंतर्गत पोर्टफोलियो रिस्क फंड को बढाना	20.20	6.00	6.00	718700 सूक्ष्म इकाइयां	20.00	20.00	163163 सूक्ष्म इकाइयां (पूर्वोत्तर: 20160 अनु.जा. 52154 और अनु.ज.जा. 15187 सहित)
3	ट्रेड	1.80	1.80	1.32	4768 महिला उद्यमी लाभान्वित	2.70	2.70	5165 महिला लाभान्वित
	उप जोड	144.00	129.80	129.32		222.70	222.70	
V	एमडीए कार्यक्रम निर्यात संवर्धन और एमउीए योजना							
	निर्यात संवर्धन एवं एमडीए योजना							
1	एमडीए योजना	1.40	1.40	0.94		1.40	2.00	
2	महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों का सशक्तीकरण, 25 प्रदर्शनियों में भागीदारी और विपणन सुगमीकरण	1.00	1.00	0.37	12 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता के माध्यम से 64 महिला एमएसई लाभान्वित	1.00	0.20	
3	सूलमउ को विपणन सहयोग/सहायता (बार कोडिंग)	0.25	0.25	0.13	132 एमएसई लाभान्वित	0.30	0.30	101 एमएसई लाभान्वित

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
4	निर्यात संवर्धन	0.15	0.15	0.14	25 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित	0.15	0.15	8 कार्यक्रम आयोजित और 377 व्यक्ति लाभान्वित
5	सूलमउ के लिए बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता सृजन	8.20	4.00	2.84	क. इंटर एक्टिव सेमिनार/ कार्यशालाएं-7 ख. जागरूकता/सुग्राही कार्यक्रम-36 ग. विशेष प्रशिक्षण पाठयक्रम-3 घ- आईपी सुविधा केन्द्र-13	7.15	3.60	क. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी-1 के साथ इंटरएक्टिव ख. सेमिनार/ वर्कशाप-21 ग. जागरूकता/ सुग्राही कार्यक्रम-51 घ. आईपी परामर्शदाता कार्यक्रम/सुविधा प्रकोष्ठ-04 ङ. 03 अल्पावधि विशेष प्रशिक्षण पाठयक्रम।
	उप जोड	11.00	6.80	4.42		10.00	6.25	

क्र.सं.		2009-10				2010-11		
		बजट अनुमान 2009-10	संशोधित अनुमान 2009-10	वास्तविक व्यय 2009-10	वास्तविक प्रगति 2009-10	बजट अनुमान 2010-11	संशोधात अनुमान 2010-11	दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक प्रगति
VI	डाटा बेस का उन्नयन							
	क आंकडों का संग्रहण	9.63	9.58	9.32	-	8.06	8.16	
	ख पंचवार्षिक गणना	7.87	6.35	5.04		2.34	2.80	
	ग डीआईसी का कंप्यूटरीकरण	2.50	1.60	0.00		6.60	9.91	
	उप जोड	20.00	17.53	14.36		17.00	20.87	
VII	एनएएफयूएस (असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कोष)	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00	
	एमएसएमई के लिए विशेष स्कीम (नई पहल)	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00	
VIII	पूंजीगत परिव्यय							
	कार्यालय भवन का निर्माण	6.00	6.00	1.44	-	8.00	8.00	
	कुल जोड	540.00	493.56	457.10		705.00	705.00	
	एमएसएमई मंत्रलय का कुलजोड	1794.00	1517.76	1392.26		2400.00	2390.02	

अनुबंध-II

2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान योजना आवंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

वस्तु	2008-09	2009-10	2010-11*
क- लघु उद्योग प्रभाग (एनएसआईसी, ईडीसी)			
बजट अनुमान	50.00	50.00	110.00
संशोधित अनुमान	48.76	60.00	103.96
व्यय	45.89	57.37	80.60*
ख- कृ. एवं ग्रा. उ. प्रभाग (केवीआईसी, कयर बोर्ड, एमगिरी, स्फूर्ति)			
बजट अनुमान	1204.00	1204.00	1585.00
संशोधित अनुमान	1172.50	964.20	1581.06
व्यय	1172.49	877.79	1052.62*
ग- विकास आयुक्त (सूलमउ)			
बजट अनुमान	540.00	540.00	705.00
संशोधित अनुमान	503.74	493.56	705.00
व्यय	439.67	457.10	505.14*
कुल बजट अनुमान	1794.00	1794.00	2400.00
कुल संशोधित अनुमान	1725.00	1517.76	2390.02
कुल व्यय	**1658.05**	**1392.26**	**1638.36***

दिसम्बर, 2010 तक

अनुबंध-III

पीएमईजीपी के अंतर्गत 2010-11 (दिसम्बर 2010 तक) के दौरान सहायता सहायतित इकाईयां, उपयोगित मार्जिन मनी और अनुमानित रोजगार सृजन का राज्य वार ब्यौर

क्र. संख्या	राज्य/संघशासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या	उपयोग की गई मार्जिन मनी (करोड़ रूपए में)	सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	चण्डीगढ़	8	3.23	34
2	दिल्ली	85	62.05	210
3	हरियाणा	615	1205.42	4727
4	हिमाचल प्रदेश	424	578.77	2064
5	जम्मू और कश्मीर	956	1730.00	7903
6	पंजाब	602	1016.27	5015
7	राजस्थान	1121	2498.54	13200
8	अण्डमान और निकोबार	71	44.86	249
9	बिहार	873	1942.23	5977
10	झारखण्ड्	772	1011.24	7720
11	उड़ीसा	618	1188.56	7840
12	पश्चिम बंगाल	3768	4762.51	30144
13	आंध्र प्रदेश	1303	4016.19	27083
14	कर्नाटक	976	2686.72	9760
15	केरल	1051	1907.20	10510
16	लक्ष्यद्वीप	10	8.20	200
17	पुदुच्चेरी	76	18.04	213
18	तमिलनाडु	1701	3255.95	15240

19	गोवा	47	85.33	620
20	गुजरात	1326	2977.69	12595
21	महाराष्ट्र	3513	4411.11	23713
22	छत्तीसगढ़	877	1913.63	5429
23	मध्य प्रदेश	974	2266.51	9753
24	उत्तराखण्ड	634	738.71	4508
25	उत्तर प्रदेश	3482	9844.40	34597
26	अरूणाचल प्रदेश	100	83.46	1000
27	असम	382	318.31	2410
28	मणिपुर	-	-	-
29	मेघालय	68	161.29	415
30	मिजोरम	145	219.41	1450
31	नागालैंड	150	357.26	1479
32	त्रिपुरा	108	154.93	301
33	सिक्किम	35	80.83	134
	कुल योग	26871	51548.85	246133

टिप्पणी: दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव के आंकड़े क्रमश: गुजरात और महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल किए गए हैं।

अनुबंध IV (क)

2006-07 के संदर्भ वर्ष के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना के संक्षिप्त परिणाम

अखिल भारतीय

	मानदंड	वितरण			प्रतिशत वितरण		
		पंजी.	अपंजी.	कुल	पंजी.	अपंजी.	कुल
1.	कार्यरत उद्यमों की कुल संख्या						
	विनिर्माण	1035102	6418294	7453396	66.67%	26.15%	28.56%
	सेवा	517390	18130011	18647401	33.33%	73.85%	71.44%
	कुल	1552492	24548305	26100797	100.00%	100.00%	100.00%
2.	ग्रामीण उद्यमों की संख्या	704551	12808326	13512877	45.38%	52.18%	51.77%
3.	महिला उद्यमों की संख्या	215036	1704938	1919974	13.85%	6.95%	7.36%
4.	महिलाओं द्वारा प्रबंधित उद्यमों की संख्या	156753	लागू नहीं	156753	10.10%	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	लगातार चल रहे उद्यमों की संख्या	1482847	23521525	25004372	95.51%	95.82%	95.80%
6.	रोजगार (व्यक्ति)						

मानदंड		वितरण			प्रतिष्ठात वितरण		
		पंजी.	अपंजी.	कुल	पंजी.	अपंजी.	कुल
	विनिर्माण	7984321	22422264	30406585	86.75%	44.62%	51.14%
	सेवा	1219343	27834775	29054118	13.25%	55.38%	48.86%
	कुल	9203664	50257039	59460703	100.00%	100.00%	100.00%
7.	पुरूषों व महिलाओं द्वारा रोजगार						
	पुरूष	7339372	41275333	48614705	79.74%	82.13%	81.76%
	महिला	1864292	8981706	10845998	20.26%	17.87%	18.24%
	कुल	9203664	50257039	59460703	100.00%	100.00%	100.00%
8.	सामाजिक श्रेणी के प्रकार द्वारा उद्यम						
	अ.जा.	119949	1937993	2057942	7.73%	7.89%	7.88%
	अ.जन. जा.	46983	781844	828827	3.03%	3.18%	3.18%
	अ.पि.व.	600810	9895898	10496708	38.70%	40.31%	40.22%
	अन्य	784750	10672725	11457475	50.55%	43.48%	43.90%
	सोसाइटी	0	938628	938628	0.00%	3.82%	3.60%
	उत्तर नहीं	0	321217	321217	0.00%	1.31%	1.23%
	कुल	1552492	24548305	26100797	100.00%	100.00%	100.00%
9.	संगठन के प्रकार द्वारा उद्यम						

मानदंड		वितरण			प्रतिष्ठात वितरण		
		पंजी.	अपंजी.	कुल	पंजी.	अपंजी.	कुल
	स्वामित्व	1421548	23240914	24662462	91.57%	94.67%	94.49%
	भागीदारी	63283	115207	178490	4.08%	0.47%	0.68%
	निजी कंपनी	30102	106743	136845	1.94%	0.43%	0.52%
	पब्लिक लिमिटेड कं.	7346	66074	73420	0.47%	0.27%	0.28%
	सहकारी	4583	128945	133528	0.30%	0.53%	0.51%
	अन्य	25630	890422	916052	1.65%	3.63%	3.51%
	कुल	**1552492**	**24548305**	**26100797**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
10	ऊर्जा के मुख्य स्रोत द्वारा उद्यम						
	ऊर्जा की आवश्यकता नहीं	383846	18195815	18579661	24.72%	74.12%	71.18%
	कोयला	24571	603535	628106	1.58%	2.46%	2.41%
	तेल	54012	589403	643415	3.48%	2.40%	2.47%
	एलपीजी+सीएनजी	6550	377851	384401	0.42%	1.54%	1.47%
	बिजली	1031407	2814113	3845520	66.44%	11.46%	14.73%
	अन्य	52106	1967588	2019694	3.36%	8.02%	7.74%
	कुल	1552492	24548305	26100797	100.00%	100.00%	100.00%
11.	वित्त के स्रोत द्वारा उद्यम						

मानदंड	वितरण			प्रतिशत वितरण		
	पंजी.	अपंजी.	कुल	पंजी.	अपंजी.	कुल
वित्त नहीं/स्व-वित्तपोषण	1362568	22850626	24213194	87.77%	93.08%	92.77%
संस्थागत स्रोतों से वित्तपोषण	174060	1177212	1351272	11.21%	4.80%	5.18%
गैर संस्थागत स्रोतों से वित्तपोषण	15864	520467	536331	1.02%	2.12%	2.05%
कुल	**1552492**	**24548305**	**26100797**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

अनुबंध IV (क) – जारी......

पंजीकृत सूलमउ क्षेत्र

अखिल भारतीय

	विशेषताएं	**पंजीकृत**	**%अंश**
1	कार्यरत उद्यमों की संख्या	1552492	70.19%
	स्थायी रूप से बंद पाए गए उद्यमों की संख्या	480946	21.74%
	उन उद्यमों की संख्या जिनका पता नहीं चला	178522	8.07%
	सर्वेक्षण किए गए उद्यमों की कुल संख्या	2211960	100%
2	कार्यरत उद्यमों की संख्या		
	विनिर्माण	1035102	66.67%
	सेवा	517390	33.33%
	कुल	1552492	100%
3	रोजगार (व्यक्ति)		
	विनिर्माण	7984321	86.75%
	सेवा	1219343	13.25%
	कुल	9203664	100%
4	प्रति इकाई रोजगार (व्यक्ति)		
	विनिर्माण	7.71	
	सेवा	2.36	
	कुल	5.93	
5	प्लांट व मशीनरी/उपस्करों की मूल कीमत (करोड़ रूपये में)		
	विनिर्माण	110310.31	90.94%
	सेवा	10987.97	9.06%

	विशेषताएं	पंजीकृत	%अंश
	कुल	121298.28	100%
6	प्लांट व मशीनरी/उपस्करों की प्रति इकाई मूल कीमत (लाख् रूपये में)		
	विनिर्माण	10.66	
	सेवा	2.12	
	कुल	7.81	
7	नियत निवेश का बाजार मूल्य (करोड़ रूपये में)		
	विनिर्माण	440493.68	87.97%
	सेवा	60264.68	12.03%
	कुल	500758.36	100%
8	नियत निवेश की प्रति इकाई बाजार मूल्य (लाख् रूपये में)		
	विनिर्माण	42.56	
	सेवा	11.65	
	कुल	32.26	
9	निवल मूल्य (करोड़ रूपये में)		
	विनिर्माण	415554.75	93.06%
	सेवा	30996.47	6.94%
	कुल	446551.22	100%
	विशेषताएं	पंजीकृत	% शेयर
10	निवल मूल्य का प्रति इकाई मूल्य ((लाख् रूपये में)		
	विनिर्माण	40.15	
	सेवा	5.99	
	कुल	28.76	
11	कुल सकल उत्पादन (करोड़ रूपये में)		
	विनिर्माण	668866.63	94.29%
	सेवा	40531.00	5.71%
	कुल	709397.63	100%

12	प्रति इकाई सकल उत्पादन (लाख़ रूपये में)	
	विनिर्माण	64.62
	सेवा	7.83
	कुल	45.69
13	संस्थागत स्रोतों या अन्य से ऋण लेने वाली इकाइयों की संख्या	185378
14	लिए गए ऋण की राशि (करोड़ रूपये में)	66125.47
15	बकाया ऋण वाली इकाइयों की संख्या	108238
16	बकाया ऋण की राशि (करोड़ रूपये में)	43606.11

अनुबंध IV (ख)

चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का उद्योग क्षेत्र (एनआईसी-2004 के 2 अंकीय स्तर पर) वार वितरण

क्र.	एनआईसी	कार्यकलापों का विवरण	उद्यमों की संख्या			रोजगार		
सं.	कोड		पंजी	अपंजी	कुल	पंजी	अपंजी	कुल
1	01	कृषि व शिकार संबंधी सेवा कार्यकलाप	11871	34933	46804	214962	0	214962
2	02	फारेस्ट्री, लॉगिंक संबंधी सेवा कार्यकलाप	1025	15751	16776	8554	0	8554
3	05	मत्स्य पालन संबंधी सेवा कार्यकलाप	124	3826	3950	1319	0	1319
4	10	खनन संबंधी सेवा कार्यकलाप	71	23	94	962	0	962
5	11	तेल तथा गैस के उत्कर्षण से संबंधित सेवा कार्यकलाप	42	3847	3889	605	11189	11794
6	13	धातु अयस्कों का खनन	464	2861	3325	6893	9154	16047
7	14	अन्य खनन तथा उत्खनन	12943	8866	21809	124598	63252	187850
8	15	खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ	212559	1317070	1529629	1255412	2588948	3844360

क.	एनआईसी	कार्यकलापों का विवरण	उद्यमों की संख्या			रोजगार		
सं.	कोड		पंजी	अपंजी	कुल	पंजी	अपंजी	कुल
9	16	तंबाकू उत्पाद	4461	923693	928154	168221	1852146	2020367
10	17	वस्त्र	106616	939018	1045634	1064230	2862348	3926578
11	18	पहनने वाले परिधान	214861	1092501	1307362	911539	1830196	2741735
12	19	चमड़े के उत्पाद (फुटवियर, लगेज, हैंडबेग आदि)	26741	62549	89290	165153	174311	339464
13	20	लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद	53939	494471	548410	217677	1027039	1244716
14	21	कागज व कागज के उत्पाद	12888	20111	32999	144622	44120	188742
15	22	प्रकाशन, प्रिंटिंग तथा रिकार्डेड मीडिया की प्रस्तुति	40464	102649	143113	208265	305752	514017
16	23	कोक तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	2166	3016	5182	30048	26079	56127
17	24	रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	50065	89687	139752	489738	225042	714780
18	25	रबर तथा प्लास्टिक के उत्पाद	35894	25212	61106	293879	129517	423396
19	26	नॉन मेटलिक खनिज उत्पाद	56692	220060	276752	577778	822380	1400158
20	27	मूलभूत धातु	19274	55610	74884	315125	178757	493882

क.	एनआईसी	कार्यकलापों का विवरण	उद्यमों की संख्या			रोजगार		
सं.	कोड		पंजी	अपंजी	कुल	पंजी	अपंजी	कुल
21	28	फेब्रिकेटेड धातु उत्पाद	137957	181766	319723	738821	356519	1095340
22	29	मशीनरी तथा उपस्कर	72400	49845	122245	507253	108752	616005
23	30	ऑफिस, एकाउंटिंग तथा कंप्यूटिंग मशीनरी	4750	1909	6659	26538	16795	43333
24	31	इलेक्ट्रिकल मशीनरी तथा एपेरेटस एनईसी	34326	43030	77356	172738	144701	317439
25	32	रेडियो,टीवी तथा संचार उपस्कर तथा उपकरण	8784	25987	34771	59637	61134	120771
26	33	मेडिकल, प्रिसिजन, ऑप्टिकल उपकरण घड़ियां	10488	10004	20492	89468	29466	118934
27	34	मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी ट्रेलर	5773	9391	15164	69913	114190	184103
28	35	अन्य परिवहन उपस्कर	15579	5877	21456	179377	20159	199536
29	36	फर्नीचर	99920	565569	665489	361710	1478822	1840532
30	37	रिसाइकलिंग	183	15502	15685	1534	42246	43780
31	40	विद्युत, गैस, भाप तथा गरम जल आपूर्ति	645	15362	16007	4579	92219	96798

क.	एनआईसी	कार्यकलापों का विवरण	उद्यमों की संख्या			रोजगार		
सं.	कोड		पंजी	अपंजी	कुल	पंजी	अपंजी	कुल
32	41	जल का संग्रहण, शुद्धिकरण तथा वितरण	101	11358	11459	361	31856	32217
33	45	निर्माण	184	53904	54088	1005	121203	122208
34	50	मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत व रखरखाव, ऑटोमेटिव ईंधनों की बिक्री	58021	609843	667864	169705	1563655	1733360
35	51	थोक व्यापार और कमीशन व्यापार	1255	655973	657228	5369	1772013	1777382
36	52	व्यक्तिगत तथा घरेलु वस्तुओं की मरम्मत व रखरखाव और खुदरा व्यापार	141050	11968341	12109391	259934	20625218	20885152
37	55	होटल व रेस्तरां	1256	1322994	1324250	7116	3378098	3385214
38	63	सहयोगी तथा अनुषंगी परिवहन कार्यकलाप, ट्रैवल एजेसियां	2709	149174	151883	29117	459283	477049
39	64	डाक व दूरसंचार	17127	610214	627341	40746	1022714	1063460
40	70	रीयल इस्टेट कार्यकलाप	312	54284	54596	1324	119530	120854

क.	एनआईसी	कार्यकलापों का विवरण	उद्यमों की संख्या			रोजगार		
सं.	कोड		पंजी	अपंजी	कुल	पंजी	अपंजी	कुल
41	71	ऑपरेटर के बिना मशीनरी व उपस्करों तथा घरेलु सामानों को किराये पर देना	458	265671	266129	1273	526531	527804
42	72	कंप्यूटर तथा संबंधित कार्यकलाप	21357	41752	63109	78349	268817	347166
43	73	अनुसंधान व विकास	4	1450	1454	105	9109	9214
44	74	अन्य व्यवसाय कार्यकलाप	25855	421327	447182	82371	1138399	1220770
45	80	शिक्षा	801	213418	214219	2545	580745	583290
46	85	स्वास्थ्य व समाज कल्याण कार्यकलाप	1371	569017	570388	4425	1597303	1601728
47	90	जल निकासी तथा रिफ्यूज डिस्पोजल, सफाई और संबंधित कार्यकलाप	34	0	34	286	0	286
48	92	मनोरंजक, सांस्कृतिक तथा खेल को संबंधी कार्यकलाप	2560	161523	164083	6844	491002	497846
49	93	अन्य सेवा कार्यकलाप	8622	1092632	1101254	22048	1936330	1958378
50	99	रिपोर्ट नहीं की गई	15449	5440	20889	79593	0	79593
		कुल	1552491	24548311	26100802	9203664	50257039	59449352

अनुबंध V

सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची (30 जुलाई, 2010 की स्थिति के अनुसार)			
क्रम सं.	**क्र.सं. (राजपत्र अधिसूचना के अनुसार)**	**उत्पाद 20-21 कोड**	**उत्पाद का नाम**
		20-21	खाद्य व संबंद्ध उद्योग
1	3	202501	अचार व चटनी
2	7	205101	ब्रेड
3	11	21100102	सरसों तेल (निष्कर्षित सॉलवेंट छोड़कर)
4	13	21100104	मूंगफली का तेल (निष्कर्षित सॉलवेंट छोड़कर)
		27	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद
5	47	276001	लकड़ी के फर्नीचर और फिक्सचर
		28	कागज के उत्पाद
6	79	285002	एक्सरसाइज बुक्स और रजिस्टर
			अन्य रसायन और रसायनिक उत्पाद
7	253	305301	मोमबत्तियां
8	308	314201	कपड़े धोने के साबुन
9	313	317001	दियासलाई
10	314	318401	पटाखे
11	319	319902	अगरबत्ती
			ग्लास एवं सिरेमिक्स
12	335	321701	कांच की चूड़ियां
		33-35	मैकेनिकल इंजी., परिवहन उपकरणों को छोड़कर
13	364	340101	स्टील की अलमारी

14	394	341004	रोलिंगशटर
15	402	34200602	स्टील की कुर्सियां-सभी प्रकार की
16	404	34200702	स्टील के मेज-सभी अन्य प्रकार के
17	409	342099	स्टील के फर्नीचर- सभी अन्य प्रकार के
18	428	343302	ताले
19	447A	345207	स्टेनलेस स्टील के बर्तन
20	474	345202	घरेलू बर्तन-एल्यूमिनियम

अनुबंध VI

सूक्ष्म व लघु उद्यमों को बकाया बैंक ऋण

(करोड़ रूपये में)

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति अनुसार	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	निवल बैंक ऋण के प्रति एमएसई ऋण का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2005	67,800	8,592	6,907	83,498	8.8
2006	82,434 **(21.6)**	10,421 **(21.3)**	8,430 **(22.1)**	1,01,285 **(21.3)**	7.5
2007	1,02,550 **(24.4)**	13,136 **(26.1)**	11,637 **(38.0)**	1,27,323 **(25.7)**	7.2
2008	1,51,137 **(47.4)**	46,912 **(257.1)**	15,489 **(33.1)**	2,13,538 **(67.7)**	11.6
2009	1,91,408 **(26.6)**	46,656 **(0.0)**	18,063 **(16.6)**	2,56,127 **(19.9)**	11.3
2010 (अस्थाई)	2,78,398 (45.4)	64,534 (38.3)	21,080 (16.7)	3,64,012 (42.1)	13.4

स्रोत - भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी:

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाते हैं।
2. 2008 के दौरान दिखी उच्च वृद्धि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार एमएसई के पुनः वर्गीकरण के कारण हैं। प्रथम, लघु (विनिर्माण) इकाइयों की निवेश सीमा 1 करोड़ रू. से 5 करोड़ रू. बढाई गई और लघु सेवा में 10 लाख रू. से 2 करोड़ रू. तक की निवेश सीमा वाले उद्यमों को शामिल किया गया। दूसरे, सेवा उद्यमों के कवरेज को विस्तृत करते हुए उसमें छोटे सड़क और जल परिवहन संचालकों, लघु व्यवसाय, प्रोफेशनल और स्व-रोजगार तथा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार सभी अन्य सेवा उद्यम शामिल किए गए।
3. परिपत्र आरपीसी.सीओ.प्लान.बीसी.24/04.09.01/2009-10, दिनांक 18 सितंबर 2009 के माध्यम से खुदरा व्यापार (क्रेडिट सीमा 20 लाख रुपये से अधिक नहीं) को भी एमएसई क्षेत्र के कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है!

अनुबंध VII

हाल की और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां (सी. एंड ए.जी.)

रिपोर्ट संख्या	टिप्पणियां	अनुवर्ती कार्रवाई
लघु उद्योगों के विकास के लिए एकीकृत आधार संरचना विकास स्कीम के खराब कार्यान्वयन के संबंध में 2010-11 की रिपोर्ट सं. 9	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लघु उद्योग और सूक्ष्म इकाईयों के क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त आधार पर संरचना सुविधाओं समेत आई आई डी केंद्रों की स्थापना के लिए 1993-94 में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए एकीकृत आधार संरचना विकास स्कीम आरंभ की। स्कीम को 2007-08 से सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) में मिला दिया गया। मंत्रालय ने 2007-08 से 124.59 करोड़ रु. की राशि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को 84 आईआईडी परियोजनाओं के लिए जारी की जिसकी अनुमानित लागत 400 करोड़ रु. है। लेखापरीक्षा ने स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की और यह पाया कि 79 आईआईडी परियोजनाओं में से 42, जिन्हें जनवरी, 2008 में पूरी होनी थी, वह भी पूरे नहीं हुई। परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब एक माह से बारह माह के बीच रहा। इसके अतिरिक्त, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के 10 केंद्रों की विस्तृत क्षेत्र स्तरीय लेखापरीक्षा से यह पता चलता है कि केंद्रों में अनेक आधार-संरचना सुविधाएं अपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, बड़े प्लॉट बनाने और बड़ी इकाईयों को प्लॉट आवंटित करने से इस स्कीम के लक्ष्य समूह लघु उद्योग और अति-लघु इकाईयों को उनके लिए अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका।	पैरा सं. 10.1- 2010-11 के सी.एंड ए.जी. रिपोर्ट सं. 9 पर अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणी प्राप्त होने के बाद, उत्तर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजने से पूर्व प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक कार्यालय, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर भवन, नई दिल्ली को जांच के लिए भेजा गया है। प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक कार्यालय ने उनके पास भेजी गई अनुवर्ती-कार्रवाई टिप्पणी पर कुछ प्रश्न किए हैं। तदनुसार, विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय ने संबंधित एजेंसियों से सूचना मांगी है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी है, इसकी सूचना प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक को दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय तक 79 में से 68 आईआईडी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जिन्हें जनवरी, 2008 तक पूरा होना था। इन परियाजनाओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

अनुबंध-VII जारी...

रिपोर्ट संख्या	टिप्पणियां	अनुवर्ती कार्रवाई
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संबंध में 2009-10 की रिपोर्ट संख्या 23 का पेरा सं. 7.1	आयोग ने अपनी निधि आवश्यकता का आकलन नहीं किया तथा अप्रयुक्त ऋण राशि को अनुपयुक्त तरीके से अपने पास बनाए रखा जिससे 30.03 लाख रु. के ऐसे ब्याज का भुगतान हुआ जिससे बचा जा सकता था। यह निधि प्रबंधन में दोषपरक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का सूचक है।	केवीआईसी द्वारा पिछले वर्ष के रूझान के अनुसार गृह निर्माण ऋण के लिए बजट मांग रखी गई। केवीआईसी द्वारा कोई अतिरिक्त या बढ़ी हुई मांग नहीं रखी गई और इसे पिछले वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता तक सीमित रखा गया। केवीआईसी के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कारणों से गृह निर्माण अग्रिम के लिए निधियों की मांग घट गयी है। केवीआईसी ने अब गृह निर्माण अग्रिम के अंतर्गत 1,68,77,400.72 रु. का शेष व्यय नहीं हुई राशि को सरकार को उनके पत्र दिनांक 17.09.2009 के माध्यम से लौटा दिया है। केवीआईसी को अलग से यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि अधिक सुनिश्चित बजटीय कार्रवाई तथा नियमित अंतराल पर स्थिति की पुनरीक्षा के माध्यम से ऋणों को अनावश्यक रूप से अपने पास रखने से बचा जा सकता है।

अनुबंध VIII

मंत्रालय के सीपीआइओ की सूची एवं इसके संगठन

1. सूक्ष्म, लघु और मधयम उद्यम मंत्रलय :

क्र. सं.	सीपीआईओ का नाम पदनाम एवं दूरभाष (एस/श्री)	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम एवं दूरभाष (एस/श्री)	विषय वस्तु
1.	पी.एस.वर्मा, अवर सचिव 23061636	एस.के.गोयल, निदेशक 23063142	सर्वे, अध्ययन एवं नीति-अनुसंधान से संबंधित योजना स्कीम एवं उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) एवं राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमआई) संबंधी नीति, प्रोटोकाल, एवं सामान्य प्रशासन
2.	एम.एल.शर्मा, अवर सचिव 23062210	ए.के.झा, निदेशक 23063198	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड़ (एनएसआईसी) से संबंधित मामले, एसएमई प्रभाग के योजना बजट का समन्वयन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम।
3.	एम.के.मिश्रा, अवर सचिव 23062573	अंशुमन डे, उप सचिव 23062745	कृषि और ग्रामीण उद्योगो से संबंधित सभी मामले जैसे खादी और ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कायक्रम (पीएमईजीपी) एवं परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)।
4.	बलदेव राज, अनुसंधान अधिकारी 23063288	पी.पी. मुरलीधरन, उप सचिव 23061431	संपूर्ण समन्वयन एवं ऐसे मामले जो कि विशेष रुप से किसी अन्य पीआईओ से संबंधित नहीं हो। केन्द्रीय सूचना आयोग के साथ विभिन्न रिपोर्टों को भरना।

क्र. सं.	सीपीआईओ का नाम पदनाम एवं दूरभाष (एस/श्री)	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम एवं दूरभाष (एस/श्री)	विषय वस्तु
5.	के.पी.सिंह, सहायक निदेशक 23062573	पी.पी. मुरलीधरन, उप सचिव 23061431	राजभाषा से संबंधित मामले।
6.	अनिल तहलान, अनुभाग अधिकारी	वी.के. वाधवा, उप सचिव 23062736	कॅयर उद्योग से संबंधित मामले।
7.	श्रीमती रीता शर्मा, अनुभाग अधिकारी	पी.पी. मुरलीधरन, उप सचिव, 23061431	सतर्कता से संबंधित मामले।
8.	डी.के. ठाकुर अनुभाग अधिकारी 23062210	पी.पी. मुरलीधरन, उप सचिव, 23061431	प्रशासन और स्थापना से संबंधित मामले।
9.	भोलाराम अनुभाग अधिकारी	पी.पी. मुरलीधरन, उप सचिव, 23061431	रोकड़ अनुभाग से संबंधित मामले।

अनुबंध-VIII जारी...

2. मंत्रलय के संगठनों के प्रमुख सीपीआईओ की सूची :

क्र.सं.	सीपीआईओ का नाम, पदनाम (एस/श्री)	अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम (एस/श्री)	विषय-वस्तु
1.	हरीश आनंद निदेशक, विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली 011-23062219	एम.पी.सिंह आर्थिक सलाहकार, विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली 011-23061277	विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय से संबंधित सभी सूचना के अधिकार आवेदनों का संबंधित सीपीआईओ के मध्य वितरण। सीपीआईओ की विषयवार सूची वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है।
2.	ए.के.अग्रवाल महाप्रबंधक, रा-ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020 011-26910910	रवीन्द्र नाथ निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020 011-26319452	संबंधित सीपीआईओ के मध्य राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. से संबंधित सभी सूचना के अधिकार आवेदनों का संबंधित सीपीआईओ के मध्य वितरण। सीपीआईओ की विषय वार सूची www.nsic.co.in पर उपलब्ध है।
3.	मुकेश कुमार गुप्ता प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), ए-23-24 सेक्टर-62, सांस्थानिक क्षेत्र, फेस-II, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश 0120-2403054	विनोद गुप्ता, निदेशक, राष्ट्रीय लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), ए-23-24 सेक्टर-62, सांस्थानिक क्षेत्र, फेस-II, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश 0120-2403054	निसबड से संबंधित सभी मामले। सीपीआईओ के ब्यौरे वेबसाइट www.niesbud.nic.in तथा www.niesbud.org पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	सीपीआईओ का नाम, पदनाम (एस/श्री)	अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम (एस/श्री)	विषय-वस्तु
4.	एन.मुरली किशोर, पुस्तकालय और सहायक रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समी), युसूफगोडा, हैदराबाद-500045		निम्समी से संबंधित सभी मामले। सीपीआईओ के ब्यौरे वेबसाइट www.nimsme.org पर उपलब्ध है।
5.	बकुल शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई.आई.ई), 37, राष्ट्रीय हाईवे बाईपास, लालमती, बशिष्ठ चरियाली, गुवाहाटी-781029, असम	के. अहमद निदेशक भारतीय उद्यमिता संस्थान (आई.आई.ई), 37, राष्ट्रीय हाईवे बाईपास, लालमती, बशिष्ठ चरियाली, गुवाहाटी-781029, असम	आईआईई से संबंधित सभी मामले। सीपीआईओ के ब्यौरे वेबसाइट www.iie.nic.in पर उपलब्ध है।
6.	जी हुसैन, निदेशक, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (प.), मुम्बई 022-26703470 एक्सटेंशन 317	एल.जी. ईसरानी निदेशक (प्रशासन), केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (प.), मुम्बई 022-26714267 एक्सटेंशन 317	संबंधित सीपीआईओ के मध्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित सभी सूचना के अधिकार आवेदनों का संबंधित सीपीआईओ के मध्य वितरण। सीपीआईओ की विषय-वार सूची www.kvic.org.in पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	सीपीआईओ का नाम, पदनाम (एस/श्री)	अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम (एस/श्री)	विषय-वस्तु
7.	पी.सी. अंतुले वाज संयुक्त निदेशक, कयर बोर्ड, कयर हाउस, एम.जी.रोड, कोच्चि-682016 0484-2373327	एम. कुमार राजा, सचिव, कयर बोर्ड, कयर हाउस, एम.जी.रोड, कोच्चि-682016 0484-2372676	कयर बोर्ड से संबंधित सभी मामले। सीपीआईओ के ब्यौरे वेबसाइट www.coir board.gov.in पर उपलब्ध है।
8.	आर.आर. गजाभिया महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मागनवाड़ी, वर्धा-442001 07152-253512	डॉ. टी. करूणाकरन निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मागनवाड़ी, वर्धा-442001 07152-253512	एमगिरी से संबंधित सभी मामले। सीपीआईओ के ब्यौरे www.mgiri.org पर उपलब्ध है।

अनुबंध IX

संपर्क पते

सूक्ष्म, लघु और मधयम उद्यम मंत्रलय

क्र. सं.	संस्था के नाम और पते	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
2	विकास आयुक्त (सू. ल.म.उ.) कार्यालय, 7वीं तल, ए-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-udyog.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3-इर्ला रोड, विले पार्ले (पं.) मुम्बई-400056, महाराष्ट्र	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in, ditkvic@bom3.vsnl.net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003

क्र. सं.	संस्था के नाम और पते	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
4	कयर बोर्ड, कयर हाउस, एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोच्ची-682016, केरल	www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in	coir@md2.vsnl.net.in, coirboard@vsnl.com	0484-2351807, 2351788, 2351954, 2354397	0484-2370034
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली-110020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in, pro@nsic.co.in	011-26926275 26910910 26926370 टॉल फ्री 1-800-111955	011-26932075 26311109
6	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान, (निसबड़), ए-23, 24, सेक्टर-62, संस्थागत क्षेत्र, फेस-2, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश	www.niesbud.nic.in www.niesbud.org	info.niesbud@nic.in, rrsingh04@yahoo.com,	0120-2403051-54	0120-2403057 2403062
7	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) यूसुफगोडा, हैदराबाद-50045	www.nimsme.org	registrar@nimsme.org	040-23608544-46 23608316-19	040-23608547 23608956 23541260

S. No.	Name and Address of the organisation	Website	E-mail	Telephone	Fax
8	भारतीय उद्यमिता संस्थान, 37, एनएच बाइपास, चेरियाली, गुवाहाटी-781029, असम	www.iie.nic.in	iieindia1@sancharnet.in, iieindia1@bsnl.in	0361-2302646 2300994 2300123 2300840	0361-2300325
9	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी वर्धा-442001	www.mgiri.org	director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

कार्यालय, विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के संपर्क पते

क्र. सं.	स्वायत्तशासी निकाय का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
1.	सू.ल.म.उ.-औजार कक्ष (इण्डो जर्मन औजार कक्ष), पी-31, एमआईडीसी, चिकलथाना औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद-431006	www.igtr-aur.org	gm@igtr-aur.org	0240-2480578 - 2486832 - 2482593 - 2470541	0240-2484028
2.	सू.ल.म.उ.-औजार कक्ष (इण्डो जर्मन औजार कक्ष), प्लॉट-5003, फेस-4, जीआईडीसी, वटवा मेहमदाबाद रोड, अहमदाबाद 382445 (गुजरात)	www.igtrahd.com	gm@igtrahd.com marketing@igtrahd.com	079-25840964 25840966	079 -25841962

क्र. सं.	स्वायत्तशासी निकाय का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
3.	महा-प्रबंधक, सू.ल. म.उ.-औजार कक्ष (इण्डो जर्मन औजार कक्ष), प्लॉट सं. -291/बी. 302/ए, सेक्टर-ई, सनवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर 452015 (मध्य प्रदेश)	www.igtr-indore.com	indigtr@sancharnet.in igtrindore-mp@nic.in	0731-4210755 4210700, 4210704	0731-2720353
4.	महा-प्रबंधक, सू.ल.म.उ. -औजार कक्ष (केन्द्रीय औजार कक्ष), ए-5, फोकल प्वाइंट लुधियाना-141010 (पंजाब)	www.ctrludhiana.com	info@ctrludhiana.com centool@jla.vsnl.net.in	0161-2670058 -2676166	0161-2674746
5.	प्रधान निदेशक, सू.ल.म.उ. -औजार कक्ष (केन्द्रीय औजार डिजाइन संस्थान), ए-1 से ए-8 एपीआईई, बालानगर हैदराबाद-500037 (आंध्र प्रदेश)	www.citdindia.org	hyd1_citdhyd@sancharnet.in	040-23772747-48	040-23772658

क्र. सं.	स्वायत्तशासी निकाय का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
6.	महा प्रबंधक, सू.ल.म.उ. -औजार कक्ष (केन्द्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र), बोनहुगली औद्योगिक क्षेत्र, कोलकाता-700108 (पश्चिम बंगाल)	www.msmetoolroomkolkata.com	msmetrkolkata@bsnl.in	033-25770576 - 25771492 - 25771068	033-25772494
7.	महा प्रबंधक, सू.ल.म.उ. -औजार कक्ष (केन्द्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र), बी-36, चांदका औद्योगिक क्षेत्र, पी.ओ. पटिया, भुवनेश्वर- 751024 (उड़ीसा)	www.cttc.gov.in	cttc@satyam.net.in cttc@sify.com	0674-2742100 -3011700	0674-2743061

क्र. सं.	स्वायत्तशासी निकाय का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
8.	महा प्रबंधक, सू.ल.म.उ. -औजार कक्ष (इण्डो डेनिश औजार कक्ष), एम-4 (भाग) फेस-6, टाटा कंधरा रोड, गमहेरिया, जमशेदपुर-832108 (झारखण्ड)	www.idtrjamshedpur.com	reach@idtrjamshedpur.com	0657-2201261-62	0657-2202723
9.	परियोजना प्रबंधक, सू.ल.म.उ. -औजार कक्ष (औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र), एमएसएमई-डीआई एमिगांव औद्योगिक क्षेत्र, उत्तरी गुवाहाटी रोड, एमिगांव, गुवाहाटी-781031	www.trtcguwahati.org	trtc_ghy@rediffmail.com	0361-2655542 -2654042	0361-2654042

क्र. सं.	स्वायत्तशासी निकाय का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
10.	प्रधान निदेशक, सू.ल.म.उ.-औजार कक्ष (केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान), जी. टी. रोड़, बाईपास, जालंधर-144008 (पंजाब)	www.ciht.in	institute_jld@dataone.in bathla_ashok@yahoo.com	0181-2290225-26 -2290196	0181-2290457
11.	प्रधान निदेशक, सू.ल.म.उ. - प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (विद्युत मापन उपस्कर डिजाइन संस्थान), एस.टी. टोपे मार्ग, चूनाभट्ठी, सिओन, पी.ओ. मुम्बई-400022	www.idemi.org www.msmetdcmumbai.org	info@idemi.org idemi@mtnl.net.in	022 -24056239 - 24050301-04	022-24050016

क्र. सं.	स्वायत्तशासी निकाय का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
12.	प्रधान निदेशक, सू.ल.म.उ.- प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (इलेक्ट्रानिक सेवा और प्रशिक्षण केन्द्र), कानिया, रामनगर, जिला नैनीताल-244715 (उत्तराखण्ड)	www.estcindia.com	pd_estc@sancharnet.in	05947-251201 251530 255951	05947-251294
13.	प्रधान निदेशक, सू.ल.म.उ. -प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केन्द्र), स्पोर्टस गुड्स काम्प्लेक्स, दिल्ली रोड, मेरठ-250002 (उत्तर प्रदेश)	www.ppdcmeerut.com	info@ppdcmeerut.com ppdcmeerut@yahoo.co.in	0121-2511779	0121-2404991

क्र. सं.	स्वायत्तशासी निकाय का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
14.	प्रधान निदेशक, सू.ल.म.उ. -प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र), फाउंड्री नगर, आगरा-282006 (उत्तर प्रदेश)	www.ppdcagra.in	info@ppdcagra.in arvindppdc@gmail.com	0562-2344006 2344673	0562-2344381
15.	निदेशक, सू.ल.म.उ.-प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान), सी-41 और 42, साइट 'सी' सिकंदरा, औद्योगिक क्षेत्र आगरा-282007 (उत्तर प्रदेश)	www.cftiagra.org.in	info@cftiagra.org.in	0562 -2642004-05	0562-2640502 2642004

क्र. सं.	स्वायत्तशासी निकाय का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
16.	निदेशक, सू.ल.म.उ.- प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान), 65/1, जी.एस. टी. रोड, गुंडी, चेन्नई-600032	www.cftichennai.in	cfti_chennai@vsnl.net cfti@vsnl.net	044-22501529	044-22500876
17.	प्रधान निदेशक, सू.ल.म.उ.- प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सुगंध और स्वाद विकास केन्द्र), औद्योगिक एस्टेट, जी.टी. रोड, पी. ओ. मकरंद नगर, कन्नौज-209726 (उत्तर प्रदेश)	www.ffdcindia.org	ffdcknj@sancharnet.in	05694-234465 -234791	05694-235242

क्र. सं.	स्वायत्तशासी निकाय का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	दूरभाष	फैक्स
18.	प्रधान निदेशक, सू.ल.म.उ.- प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (ग्लास उद्योग विकास केन्द्र), ए-1/1, औद्योगिक क्षेत्र, जलेसर रोड, पी.ओ. मुइद्दीनपुर, फिरोजाबाद-283203 (उत्तर प्रदेश)	www.cdgiindia.com	cdgifzbd@gmail.com contact@cdgiindia.com	05612-232293	05612-232447

अनुबंध X

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यमों की परिभाषा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी में विनिर्माण उद्यम हेतु उनके निवेश के आधार पर और सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यमों हेतु उपस्करों में निवेश के आधार पर की गई हैं। **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले उद्यमों के लिए निवेश पर मौजूदा अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है:**

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम*	सेवा उद्यम**
सूक्ष्म	2.5 मिलियन/25 लाख रूपये	1 मिलियन/10 लाख रूपये
लघु	50 मिलियन/5 करोड रूपये	20 मिलियन/2 करोड रूपये
मध्यम	100 मिलियन/10 करोड रूपये	50 मिलियन/5 करोड रूपये

***** संयत्र एवं मशीनरी में निवेश सीमा ****** उपस्करों में निवेश सीमा

संशोधित केवीआईसी अधिनियम 1956 के अनुसार ग्रामोद्योग को किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किसी ऐसे उद्योग के रुप में परिभाषित किया गया है, जो विद्युत का उपयोग किए बिना अथवा विद्युत के साथ किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है अथवा सेवा प्रदान करता है और जिसमें प्रति कारीगर अथवा श्रमिक सावधि पूंजी निवेश एक लाख रूपये (किसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित ग्रामोद्योग के मामले में डेढ लाख रूपये) अथवा किसी ऐसी राशि जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार समय-समय पर निर्धारित करें, से अधिक नहीं है।

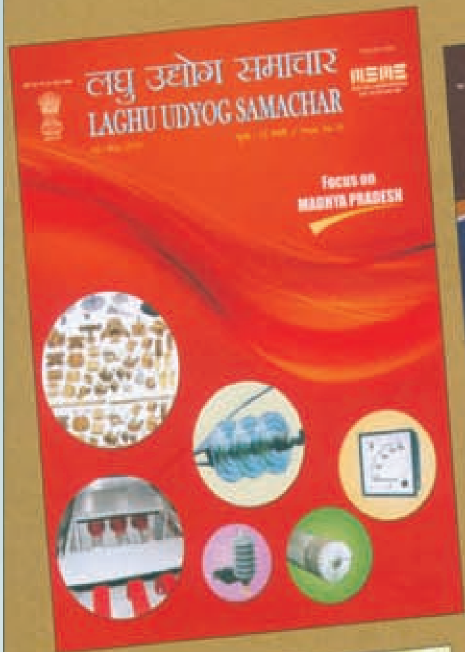

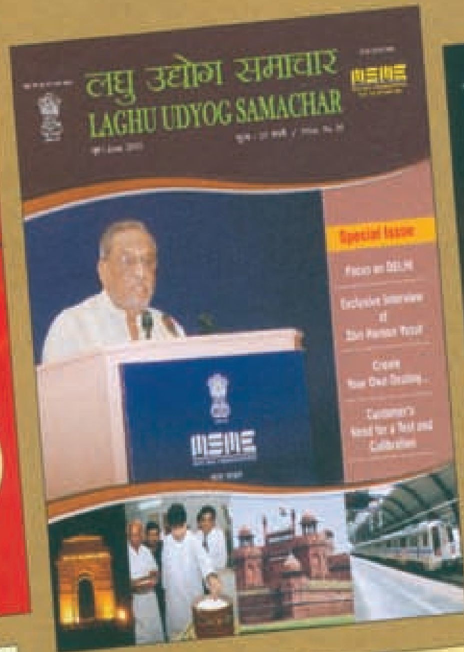

मासिक लघु उद्योग समाचार द्विभाषी

देश के सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - विकास संस्थानों में भी उपलब्ध

सम्पादकीय सूचना के लिए सम्पर्क करें

विज्ञापन व प्रचार प्रभाग
विकास आयुक्त (एमएसएमई)
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

वार्षिक सदस्यता के लिए सम्पर्क करें

प्रकाशन नियंत्रक
प्रकाशन विभाग
सिविल लाइंस, दिल्ली-110054

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110107

वेबसाइट: www.msme.gov.in

उद्यमी हैल्पलाइन नं.: 1800–180–6763 (टोल फ्री)

Designed and Printed at :

CHANDU PRESS
A COMPLETE HOUSE OF DESIGNING AND PRINTING

Office : D-97 Shakarpur, Delhi-110 092
Factory : 63, Patparganj Industrial Estate, Delhi-110 092
Telefax : 22424396, 22526936
Mobile : 9810519841, 9313372130
E-mail : chandupress@gmail.com